भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

को

रिपोर्ट

1974-75

उत्तर प्रदेश सरकार

(वाणिज्यिक)

विषय-सूची

	पैरा-संख्या	पृष्ठ-संख्या
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(iii) से (iv)
पहला अध्याय--सरकारी कम्पनियां		
खण्ड I		
प्रस्तावना	1-5	1-3
खण्ड II		
उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	6-32	4-47
खण्ड III		
अन्य सरकारी कम्पनियां	33-43	48-60
दूसरा अध्याय--सांविधिक निगम		
खण्ड IV		
प्रस्तावना	44	61
खण्ड V		
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	45-59	62-93
खण्ड VI		
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	60-75	94-142
परिशिष्ट		143
परिशिष्ट I--सरकारी कम्पनियों के 1974-75 के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		144-148
परिशिष्ट II--उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड की चुर्क और डाला इकाइयों में उपलब्ध कार्य-काल, उपलब्ध परिचालन काल, वास्तविक कार्य काल और विभिन्न कारणों से व्यर्थ हुआ समय ..		149-150
परिशिष्ट III--उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद व उत्तर प्रदेश वित्त निगम के 1974-75 के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ..		151

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनके लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:--

(i) सांविधिक निगम,
(ii) सरकारी कम्पनियां, और
(iii) ऐसे वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम जिनका प्रबन्ध सरकारी विभाग करते हैं।

2. इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् और सरकारी कम्पनियों सहित सांविधिक निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा है। सरकारी विभागों द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सिविल) में की गई है।

3. इस रिपोर्ट में वे मामले लिये गये हैं जो कि 1974-75 के दौरान प्रकाश में आये। साथ साथ इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो उसके पहिले जानकारी में आ चुके थे किन्तु जिन्हें पिछली रिपोर्टों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। जहां आवश्यक समझा गया है वहां 1974-75 के बाद के मामले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1 जून 1972 को निगमित) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (1 अप्रैल 1959 को निगमित) जो सांविधिक निगम हैं, इनके नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही एक मात्र लेखा परीक्षक हैं, जब कि अन्य दो सांविधिक निगमो यथा उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डारागार निगम के मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों के अतिरिक्त तथा तत्संबंधी अधिनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार उन निगमों की स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

5. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक पूरक अथवा नमूना-लेखा परीक्षा भी कर सकते हैं। उन्हें व्यावसायिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर टिप्पणी करने अथवा अपनी ओर से टिप्पणी बढ़ाने का भी अधिकार है। कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा उन्ह लेखा परीक्षकों को उनके काय के

निष्पादन के सम्बन्ध में निदेश देने का भी अधिकार प्राप्त है। यह निदेश लेखा परीक्षकों को सरकारी कम्पनियों के काम-काज के कुछ विशेष पहलुओं की जांच करने के लिये नवम्बर 1962 में दिये गये थे। इन निदेशों का दिसम्बर 1965 में तथा बाद में फरवरी 1969 में पुनरीक्षण किया गया।

6. इस रिपोर्ट में जो बातें उठाई गई हैं वे उपर्युक्त उपक्रमों के लेखों की नमूना-लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई हैं। उनको यहां न तो उन सम्बन्धित उपक्रमों के वित्तीय प्रबन्ध पर सामान्यतया आक्षेप करने के आशय से दिया गया है और न ही उनका वैसा कोई अर्थ लिया जावे।

अध्याय 1

सरकारी कम्पनियां

खण्ड I

प्रस्तावना

1. 31 मार्च 1975 को राज्य सरकार की 46 कम्पनियां (19 सहाय समवायों समेत) थीं। जब कि 31 मार्च 1974 को 25 (8 सहाय समवायों सहित) कम्पनियां थीं। इन 46 कम्पनियों में से 42 (17 सहाय समवायों समेत) अपना लेखा प्रति वर्ष 31 मार्च को और दो (एक सहाय समवाय सहित) 30 सितम्बर को बन्द करती हैं। शेष दो कम्पनियां, अर्थात् अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड, अपना लेखा प्रति वर्ष क्रमश: 31 अक्तूबर और 31 दिसम्बर को बन्द करती हैं।

2. उन 18 कम्पनियों के, जिनके 1974-75 के लेखे प्राप्त हो चुके हैं (मार्च 1976) संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के विवरण की रूप रेखा परिशिष्ट 1 में दी गयी है।

3. निम्नलिखित 16 कम्पनियों के लेखे बकाया हैं :--

		किस वर्ष का लेखा बकाया है
1	उ0 प्र0 राज्य पुल निगम लिमिटेड	1973-74 और 1974-75
2	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1974-75
3	उ0 प्र0 निर्यात निगम लिमिटेड	1974-75
4	बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1974-75
5	उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड	1974-75
6	उ0 प्र0 राज्य चर्म विकास तथा विपणन निगम लिमिटेड	1974-75
7	टेलीट्रांनिक्स लिमिटेड	1974-75
8	नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1974-75
9	यू0 पी0 ऐब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड	1974-75
10	यू0 पी0 प्रेस्ट्रेस्ड प्राडक्ट्स लिमिटेड	1974-75
11	यू0 पी0 प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज लिमिटेड	1974-75
12	यू0 पी0 पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड	1974-75
13	यू0 पी0 बिल्ड्वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	1974-75
14	फैजाबाद रूफिंग्स लिमिटेड	1974-75
15	यू0 पी0 रूफिंग्स लिमिटेड	1974-75
16	कृष्णा फास्टनर्स लिमिटेड	1973-74 और 1974-75

1974-75 के दौरान निगमित अन्य 10 कम्पनियों के वार्षिक लेखों की अवधि पूरी नहीं हुई थी तथा अन्य दो कम्पनियां अर्थात् मुरादाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड और इण्डियन बाबिन कम्पनी, लिमिटेड परिसमापन की प्रक्रिया में हैं।

परिदत्त पूंजी

4. 1974-75 के अन्त में 18 कम्पनियों की परिदत्त पूंजी का योग रु0 5,369.33 लाख था। 31 मार्च 1975 को राज्य तथा केन्द्र सरकारों, सूत्रधारी समवायों और निजी संस्थाओं से इन 18 कम्पनियों की परिदत्त पूंजी में नियोजन का विवरण निम्न प्रकार से था—

(लाख रुपये में)

कम्पनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	सूत्रधारी समवाय	निजी संस्थायें	योग
कम्पनियां जिनका पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का है	10	4,181.28	..	..	..	4,181.28
कम्पनियां जिन पर राज्य तथा केन्द्र सरकार का संयुक्त स्वामित्व है	1	285.00	285.00	..	..	570.00
सहाय समवाय जिन पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है	4	..	..	318 .67	..	318.67
कम्पनियां जो सूत्रधारी समवाय और निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व में हैं	2	..	..	161.00	116.59	277.59
कम्पनियां जिन पर राज्य सरकार और निजो संस्थाओं का संयुक्त स्वामित्व है	1	13.43	..	..	8.36	21.79
योग ..	18	4,479.71	285.00	479.67	124.95	5,369.33

लाभ तथा लाभांश

5. 1974-75 के दौरान 18 कम्पनियों के क्रिया-कलाप का परिणाम 791.26 लाख रुपयों की निवल हानि थी (जिसमें से 8 कम्पनियों ने 49.22 लाख रुपये का लाभ कमाया और आठ को 840.48 लाख रुपयों की हानि हुई), अन्य दो कम्पनियों ने अभी भी निर्माणाधीन होने के कारण, कोई लाभ हानि का लेखा तैयार नहीं किया है। इसकी तुलना में 1973-74 में 16 कम्पनियों को 273.35 लाख रुपयों की हानि हुई थी। दो कम्पनियों, अर्थात् प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड और टर्पेण्टाइन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, के द्वारा प्रजित लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई। 1973-74 में भारी नुकसान की तुलना में एक तीसरी कम्पनी, यथा इण्डियन टर्पेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ने थोड़ा सा लाभ कमाया। यू0पी0 स्टट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अर्जित लाभ में काफी अधिक कमी हो गई। तीन कम्पनियों अर्थात्

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, उसकी सहाय समवाय किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, को 1974-75 में बड़े परिमाण में हानि हुई। एक कम्पनी, अर्थात्, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड को, जिसे 1973-74 में बड़ा लाभ हुआ था, 1974-75 में बहुत बड़ी हानि हुई।

दो कम्पनियों ने 1974-75 के दौरान 10.40 लाख रुपयों का लाभांश घोषित किया जो उनकी कुल 798.91 लाख रुपयों की परिदत्त पूंजी का 1.3 प्रतिशत था। घोषित अतिरिक्त लाभांश इत्यादि सहित उन दो कम्पनियों के नाम नीचे दिये गये हैं :--

(लाख रुपये में)

कम्पनी का नाम	अतिरिक्त राशि	व्यवसाय में रोकी गई राशि	लाभांश की राशि
यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	34.16	23.78	10.38
टर्पेण्टाइन सब्सिडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ..	2.44	2.42	0.02
योग ..	36.60	26.20	10.40

3,768.44 लाख रुपयों की परिदत्त पूंजी वाली आठ कम्पनियों को कुल 840.48 लाख रुपयों का घाटा हुआ जिसमें से 726.65 लाख रुपयों का घाटा तो केवल तीन कम्पनियों, अर्थात्, यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड (302.54 लाख रुपये), किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (146.12 लाख रुपये) और यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (277.99 लाख रुपये), को हुआ।

खण्ड II

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना

6. उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड नामक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व में राज्य में दो सीमेन्ट फैक्टरियां हैं। 1948 में राज्य भूगर्भ विभाग द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से मिर्जापुर जिले में लाइम स्टोन के एक बहुत बड़े भण्डार (360 लाख टन) का पता चला था। राज्य सरकार ने 1949 में उस जिले में एक सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना करने का निश्चय किया। 1954 में पहला कारखाना चुर्क में स्थापित किया गया और दूसरा 1972 में डाला में स्थापित किया गया। इन दोनों इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था मार्च 1972 तक विभाग द्वारा प्रबन्धित उपक्रमों के रूप में की जाती थी, जिसके बाद इन दोनों कारखानों को चलाने के लिये सरकारी कम्पनी की स्थापना की गई।

29 मार्च 1972 को पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में यू0 पी0 सीमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1972 को चुर्क और डाला के सीमेण्ट कारखाने सरकार द्वारा नवस्थापित कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिये गये।

उद्देश्य और कार्य

7. मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के अनुसार कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) सीमेण्ट बनाने के लिये उपयुक्त श्रेणी के लाइम स्टोन के भण्डारों का सर्वेक्षण करना, खोजना और श्रेणी तय करना,

(ख) सीमेण्ट का निर्माण, और

(ग) राज्य में सीमेण्ट उद्योग के विकास से सम्बन्धित समस्त सहायक और पोषक क्रिया-कलापों को बढ़ाना तथा उसमें सुविज्ञता की अभिवृद्धि करना।

संगठनात्मक व्यवस्था

8. कम्पनी के कारोबार का प्रबन्ध कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक समेत 12 संचालकों के एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है।

जुलाई 1972 में संचालक मण्डल ने प्रबन्ध निदेशक को कतिपय वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान किया।

पूंजी का संरचनात्मक रूप

9. 20 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से कम्पनी का पंजीकरण हुआ। 10 दिसम्बर 1974 को कम्पनी की शेयर पूंजी की आवश्यकता पर संचालक मण्डल द्वारा नये सिरे से विचार किया गया। यह तय हुआ कि काजरहाट-चुनार में कम्पनी की एक नई इकाई स्थापित करने के निर्णय के फलस्वरूप इसके क्रियाकलापों में हुई वृद्धि के कारण इसकी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की जानी चाहिये, जो कि सौ-सौ रुपये के 50 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित हो। 31 मार्च 1975 को पूरे तौर पर सरकार द्वारा दी गई परिदत्त पूंजी 12.25 करोड़ रुपये थी।

सरकार ने कम्पनी को ऋण भी दिये हैं। 31 मार्च 1975 को बकाया ऋण की कुल राशि 13.41 करोड़ रुपये थी जिसमें देय और पूंजीकृत (कैपिटलाइज्ड) ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं है। 31 मार्च 1975 तक दिये गये कर्ज में से 13.27 करोड़ रुपये की राशि, सरकार द्वारा परिसम्पत्तियां (एसेट्स) कम्पनी को हस्तान्तरित किये जाने के एवज में, ऋण मान ली गई। इसके अतिरिक्त सब्सीडाइज्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत, गृह निर्माण हेतु भूमि की जमानत पर मार्च 1973 से मार्च 1975 के दौरान सरकार ने कुल 13.79 लाख रुपए की राशि का नकद ऋण स्वीकृत किया। यह ऋण 25 किस्तों में अदा होना है। अभी तक (मार्च 1976) कोई किस्त देय नहीं हुई है।

कम्पनी के द्वारा देय ब्याज की दर समेत मूल ऋण की शर्तें तय नहीं की गई हैं (मार्च 1976); इस बीच कम्पनी अपने लेखे में 7 1/2 प्रतिशत की दर पर ब्याज की व्यवस्था करती रही है। 31 मार्च 1975 तक अनन्तिम रूप से प्रभारित ब्याज की कुल राशि 299.60 लाख रुपये थी। ऋण की शर्तें तय न होने और ब्याज की अदायगी न होने के कारण कम्पनी ने ब्याज की संचित बकाया राशि को नया ऋण मान लिया है।

राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। 31 मार्च 1975 तक बकाया ऋण (13.79 लाख रुपये) पर कुल देय ब्याज की राशि 1.11 लाख रुपए) थी।

तैयार माल, अधूरे माल, कच्चे माल तथा भण्डार आदि को बन्धक रख कर कम्पनी ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 1.60 करोड़ रुपये तक नकद उधार की सुविधायें (चुर्क और डाला दोनों कारखानों के लिये प्रत्येक को 80 लाख रुपये की दर से) प्राप्त की। 31 मार्च 1975 को कुल नकद उधार की रकम 111.97 लाख रुपये (डाला कारखाने के लिये 77.92 लाख रुपये और चुर्क कारखाने के लिये 34.05 लाख रुपये) थी। इसके लिये 1974-75 के दौरान 14 1/2 प्रतिशत की दर से 4.51 लाख रुपये का ब्याज दिया गया था।

सरकार द्वारा परिसम्पत्ति (एसेट्स) का स्थानान्तरण

10. 31-3-1972 को इन दो सीमेन्ट कारखानों में सरकार ने 2,479.76 लाख रुपये (1,162.85 लाख रुपये चुर्क में और 1,316.91 लाख रुपये डाला में) की राशि निविष्ट की थी। यह मूल्यांकन कम्पनी ने स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार के पक्ष में 1,100.00 लाख रुपये के शेयर जारी कर दिये। 1379.76 लाख रुपये की शेष राशि को सरकार द्वारा दिया गया ऋण मान लिया गया। थोड़े समायोजन के बाद 31 मार्च 1973 को यह राशि घट कर 13.54 करोड़ रुपये, तथा 31 मार्च 1974 को घट कर 13.27 करोड़ रुपये कर दी गई।

डाला संयंत्र की स्थापना

11. 890.00 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर डाला संयंत्र के लिये परियोजना की एक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी (जनवरी 1964)। इसमें पत्थर पीसने के संयंत्र और दूसरे अतिरिक्त पुर्जों की लागत तो शामिल थी पर ब्याज का प्रभार शामिल नहीं था। सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन की आशा में, संयंत्र और मशीनों की आपूर्ति के लिये, एक फ्रांसीसी फर्म को दिसम्बर 1963 में आर्डर दे दिये गये थे (अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर)। बाद में संयंत्र लगाने और उसे चालू करने का काम भी उसी फर्म को दे दिया गया। पहले ही तय की जा चुकी निविदाओं के आधार पर तथा 20.44 लाख रुपये की परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था की लागत समेत अप्रैल 1967 में परियोजना की पूंजी लागत संशोधित करके 11.40 करोड़ रुपय तक बढ़ा दी गई किन्तु इसमें अतिरिक्त पुर्जों की लागत (40.00 लाख रुपये) शामिल नहीं थी। बाद में जून 1971 में यह पूंजी लागत पुनः बढ़ा कर 11.65 करोड़ रुपये कर दी गई। 1 अप्रैल 1972 को (जिस दिन कम्पनी ने इस इकाई को सरकार से लिया) पूंजी लागत अन्तिम रूप से 1,316.91 लाख रुपये तय की गई।

प्रबन्धकों को द्वारा मूल प्राक्कलन की तुलना में पूंजी लागत में वृद्धि के निम्नलिखित कारण बताये गये :—

(i) पत्थर पीसने की तथा रोपवे की मशीनों की लागत (23 लाख रुपये), (ii) माल भाड़े और बीमें की दर (28.61 लाख रुपये), (ii) सिविल निर्माण की लागत (105.27 लाख रुपये), (iv) सीमेन्ट संयंत्र की लागत (22.10 लाख रुपये), और (v) अन्य व्यय (247.93 लाख रुपये) जिसमें स्थापना सम्बन्धी व्यय, परामर्श सम्बन्धी व्यय, और देशी उपकरणों की लागत शामिल हैं।

निम्नलिखित तालिका में संयंत्र के दो भट्ठों को चालू करने के लिये निर्धारित, बढ़ाया गया, तथा वस्तुत: लगा समय दिखाया गया है।

	निर्धारित समय	बढ़ाया गया समय	चालू करने का वास्तविक समय
भट्ठा I	मार्च–जून 1968	मार्च–जून 1969	दिसम्बर 1970
भट्ठा II	मई–अगस्त 1968	मई–अगस्त 1969	अप्रैल 1971

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं :—

(क) सिविल अभियंत्रण निर्माण-कार्य

सिविल निर्माण के कामों का ठेका, 1 फरवरी 1967 को नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (केन्द्रीय सरकार का उपक्रम) को दिया गया था। अनुबन्ध के साथ संलग्न निर्माण-तालिका के अनुसार निर्माण 15 जून 1968 तक पूरा हो जाना था। चूंकि निर्माण समय से पूरा नहीं हो सका, ठेकेदारों को एक वर्ष का समय और दिया गया। निर्माण वस्तुत: 1 नवम्बर 1969 को (बढ़ाई गई अवधि के 4 माह पश्चात्)। निर्माण पूरा करने में विलम्ब होने के कारण सिविल निर्माण का व्यय प्राक्कलन में निर्धारित 135.59 लाख रुपयों से बढ़कर 152.00 लाख रुपये हो गया (16.41 लाख रुपये की वृद्धि)। जब कि कम्पनी ने ठेकेदारों से किसी भी निर्धारित क्षति-पूर्ति की मांग नहीं की, उन्होंने रेखा चित्रों को देने में विलम्ब होने तथा पावर और जल की अ पूर्ति में व्यवधान होने के कारण कम्पनी पर 37 लाख रुपये के मुआवजे का दावा कर दिया। मार्च 1970 में सरकार द्वारा (i) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण निर्धारित रने के लिये, और (ii) विलम्ब का उत्तरदायित्व नियत करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की। 16 अप्रैल 1971 को कमेटी ने सिफारिश की कि सिविल निर्माण पूरा करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है, विशेष कर तब जब कि ठेकेदार मुआवजे के अपने दावे को वापस लेने को तैयार हो। तद्नुसार, विलम्ब क्षमा कर दी गई और ठेकेदार द्वारा अपना दावा भी वापस ले लिया गया।

(ख) क्रेन गंत्री (क्रेन गैण्ट्री) का ढांचा

(i) डाला में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एक क्रेन गंत्री के ढांचे का निर्माण किया गया (ढांचे की रूप रेखा फांसीसी फर्म द्वारा तैयार की गई थी और निर्माण कारखाने के अभियांत्रिक कर्मचारियों की देखरेख में सम्पन्न हुआ)। लगभग 57.62 लाख रुपये की लागत पर सितम्बर 1969 में निर्माण पूरा किया गया। निर्माण पूरा हो जाने पर यह पता लगा कि बेस प्लेट की चौड़ाई तथा प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट के स्तम्भ के सामने का हिस्सा (वर्टिकल फेस) बिलकुल एक जैसे नहीं थे। पर्वर्ती की चौड़ाई 100 मि0 मी0 कम थी जिसके फलस्वरूप रनवे गर्डर की बेस प्लेट क पिलाई (ग्राउटिंग) नहीं की जा सकी। स्तम्भों को बिलकुल ही छांट देना (चाप) आवश्यक समझा गया जो कि अक्तू र 1969 में कर दिया गया तथा कैंची (ट्रसेज) को जमाने तथा छत के काम मार्च 1970 में पूरे किये गये। बहरहाल ई0 ओ0 टी0 क्रेने वतमान खामियों के बावजूद काम करती रहीं और जनवरी 1972 में झुकाव डिफ्लेक्शन बढ़कर 110 मि0 मी0 हो गया। परिचालन को ठप होने से रोकने के लिये गर्डरों और क्रेनों को फिर से ठीक कर के लगाया गया। जून 1972 तक झुकाव बढ़ कर 210 मि0 मी0 हो गया। इसका उपचार सुझाने के लिये नियुक्त परामर्शदाता ने सुझाव दिया कि (i) प्रबलित सीमेण्ट कंक्रीट के स्तम्भों को और अधिक प्रबलित करके सुदृढ़ किया जाय, तथ (ii) गंत्री गर्डरों में सुधार किया जाय। संचालक मंडल ने इस कार्य के लिये 9 अप्रैल 1974 को प्राक्कलित राशि (15 लाख रुपये) सस्वीकृत की। काम अभी हो रहा है (मार्च 1976)। इस मद पर मार्च 1976 तक व्यय की गई राशि 1.61 लाख रुपये थी।

गंत्री ढांचे के प्रबलित सीमेण्ट कंक्रीट स्तम्भों में त्रुटि बनी रहने के कारण ई0 ओ0 टी0 क्रेनें अपनी पूरी क्षमता से नहीं चलाई जा सकीं और अक्सर काम ठप हो जाता था। सामान्य अनुरक्षण और मरम्मत के लिये आवश्यक समय की गुंजाइश निकाल देने के बाद 1972–73, 1973–74

और 1974–75 में क्रमश: कुल 1307, 1236 और 1706 घण्टों के कार्य की हानि हुई। इसके अलावा 1972 में खरीदी गई 80-80 टन की क्षमता वाली दो ई० ओ० टी० क्रेनें स्तम्भों के पर्याप्त रूप से मजबूत न होने के कारण और उनके वर्टिकल फेस तथा बेस-प्लेट की चौड़ाइयों में झुकाव के कारण, इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकीं।

(ii) संयंत्र में त्रुटियों और उसके देर से चालू किये जाने के कारणों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी (मार्च 1970) और सिविल निर्माण ठेकेदार के बीच हुई वार्ता के दौरान इस त्रुटि को इस आधार पर ठेकेदार की जानकारी में नहीं लाया गया कि निर्माण को सुधारने का काम पहले ही पूरा किया जा चुका था। इसलिये त्रुटिपूर्ण निर्माण का दायित्व ठेकेदार पर नहीं डाला जा सका।

(iii) संचालक मण्डल ने अप्रैल 1975 में प्रबलित सीमेण्ट कंक्रीट के निर्माण में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये केन्द्रीय भवन शोध संस्थान, रुड़की की सेवायें प्राप्त करने का निर्णय लिया।

(ग) संयंत्र और मशीनें लगाना

मुख्य संयंत्र की आपूर्ति, उसके निर्माण और उसे चालू करने के लिये 30 अप्रैल 1965 को एक फ्रांसीसी फर्म के साथ 1,32,39,800 एफ0 एफ0 पर एक ठेका तय किया गया। कार्य सम्पन्न करने के लिये अनुबन्ध के साथ संलग्न तालिका के अनुसार पूरे किये जाने वाले प्रमुख कार्यों की मदें निम्नलिखित थीं :—

विवरण	निर्धारित तिथि
सिविल अभियंत्रण का रेखांकन ..	31 अगस्त 1965
संरचनात्मक रेखांकन	31 मार्च 1966
अन्य रेखांकन	30 सितम्बर 1965 से 29 फरवरी 1966 के बीच
भट्ठा I का कार्यारम्भ	मार्च से जून 1968
भट्ठा II का कार्यारम्भ	मई से अगस्त 1968

सभी रेखांकनों की आपूर्ति विलम्ब से की गई; अन्तिम रेखांकन अप्रैल 1969 को अर्थात् 27 माह विलम्ब से भेजा गया। रेखांकनों की आपूर्ति के लिये 9 माह का समय (मार्च 1967) तथा संयंत्र प्रारम्भ करने के लिये 1 वर्ष का समय (अगस्त 1969) बढ़ाने की अनुमति (i) रेखांकन अन्तिम रूप से तैयार करने में विलम्ब होने, (ii) उपकरणों के निर्माण म विलम्ब, (iii) लदान में विलम्ब होने इत्यादि के आधार पर दी गई।

(घ) क्रशर की आपूर्ति

पत्थर पीसने के एक संयंत्र की आपूर्ति, उसको लगाये और चालू करने के लिये 42.38 लाख रुपये पर एक आर्डर 11 जनवरी 1967 को उड़ीसा की एक फर्म को दिया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार आपूर्ति पूरी करके क्रशर संयंत्र को 11 सितम्बर 1968 तक चालू करना था। किन्तु आपूर्ति 10 फरवरी 1970 को हुई जून 1970 में आजमाइशी 400 परिचालन के समय ज्ञात हुआ कि मैट्रिक टन प्रति घंटा पीसने की क्षमता के बजाय संयंत्र ने 150 मैट्रिक टन प्रति घंटे की पिसाई की। सितम्बर 1970 में एक और आजमाइश के दौरान संयंत्र की कन्वेयर बेल्ट क्षतिग्रस्त हो गई और आजमाइश छोड़ देनी पड़ी। नवम्बर 1970 में एक पूरक अनुबन्ध किया गया जिसके अनुसार फर्म को मई 1971 तक सारी त्रुटियां दूर कर देनी थीं, जनवरी 1972 में अन्तिम जांच परिचालन हुआ, जब कि संयंत्र ने 423 मैट्रिक टन प्रति घंटे पिसाई की। किन्तु बाद में संयंत्र अपनी पूरी क्षमता की पिसाई नहीं कर सका और फर्म ने, 400 मैट्रिक टन प्रति घंटे की मूल गारण्टी के स्थान पर, केवल 200 मैट्रिक टन प्रति घंटे की गारण्टी दी। 1 अप्रैल 1972 को क्रशर को व्यावसायिक उत्पादन में लगा दिया गया। 4 माह की अपेक्षित अवधि के स्थान पर इसका गीयर-बाक्स प्रति 13 दिन पर बदला जाता है। आपूर्ति करने वाली फर्म पर ठेके की 41.24 लाख

रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए कुल 1.23 लाख रुपये की क्षति का हर्जाना लगाया गया।

(ङ) मुख्य संयंत्र में त्रुटियां

मुख्य संयंत्र अप्रैल 1971 में चालू किया गया और जांच के लिये चालू करने पर इसकी त्रुटियां फ्रांसीसी आपूर्ति कर्ताओं को बतलाई गईं। समय-समय पर आपूर्ति कर्ताओं ने उन त्रुटियों को दूर किया किन्तु संयंत्र पूरा कार्य भार न संभाल सका। राज्य सरकार ने आपूर्तिकर्ताओं के फ्रांसीसी बैंकरों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई 15 लाख रुपये की बैंक गारण्टी जब्त कर लेने का अपना निर्णय सूचित किया (9 अप्रैल 1971)। सरकार द्वारा जब्त करने का कार्य सितम्बर 1972 में प्रभावी किया गया। संयंत्र में लगातार गड़बड़ी पैदा होते रहने के कारण सितम्बर 1971 में सरकार ने संयंत्र को सुचारु रूप से चलने लायक बनाने के हेतु सुधार करने के लिये आवश्यक 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की नोटिस दी। दावे को निपटाने के लिये उद्योग विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समझौता कमेटी की स्थापना की गई। समझौते की वार्ता नवम्बर 1971 से प्रारम्भ होकर अप्रैल 1972 में पूरी हुई। सरकार का 46.81 लाख रुपये का दावा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 31.34 लाख रुपये तक स्वीकृत किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है :--

(लाख रुपयों में)

मद	सरकार के दावे की राशि	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत राशि
मुख्य संयंत्र में सुधार की लागत हेतु	18.73	9.03
संयंत्र की मरम्मत के लिये अतिरिक्त	3.49	..
वस्तुत: भारतीय निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई मशीन पर जिसकी मूलत: फ्रांस से आपूर्ति की जानी थी, दी गई रकम की वसूली	5.00	..
त्रुटियों को दूर करने के लिये आवश्यक उपकरणों के लिये दावे की रकम	4.59	12.31
संयंत्र के विलम्ब से चालू होने के कारण हर्जाने की निर्धारित राशि	15.00	10.00
योग ..	46.81	31.34

31.34 लाख रुपये के स्वीकृत दावे में से, अतिरिक्त पुर्जों और संयंत्र को चलाने के लिये अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिये 16.34 लाख रुपये का आर्डर दिया गया, और शेष राशि (15 लाख रुपये) बैंक गारण्टी की जब्त राशि में समायोजित कर ली गई। अतिरिक्त पुर्जे जुलाई 1975 के अन्त तक मिले। इस प्रकार यह मामला समाप्त हो गया।

विभिन्न मिलों के गारण्टी शुदा उत्पादन की तुलना में 1 अप्रैल 1972 से चालू होने के बाद से संयंत्र का वास्तविक कार्य निष्पादन निम्न प्रकार रहा :--

(मैट्रिक टनों में)

विवरण	उत्पादन जिसकी गारण्टी दी गई थी	वास्तविक उत्पादन 1972-73	1973-74	1974-75
कच्ची मिले (रॉमिलें) (प्रति घंटा) ..	100	38	46	40
भट्ठे (प्रति दिन) ..	1200	554	600	654
सीमेण्ट मिलें (प्रति घंटा) ..	74	32	34	36

निष्पादन का विश्लेषण

(क) निर्माण की प्रक्रिया

12. पोर्टलैंड सीमेण्ट के निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल मिलाने का काम होता है, जिसमें से एक मुख्यतया कैल्करियस सामग्री का होता है, जैसे लाइमस्टोन और आर्जीलेशियस सामग्री, जैसे मिट्टी या शेल, ताकि एकरस मिश्रण तैयार हो सके। इस मिश्रण को भट्ठे में क्लिकर तैयार करने

के लिए जलाया जाता है और फिर इस क्लिकर को अल्प परिमाण में जिप्सम मिला कर (कड़ा करने के लिए) महीन पाउडर के रूप में पीसा जाता है। इसके लिए, कच्चे माल को सूखी या गीली हालत में जैसे भी मिलाया जाता है, उसके अनुसार गीली और सूखी दो प्रक्रियायें प्रयोग में लाई जाती हैं।

इन दोनों प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया चुनने के लिए समस्त तत्वों में से निर्णायक तत्व ईंधन और शक्ति की खपत का है जो गीली प्रक्रिया में प्रारम्भिक लागत (प्राइम कास्ट) की कुल जमा का 40 प्रतिशत होता है। कोयले और पावर की अपेक्षाकृत कम खपत होने के कारण सामान्यतया सूखी प्रक्रिया अधिक अपनाई जाती है। किन्तु कम्पनी की दोनों इकाइयां गीली प्रक्रिया वाली इकाइयां हैं। कम्पनी की नई परियोजना (कजरहट–चुनार) की योजना सूखी प्रक्रिया से सीमेण्ट बनाने के लिये तैयार की जा रही है।

(ख) खदान का संचालन

कम्पनी ने अपने दोनों संयंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए घुरमा और कजरहट की लाइमस्टोन-खदानें सरकार से 100 वर्ष के पट्टे पर ले ली है। पट्टे की शर्तों का पूरा विवरण अभी तक (मार्च 1976) तैयार नहीं हुआ है।

लाइमस्टोन की ढुलाई—(i) समय-समय पर गोरखपुर लेबर डिपो से प्राप्त श्रमिकों द्वारा, (ii) जेलों से प्राप्त दीर्घकालिक कैदियों द्वारा जोकि कार्यस्थल पर ही कैम्पों में रखे जाते हैं जिन्हें जेल श्रमिक कहा जाता है, (iii) ठेकेदारों द्वारा, और (iv) कम्पनी द्वारा मशीनों के माध्यम से की जाती है। यह सभी माध्यम मिलकर चुर्क के कारखाने के लिए आवश्यक लाइमस्टोन उठाते हैं जब कि डाला कारखाने के लिये विभागीय स्तर पर मशीनों से माल ढोने का तरीका अपनाया गया है।

(ग) परिचालनात्मक दक्षता

(क) चुर्क—

(i) खदान का काम

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक तीन वर्षों के दौरान लाइमस्टोन ढोने के लिए लगाये गये श्रमिकों की संख्या और प्रतिदिन प्रति मजदूर ढोया गया माल दिया है :—

विवरण	1972–73	1973–74	1974–75
लाख मैट्रिक टनों में वर्ष भर में ढोया गया माल (छीजन को लेकर)			
(क) जेल श्रमिकों द्वारा ..	2.63	2.87	3.36
(ख) गोरखपुर के श्रमिक ..	1.74	2.16	1.83
कुल कार्य दिवस			
(क) जेल श्रमिक	1,31,720	1,12,996	1,34,317
(ख) गोरखपुर के श्रमिक	90,632	1,42,119	1,27,082
प्रतिदिन प्रति श्रमिक द्वारा ढोया गया माल (मैट्रिक टनों में)			
(क) जेल श्रमिक	1.999	2.543	2.504
(ख) गोरखपुर के श्रमिक ..	1.921	1.519	1.438

जेल श्रमिकों को छोड़ कर सभी प्रक्रियाओं में 1974–75 तक के तीन सालों में प्रति मेट्रिक टन माल ढुलाई पर व्यय बढ़ता रहा है जसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:—

विवरण	1972–73	1973–74	1974–75
वर्ष में ढोये गये माल की मात्रा (लाख मट्रिक टनों में)			
(क) जेल श्रमिक	2.63	2.87	3.36
(ख) गोरखपुर के श्रमिक	1.74	2.16	1.83
(ग) यांत्रिक विधि	1.01	0.23	0.14
(घ) ठेकेदार	3.32	3.76	3.91
प्रति मेट्रिक टन पर हुआ कुल सीधा व्यय, मशीनों के अवक्षयण सहित (रुपये में):			
(क) जेल श्रमिक	3.27	3.01	2.97
(ख) गोरखपुर के श्रमिक	5.64	8.16	11.08
(ग) यांत्रिक प्रक्रिया	15.47	59.81	155.24
(घ) ठेकेदार	3.79	5.44	5.44

उपर्युक्त विवरण से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:—

(क) 1972–73 की तुलना में गोरखपुर के श्रमिकों द्वारा 1974-75 में ढोये गये प्रति मेट्रिक टन लाइम स्टोन पर लगभग 100 प्रतिशत व्यय बढ़ गया जबकि गोरखपुर क श्रमिकों की कार्यदक्षता प्रति वर्ष घटती रही है।

(ख) यांत्रिक विधि से माल की ढुलाई गिरती जा रही है। 1974–75 में 9.24 लाख मेट्रिक टन के कुल उत्पादन की तुलना में यह घटकर लगभग नगण्य परिमाण (13,500 मेट्रिक टन) तक पहुंच गयी। प्रति मेट्रिक टन माल ढोने का व्यय 1973–74 और 1974–75 में असामान्य रूप से बढ़ गया। इस व्यय में कम्पनी के कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाओं पर हुआ व्यय जैसे मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा इत्यादि, शामिल नहीं हैं। यह सुविधायें जेल श्रमिकों, गोरखपुर के श्रमिकों और ठेकेदारों को उपलब्ध नहीं हैं। 1974–75 में गोरखपुर के श्रमिकों, जेल के श्रमिकों और विभागीय यांत्रिक विधि द्वारा लाइम स्टोन ढुलाई पर हुए कुल 52.21 लाख रुपये के व्यय में से 22.09 लाख रुपये, विस्फोटकों, अतिरिक्त पुर्जों, पावर और ईंधन इत्यादि पर हुए व्यय को छोड़कर, केवल विभागीय श्रमिकों के वेतन और मजदूरी पर खर्च हुए। इसकी तुलना में यांत्रिक विधि से केवल 13,500 मेट्रिक टन माल की ही ढुलाई हुई।

प्रबन्धकों ने अभी तक निम्न बातों के कारण पता लगाने के लिए कोई अध्ययन प्रारम्भ नहीं किया है :–(i) गोरखपुर के श्रमिकों की कार्यदक्षता में कमी, (ii) गोरखपुर के श्रमिकों द्वारा लाइम स्टोन ढुलाई की लागत में वृद्धि और (iii) विभागीय यांत्रिक प्रक्रिया से उठाये गये माल के परिमाण में असामान्य कमी।

विभागीय श्रमिकों को कहीं अन्यत्र प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए भी कदम नहीं उठाये गये हैं (मार्च 1976)।

(ii) ठेकेदारों द्वारा लाइमस्टोन की ढुलाई

चुर्क कारखाने ने घुरमा खदान से जनवरी 1972 से लाइम स्टोन ढोने का कार्य (3 लाख मेट्रिक टन) 3.38 रुपया प्रति मेट्रिक टन लाइम स्टोन की दर से (छीजन समेत) दिसम्बर 1971 में 5 ठेकेदारों को सौंपा। स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर 600 कैदियों की रिहाई के कारण जेल-श्रमिकों द्वारा ढोये गये माल का परिमाण सितम्बर 1972 में घट

गया। इसलिए अगले 6 महीनों में और अधिक माल ढुलाने के लिए (45,000 मेट्रिक टन) कम्पनी ने तीन ठेकेदारों से अनुरोध किया। ठेकेदार इस पर सहमत हो गये। इसी बीच 1973 में लाइमस्टोन ढोने के लिए नये टेण्डर मांगे गये (नवम्बर 1972) और वे 4 दिसम्बर 1972 को खुले। नये टेण्डरों के अनुसार पहले से ऊंची दर पर अर्थात् यदि कम्पनी द्वारा टब-लाइन से ढुलाई की सुविधा दी गयी तो प्रति मेट्रिक टन 5.20 रुपये से 5.25 रुपये तक की दर पर और यदि सुविधा न दी गई तो 5.60 रुपय से 5.75 रुपये की दर पर चार ठेकेदारों को (इन में वे तीन ठेकेदार भी शामिल थे जिन्होंने पुरानी दर पर ही मार्च 1973 तक अतिरिक्त माल ढोना स्वीकार किया था) काम दिया गया (जनवरी 1973)। दिसम्बर 1972 तक उन तीन ठेकेदारों ने पुराने ठेके के अन्तर्गत तथा 2.40 लाख मेट्रिक टन (उनके द्वारा उठाने के लिए सहमत अतिरिक्त माल सहित) में से 1.76 लाख मेट्रिक टन लाइमस्टोन की ढुलाई थी। किन्तु कम्पनी ने पुराने ठेके के अन्तर्गत उनसे शेष 0.64 लाख मेट्रिक टन माल के लिए जोर नहीं दिया और उन्हें जनवरी 1973 से बढ़ी हुई दर पर लाइमस्टोन उठाने दिया। शेष 0.64 मेट्रिक टन माल की ढुलाई में पुराने ठेके की शर्तों का पालन न करने के कारण कम्पनी को 1.14 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (9,853 मेट्रिक टन पर 1.36 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से और 53,858 मेट्रिक टन पर 1.86 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से)। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1976) कि दो ठेकेदारों से 0.20 लाख रुपये का हर्जाना वसूल किया गया था।

(iii) ओवरबर्डेन हटाने का काम--

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1971-72 की रिपोर्ट के पैरा 89 में घाघर खदान से ओवरबर्डेन को हटाने के विषय में चर्चा थी। उस क्षेत्र में अनुमानित उपलब्ध लाइमस्टोन (13.95 लाख मेट्रिक टन) में से जनवरी 1974 तक 7.28 लाख मेट्रिक टन निकाला जा चुका था। शेष परिमाण (6.67 लाख मेट्रिक टन) अगले चार वर्षों में अर्थात् जून 1978 तक निकाला जाना था। इस आधार पर कि मुलायम चट्टानें समाप्त हो चली हैं और ओवरबर्डेन 5 मीटर गहरा होने तथा मार्ग ऊंचा होने के कारण माल को और ऊंचाई तक उठाने के लिये मजदूरों से काम कराने में समय अधिक लगने की अपेक्षा है, खदान प्रबन्धक ने सितम्बर 1973 में प्रबन्ध संचालक को सुझा व दिया कि घाघर खदान के पश्चिमी खण्ड पर से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ओवरबर्डेन हटाया जाय। यह प्रस्ताव स्टेट डाइरेक्टर आफ जियोलाजी एण्ड माइनिंग (कम्पनी के संचालकों में से एक द्वारा फरवरी 1974 में जांचा गया और उन्होंने संचालक मण्डल द्वारा विचार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये (i) वर्तमान खदानों में और गहरी खुदाई की जाय क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा (लाइमस्टोन की प्राप्ति का नई खदानों में अनुपात 1:3 होने की तुलना में यहां वह 1:2 के अनुपात में होगी) और (ii) ओवरबर्डेन हटाने के लिये मजदूरों तथा यांत्रिक विधियों के प्रयोग का आर्थिक पहलू समझ लिया जाय। इसके बावजूद खदान प्रबन्धक ने प्रबन्ध संचालक पर इस बात के लिये पुनः जोर दिया कि ओवरबर्डेन केवल यांत्रिक विधि से ही हटाया जाय। इसी बीच कम्पनी ने यांत्रिक विधि से काम करने के लिये टेण्डर मांग लिये थे (दिसम्बर 1973) और उसमें प्राप्त दरें 14.91 रुपये प्रति घन मीटर तक थीं। टेण्डरदाताओं से वार्ता करके दर घटवा कर 12.50 रुपये प्रति घन मीटर तक लाई गई। 1.25 लाख घन मीटर प्रत्येक के हिसाब से जून 1974 में ओवरबर्डेन हटाने के लिये दो फर्मों (एक जबलपुर की और एक राबर्ट्सगंज की) को कार्य सौंपा गया। दिसम्बर 1974 में काम पूरा हो गया और सितम्बर 1975 तक 24.95 लाख रुपये का भुगतान हुआ तथा 8.30 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान और होना था। इसके पूर्व मार्च 1974 में मुख्य अभियन्ता ने, जो कि टण्डरदाताओं से दर घटाने के लिए की जाने वाली वार्ता कमेटी के एक सदस्य थे, प्रबन्ध संचालक को सूचित किया था कि उस क्षेत्र में ओवरबर्डेन हटाने और उसका निस्तारण करने के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुसूचित दर 8.80 रुपये प्रति घन मीटर थी और यह भी कि विभाग इसी दर पर वस्तुतः अपना काम करवा रहा था। इसलिए मुख्य अभियन्ता की राय में टेण्डर की दरें कुछ अधिक ही थीं। किन्तु ठेकेदारों को उपर्युक्त तयशुदा अधिक दर पर ही भुगतान किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुसूचित दर की तुलना में 10.25 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(iv) छानने में छीजन—

लाइमस्टोन की पिसाई में छानने की छीजन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 1969 की आडिट रिपोर्ट के पैरा 76 (ख) (iii) में छानने में छीजन की बढ़ोत्तरी का जिक्र किया गया था। उस पैरा के उत्तर में प्रबन्धकों ने बताया था कि अच्छी किस्म के लाइमस्टोन निकालने के लिए गहरी खुदाई की जा रही थी। चूंकि उस समय गहरी खुदाई प्रारम्भ की जा रही थी और अब अधिकांश लाइमस्टोन इसी प्रक्रिया से निकाला जा रहा है फिर भी छानने की छीजन घट कर 1970–71 से पूर्व के स्तर तक नहीं आ पाई है।

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक के पांच वर्षों के दौरान पीसे गये लाइमस्टोन, छानने की छीजन और उसका प्रतिशत दिखाया गया है :—

(लाख मेट्रिक टनों में)

वर्ष	पीसा गया लाइमस्टोन	छानने में छीजन	छीजन का प्रतिशत
1970–71	5.93	0.43	7
1971–72	5.82	0.37	6
1972–73	6.65	0.39	6
1973–74	5.77	0.56	10
1974–75	4.89	0.46	9

देश के दूसरे सीमेन्ट कारखानों की तुलना में जहां छीजन की दर 5 से 8 प्रतिशत है इस कारखाने में 1973–74 और 1974–75 के दौरान हुई छीजन की दर कुछ अधिक ही थी। यह सारे भारत की औसत दर 7 प्रतिशत से भी अधिक है (सीमेण्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आव इण्डिया द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार)।

1970–71 को आधार वर्ष मानते हुए छानने में अत्यधिक छीजन निकलने के कारण 1973–74 में 3.53 लाख रुपये तथा 1974–75 में 3.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कम्पनी ने छानने की छीजन का कोई मानक निर्धारित नहीं किया है (मार्च 1976)।

(ख) डाला

(i) खदान के कार्य

डाला में खदान का काम विभाग द्वारा यांत्रिक विधि से किया जाता है। 1974–75 तक के तीन वर्षों में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन लाइमस्टोन की निकासी की दर लगातार घटती जा रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है :

विवरण	1972-73	1973-74	1974-75
लाइम स्टोन निकालने के लिये लगाये गये कर्मचारी की औसत संख्या	223	223	223
निकाला गया लाइमस्टोन (लाख मेट्रिक टनों में) ..	3.19	2.53	1.14
वर्ष में उपलब्ध कार्य-दिवस (300X223) ..	66,900	66,900	66,900
माल की उठाई प्रति व्यक्ति प्रति दिन ..	4.87	3.8	1.7

कम्पनी ने कर्मचारियों की दक्षता में ह्रास के कारण निर्धारित करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया ; न ही उसे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं।

(ii) छानने में छीजन

1974–75 के तीन वर्षों के दौरान छानने में हुई लाइमस्टोन की छीजने को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:—

(लाख मेट्रिक टनों में)

वर्ष			ढोया गया लाइमस्टोन	पीसा गया लाइमस्टोन	छीजन	छीजन का प्रतिशत
1972–73	..	..	3.62	3.57	0.05	1.4
1973–74	..	..	4.17	4.11	0.06	1.4
1974–75	..	..	3.46	3.14	0.31	9.1

प्रबन्धकों ने बताया कि प्रारम्भिक दो वर्षों में छीजन इसलिए कम थी कि ऊपरी सतहों पर मिट्टी का जमाव कम था और 1974–75 में छीजन की वृद्धि सामान्य थी।

क्षमता का उपयोग

13. भारत सरकार द्वारा 30 सितम्बर 1973 को देश भर की सीमेण्ट उत्पादन क्षमता 197.6 लाख टन आकलित की गई थी। इसके मुकाबले में देश तथा राज्य में सीमेण्ट की मांग और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

(लाख मेट्रिक टन में

		मांग		उत्पादन		क्षमता का उपयोग प्रतिशत	
वर्ष		देश में	उत्तर प्रदेश में	देश में	उत्तर प्रदेश में	देश में	उत्तर प्रदेश में
1972	..	167.43	18.05	157.13	6.64	80	73
1973	..	188.74	18.67	145.23	6.65	74	73
1974	..	212.68	21.41	142.74	4.80	73	53

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ अन्य सीमेण्ट कारखानों में इन तीन वर्षों में क्षमता का उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है :—

कारखाने का नाम			स्थापना का वर्ष	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत) 1972	1973	1974
(क) निजी क्षेत्र—						
चाईवासा	..	..	1947	60	67	78
भूपेन्द्र	..	..	1939	97	110	78
शाहाबाद	..	..	1925	85	84	78
चांदा	..	..	1970	71	66	78
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र—						
चेरापूंजी	..	..	1966	57	75	84
मन्धार	..	..	1970	82	84	72

दृष्टव्य—भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित "सीमेन्ट डिस्पैचेज" पर आधारित।

ऊपर दिखाये गये कम्पनी के वास्तविक सीमेण्ट के उत्पादन के मुकाबले में क्षमता के 93 प्रतिशत उपयोग के हिसाब से भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी के लिये 1975 और 1976 में 8.39 लाख मेट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

चर्क कारखाने में दो सीमेण्ट संयंत्र हैं (विकर्स —1954 में स्थापित और स्कोडा—1963 में चालू किया गया) प्रत्येक संयंत्र में रॉ मिलों, भट्ठों, सीमेण्ट मिलों और पैकिंग संयंत्र की दो-दो इकाइयाँ हैं। खदान पर केवल एक क्रशर है। कारखाने की अपेक्षित क्षमता 4.80 लाख मेट्रिक टन सीमेन्ट प्रति वर्ष है। निम्नलिखित तालिका में 1974-75 तक के पांच वर्षों में सीमेण्ट का वास्तविक उत्पादन और अपेक्षित क्षमता से उसके प्रतिशत के आंकड़े दिये गये हैं :—

वर्ष			क्षमता	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक उत्पादन का क्षमता की तुलना में प्रतिशत
			(लाख मेट्रिक टनों में)		
1970–71	..	..	4.80	3.44	72
1971–72	..	..	4.80	3.63	76
1972–73	..	..	4.80	4.39	91
1973–74	..	..	4.80	3.15	66
1974–75	..	..	4.80	3.02	63

1972–73 के दौरान क्षमता का अधिक उपयोग (91 प्रतिशत) अंशतः डाला से प्राप्त 27,000 मेट्रिक टन क्लिंकर के उपयोग के कारण हुआ। इसका हिसाब अलग कर देने के बाद क्षमता के उपयोग का प्रतिशत घट कर 85 प्रतिशत रह जाता है।

प्रबन्धकों के अनुसार उत्पादन में मुख्य बाधा बिजली की कटौती, कोयले की कमी और हड़ताल इत्यादि के कारण काम ठप होने के अलावा लाइमस्टोन की आपूर्ति और क्लिंकर के उत्पादन की क्षमता थी। अन्य बातों के साथ यह भी बताया गया कि संयंत्र चलने के 20 वर्ष से अधिक समय के दौरान उसके नियमित अनुरक्षण और भारी मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया था।

1974–75 तक के तीन वर्षों में संयंत्र के अलग अलग के गारंटी शुदा उत्पादन की तुलना में उनका निष्पादन नीचे दिया गया है :—

(मेट्रिक टनों में)

संयंत्र के अनुभाग		गारंटी शुदा उत्पादन	वास्तविक औसत उत्पादन 1972–73	1973–74	1974–75
क्रशर (प्रति घंटा)	..	200	168	161	164
रॉ मिलें (प्रति घंटा)	..	124	100	108	107
भट्ठे (प्रति दिन)	..	1,388	1,342	1,399	1,338
सीमेण्ट मिलें (प्रति घंटा)	..	91	82	81	76

परिशिष्ट II में प्रदर्शित पिछले तीन वर्षों में कुल उपलब्ध समय, परिचालन के वास्तविक समय और अलग-अलग कारणों से नष्ट समय के प्रसंग में विभिन्न अनुभागों के निष्पादन का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें सामने आती हैं :—

(i) काम करने के समय में कमी, मुख्यतया यांत्रिक/बिजली सम्बन्धी त्रुटियों, श्रमिक विवाद और पावर की कटौती के कारण हुई।

(ii) क्रशर को छोड़ कर बाकी कारखाने की अपेक्षित क्षमता ब्रेक डाउन समेत मरम्मत और रख-रखाव के लिये 35 दिन छोड़ कर शेष 330 दिनों के कार्य दिवस पर आधारित है। काम रुकने की वे घटनायें जो नियंत्रण के बाहर थीं (पावर की कटौती, श्रमिक विवाद, वैगनों की कमी) प्रबन्धकों द्वारा "अनिवार्य" करार दिये गये। दूसरे प्रकार की काम रुकने की घटनाओं को (नियंत्रण के अन्दर की रुकावट) सामान्य अनुरक्षण के लिये दिये गये 35 दिनों के अन्दर ही खपाना था किन्तु अनुरक्षण के लिये वस्तुतः लिया गया समय 35 दिन की सीमा से अधिक था (क्रशर के लिये 52 दिन) जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

(सभी आंकड़े दिनों में हैं)

संयंत्र का अनुभाग	नियमित मरम्मत और अनुरक्षण के लिये अनुमत कामबन्दी	सामान्य मरम्मत, अनुरक्षण, ब्रेक डाउन, पावर की कटौती, श्रमिक विवाद और वैगनों की कमी को छोड़कर अन्य कारणों से हुई औसत काम बन्दी		
		1972–73	1973–74	1974–75
क्रशर	52	156	173	150
रा-मिलें	35	107	154	178
भट्ठे	35	76	130	126
सीमेण्ट मिलें	35	100	142	133

परिचालन के लिये 330 दिन प्रतिवर्ष के आधार पर संयंत्र के विभिन्न अनुभागों का गारंटी शुदा उत्पादन तथा 4.80 लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन करने के लिये उनसे वस्तुतः अपेक्षित उत्पादन निम्न प्रकार होगा :—

(लाख मेट्रिक टनों में)

संयंत्र का अनुभाग	दी गई गारण्टी के आधार पर क्रशर के लिये 313 दिन की तथा अन्य विभागों के लिय 330 दिन की क्षमता	4.80 लाख मेट्रिक टन सीमण्ट का उत्पादन करने के लिय वांछित उत्पादन
क्रशर (2 पारी काम के आधार पर लाइमस्टोन क लिये)	10.01	7.68
रा मिलें (3 पारी चालन के आधार पर लुगदी क लिये)	9.82	7.68
भट्ठे (3 पारी कार्य के आधार पर खंगर के लिये)	4.58	4.57
सीमेण्ट मिले (3 पारी काम के आधार पर सीमेण्ट के लिये)	7.21	4.80

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि भट्ठों को छोड़कर अन्य अनुभागों में प्रति वर्ष 4.80 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक सीमेण्ट उत्पादन करने की निर्मित क्षमता है जिसमें से सर्वाधिक निर्मित क्षमता क्शर की है। इसके बावजूद 1974-75 तक के तीन वर्षों में क्शर से लाइमस्टोन प्राप्त न होने के कारण रा मिलों में 5,339 घंटों की कामबन्दी रही जब कि रा मिलों से लुगदी प्राप्त न होने के कारण भट्ठ 5,035 घंटे काम न कर सके जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :—

(घंटों में)

वर्ष			कामबन्दी	
			लाइमस्टोन के अभाव में रा मिलों में	लुगदी के अभाव में भट्ठों में
1972-73	..	..	1,247	553
1973-74	..	..	3,366	3,170
1974-75	..	..	726	1,582
	..	योग	5,339	5,305

निम्नलिखित तालिका में 1974-75 तक के तीन वर्षों में संयंत्र के विभिन्न अनुभागों का उत्पादन प्रदर्शित है :—

(लाख मेट्रिक टनों में)

			उत्पादन		
			1972-73	1973-74	1974-75
पीसा गया लाइमस्टोन	..	..	6.22	5.32	4.89
लुगदी (स्लरी) ..	..	..	5.82	4.58	4.67
खंगर (क्लिंकर) ..	..	..	3.74	2.91	3.01
सीमेण्ट	..	..	4.39	3.15	3.02

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि कारखाने के प्रत्येक अनुभाग में उत्पादन कम होता जा रहा है।

प्रबन्धकों द्वारा कम उत्पादन के निम्नलिखित कारण बताये गये हैं:—(i) संयंत्र का पुराना होना, (ii) ठीक विशिष्टताओं वाले अतिरिक्त पुर्जों का उपलब्ध न होना, (iii) यांत्रिक और बिजली सम्बन्धी मरम्मतों में अधिक समय लगना और (iv) श्रमिक समस्या वैगनों की कमी तथा पावर की कमी इत्यादि।

निम्नलिखित तालिका से 1974-75 तक के तीन वर्षों में डाला संयंत्र में खंगर और सीमेण्ट के वास्तविक उत्पादन का उसकी उत्पादन क्षमता से प्रतिशत ज्ञात होगा :—

(लाख मेट्रिक टनों में)

वर्ष	अपेक्षित क्षमता		वास्तविक उत्पादन		क्षमता की तुलना में उत्पादन का प्रतिशत	
	खंगर	सीमेंण्ट	खंगर	सीमेण्ट	खंगर	सीमेण्ट
1972-73 ..	3.96	4.32	2.42	2.73	61	63
1973-74 ..	3.96	4.32	2.67	2.45	67	57
1974-75 ..	3.96	4.32	2.01	2.29	51	53

क्षमता का उपयोग गिरता जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों ने मार्च 1976 में बताया कि संयंत्र को प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिसमें अधिक महत्व पूर्ण क्षेत्र थे क्रशर से निर्धारित उत्पादन न होना, माल को धरने उठाने की व्यवस्था में कमजोरी और रा मिलों में कम उत्पादन होना।

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक के तीन वर्ष में संयंत्र की निर्धारित उत्पादन क्षमता और उसके मुकाबल में वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है :—

(लाख मेट्रिक टनों में)

	अपेक्षित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन		
		1972–73	1973–74	1974–75
क्रशर (प्रति घंटा) ..	400	360	318	326
रा ग्राइन्डिग मिल (प्रति घंटा) ..	100	38	46	40
भट्ठा (प्रतिदिन) ..	1,200	554	600	654
सीमेण्ट मिलें (प्रति घंटा) ..	74	32	34	36

उपलब्ध समय, वास्तविक परिचालन का समय और विभिन्न कारणों से नष्ट समय के सन्दर्भ में संयंत्र के विभिन्न अनुभागों के निष्पादन का विश्लेषण परिशिष्ट II में दिया गया है। दिये गये आंकड़ों से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है :—

(i) क्रशर की सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण के लिये उपलब्ध साप्ताहिक बन्दी के दिनों के अलावा, वास्तविक परिचालन घंटों से कामबन्दी का प्रतिशत (श्रमिक विवाद और पावर की कटौती से भिन्न कारणों से) 57 और 68 प्रतिशत के बीच था। परिणामत: पिसे लाइमस्टोन का उत्पादन कम हुआ और क्रशर को 1972–73 से 1974–75 के दौरान अधिसमय 1,782 घण्टों तक चलाना पड़ा।

(ii) संयंत्र के विभिन्न अनुभागों में कार्यावरोध के कारण यांत्रिक और बिजली सम्बन्धी त्रुटियां, पावर में कटौती और अन्य फुटकर अवरोध बतलाये गये।

(iii) संयंत्र की विशिष्टताओं के अनुसार (रा मिलें, भट्ठे, सीमेण्ट मिलें और पैकिंग संयंत्र) मुख्य संयंत्र सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण के लिये 35 दिन छोड़ कर वर्ष में शेष 330 दिन चलने में सक्षम हैं। पावर की कटौती, तालाबन्दी और श्रमिक विवाद अपरिहार्य होने के साथ अन्य कारणों से होने वाला कार्यावरोध 35 दिनों अर्थात् सामान्य अनुरक्षण के लिये अनुमत समय के अन्दर ही होना था। अनुरक्षण की सूची के सन्दर्भ में कुल नष्ट दिनों की संख्या नीचे दिखलाई गई है :—

	सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण के लिये अनुमत कामबन्दी (दिनों में)	सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण, ब्रेक डाउन और अनिवार्य कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से हुई औसत कामबन्दी		
		1972–73	1973–74	1974–75
रा मिलें	35	120	143	114
भट्ठे	35	144	140	74
मिलें	35	150	142	154

काय के लिये वर्ष में 330 दिनों की गणना के आधार पर संयंत्र के विभिन्न अनुभागों की क्षमता और 4.32 लाख मेट्रिक टन सीमेण्ट का उत्पादन करने के लिये (अपेक्षित क्षमता) उनसे प्रति वर्ष वस्तुतः वांछित उत्पादन नीचे दिखलाया गया है –

(लाख मेट्रिक टनों में)

अनुभाग	संयंत्र की विशिष्टताओं के अनुसार 330 दिनों में उत्पादन की क्षमता	प्रतिवर्ष 4.32 मेट्रिक टन सीमेण्ट का उत्पादन करने के लिये वांछित उत्पादन का परिमाण
क्रशर (52 साप्ताहिक दिनों की बन्दी के साथ एक पारी काम के आधार पर)	10.02	6.91
रा मिलें (तीन पारी काम के आधार पर)	7.92	6.91
भट्ठे (तीन पारी काम के आधार पर)	3.96	3.96
सीमेण्ट मिलें (तीन पारी काम के आधार पर)	5.86	4.32
पैकिंग संयंत्र (दो पारी काम के आधार पर)	6.34	4.32

भट्ठों को छोड़कर संयंत्र के अन्य अनुभागों में प्रतिवर्ष 4.32 लाख मेट्रिक टन सीमेण्ट के अपेक्षित उत्पादन करने की निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने की निर्मित क्षमता है। क्रशर के मामले में वृद्धि की गुंजाइश 45 प्रतिशत तक थी। इसके बावजूद क्रशर से पीसा लाइमस्टोन न मिलने के कारण रा मिलें 1973–74 में 254 घंटे और 1974–75 में 185 घंटे काम नहीं कर सकीं और रा मिलों से लुगदी न मिलने के कारण भट्ठे 1972-73, 1973-74 और 1974–75 में क्रमशः 976, 771 और 1,586 घंटे काम नहीं कर सके।

इन वर्षों में संयंत्र के प्रत्येक अनुभाग से अत्यधिक कामबन्दी के कारण अभी (मार्च 1976) प्रतीक्षित है।

लाभ कमाने की संभावना का विश्लेषण

14. निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक के तीन वर्ष में प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत कम्पनी की वित्तीय स्थिति का विवरण संक्षेप में दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

विवरण	1972–73	1973–74	1974–75
दायित्व			
(क) परिदत्त पूंजी	1,200.00	1,225.00	1,225.00
(ख) आरक्षित विकास छूट सहित आरक्षित और अधिशेष राशियां (रिजर्व ऐण्ड सरप्लस)	257.93	265.46	270.71
(ग) कर्ज			
(i) राज्य सरकार से	1,361.10	1,338.15	1,341.14
(ii) अन्य साधनों से	..	16.84	111.97
(घ) प्रावधानों समेत चालू दायित्व ..	510.07	689.42	859.78
योग ..	3,329.10	3,534.87	3,808.60

परिसम्पत्ति (असेट्स)

ङ--ग्रास ब्लाक	1,269.88	1,343.34	1,423.69
च--अवक्षयण घटाकर	222.13	414.36	574.97
छ--निबल अचल परिसम्पत्ति	1,047.75	928.98	848.72
ज--प्रगतिगत पूंजीगत उत्पादन	14.72	52.82	159.21
झ--निवेशन	773.00	783.40	635.50
ञ--ऋण और अग्रिम समेत चालू परिसम्पत्ति ..	1,144.09	1,195.35	1,282.42
ट--अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति (इण्टैंजिबिल असेट्स) ..	1.38	4.90	30.09
ठ--संचित हानि	348.16	569.42	852.66
योग ..	3,329.10	3,534.87	3,808.60
नियोजित पूंजी	1,752.08	1,511.92	1,356.94
निबल मूल्य (नेट वर्थ)	1,108.39	916.14	612.95

टिप्पणी--1--नियोजित पूंजी में निबल परिसम्पत्ति तथा कार्यरत (वर्किंग) पूंजी सम्मिलित है।

2--निबल मूल्य, परिदत्त पूंजी और आरक्षण (रिजर्व) जोड़ कर, तथा उसमें से अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति घटा कर निकाला गया है।

काम का परिणाम

निम्नलिखित तालिका में दोनों कारखानों तथा पूरी कम्पनी के 1972-73 से 1974-75 तक काम करने का परिणाम दिखाया गया है :--

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ (+) / हानि (-)			
	चुर्क	डाला	मुख्यालय	कम्पनी पूरी
1972-73 ..	(+) 62.73	(-) 414.73	(+) 3.84	(-) 348.16
1973-74 ..	(-) 61.80	(-) 161.35	(+) 1.89	(-) 221.26
1974-75 ..	(-) 30.44	(-) 252.80	..	(-) 283.24

चुर्क कारखाने में 1973-74 में अनुमत सीमा से अधिक पुराने टाट के बोरों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई बचत के कारण हानि 3.06 लाख रुपये कम हो गई। इसी प्रकार 1972-73 में अनुमत सीमा से अधिक पुराने टाट के बोरों के प्रयोग के फलस्वरूप लाभ 3.87 लाख रुपये बढ़ गया जब कि 1974-75 के दौरान कारखाने ने अनुमत अनुपात से अधिक परिमाण में नये टाट के बोरों के प्रयोग पर 1.10 लाख रुपये का अधिक व्यय किया। इसी प्रकार डाला में 1972-73 और 1973-74 में पुराने टाट के बोरों के अधिक प्रयोग के कारण क्रमशः 3.73 लाख रुपये और 4.20 लाख रुपय की हानि में कमी हो गई जब कि 1974-75 में कम्पनी ने अनुमत सीमा से अधिक नये बोरों के प्रयोग पर 2.80 लाख रुपये अधिक व्यय किया।

अप्रैल 1972 में व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के समय से ही डाला संयंत्र को हानि होती रही है। निम्नलिखित तालिका में 1974-75 तक के तीन वर्ष में डाला कारखाने के काम का परिणाम संक्षेप में दिखलाया गया है :--

(लाख रुपये में)

	1972-73	1973-74	1974-75
आय	453.87	414.11	410.61
व्यय	868.60	575.46	663.41
वर्ष में हुई हानि	414.73	161.35	252.80
संचित हानि	..	576.08	828.88

लेखा, लेखा परीक्षा और लागत नियंत्रण

लेखा पद्धति

15. कम्पनी ने न तो कोई लेखा नियमावली तैयार की है, और न ही वित्तीय विधि के संचालनार्थ तथा वित्तीय अधिकारों में प्रतिनिधान (डेलीगेशन) के कोई नियम विभिन्न विभागों में अनुपालन के लिये बनाए।

ठेका उठाने और खरीद के आर्डर इत्यादि देने के पूर्व वित्त शाखा से परामर्श लेने की कोई व्यवस्था नहीं है (मार्च 1976)। मई 1975 तक प्रत्येक संयंत्र की लेखा व्यवस्था एक वरिष्ठ लेखाधिकारी और उसके पश्चात मुख्यालय के स्तर पर एक वित्त प्रबन्धक के आधीन थी। वित्त प्रबन्धक के प्रमुख कार्य, उत्तरदायित्व और अधिकार निर्धारित करने के लिये, विशेषकर उन मामलों में जिनमें (i) वित्त प्रबन्धक की सहमति और (ii) वित्त प्रबन्धक से परामर्श लेना, अपरिहार्य है, तथा अन्य मामले जिनमें वित्त प्रबन्धक से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है, कोई निदेशक सिद्धान्त परिचालित नहीं किये गये हैं। प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1975) कि यह मामला विचाराधीन है।

बजट आबंटन से वास्तविक व्यय के समन्वय तथा उनमें अन्तर के विश्लेषण करने की कोई व्यवस्था नहीं है (मार्च 1976)।

यद्यपि कच्चे माल और भण्डार की खरीद पर कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख रुपये व्यय करती है और प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के अध्ययन दल ने खरीद का बजट तैयार करने की आवश्यकता पर बल भी दिया था (दिसम्बर 1973) किन्तु कम्पनी ने खरीद का कोई बजट तैयार करन की व्यवस्था चालू नहीं की है।

नकदी का प्रबन्ध

चुर्क और डाला में रोजमर्रे के खर्च की आवश्यकता पूरी करने के लिये, कम्पनी ने अगस्त 1974 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ तैयार माल, आधे तैयार माल और कच्चा माल इत्यादि के बन्धक पर 160 लाख रुपये की सीमा तक (80 लाख रुपये डाला और 80 लाख रुपये चुर्क के लिये) नकद ऋण (कैश क्रेडिट) की व्यवस्था की। कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कम्पनी की दोनों इकाइयों ने नियमित रूप से इस व्यवस्था की सुविधा का उपयोग किया। नकद ऋण के अन्तर्गत 31 मार्च 1975 को 112 लाख रुपये की राशि बकाया थी। केवल 1974–75 में ही कम्पनी द्वारा इस मद में ब्याज के तौर पर 4.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

कम्पनी ने यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड से भी 7 मई 1975 को 20 लाख रुपये का ऋण लिया। इस राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज था, जिसका भुगतान प्रत्येक माह किया जाना था। नकदी की दिक्कत के कारण कम्पनी 31 मई, 30 जून और 31 जुलाई को देय ब्याज का भुगतान नहीं कर सकी। 18 अगस्त 1975 को कम्पनी ने 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज सहित यह ऋण अदा कर दिया।

संयंत्र और मशीनरी पर होने वाले पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिये और/या संयंत्र के प्रतिस्थापन की लागत पूरा करने के लिये कम्पनी ने कोई "अवक्षयण हेतु रक्षित निधि" नहीं बनाई। सरकार द्वारा चुर्क कारखाने का प्रबन्ध किये जाने के समय ऐसा किया जाता था किन्तु सरकार द्वारा कारखाने कम्पनी को हस्तान्तरित किये जाने के बाद यह विधि समाप्त कर दी गयी। मार्च 1975 के अन्त तक कम्पनी की परिसम्पत्ति पर 574.97 लाख रुपये के अवक्षयण का प्राविधान किया गया था।

लेखे में 1974–75 तक डेवलपमेन्ट रिबेट रिजर्व के तौर पर 204.63 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है (1972–73, 1973–74 और 1974–75 में क्रमशः 191.86 लाख रुपये, 7.53 लाख रुपये और 5.24 लाख रुपये)। कार्यशील पूंजी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिये भी इस धनराशि का उपयोग हुआ।

स्टॉकिस्टों से जमानत के तौर पर प्राप्त 0.40 लाख रुपयों की राशि भी अलग करके नहीं रखी गई ।

कर्मचारियों के लिये वृद्धावस्था के लाभ का व्यय पूरा करने के लिये 1972-73 से 1974-75 के दौरान 16.54 लाख रुपयों का प्राविधान किया गया है । यह रकम भी अलग जमा नहीं की गई है और कम्पनी ने इसे अपने कार्यशील व्यय को पूरा करने के लिये उपयोग में ले लिया है ।

बहीखातों का मिलान न किया जाना

कम्पनी ने अपने अन्तर-शाखा लेन-देन के मासिक तो क्या, तिमाही मिलान तक की व्यवस्था नहीं की है। बैंक के हिसाब का मिलान भी नियमित रूप से नहीं किया जाता है। अक्तूबर 1974 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से डाला से चुर्क को भेजी गई दस लाख रुपये की धनराशि बैंक में अगस्त 1975 तक जमा नहीं की गई । इसके कारण 0.96 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

लागत नियंत्रण

कम्पनी ने प्रक्रियात्मक लागत निर्धारण (प्रासेस कास्टिंग) की व्यवस्था अपनाई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रक्रिया की (यथा लुगदी, खंगूर, खुली सीमेण्ट, बोराबन्दी के स्तर पर) अलग-अलग लागत निकाली जाती है । इस विधि में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं :--

(क) लागत निर्धारण के अभिलेख ठीक तरह से नहीं बने थे । परिणामस्वरूप वर्ष समाप्त होने के बाद एक वाजिब अवधि के अन्दर ही अथवा समय-समय पर उत्पादन का मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सका । उदाहरणार्थ दोनों संयंत्रों में 1974-75 के उत्पादन की लागत निर्धारण का कार्य पूरा नहीं हुआ है (सितम्बर 1975) ।

(ख) दोनों संयंत्रों में से किसी में भी लागत निर्धारण के अभिलेखों का वित्तीय अभिलेखों से मिलान नहीं किया गया ।

(ग) स्टैण्डर्ड कास्टिंग विधि जिससे बेहतर बजट तथा प्रबन्ध सम्बन्धी नियंत्रण होता, नहीं लागू की गई है, बिना लाभ हानि के उत्पादन का स्तर (ब्रेक ईवेन प्वाइण्ट) निर्धारित नहीं किया गया है (मार्च 1976) ।

(घ) वे-ब्रिज के अभाव में कोयला, जिप्सम और अन्य सामग्रियां कारखाने के अन्दर वस्तुतः तौली नहीं जातीं । माल की रवानगी के कागजों पर दिये गये वजन और वस्तु के परिमाण की नाप के आधार पर आगणित किये गये वजन के अन्तर को वर्ष के अन्त में उस माल की खपत मान लिया जाता है। परिणामतः ढुलाई के दौरान माल की हानि और चोरी का पता भी नहीं चलता और उसे खपत मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ, 1973-74 और 1974-75 में जिप्सम की ढुलाई (ट्रान्शिपमेन्ट) के कागजात प्राप्त नहीं हुए । अतएव, प्राप्त माल का परिमाण भण्डार के खाते में नहीं चढ़ाया गया, यद्यपि उनका उपयोग कर लिया गया । अतएव इन वर्षों में जिप्सम की वास्तविक खपत की पुष्टि नहीं हो पायी ।

निम्नलिखित तालिका में टैरिफ कमीशन की सिफारिशें लागू किये जाने के बाद के दो वर्षों में प्रत्येक संयंत्र में प्रति टन (निर्माण स्थल के बाहर) उत्पादन की लागत के मुख्य घटक, टैरिफ कमीशन

द्वारा निर्धारित मानक लागत (मार्च 1973) और वास्तविक उत्पादन लागत दिखलायी गयी है:--

लागत के घटक	प्रति मैट्रिक टन उत्पादन का टैरिफ कमीशन द्वारा निर्धारित		प्रति टन उत्पादन परिमाण			
			डाला		चुर्क	
	परिमाण	मूल्य (रुपये में)	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75
लाइमस्टोन (मैट्रिक टनों में) जिप्सम	1.55	..	1.80	1.57	1.60	1.50
(उत्पादन का प्रतिशत)	3 से 5	3.75	5	7	8	7
पावर (किलो-वाट आवर)	120	12.00	170	154	120	123
मजदूरी, वेतन, बोनस, ग्रेच्युइटी और अन्य शिरोपरि (ओवरहेड) खर्चे	..	36.95	..	..	..	..
कुल लागत	..	117.00	..	..	..	..

का वास्तविक

लागत
(रुपये में)

डाला		चुर्क	
1973–74	1974–75	1973–74	1974–75
..	..	..	..
4.00	4.75	6.95	7.32
19.10	24.49	13.61	18.91
45.30	66.60	65.37	57.18
154.90	199.61	124.73	152.48

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत बढ़ रही है ।

निम्नलिखित तालिका में 1974-75 तक समाप्त होने वाले तीन वर्ष में खंगर की स्थिति से लेकर आगे तक दोनों संयंत्रों की समग्र लागत (ऋणों पर ब्याज छोड़कर) दिखाई गई है :--

विवरण	चुर्क			डाला		(प्रति मैट्रिक टन लागत रुपये में)
	1972-73	1973-74	1974-75	1972-73	1973-74	1974-75
कच्चा माल						
लाइमस्टोन	16.29	22.64	29.72	18.62	23.14	31.54
लुगदी ..	36.10	37.41	49.44	..	..	65.00
खंगर ..	73.64	101.61	123.73	119.82	137.04	173.92
सीमेन्ट मिल में दूसरी प्रक्रियाओं पर व्यय	17.76	23.12	28.75	22.78	17.86	25.69
निर्माण स्थल के बाहर खुली सीमेन्ट की लागत	91.40	124.73	152.48	142.60	154.90	199.61
सीमेण्ट की बोरी समेत पैकिंग की लागत	31.54	29.82	39.93	45.59	50.97	50.19
बिक्री और वितरण व्यय	3.28	5.33	1.23			
कुल लागत	126.22	159.88	193.64	188.19	205.87	249.80

प्रबन्धकों ने बताया कि उत्पादन में कमी और मजदूरी में भरपूर वृद्धि होने के कारण चुर्क सीमेन्ट कारखाने में लागत मूल्य बढ़ गया ।

चुर्क कारखाने की उत्पादन की लागत की तुलना में डाला कारखाने में सीमेन्ट उत्पादन की लागत 1972-73 में 62.00 रुपये, 1973-74 में 46.00 रुपये और 1974-75 में 56.00 रुपये अधिक थी। प्रबन्धकों के अनुसार डाला में उत्पादन की लागत ऊंची होने का मुख्य कारण उच्चतर अवक्षयण अधिभार था।

बिक्री से औसत वसूली रिटेन्शन मूल्य

कारखाने के बाहर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमेन्ट के मूल्य के अतिरिक्त, जिसमें उत्पादन शुल्क और कर शामिल नहीं हैं, बोराबन्द सीमेन्ट के लिए उत्पादक भारत सरकार द्वारा

निर्धारित पैकिंग की लागत भी ले सकता है। निम्नलिखित तालिका में 1972-73 से 1974-75 के दौरान दोनों संयंत्रों में उत्पादन लागत और बिक्री से औसत वसूली (प्रति मैट्रिक टन) (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और बिक्रीकर को छोड़कर) की तुलनात्मक स्थिति दिखलाई गई है :—

(रुपये में)

	1972-73		1973-74		1974-75	
	चुर्क	डाला	चुर्क	डाला	चुर्क	डाला
निर्माण स्थल के बाहर खुली सीमेन्ट की लागत	91.40	142.60	124.73	154.90	152.48	199.61
पैकिंग की लागत (बोरी समेत)	31.54	45.59*	29.82	50.97*	39.93	50.19*
बिक्री और वितरण व्यय	3.28	..	5.33	..	1.23	..
प्रति मैट्रिक टन की वास्तविक लागत	126.22	188.19	159.88	205.87	193.64	249.80
प्रति मैट्रिक टन वास्तविक वसूली।	140.58	138.73	145.50	145.10	156.60	153.32

रिटेन्शन मूल्य का निर्धारण टैरिफ कमीशन के फारमूले के अनुसार कारखाने के बाहर 117 रुपये प्रति मैट्रिक टन की लागत के आधार पर उसमें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पैकिंग और भेजने का खर्च तथा टैरिफ कमीशन के द्वारा अनुमत पूंजी की लागत पर प्राप्ति क रूप म 15 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से जोड़ कर किया जाता है। चूंकि इसम पूंजी की लागत पर प्राप्ति भी शामिल है प्रति मैट्रिक टन उत्पादन पर किये गये व्यय और उससे हुई प्राप्ति की अधिक तथ्यगत तुलना करने के लिये उत्पादन की लागत में ऋण पर दिया गया ब्याज भी सम्मिलित करना समीचीन होगा। इस आधार पर चुर्क में 10 से 15 रुपये और डाला में 23 से 26 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अनुमत ब्याज की राशि जोड़ देन से तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार होगी :—

(रुपय में)

वर्ष	ऋण पर ब्याज समेत प्रति मैट्रिक टन लागत		प्रति मैट्रिक टन बिक्री पर औसत प्राप्ति	
	चुर्क	डाला	चुर्क	डाला
1972-73 ..	136.66	211.81	140.58	138.73
1973-74 ..	173.08	231.00	145.50	145.10
1974-75 ..	204.62	275.92	156.60	153.32

प्रति मैट्रिक टन उत्पादन की लागत और उसकी बिक्री से औसत प्राप्ति का अन्तर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

कम्पनी में आन्तरिक लेखा परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है (मार्च 1976)।

*इनमें बिक्री और वितरण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं।

विपणन और बिक्री (मार्केटिंग एण्ड सेल्स)

16. प्रत्येक कारखाने में बिक्री अधिकारी के आधीन एक बिक्री विभाग है, जिसकी सहायता के लिये बिक्री निरीक्षक और अन्य कार्मिक कर्मचारी ह । मुख्यालय के स्तर पर एक मुख्य बिक्री अधिकारी है, जो कि कम्पनी के सचिव का भी कार्य करता है, और कारखानों क बिक्री संगठनों क काम-काज में सामञ्जस्य स्थापित करता है।

विपणन व्यवस्था

नियंत्रित सामग्री होने के कारण सीमेन्ट समय-समय पर सीमेन्ट नियंत्रक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार वितरित किया जाता है। रेट कान्ट्रैक्ट के अलावा, और खुली बिक्री के लिये, सीमेन्ट नियंत्रक मात्रा निर्धारित करता है। रेट कान्ट्रैक्ट और उसके अलावा सीमेन्ट के नियत भागियों (एलाटी) को कम्पनी द्वारा सीधे माल बेचा जाता है। जिला अधिकारियों की सिफारिश पर कम्पनी द्वारा नियुक्त स्टाकिस्टों क माध्यम स खुली बिक्री की जाती है। प्रति मैट्रिक टन सीमेन्ट की बिक्री पर स्टाकिस्टों को 3 रुपये का कमीशन दिया जाता है। नियुक्ति के पहल हर स्टाकिस्ट को जमानत की रकम (इस समय 3,000 रुपये) जमा करनी पड़ती है। सीमेन्ट विमुक्त करने के पूर्व ही बिक्री का मूल्य पशगी वसूल कर लिया जाता है।

1974-75 के अन्त में स्टाकिस्टों की कुल संख्या 2,600 (चुक के 1,276 और डाला के 1,324) थी। उनसे कुल जमा 60 लाख रुपये की राशि जमानत के तौर पर बचत पत्र, बैंक की पास-बुक और राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट इत्यादि के रूप में ली गई है।

बोरियां

सीमेन्ट पैक करने के लिये नई और पुरानी टाट की बोरियां इस्तेमाल की जाती हैं। साल भर में प्रयोग के लिये पुराने टाट के बोरों का अनुमत प्रतिशत सीमेन्ट कंट्रोलर निर्धारित करता है। पैकिंग की लागत, जो कि वसूल किये जाने वाले मूल्य का एक भाग होती है, निर्धारित करने के लिये इस प्रतिशत को जोड़ लिया जाता है। जून 1973 तक यह निर्धारित प्रतिशत 27½ था और बाद में इसे बढ़ा कर 33½ प्रतिशत कर दिया गया।

1972-73 से 1974-75 के दौरान पुराने और नये बोरों के प्रयोग की समीक्षा करने पर उसमें अनुमत सीमा की तुलना में निम्नलिखित कमियां/आधिक्य पाया गया :—

वर्ष	कमी (–) आधिक्य चुर्क	(+) डाला
1972-73	(+) 7,96,373	(+) 3,55,132
1973-74	(+) 3,84,420	(+) 4,88,608
1974-75	(–) 98,614	(–) 3,73,779

1974-75 के दौरान दोनों संयंत्रों में पुराने बोरों का कम प्रयोग हुआ जिनकी जगह उतने ही नये बोर इस्तेमाल हुये। किन्तु 1972-73 और 1973-74 के दौरान दोनों संयंत्रों में पुराने बोरों का अधिक प्रयोग हुआ था।

पुराने और नये बोरों के मूल्यों की दरों में अन्तर के आधार पर 1974-75 में नये बोरों के अधिक इस्तेमाल के परिणामस्वरूप 3.90 लाख रुपये अधिक व्यय हुये (1.10 लाख रुपये चुर्क में और 2.80 लाख रुपये डाला में)। दूसरी ओर 1972-73 और 1973-74 के दौरान नये बोरों के कम इस्तेमाल के परिणामस्वरूप क्रमश: 7.60 लाख रुपये तथा 7.26 लाख रुपये की बचत हुई।

1972-73 और 1973-74 में अनुमत सीमा से अधिक संख्या में पुराने बोरों का प्रयोग करने के लिय कम्पनी ने सीमेन्ट कंट्रोलर से अनुमति नहीं ली।

बोरों की कमी

बोरों की कमी के सम्बन्ध में, 5 मई 1971 को चुर्क कारखाने क निदेशक को शिकायतें मिलने पर 11 मई 1971 को बोरों की वास्तविक गणना की गई और निम्नलिखित कमियां जाहिर हुई :––

(लाख बोरों में)

विवरण		नये बोरे	पुराने बोरे
1 अप्रैल 1968 को आदि शेष	..	5.80	2.47
अप्रैल 1968 से 11 मई 1971 तक प्राप्तियां	..	183.24	58.91
उसी अवधि में जारी किये गये बोरे ..	..	163.48	58.58
खाते में इति शेष	..	25.56	2.80
संपुष्टि के उपरान्त बोरों की वास्तविक संख्या	..	24.12	2.04
कमी	..	1.44	0.76
पैकिंग संयंत्र में जमा बोरे घटा कर	..	0.03	0.49
निवल कमी	..	1.41	0.27
कम पड़े बोरों का मूल्य (लाख रुपये में)	..	1.97	0.20

28 मई 1971 को बोरों की कमी के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। प्रबन्धकों ने बताया है कि अपराध अनुसन्धान विभाग (सी० आई०डी०) मामले की जांच कर रहा है (मार्च, 1976)।

उत्पाद शुल्क का भुगतान

19 दिसम्बर 1972 को डाला संयंत्र ने 1165.60 मैट्रिक टन सीमेन्ट की निकासी की गई और 0.41 लाख रुपये का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय हो गया। इसके बजाय कम्पनी ने उसी दिन 0.67 लाख रुपये राजकोष में जमा कर गये। इस अधिक जमा राशि में से 0.17 लाख रुपये की राशि 1972–73 में इस आधार पर बट्टे खाते में डाल दी गई कि वह उत्पाद शुल्क विभाग से अप्रतिप्राप्य हो गई थी जब कि अधिक दी गई राशि की शेष रकम फुटकर देनदार की मद में डाल दी गई। अधिक जमा हुई उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा उत्पाद शुल्क विभाग ने अस्वीकार कर दिया (मार्च, 1976)।

फुटकर देनदार

1972–73, 1973–74 और 1974–75 की समाप्ति पर फुटकर देनदारों (गैर जमानती) का विवरण निम्नलिखित है :––

(लाख रुपये में)

श्रेणी	1972–73	1973–74	1974–75
छ:माह से ऊपर की अवधि के बकाया ऋण	6.20	34.15	72.49
अन्य ऋण	135.72	51.03	97.85
योग ..	141.92	85.18	170.34
संदिग्ध तथा अशोधनीय ऋणों के लिये प्राविधान को घटाकर	0.48	0.48	0.48
निवल देनदार	141.44	84.70	169.86

देनदारों के शेष का न तो श्रेणीबद्ध रूप से, और न वार्षिक विश्लेषण किया गया है, और न ग्राहकों द्वारा बकाया राशि की लगातार अदायगी की व्यवस्था लागू की गई है।

इसके अतिरिक्त, 1972–73 के अन्त में सीमेन्ट की बिक्री के अलावा 66.84 लाख रुपये की राशि सरकारी विभागों (6[illegible].15 लाख रुपये) तथा अन्य ठेकेदारों के ऊपर बकाया थी।

31 मार्च 1974 को यह बकाया घटकर 66.53 लाख रुपये रह गया, लेकिन 31 मार्च 1975 को पुन: बढ़कर 69.15 लाख रुपये हो गया ।

भण्डार नियंत्रण

17. प्रत्येक संयंत्र में भण्डार उपलब्ध कराने का काम एक मुख्य क्रय अधिकारी के आधीन है जो कि महा प्रबन्धक क प्रति उत्तरदायी है, जब कि भण्डार-सूची नियंत्रण की देख-रेख प्रभारी अधिकारी, भण्डार करता है जो प्रत्यक संयंत्र के उत्पादन प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी होता है । इन दोनों अधीनस्थ कार्यों का सामञ्जस्य प्रबन्ध संचालक के स्तर पर होता है, जिसके प्रति महा-प्रबन्धक/उत्पादन प्रबन्धक सीधे उत्तरदायी होते हैं । प्रत्येक संयंत्र में सिविल इंजीनियर अतिरिक्त रूप से प्रभारी अधिकारी, भण्डार का कार्य करता है, जब कि मुख्य क्रय अधिकारी संयंत्र के प्रशासनिक अधिकारी का भी कार्य करता है ।

भण्डार उपलब्ध करने की पद्धति

मांगों का सिलसिला प्रत्येक वर्ष जनवरी में शुरू होता है । पिछले तीन वर्षों की खपत के औसत के आधार पर वार्षिक मांगें क्रय विभाग को भेजी जाती हैं जहां से 5,000 रुपये तक की प्रत्येक सामग्री के विषय में विक्रेताओं से पूछताछ की जाती है। इस मूल्य से अधिक की खरीद के लिये सार्वजनिक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं । प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जो कि अन्तत: मांगकर्ता अधिकारी के पास उसकी संस्तुति के लिये भेज दिया जाता है । सिफारिशें मिलने के बाद उपयुक्त समझे गये आपूर्तिकर्ता को आर्डर दिये जाते हैं ।

सामग्री उपलब्ध करने के लिये प्रशासनिक पूर्व व्यवस्था (ऐडमिनिस्ट्रेटिव लीड) का समय

कई मामलों में प्रशासनिक पूर्व व्यवस्था (ऐडमिनिस्ट्रेटिव लीड) का समय 6 से 18 महीने तक था । 1974-75 तक के पांच वर्षों के दौरान जिन मामलों में वैधता की अवधि के अन्दर ही निविदाओं पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका, उनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव लीड के समय का नमूना विश्लेषण नीचे दिया गया है :--

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रशासनिक पूर्व व्यवस्था (ऐडमिनिस्ट्रेटिव लीड) की अवधि: 6 माह तक		6 माह से 1 1/2 वर्ष तक		1 1/2 वर्ष से अधिक	
	संख्या	खरीद का मूल्य	संख्या	खरीद का मूल्य	संख्या	खरीद का मूल्य
1970-71	6	2.39	4	4.07	5	1.22
1971-72	20	8.27	1	1.45	2	1.49
1972-73	7	1.52	9	3.55	9	..
1973-74	6	3.11	2	0.61	2	0.56
1974-75	10	1.05	..	..	..	..

पूर्व व्यवस्था (लीड) की अवधि लम्बी होने के कारण टेंडर दाताओं ने प्राय: निविदाओं के विचाराधीन रहने की अवधि में मूल्य बढ़ा दिये जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

निरीक्षण में विलम्ब

मांगकर्ता अधिकारी तत्परता से सामग्रियों का निरीक्षण नहीं कर रहे थे । निरीक्षण करने में प्राप्ति की तिथि से तीन माह से लेकर तीन वर्ष से अधिक तक का विलम्ब हुआ । कुछ मामलों में तो तीन वर्ष पूर्व प्राप्त माल का भी निरीक्षण मांगकर्ता अधिकारी ने नहीं किया था ।

निम्नलिखित तालिका में निरीक्षण करने में विलम्ब के मामले दिखाये गये हैं :—

(लाख रुपये में)

निरीक्षण के लिये लीड की अवधि	मामलों की संख्या		खरीद की रकम		
	खदान	मुख्य संयंत्र	खदान	मुख्य संयंत्र	योग
4 से 6 माह के बीच	5	1	2.30	0.42	2.72
6 माह से एक वर्ष तक	13	2	2.74	0.21	2.95
एक वर्ष से ऊपर ..	6	1	0.38	0.60	0.98

निम्नलिखित तालिका में उन मामलों का विश्लेषण दिया है जिनमें सामग्रियों का निरीक्षण किया ही नहीं गया है (सितम्बर 1975), यद्यपि वे चुर्क कारखाने में बहुत समय पहले ही प्राप्त हो चुकी थीं :—

प्राप्ति की अवधि	मामले		रकम (लाख रुपये में)		
	खदान	मुख्य संयंत्र	खदान	मुख्य संयंत्र	योग
तीन वर्ष से अधिक पूर्व	..	1*	..	1.88	1.88
दो से तीन वर्ष पूर्व	..	1*	..	0.05	0.05
एक से दो वर्ष पूर्व ..	..	5	..	0.04	0.04
6 माह से एक वर्ष पूर्व	..	3	..	0.38	0.38
चार माह से 6 माह पूर्व	2	9	3.32	1.49	4.81

सीमेण्ट की नालीदार (ए० सी० सी) चादरों की खरीद

चुर्क कारखाने में मिल हाउस इत्यादि की छत बदलने के लिये अत्यन्त शीघ्र वांछित 3 मीटर लम्बी (5,760) और 2 मीटर लम्बी (2100) कुल 7,860 "एवरेस्ट" मार्का सीमेन्ट की नालीदार (ए० सी० सी०) चादरों की आपूर्ति के लिये की गयी पूछताछ के प्रत्युत्तर में 5 फर्मों से दरों के पत्र (कोटेशन) प्राप्त हुए जो कि 25 जनवरी 1974 को खोले गए। सबसे कम दर वाराणसी की एक फर्म ने दी थी। शीघ्रता को दृष्टि में रखते हुए मुख्य अभियन्ता ने उस किसी भी फर्म से खरीद की सिफारिश की जो सबसे जल्दी आपूर्ति कर सके। किन्तु पांच में से तीन फर्मों को आर्डर दिये जाने का निर्णय मार्च 1974 में ही किया गया। चूंकि इन तीन फर्मों में से दो अर्थात् वाराणसी और डालमियानगर की फर्मों द्वारा प्रस्तावित वैधता की अवधि समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने अप्रैल 1974 से अपनी दरें 10 प्रतिशत बढ़ा दी थीं जबलपुर की फर्म को केवल आंशिक आपूर्ति के लिये अप्रैल 1974 में आर्डर दिया गया। किन्तु आपूर्ति आदेश अगस्त 1974 में रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रबन्धकों को आपूर्ति की शर्तें अव्यवहारिक (अन-रियलिस्टिक) लगीं। अन्ततः वाराणसी की फर्म को उनकी बढ़ी दर पर पूरी आवश्यकता की (7,860) चादरों की आपूर्ति के लिये आर्डर दिया गया। इसमें 0.27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1975) कि चूंकि यह तीन लाख रुपयों से अधिक मूल्य की खरीद का मामला था टेण्डरों पर अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व इसके सारे पहलुओं पर विचार करना आवश्यक था।

पीसने के गोलों की खरीद

टेण्डर की एक मांग के उत्तर में (4 मई 1973 को खोले गए) कम्पनी को इसके चुर्क कारखाने में विभिन्न आकार के पीसने के गोलों की आपूर्ति के चार फर्मों से (बिहार और विजयवाड़ा से एक-एक और कलकत्ता से दो) प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन सभी टेण्डरों की वैधता की अवधि उनके

*इन मामलों में उद्धृत मूल्य खरीद आर्डर के आधार पर दिये गये हैं क्योंकि भुगतान नहीं हुआ है (सितम्बर 1975)।

खोलने की तिथि से छः सप्ताह अर्थात् 15 जून 1973 तक थी। कारखाने में पिसाई के गोलों का भण्डार अपर्याप्त होने के बावजूद इन टेण्डरों पर वैधता की अवधि के अन्दर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। विभिन्न आकार के 315 मैट्रिक टन पिसाई के गोलों की आपूर्ति के लिये उनमें से तीन पार्टियों को अर्थात् वैधता-अवधि समाप्त होने के दस सप्ताह बाद 4 सितम्बर 1973 को आर्डर दिये गये। इन तीनों फर्मों ने बढ़ी हुई दरों की मांग की जिसे जनवरी 1974 में स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार 315 मैट्रिक टन पिसाई के गोले बढ़ी हुई दर पर खरीदे गये जिससे 0.70 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कोयले के लिये अतिरिक्त भुगतान

मई 1974 से अक्टूबर 1974 तक की अवधि में डाला कारखानें को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने 7,220 मैट्रिक टन प्रथम श्रेणी (ग्रेड I) के कोयले की आपूर्ति की। किन्तु कम्पनी की प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर कोयला निम्नतर श्रेणी (ग्रेड II और III) का निकला परन्तु आपूर्ति कर्ता को ग्रेड I के कोयले की दर से भुगतान किया गया। निम्नतर श्रेणी का कोयला होने के कारण इस आधार पर कोई कटौती नहीं की गई कि इससे आपूर्ति में रुकावट पड़ सकती थी। परिणाम स्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को 0.42 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान (ग्रेड I और II के कोयलों के मूल्य का 5.80 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अन्तर) हुआ।

सामग्री सूची नियंत्रण

18. कम्पनी द्वारा सामग्री-सूची नियंत्रण के लिये अपनाये गये उपाय निम्नलिखित हद तक अपर्याप्त रहे हैं:—

(i) सामान सूची को अनुकूलतम स्तर तक लाने के लिये सचेष्ट नियोजन लागू नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भावी आवश्यकताओं का अपने मन से आकलन करके आर्डर दिये जाते रहे जिससे भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे अधिक परिमाण में इकट्ठे हो गये;

(ii) ऐसा सामान जिसके अभाव में काम अटक जाय और उससे भिन्न सामान (क्रिटिकल और नान-क्रिटिकल) एवं तेज और धीमी खपत वाली मदों में कोई भेद नहीं किया गया;

(iii) सामग्रियों के भेदों में कमी करके उनके मानकीकरण पर विचार नहीं किया गया परिणामतः सामान की सूची में लगभग 20,000 मदें हैं, और

(iv) अतिरिक्त पुर्जों का सुरक्षात्मक भण्डार रखने की व्यवस्था को नजर अन्दाज करते हुए उनके लिये इंश्योरेंस स्पेयर्स की धारणा का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया।

खपत का रवैया

1974–75 के अन्त में भण्डार की सूची के सामानों का मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक था। दोनों कारखानों में भण्डार की खपत के आधार पर भण्डार में आवश्यकता से बहुत अधिक सामान पड़ा था जैसा कि नीचे दिखाया गया है—

(लाख रुपये में)

	डाला			चुर्क		
	1972–73	1973–74	1974–75	1972–73	1973–74	1974–75
खपत के लिये उपलब्ध भण्डार (आदि शेष और खरीद समेत)	202.31	225.13	274.30	315.45	360.48	357.79
खपत	49.30	37.36	56.65	60.62	76.43	70.95
इति शेष	153.01	187.77	217.65	254.83	284.05	286.84
मासिक खपत के सन्दर्भ में भण्डार का सामान	36	53	56	54	49	47

चूंकि कारखानें में 31 मार्च 1975 को कारखानें के लिये अतिरिक्त पुर्जे, खदान के लिये अतिरिक्त पुर्जे, कारखानें का भण्डार इत्यादि के प्रकार का कुछ भण्डार क्रमश: 65 माह, 92 माह और 52 माह की खपत के बराबर इकट्ठा था।

जिप्सम और पिसाई करने का सामान (डाला कारखाना)

आर्डर देने का मानक स्तर निर्धारित करने और भण्डार की अधिकतम, न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिये समय-समय पर उसकी समीक्षा व्यवस्था के अभाव में, जिप्सम और पिसाई करने के सामान का भण्डार सामान्यतया आवश्यकता से अधिक रहा जैसा कि नीचे दर्शित है :--

(लाख रुपये में)

वर्ष	जिप्सम		पिसाई करने का सामान	
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75
वर्ष के दौरान खपत ..	10.00	10.96	3.12	4.85
वर्ष के अन्त में भण्डार ..	8.94	18.31	5.30	10.38
मासिक खपत के सन्दर्भ में भण्डार ..	11	20	20	26

यद्यपि 1974-75 के अन्त में जिप्सम और पिसाई करने के सामान का भण्डार दो वर्ष से अधिक के लिये पर्याप्त था। कम्पनी ने 1975-76 के दौरान नई आपूर्ति के लिये आर्डर दे दिये हैं जिससे वर्ष के अन्त में इति शेष और भी बढ़ने की सम्भावना है।

खपने वाली (कंज्यूमेबुल) और सामान्य सामग्रियों का भण्डार

इसी प्रकार खपने वाली और सामान्य सामग्रियों के भण्डार का इति शेष आवश्यकता से अधिक था और वृद्धि गत था जिसका विवरण नीचे दिया गया है :--

(लाख रुपये में)

	कारखाना सम्बन्धी अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार			खदान सम्बन्धी अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार		
	1972-73	1973-74	1974-75	1972-73	1973-74	1974-75
खपत	26.11	44.28	27.28	7.90	21.02	18.00
इतिशेष	80.39	96.89	145.14	18.01	26.35	44.95
मासिक खपत के सन्दर्भ में सामान (स्थानान्तरण छोड़कर)।	36	26	64	27	14	28

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि यद्यपि इन तीनों वर्षों के अन्त में भण्डार में कहीं कहीं पांच वर्ष तक के लिये पर्याप्त सामान था, भारी खरीदें 1973–74 में 225.13 लाख रुपये की और 1974–75 में 274 लाख रुपये की की गईं।

खदान के फालतू और अप्रचलित उपादान

चुर्क

19. निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 1975 को कारखाने के पास मिट्टी हटाने के भारी उपादानों यथा बेलचों, डम्परों, डोजरों, कम्प्रेशरों और इंजिनों की संख्या तथा वस्तुतः प्रयोग में लाये जाने वाले या कबाड़ घोषित कर दिये गये इन उपादानों की संख्या दिखलाई गई है तथा कबाड़ घोषित कर दिये गये प्रत्येक श्रेणी के उपादानों के लिये भण्डार में जमा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य भी दिखलाया गया है।

(लाख रुपये में)

विवरण	कुल संख्या	जो संख्या प्रयोग म है	जो संख्या कबाड़ घोषित कर दी गई है	कबाड़ कब घोषित किया गया	कबाड़ घोषित किये गये उपादान का अवक्षयित मूल्य	कबाड़ घोषित किये गये उपादान के अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य
बेलचे	7	5	2	1972	3.60	5.46
डम्पर	30	16*	14	1972–75	20.96	16.97
कम्प्रेशर	28	16	12	1970–73	1.78	10.90
इंजिन	8	3	5	1975	3.21	3.39

यह पता चलता है कि भण्डार में 36.72 लाख रुपये के ऐसे अतिरिक्त पुर्जे थे जो कि उन उपादानों के लिये जमा किये गये थे जो पहले ही कबाड़ घोषित कर दिये गये थे और अब बिल्कुल ही प्रयोग में नहीं थे। इन उपादानों की क्रियाशीलता का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है :—

बेलचे (शोवेल)

कम्पनी के सात बेलचों (शावेलों) में से दो (डीजल लीमा और टाटा पी० एण्ड एच०) को 1972 में कबाड़ घोषित कर दिया गया था किन्तु कम्पनी ने उनके 5.46 लाख रुपयों के मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे जमा कर रखे थे।

डम्पर

इनमें यूक्लिड (13), एथे (11), होल्पैक (3) और परलिनी (3) डम्पर थे। सभी यूक्लिड डम्पर और एक 'एथे' डम्पर पहले ही कबाड़ घोषित हो चुके हैं, किन्तु 31 मार्च 1975 को कम्पनी के पास 16.97 लाख रुपये मूल्य के उनके अतिरिक्त पुर्जे जमा थे। इसके अतिरिक्त तीन परलिनी डम्परों, जो कि मार्च 1974 में डाला संयंत्र को स्थानान्तरित किये गये थे से सम्बन्धित 4.88 लाख रुपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे भी चुर्क के भण्डार में जमा थे, किन्तु अनुपयुक्त होने के कारण उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया था। कारखाने में वस्तुतः प्रयोग में लाये जा रहे 13 डम्परों से भी सम्बन्धित 16.72 लाख रुपये के मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे भण्डार में जमा थे जो संचालक मंडल द्वारा फरवरी 1975 में आवश्यकता से अधिक समझे गये थे।

---

* इनमें से तीन को मार्च 1974 में डाला संयंत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

कारखाने द्वारा वस्तुत: प्रयोग में लाये जा रहे 13 डम्परों में सात तो (तीन होलपैक और चार एथ कैटर पिलर) इस्तैमाल में थे और शेष 6 को जनवरी और फरवरी 1975 में लाभप्रद रूप से मरम्मत किये जाने योग्य न होने के कारण शेड में खड़े कर दिये गये थे। दो और डम्पर (होलपैक) प्रत्येक 12,000 घंटे काम करने की अपनी विहित क्षमता के स्थान पर केवल 2,603 घंटे काम करने के बाद निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण काम से हटा दिये गये थे। एथे कैटरपिलर डम्परों में से दो ने अपनी 12,000 और 15,000 घंटों की विहित सेवा के स्थान पर क्रमश: 2,782 और 1,450 घंटे ही काम किया।

इसके अतिरि त 1965 में खरीदा गया एक यूक्लिड डम्पर (अव क्षयित मूल्य: 44,600 रुपये) केवल 25 घंटे ही काम कर सका और 1965 से ही कार्यशाला में पड़ा है। 1965 में खरीदा गया एक और यूक्लिड डम्पर एक घंटे भी नहीं चल सका क्योंकि कारखाने में आने के समय ही (अवक्षयित मूल्य : 37,400 रुपये) त्रुटिपूर्ण पाया गया। ये डम्पर एक वर्ष की गारन्टी की अवधि में ही खराब हो गये थे किन्तु निर्माताओं से त्रुटिपूर्ण पुर्जों के सुधारा प्रतिस्थापन के लिये कुछ भी नहीं कहा गया।

कम्प्रेसर

कारखाने के प्रयोग में आ रहे 16 कम्प्रेसरों की कुल क्षमता 6,625 सी0 एफ0 एम0 थी जब कि वास्तविक आवश्यकता 80 पौण्ड प्रति वर्ग इंच की दर से 3,500 सी0 एफ0 एम0 थी। इस प्रकार कारखाने के पास 3,125 सी0 एफ0 एम0 की आवश्यकता से अधिक कम्प्रेसर की क्षमता थी।

खोसला कम्प्रेसर का 1973 में खरीदा गया एक कम्प्रेसर सेट केवल 1,450 घंटे चलने के बाद ही त्रुटिपूर्ण पाया गया (सामान्य स्तर 12,000 घंटे का था)। दो सी0 पी0 टी0 कम्प्रेसर भी अप्रैल 1972 से खराब पड़े थे। प्रवन्धकों ने बताया कि (सितम्बर 1975) आवश्यक पुर्जों क लिये आर्डर दिये जा रहे हैं।

1.78 लाख रुपये के पुस्तकीय मूल्य (बुक वैल्यू) के कवाड़ घोषित 12 कम्प्रेसरों के लिए 10.90 लाख रुपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे भण्डार में पड़े थे; इसमें से 4.08 लाख रुपये मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिये गये थे (फरवरी 1975)।

इंजिन (लोकोमोटिव्ज)

आठ इंजिनों में से चार अप्रचलित और उपयोग के लिये अनुपयुक्त समझे गये और फरवरी 1975 में कबाड़ घोषित कर दिये गये। इसके अतिरिक्त 1965 में खरीदा गया एक मर्सीडीज इंजिन (31 मार्च 1975 को अवक्षयित मूल्य 49,000 रुपये) 4,981 घंटे काम करने के बाद निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण पटरी से वापस ले लिया गया (12,000 घंटों की सेवा की गारण्टी के मुकाबले में)। निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों के निवारण के लिये कम्पनी ने निर्माताओं क साथ मामला नहीं उठाया बल्कि फरवरी 1975 में इसे कबाड़ घोषित करने का निश्चय किया।

डाला

निम्नलिखित विवरण के अनुसार डाला संयंत्र में शावेल, डम्पर और कम्प्रेसर मरम्मत के अभाव में दो से तीन वर्ष से पड़े थे :—

विवरण	क्रय का वर्ष	क्रय मूल्य (लाख रुपये में)	किये हुए काम के घंटे	समय जब से भण्डार में पड़े हैं	टिप्पणी
डम्पर ..	अक्टूबर 1969	5.69	2,642	नवम्बर 1973	पूरे तौर पर जल गया
शावेल ..	नवम्बर 1973	12.61	5,130	अक्टूबर 1974	भारी गड़-बड़ी
कम्प्रेसर ..	जुलाई 1972	0.41	4,435	मई 1973	भारी गड़बड़ी

यह उपकरण अपने 12,000 घंटे के विहित समय तक काम नहीं कर सके और बड़ी गड़बड़ी के कारण प्रयोग के लिये अनुपयुक्त हो गये। किन्तु कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से इनके मामले में कोई बात नहीं की।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1975) कि जले हुए डम्पर में आग लगने के कारणों की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही थी और शावेलों और कम्प्रेसरों की मरम्मत के लिये आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत की जा रही हैं।

आवश्यकता से अधिक या अप्रचलित भण्डार

20. संचालक मण्डल ने फरवरी 1975 में अप्रचलित या अनुपयुक्त या आवश्यकता से अधिक जमा भण्डार के वर्गीकरण और श्रेणी विभाजन के लिये चुर्क संयंत्र के महा प्रबन्धक, उत्पादन प्रबन्धक, खदान प्रबन्धक और सहायक अभियन्ता (डीजल) की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया। इसके बाद महा प्रबन्धक ने (15 मई 1975) खदान प्रबन्धक और सहायक अभियन्ता (डीजल) को आवश्यकता से अधिक संचित मदों से सम्बन्धित आंकड़ों के पूरा करने का आदेश दिया। अपनी 9 जून 1975 की बैठक में समिति ने आवश्यकता से अधिक और अप्रचलित मदों की सूची का निरीक्षण किया किन्तु यह निश्चय किया गया कि सूची को भण्डार में वस्तुतः मौजूद परिसम्पत्तियों के सन्दर्भ में, एक बार पुनः पूरी तौर पर तैयार किया जाय क्योंकि यह महसूस किया गया कि सूची में ऐसे सामान भी शामिल थे जो वस्तुतः भण्डार में थे ही नहीं। तदनुसार जुलाई 1975 में एक अधिशासी अभियन्ता को इस काम के लिये नियत किया गया। कार्य पूरा हो चुका है और आवश्यकता से अधिक भण्डार की सूची आपूर्ति कर्ताओं को उनके निस्तारण के लिये भेज दी गई है (मार्च 1976)।

10.22 लाख रुपये मूल्य का सामान्य भण्डार समेत भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों का विभिन्न प्रकार का ऐसा सामान भण्डार में पड़ा था जो आवश्यकता से अधिक घोषित हो चुका है। इन मदों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि विकर्स संयंत्र के भण्डार, बिजली तथा बिजली घर के अतिरिक्त पुर्जे तथा 1965 से पूर्व खरीदे गये सामान की खपत पिछले सारे वर्षों में बहुत कम हुई। इन्हें निम्नलिखित विवरण के अनुसार फरवरी 1975 में आवश्यकता से अधिक घोषित किया गया :--

श्रेणी	खरीदी गई मदें	जारी की गई मदें	आवश्यकता से अधिक घोषित मदें
विकर्स संयंत्र का भण्डार	931	32	899
बिजली का अधिक सामान	44	..	44
डीजल बिजलीघर के अतिरिक्त पुर्जे ..	85	8	77
सामान्य भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे ..	516	43	473

इसी प्रकार 1968-69 में खरीदी गई मदों के बाद के वर्षों में बहुत कम खपत हुई और जनवरी, 1975 में इन्हें आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया गया। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :---

विवरण	भण्डार की कुल श्रेणियां	जारी किये गये सामानों की श्रेणियां	आवश्यकता से अधिक घोषित सामान
मुख्य संयंत्र के सामान ..	352	83	269
बिजली के अतिरिक्त पुर्जे ..	36	14	22
सामान्य भण्डार	274	62	212

इकाइयों के अनुसार सामानों की कम खपत की और बिल्कुल ही न खपने वाली श्रेणियों में विभाजन न होने के कारण कम्पनी बिना इनकी वास्तविक आवश्यकता का पता हुए उनकी खरीद करती चली गई जिसके परिणामस्वरूप सामान सूची प्रति वर्ष बढ़ती चली गई।

संचालक मण्डल ने मई 1972 में, आनुषंगिक व्यय के अतिरिक्त 30,000 रुपये की लागत पर चुर्क कारखाने में सामग्री नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्था के अध्ययन तथा उसे लागू करने का काम प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद को सौंपने का निश्चय किया। सितम्बर 1975 तक 28,000 रुपये दिये जा चुके थे। कर्मचारी कालेज द्वारा अध्ययन पूरा किया जा चुका था और उसकी रिपोर्ट कम्पनी को दिसम्बर 1973 में मिल गई थी। सिफारिशों में मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :—

(i) पंचवर्षी रौलिंगयोजना अवधि सहित प्रति वर्ष सामग्री का बजट तैयार करना।

(ii) सुनियोजित खरीद ।

(iii) सामग्री नियंत्रण की वैज्ञानिक विधि चालू करना।

(iv) भण्डार प्रबन्ध की व्यवस्था चालू करना।

(v) सामग्री लेखा और नियंत्रण सूचना केन्द्र की स्थापना और

(vi) एक सामग्री प्रबन्धक के आधीन क्रय-विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन और दूसरे आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति।

रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें (i) संगठन-व्यवस्था में परिवर्तन (ii) सामग्री सम्बन्धी बजट बनाने की व्यवस्था चालू करने (iii) क्रय-कार्यक्रम तैयार करने की विधि (iv) सामान-सूची के नियंत्रण की व्यवस्था लागू करने और (v) सामग्री प्रबन्धक की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धकों द्वारा नवम्बर 1974 में स्वीकार कर ली गई थी। किन्तु इन सिफारिशों को लागू करने का काम अभी भी शेष है (दिसम्बर 1975)।

जन शक्ति विश्लेषण

चुर्क

21. निम्नलिखित तालिका में 1974--75 तक के 5 वर्ष में संयंत्र के परिचालन में लगी जनशक्ति और कुल उत्पादित सीमेन्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रति कर्मचारी सीमेण्ट उत्पादकता प्रदर्शित की गयी है :—

विवरण	1970--71	1971--72	1972--73	1973--74	1974--75
नियुक्त जनशक्ति (हर प्रकार की)	1,921	1,975	2,070	2,081	2,094
वर्ष भर में उपलब्ध काम के घंटे (वर्ष में, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 300 दिन) (लाख घंटों में)	46.10	47.40	49.63	49.94	50.26
काम के अधिसमय घंटे (लाख घंटों में)	2.02	2.06	2.52	2.24	1.81
कुल उपलब्ध घंटे (लाख घंटों में)	48.12	49.46	52.20	52.18	52.07
उत्पादित सीमेण्ट (लाख मैट्रिक टनों में)	3.44	33.63	4.38	3.15	3.02
प्रति मैट्रिक टन उत्पादित सीमेण्ट में लगी जनशक्ति	14	13.6	15	16.6	17

(क) नियुक्त जनशक्ति प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, जब कि कम्पनी को कारखाने के स्थानान्तरण के बाद से उत्पादन घटता जा रहा है।

(ख) 1971--72 को छोड़कर श्रम दक्षता घटती जा रही है। वर्ष 1970--71 की तुलना म 1974--75 में 20 प्रतिशत गिरावट हुई।

1974–75 तक के 3 वर्ष में केवल उत्पादन में लगे मजदूरों की मजदूरी की तुलना में उनका अधिसमय भत्ता इस प्रकार था :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	दी गई मजदूरी	दिया गया अधिसमय भत्ता
1972–73	30.65	7.52
1973–74	40.22	7.82
1974–75	57.32	9.33

सीमेण्ट उत्पादन में अधिसमय की प्रति टन प्रासंगिता (इन्सिडेंस) 1972–73 में रु० 1.70, 1973–74 में रु० 2.50 और 1974–75 में रु० 3 थी।

डाला

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक के तीन वर्ष के दौरान डाला यूनिट की उत्पादिता (प्रति मैट्रिक टन जन शक्ति) दिखाई गई है :—

विवरण	1972–73	1973–74	1974–75
साल भर में काम के कुल घंटे (लाख में) ..	44.72	49.26	55.72
अधि समय काम के कुल घंटे (लाख में) ..	1.02	3.08	1.97
कुल उपलब्ध कार्य घंटे (लाख में) ..	45.74	52.34	57.69
उत्पादित सीमेण्ट (लाख मैट्रिक टन में)	2.73	2.45	2.29
उत्पादिता (प्रति श्रमिक घंटा/मैट्रिक टन) ..	16.7	21.4	25.2
प्रति घंटा औसत मजदूरी (रुपये में) ..	1.40	2.12	2.71

डाला संयंत्र में उत्पादकता गिरती गई (1973–74 में 25 प्रतिशत तथा 1974–75 में 50% गिरी) जब कि 1973–74 और 1974–75 में प्रति घंटा मजदूरी क्रमश: 50 और 98 प्रतिशत बढ़ी। देश के दूसरे सीमेण्ट कारखानों में तथा अपने कारखानों की उत्पादकता (प्रति श्रमिक कार्य घंटे/मैट्रिक टन) और प्रति मैट्रिक टन वेतन व मजदूरियों की तुलना के लिए कम्पनी में कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि समस्त अपेक्षित बातों को ध्यान में रखते हुये (उत्पादन के) पैमाने निर्धारित किये जा सकते।

अधिसमय भत्ते

22. चुर्क कारखाने के निम्नलिखित विभागों में अधिसमय कार्य-घंटों (की मात्रा) में वृद्धि होती जा रही है :

(हजार घंटों में)

विभाग का नाम	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75
विद्युत ..	8.9	7.7	10.9	13.01	14.3
भण्डार ..	1.6	1.7	1.9	2.09	4.7
उपस्थिति कार्यालय ..	2.9	3.1	4.4	4.9	4.2
रेखांकन कार्यालय	0.6	0.7	0.8	0.9	0.2
परिवहन शाखा ..	..	..	18.9	22.5	41.9

इसी प्रकार, डाला कारखाने में भी अधिसमय भत्तों का भुगतान 1972–73 में 4.90 लाख रुपये से बढ़कर 1973–74 व 1974–75 में क्रमश: 7.88 लाख व 6.36 लाख रुपये हो गया।

चूना पत्थर (पीसने) की चक्की डाला कारखाने में 1973–74 में 10 महीने तक प्रति दिन 4 घंटे अधिसमय चली। अधिसमय काम की मजदूरी सामान्य दरों से दुगुनी होती है। यदि सामान्य मजदूरी दर पर चूना पत्थर (पीसने) की चक्की की 8 घंट की एक अतिरिक्त पारी (शिफ्ट) हो जाती तो बिना किसी अतिरिक्त मजदूरी के उत्पादन बढ़ जाता। कारखाने में एक पारी के उत्पादन की मात्रा के हिसाब से, बजाय 1.21 लाख टन वास्तविक उत्पादन के, लगभग 2.42 लाख टन अधिक चूना-पत्थर पिसता।

सामाजिक शिरोपरि (सोशल ओवर हेड्स) .

23. प्रत्येक कमरे में बिजली के पखे, निःशुल्क जल, रोशनी और पंखे के लिये निःशुल्क बिजली (रसोई की आवश्यकताओं, शीत और गर्मी में गर्माने और शीतल करने के लिये भी निशुल्क बिजली), कर्मचारियों के बच्चों की निशुल्क पढ़ाई और इसके अतिरिक्त अस्पतालो की व्यवस्था, मनोरंजन के साधन यथा क्लब और जल-पान गृह आदि जैसी सुविधा सहित उपस्कर विहीन निःशुल्क आवास, पूर्ण बिजली और शौचालय व्यवस्था, सहित कम्पनी उपलब्ध कराती रही है, विचार किया गया है।

निःशुल्क उपस्कर विहीन आवास

सरकार द्वारा सन् 1953 में चुर्क फैक्ट्री के कर्मचारियों को निःशुल्क उपस्कर विहीन आवास प्रदान करने का निश्चय किया गया। 1972 में डाला फैक्ट्री के चालू होने पर यह सुविधायें उस फैक्ट्री के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई गई। 30 जून 1975 को उपलब्ध/आवंटित आवास इस प्रकार थे :—

इकाई	आवासीय भवन		आवंटित	
	अधिकारियों के लिए	अन्य कर्मचारियों के लिए	अधिकारियों को	कर्मचारियों को
चुर्क	50	1540	50	1490
डाला	38	1551	37	1478

31 मार्च 1975 को अवक्षयण के बाद भवनों की लागत पूंजी 80.99 लाख रुपये थी (डाला में आवास के लिए 69.99 लाख रुपये और चुर्क में आवास के लिए 11.00 लाख रुपये)। इन भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रत्येक संयंत्र में लगभग 2 लाख रुपये का व्यय प्रतिवर्ष हुआ।

निःशुल्क बिजली

सन् 1956 में राज्य सरकार ने चुर्क फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों को निःशुल्क बिजली देने का निश्चय किया। कालान्तर में बिजली सम्बन्धी सुविधाओं का क्षेत्र बढ़ाया गया, इस सम्बन्ध में बिना किसी प्राधिकरण के रसोई सम्बन्धी सुविधायें और बिजली के अन्य उपकरणों के उपयोग, यथा, हीटर और कूलर के लिये निःशुल्क बिजली के उपयोग की सुविधा दी गयी। अगस्त 1970 में सरकार के निर्देश पर प्रबन्धकों ने निःशुल्क बिजली आपूर्ति को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ (मार्च 1976)। निर्णय का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं था। इस विषय में की गयी कार्यवाही की सरकार को कोई सूचना नहीं दी गयी। 1974–75 तक के तीन वर्ष में दोनों इकाइयों में आवासिक परिसरों

और घरेलू काम काज में बिजली पर यथा, रोशनी, पंखे आदि के सिलसिले में राज्य विद्युत परिषद् को कम्पनी ने भुगतान किया इस प्रकार है:—

वर्ष	खपत		भुगतान की गयी राशि	
	डाला	चुर्क	डाला	चुर्क
	(10 लाख किलोवाट में)		(लाख रुपए में)	
1972-73 ..	1.371	1.823	3.46	4.51
1973-74 ..	1.431	1.885	2.96	4.49
1974-75 ..	1.672	1.720	4.48	5.05
		योग ..	10.90	14.05

कम्पनी की स्थापना के बाद बिजली के इस्तेमाल पर शुल्क सरकार को देय हो गया। संचालक परिषद की सहमति के बिना प्रबन्ध निदेशक ने अक्तूबर 1972 में यह तय किया कि कर्मचारियों द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान कम्पनी करेगी। इस प्रकार चुर्क संयंत्र में 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में क्रमशः 0.37 लाख, 0.38 लाख और 0.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया जब कि डाला संयंत्र में 1972-73, 1973-74, 1974-75 में क्रमशः 0.19 लाख, 0.17 लाख और 0.40 लाख रुपये की राशि अदा की गई।

अधिलाभ (बोनस) का भुगतान

जुलाई 1973 में संचालक मंडल ने अधिलाभ भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों को उनके 1972-73 वर्ष के दौरान वेतन का 18.5 प्रतिशत अधिलाभ के रूप में देने का निश्चय किया। कम्पनी के अधिकारियों को भी उसी दर पर अधिलाभ दिया गया। वर्ष 1973-74 में संचालक मण्डल ने कर्मचारियों को 17 से 18 प्रतिशत अधिलाभ देने के लिये अपनी सहमति दी (17 प्रतिशत चुर्क के लिये, 18 प्रतिशत डाला के लिये और 17.5 प्रतिशत मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये)।

इन दो वर्षों में क्रमशः 12.23 लाख और 43.49 लाख रुपयों का कर्मचारियों को अधिलाभ के रूप में भुगतान किया गया। 1973-74 में सीमेंट वेतन बोर्ड के पंचाट (अवार्ड) के कारण वेतन में बढ़ोत्तरी से अधिलाभ की राशि में भी इजाफा हुआ।

मार्च 1973 में प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) ने किये गये कार्य पर प्रति मैट्रिक टन उत्पादन व्यय का हिसाब लगाते समय सीमेण्ट उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों को अधिलाभ भुगतान के सन्दर्भ में विस्तार से विचार-विमर्श किया। आयोग ने (1973) तय किया कि अधिलाभ दर, जिसे कि उत्पादन व्यय का हिस्सा होना चाहिये, सांविधिक न्यूनतम अर्थात् 8.33 प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क आयोग ने, किये गये कार्य में कारखानों से निकल जाने के बाद खुली सीमेण्ट का व्यय 117.00 प्रति मैट्रिक टन तय किया था।

1972-73 एवं 1973-74 दोनों वर्षों में प्रबन्धकों ने प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित मानक दरों से उच्चतर दर पर अपने कर्मचारियों को अधिलाभ का भुगतान किया। 1972-73 एवं 1973-74 में सांविधिक न्यूनतम दर 8.33 प्रतिशत से ऊपर किये गये अधिलाभ भुगतान की राशि क्रमशः 1.50 रु० तथा 7.00 रुपये प्रति मैट्रिक टन हुई। तथापि 1974-75 में कम्पनी ने अधिलाभ भुगतान का प्राविधान सांविधिक न्यूनतम 8.33 प्रतिशत की दर से रखा।

चुर्क इकाई का अभिनवीकरण

24. लगातार कम उत्पादन को देखते हुए (निर्धारित क्षमता का 72 से 76 प्रतिशत के बीच) 5 अक्तूबर 1972 को जब कि कारखाना राज्य सरकार के नियंत्रण में था, संयंत्र के अभिनवीकरण

और पुनर्स्थापन योजना के लिये, पटना के एक सलाहकार की सपारिश्रमिक सेवाएं लेने का प्रबन्धकों ने निश्चय किया। तदनुसार दिसम्बर 1971 में सलाहकार की नियुक्ति निम्नांकित उद्देश्यों से की गयी——

(क) संयंत्र एवं उपकरणों की स्थिति और परिचालन निष्पादन (आपरेटिंग परफार्मेन्स) का अध्ययन करने तथा

(ख) पुनर्स्थापना/अभिनवीकरण के लिये आवश्यक उपायों की संस्तुति।

अपेक्षित अध्ययन के उपरान्त मार्च 1972 में सलाहकार ने कम्पनी को अपना प्रतिवेद प्रस्तुत कर दिया। संयंत्र के कार्य और रख-रखाव की चली आ रही समस्याओं के निदान के लिये सलाहकार ने पुनर्स्थापना एवं अभिनवीकरण के कार्यक्रम के तीन चरणों की संस्तुति की। सलाहकार ने कम उत्पादन के निम्नांकित कारण आंके :——

(क) संयंत्र की सामान्यतः और विशेषकर भट्टी की बुरी हालत, मुख्यतः सही विशिष्टताओं के पुर्जों के अभाव में;

(ख) आपूर्ति किये गये उपकरणों की खामियां यथा गाढ़ा करने या सुखाने वाली किस्म की भट्टियां, मिल ड्राइंग गीयर बक्से और;

(ग) पुनर्स्थापना संयंत्र के सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव।

सलाहकार ने, जिसे 0.58 लाख रुपये भुगतान किये गये थे, अगस्त 1972 में प्रथम दो चरणों में निम्नांकित कार्यवाही की संस्तुति की :——

(क) चेन व्यवस्था वाली स्कोदा भट्टी का अभिनवीकरण, कूलर ट्यूबों का नवीनीकरण, बेहतर स्लरी फीड प्रक्रिया ;

(ख) विकर्स भट्टी संस्थापन जिनमें बेहतर ढंग से कोयले का उपयोग क्लिकर ड्रैग जंजीर, कन्वेयर एक्स्टेंशन हो,

(ग) कोयले की बेहतर आपूर्ति,

(घ) सीमेण्ट मिलों का सुधार, जिसमें विकर्स चक्की II के लिये नये चूरा संकलक हों, स्कोडा मिलों के लिये वाइब्रेटिंग स्क्रीन, चूरा संकलन के लिये बेहतर रैपिंग पद्धति हो; तथा

(ङ) स्कोदा सिलो एजीटेशन एयर सप्लाई के लिये एक कम्प्रेस्ड एयर फिल्टर की वृद्धि द्वारा सीमेण्ट के भण्डार और पैकिंग संयंत्र में सुधार, विकर्स संयंत्र के लिये पैक किये हुए बोरों के बेल्ट कन्वेयर्स का रेलोकेशन और दोनों संयंत्रों के लिये वैगनों में माल लादने के लिये शूट्स सहित स्वचालित बैग डाइवर्टर्स का प्राविधान करना, ट्रकों पर माल लादने के लिये शटल-बेल्ट की व्यवस्था और डस्ट कलेक्टर्स के लिये बेहतर रैपिंग व्यवस्था करना।

इन संस्तुतियों से स्कोदा चक्की से क्लिकर उत्पादन में लगभग 1.1 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक वृद्धि, अर्थात् कुल अपेक्षित क्षमता का 95 प्रतिशत तक की आशा थी। प्रथम चरण में 42 लाख रुपये का अनुमानित व्यय था, जिससे यदि अपेक्षित क्षमता का 90 प्रतिशत उपलब्ध किया जा सकता तो 36 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी बढ़ती।

द्वितीय चरण

द्वितीय चरण के लिये सलाहकार ने संस्तुत किया (प्रथम चरण के तुरन्त बाद ही कार्यवाही शुरू होनी थी) (i) विकर भट्टी में डेसिकेटर हिस्से को हटाकर बेहतर चेन पद्धति करना (ii) बेहतर चूरा संकलन और रिफीड पद्धति का प्राविधान, (iii) सहायक इकाइयों के साथ नई, भट्टियों का प्राविधान (iv) बेहतर हवा की आपूर्ति, कूलर की पूर्ण क्षमता के लिये निकासी प्रणाली का यंत्रीकरण, और (;) एक नय कूलर लगाने का प्राविधान।

द्वितीय चरण के कार्यान्वयन से आशा की जाती थी कि--

(अ) क्लिकर उत्पादन में लगभग 1.24 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि, अर्थात् कुल उत्पादन में 5.67 लाख मैट्रिक टन सालाना की वृद्धि होती जो कि अपेक्षित क्षमता की 125 प्रतिशत है, और

(ब) अपेक्षित क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोग होने पर भी सालाना अर्जन आमदनी में 24 लाख रुपये की वृद्धि का अनुमान था।

तृतीय चरण के लिये सलाहकार ने 82 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बेहतर कोयला उतरवाई तथा पीसने और सुखाने के उपकरणों के प्रयोग द्वारा लागत घटाने की संस्तुति की थी।

सलाहकार के प्रतिवेदन पर संचालक मण्डल ने 28 सितम्बर 1972 को विचार किया और उस पर आगे विचार करने के लिये एक उप समिति बना दी। उप समिति ने अपनी सिफारिशें दिसम्बर 1972 में प्रस्तुत की।

संचालक मण्डल ने उप समिति की सिफारिशों पर विचार किया और कार्यान्वयन के लिये निम्नांकित संशोधित योजना स्वीकार की जैसा कि नीचे दिखलाया गया है :—

	(लाख रुपये में)
फैक्ट्री का पूर्ण पुनस्थापिन एवं अभिनवीकरण	54.20
मुख्य अभियन्ता की सिफारिशों पर आधारित खदानों, चूनापत्थर पिसाई की चक्की और हवाई रस्सा मार्ग (एरियल रोपवे) का पूर्ण पुनस्थापन एवं अभिनवीकरण	43.00
परामर्श शुल्क	5.25
आकस्मिक अप्रत्याशित व्यय	10.00
	112.45
अर्थात्, ..	112.50

तदनुसार 7 दिसम्बर 1972 को सलाहकार की सेवायें स्कोदा और विकर्स संयंत्रों के विभिन्न अनुभागों का विस्तृत अध्ययन समेत विस्तृत अभियंत्रण के लिये प्राप्त की गयीं। सलाहकार को सौंपे गये पूरे कार्य के लिये 7 1/2 प्रतिशत छूट के साथ 5.68 लाख रुपये तय हुए बशर्ते कि पूरे काम के लिये उससे सलाह ली जाय। अध्यक्ष के साथ बातचीत के दौरान 4.50 लाख रुपये का शुल्क वास्तविक जेब खर्च के लिये 0.35 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहित हुआ।

कारखाने के पूर्ण पुनस्थापिन एवं अभिनवीकरण की अनुमानित लागत 5 जनवरी 1973 को संचालक मण्डल द्वारा 54.20 लाख रुपये स्वीकृत हुई, जो बाद में निम्नांकित विवरण के अनुसार 17 जनवरी 1973 को घटकर 38.08 लाख रुपये हो गयी--

	(राशि लाख रुपये में)
स्कोदा भट्टी के चेन सिस्टम प्लेनेटरी कूलर इन्स्टालेशन स्लरी सिस्टम में सुधार ..	18.48
विकर्स संयंत्र में सुधार	7.55
चूरा संकलक की लागत	2.05
क्रेशर में सुधार	10.00
योग ..	38.08

प्रगति

सलाहकार का अनुमान था कि 1973–74 के अन्त तक प्रथम सोपान के कार्यान्वयन से उस वर्ष तक 60 लाख रुपये के व्यय से अपेक्षित क्षमता का सौ प्रतिशत तक उत्पादन पहुंच जायेगा। जबकि संयंत्र के अभिनवीकरण का निर्णय 1971 में लिया गया और कार्य का क्षेत्र जनवरी 1973 में निश्चित हुआ तथापि मार्च 1975 तक व्यय राशि 5.94 लाख रुपये थी, जिसमें 3.8 लाख रुपये सलाहकार को भुगतान किये गये। उत्पादन में कोई वृद्धि उपलब्ध नहीं हुई। बल्कि 1974–75 में क्षमता का उपभोग 63 प्रतिशत और 1973–74 में 66 प्रतिशत था।

व्यवस्थापकों ने बतलाया (अप्रैल 1976) कि योजना के कार्यान्वयन की अवधि, इसलिये बढ़ गई थी कि आपूर्ति कर्ता लागत और मूल्य बढ़ने के कारण मुकर गये। प्रत्येक मद का नये सिरे से उच्चतर लागत तत्वों और उनकी उपयोगिता सहित जायजा लिया गया। बतलाया गया कि कुछ मदों का काम पूरा कर लिया गया है और इकाई भली-भांति इस योग्य हो गयी है कि वह क्षमता का लगभग 83 प्रतिशत उत्पादन बनाये रख सकती है।

सलाहकार ने मुख्य अभियन्ता के आधीन एक ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित करने की संस्तुति की जो अभिनवीकरण, विकास अभियन्ताओं एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के कार्य की देख-रेख करे। तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और प्रकोष्ठ निर्माण के प्रश्न पर प्रबन्धक सहमत नहीं हुए। संयंत्र की सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण के साथ यह कार्य भी किया जा रहा है।

क्रेन के कार्यारम्भ में बिलम्ब

25. रामिल्स को, चूना, पत्थर और (सीमेन्ट मिल को) खंगर की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये और वर्तमान दो शिरोपरि क्रेन (जोकि सन् 1954 में खरीदे गये थे) जिनका उपयोग उनकी कार्यक्षमता अवधि से अधिक हो चुका था) और जिसकी वजह से बहुधा उनमें खराबी आ जाती थी, पर कार्य भार घटाने के लिये सरकार ने सन् 1970 में चर्क कारखाने के लिये एक विद्युत् शिरोपरि यांत्रिक क्रेन खरीदने का निश्चय किया। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के उपक्रम का निम्नतम क्रेन मूल्य (मार्च 1970 में) स्वीकार किया गया। कम्पनी को 4.50 लाख रुपये पर क्रेन आपूर्ति का आदेश जनवरी 1971 में दिया गया। (जिसमें निर्माण स्थल तक रेल भाड़ा मुफ्त था लेकिन बिक्री-कर आदि अलग से लगना था)। कम्पनी को 1.12 लाख रुपये अर्थात् निवेदित मूल्य का 25% का उसी मास अग्रिम भुगतान किया गया। क्रेन की आपूर्ति जनवरी 1972 के अन्त तक होनी थी। आपूर्ति आदेश में विहित इस शर्त का पालन कम्पनी नहीं कर सकी।

कारखाने ने (0.21 लाख रुपये बिक्री-कर, बीमा एवं बैंक शुल्क को मिला कर) 4.71 लाख रुपये का पूरा भुगतान किस्तों में कर दिया। यह भुगतान जुलाई 1973 से सितम्बर 1973 तक उपकरणों के चार खेप लेने के लिये किया गया था। फिर भी कम्पनी कुछ आवश्यक पुर्जे कीमतें बढ़ने के आधार पर रोक लिये जिसके लिये 0.80 लाख रुपये और की मांग की। इस राशि का अप्रैल 1975 में फर्म को भुगतान कर दिया गया। यद्यपि खरीद आदेश में कीमतों के बढ़ने पर किसी अतिरिक्त भुगतान का प्राविधान नहीं था। क्रेन का स्थापन कार्यारम्भ के लिये तैयार करने का काम प्रगति कर रहा है (मार्च 1976)।

आपूर्ति दाता (आपूर्ति आदेश में निहित) इस आश्वासन पर सहमत नहीं हुये जिसके अनुसार कारखाने से रूखसती के 12 मास के भीतर या कार्यारम्भ के 6 मास के भीतर जो भी तिथि बाद की हो, त्रुटिपूर्ण पाये गये हिस्सों का बदला जाना था। प्रबन्धकों ने अपने (अक्तूबर 1975) जवाब में बतलाया कि अग्रिम राशि के भुगतान किये जाने को दृष्टि में रखकर कीमत की बढ़ोत्तरी की गयी थी। कार्यारम्भ में बिलम्ब का कारण महत्व पूर्ण पुर्जों की आपूर्ति में देरी बतलायी गयी। बिजली के सामान और विद्युत् निर्माण रखांकन अगस्त 1975 में प्राप्त हुए।

डाला विस्तार कार्यक्रम

कजरहट चुनार सीमेंट परियोजना

26. कम्पनी ने नवम्बर 1971 में डाला फैक्ट्री की 40 लाख मेट्रिक टन से 80 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता विस्तार के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया। यह लाइसेंस अंशतः डाला और अंशतः चुनार में सीमेन्ट संयंत्र लगाने के लिये प्राप्त किया गया। डाला में वर्तमान सीमेन्ट फैक्ट्री के बगल में आठ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक खंगरीकरण संयंत्र लगाने का प्रस्ताव था ताकि वर्तमान संयंत्र की माल धरने उठाने के कतिपय साधन तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग किया जा सके अन्यथा वह स्वयं में पूर्ण संयंत्र प्रतिष्ठान के रूप में काम करता।

सीमेन्ट पीसने की मिल का एक नया संयंत्र, पैकिंग संयंत्र के साथ चुनार (मिर्जापुर) में लगाने का प्रस्ताव किया गया था। ब्लास्ट फर्नेस कीट का 50 प्रतिशत तक उपयोग करते हुये नये संयंत्र की क्षमता 16.80 लाख मेट्रिक टन सूखे पोर्ट लैंड सीमेन्ट तैयार करने की आकलित की गयी है।

एक बार जनवरी 1968 और पुनः जुलाई 1973 में निदेशक भूगर्भ और खनिकर्म, उत्तर प्रदेश ने कजरहट क्षेत्र में चूना-पत्थर खान की जांच की थी। सीमेन्ट ग्रेड के चूना-पत्थर की लगभग सात करोड़ टन की सम्पत्ति उस क्षेत्र में निश्चित मानी गयी।

यह खनिज भण्डार वर्तमान डाला संयंत्र और नये संयंत्र को तीस वर्ष तक कार्य करने के लिये पर्याप्त मानी गयी है।

पूंजी की लागत

अप्रैल 1974 में संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार संयंत्र में पूंजी की लागत का अनुमान 54.24 करोड़ रुपये था। फरवरी 1975 में परियोजना के लिये नियुक्त सलाहकार द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पूंजी की लागत 63.90 करोड़ रुपये आंकी गयी। जुलाई 1975 में भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजना की पूंजी लागत को 72 करोड़ रुपये आंका गया था और आंशिक रूप से उस लागत में वित्तीय सहायता देने के लिये अपनी सहमति भी दी थी।

निम्नांकित सारणी में मूल अनुमान, उसमें जुलाई 1975 में किया गया संशोधन और संक्षेप में उसके कारण सम्मिलित किये गये है।

(लाख रुपये में)

विवरण	अप्रैल 1974 अनुमान के अनुसार लागत	जुलाई 1975 का संशोधित अनुमान	लागत में कीमत में वृद्धि के कारण	बढ़ोत्तरी अन्य कारण
खदान उपकरण ..	144	237	93	..
बिजली और यांत्रिक उपकरण ..	2974	3467	380	123
भाडा बीमा और स्थापना खर्च ..	335	468	133	..
सिविल अभियंत्रण निर्माण ..	866	896	30	..
अतिरिक्त पुर्जे ..	196	237	41	..
अतिरिक्त धन, ब्याज, अर्थ सहायता प्रसार एवं आकस्मिकतायें ..	759	1734	250	725
सलाहकार का शुल्क ..	150	150	..	..
योग ..	5424	7189	927	848

फरवरी 1975 में अनुमानित व्यय की बढ़ोत्तरी के कारण थे : कुछ मदों पर व्यय का कम अनुमान लगाना (349 लाख रुपया) और उपकरणों के कीमतों का बढ़ जाना (627 लाख रुपया)।

जुलाई-1975 में यह अनुमानित व्यय बढ़ाकर परिवर्द्धित किया गया। इस परिवर्धन के आधार थे (1) आकस्मिकताओं के लिये 300 लाख रुपये का अपर्याप्त प्राविधान (2) ब्याज और वित्तीय प्रभारों के लिये 500 लाख रुपये के अपर्याप्त प्रावधान या प्रावधान का न होना।

परियोजना के लिये जिन माध्यमों से अर्थ उगाहने का प्रस्ताव है वे इस प्रकार है–(i) 17 करोड़ रुपय के और इक्विटी अंश, (ii) भारत के औद्योगिक विकास बैंक से 23 करोड़ रुपये का ऋण तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से 23 करोड़ रुपये यथा भारत का जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि (iii) और 9 करोड़ रुपये अपने आन्तरिक साधनों से। कम्पनी ने कुल 230.35 लाख रुपये जुलाई 1975 तक निम्नांकित मदों पर व्यय किये गये:–

परियोजना की मदें	अनुमान में प्रावधान (जुलाई 1975)	वास्तविक व्यय जुलाई 1975 तक
	(लाख रुपये में)	
भूमि एवं भवन	896.00	22.39
संयंत्र एवं मशीन	3477.00	172.12
भंडार एवं पुर्जे	237.00	8.81
प्रारम्भिक तैयारी के व्यय (सलाहकार के शुल्क सहित) ..	150.00	27.03
योग ..	..	230.35

परियोजना अक्तूबर 1979 तक पूर्ण होनी है।

आर्थिक आत्म निर्भरता (वायबिलिटी)

सलाहकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना की आर्थिक आत्म निर्भरता निम्नांकित अनुमानों पर आधारित है:—

(क) संयंत्र की दक्षता कार्यारम्भ के दूसरे वर्ष में 70 प्रतिशत और उसके बाद 80 प्रतिशत होगी।

(ख) संयंत्र जब तक व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करेगा सीमेन्ट की रिटेन्शन कीमत 205 रु0 या 185 रु0 प्रति मेट्रिक टन बढ़ जायेगी।

इन पूर्वानुमानों के आधार पर तथा यह मानते हुये कि परियोजना पर पूंजी व्यय 72 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा सीमेन्ट का उत्पादन व्यय (अवक्षयण और ब्याज व्यय को मिलाकर) 164.50 रुपये प्रति मेट्रिक टन पड़ेगा। सलाहकार के आंकड़े के अनुसार अक्तूबर 1979 में परियोजना के कार्यारम्भ के बाद 1980 में वह अपनी अपेक्षित क्षमता का 70 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकेगा और 1984 तक नुकसान पर चलेगा यदि सीमेन्ट की रिटेंशन कीमत 205 रुपये प्रति मेट्रिक टन और 1985 तक 185 रुपये प्रति मेट्रिक टन नियत रक्खी गयी।

परियोजना की अनुमानित लागत और पूर्ण क्षमता के प्रत्याशित उत्पादन (16.80 लाख मेट्रिक टन) के आधार पर प्रति मेटिक टन सीमेन्ट पर पूंजी की लागत 428 रु0 होगी। सलाहकार द्वारा आंकी गयी अपेक्षित क्षमता की 30 प्रतिशत उत्पादन होने पर प्रति मेट्रिक टन सीमेन्ट की लागत पूंजी 600 रुपये के आस पास होगी।

संयुक्त क्षेत्र परियोजनाएं

(i) एसबेस्टस फैक्ट्री—

27. अप्रैल 1972 में कम्पनी ने तय किया कि संयुक्त क्षेत्र में मोहनलाल गंज (लखनऊ) में एक एसबेस्टस परियोजना स्थापित करे और इस उद्देश्य से उसने भारत सरकार से

नवम्बर 1972 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया। परियोजना लगाने के लिये 42.20 लाख रुपय की पूंजी लागत का दिल्ली की एक फर्म का प्रस्ताव तर्क सम्मत प्रतीत हुआ। फर्म के साथ संयुक्त रूप से एसबेस्ट्स संयंत्र लगाने के लिये राज्य सरकार ने जून 1973 में स्वीकृति प्रदान कर दी। सितम्बर 1973 में सहयोगियों के बीच एक समझौता हुआ और जुलाई 1973 में एक नयी कम्पनी यू0 पी0 एसबेस्ट्स लिमिटेड निगमित हुई। समझौते के अनुसार--

(अ) सहयोगियों की यह जिम्मेदारी थी कि 36,000 मेट्रिक टन ऐसबेस्ट्स शीट सालाना तैयार हों और मई 1974 तक निर्माण पूरा हो जाय। विलम्ब होने पर सहयोगीगण कम्पनी को विकास छूट की क्षति की प्रति पूर्ति करेंगे तथा

(ब) पूंजी (50 लाख रु0) में 26 प्रतिशत कम्पनी, 25 प्रतिशत फर्म और शेष 49 प्रतिशत जनता का अंशदान होगा। अगस्त 1973 से अप्रैल 1974 तक कम्पनी ने परिदत्त पूंजी क मद में 12.50 लाख रुपय लगायें, अप्रैल, 1974 में (12 प्रतिशत ब्याज पर) 10 लाख रुपये ऋण अग्रिम के रूप में लगाये और तीन लाख कीमत की सीमेन्ट की आपूर्ति भी की। 31 मार्च 1975 को 11.39 लाख रुपये की वसूली प्रतीक्षित थी। प्रबन्धकों ने बतलाया कि (अप्रैल 1976) यू0पी0 एस्बेस्ट्स लिमिटेड ने इन बकायों को शीघ्र ही भुगतान करने का वादा किया है।

भारतीय विपणन अनुसंधान संस्थान जिसे व्यवहार्यता फीजिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने के लिये 10,000 रुपये का भुगतान किया गया था (जनवरी 1973) ने आकलन किया कि (1) 36,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष का उत्पादन उसे नाममात्र की आत्म निर्भरता (मार्जिनली वायबिल) प्रदान करेगा और सलाह दी कि उसकी क्षमता बढ़ाकर आत्म निर्भरता बढ़ाई जाय (2) संयंत्र निष्पादन का धरातल 506783 होगा जो कि परिचालन क प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षों में अपेक्षित क्षमता का 91 प्रतिशत होगा। (3) परियोजना की लागत 168.00लाखरुपये होगी। परियोजना को अधिक आत्म निर्भर बनाने के लियेसंस्थान ने एस्बेस्ट्स का प्रेशरपाइप भी बनाने का सुझाव दिया। कम्पनीने तय किया कि (मार्च 1974) वह विस्तार कार्य शुरू नहीं करेगी और न एस्बेस्ट्स प्रेशर पाइप बनायेगी। एस्बेस्ट्स कारखाने ने अगस्त 1975 में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया।

(ii) उन्नाव में आक्सीजन गैस संयंत्र

अक्तूबर 1974 में कम्पनीने तय किया कि गैस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह आक्सीजन गैस संयंत्र लगाये। अगस्त 1975 में कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत इक्विटी शेयर में 13 लाख रुपया लगाने के लिये भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की गयी। एक फर्म के साथ सितम्बर 1975 में करार किया गया। इस करार में 26 प्रतिशत कम्पनी द्वारा, 25प्रतिशत सहयोगी फर्म द्वारा और शेष 49 प्रतिशत जनता द्वारा पूंजी लगाने का प्राविधान था। नयी कम्पनी के लिये कम्पनी ने 8.80 लाख रुपये समान पूंजी में लगाये। 4.20 लाख रुपये का ऋण भी अग्रिम रूप से लगाया गया, जिसे समान पूंजी (इक्विटी कैपिटल) के रूप में परिवर्तित होना है।

इस फैक्ट्री ने फरवरी 1976 में उत्पादन प्रारम्भ किया।

(iii) संगमरमर भंडार का उपयोग

सितम्बर 1972 में कम्पनी ने पटना के एक फर्म के सहयोग से निगा (मिर्जापुर) में उपलब्ध संगमरमर के भंडार का उपयोग करने का निश्चय किया। कम्पनीने संयुक्त क्षेत्र में 26 प्रतिशत स्वयं की पूंजी, 25 प्रतिशत सहयोगी फर्म द्वारा और शेष 49 प्रतिशत जनता से पूंजी मिलाकर एक नयी कम्पनी स्थापित करने का निश्चय किया। दिसम्बर 1972में कम्पनी के अभियन्ताओं द्वारा किये गये प्रायोगिक उत्खनन से पता चला कि संगमरमर व्यावसायिक उपयोग का नहींहैक्योंकि उसमें दरारेंहै। जनवरी 1973 में निदेशक मंडल ने और

उत्खननके लिये 2.03 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया और पुन: जांच करने पर पता चला कि संगमरमर किसी व्यवसायिक उपयोग के योग्य नहीं। अगस्त 1974 में यह योजना छोड़ दी गयी। इसमें कम्पनी ने 3.24 लाख रुपये खर्च किये गये।

(iv) अश्मसह (रोफैक्ट्री) चीनी मिट्टी परियोजना

कम्पनी ने मई 1973 में बांसी (मिर्जापुर) में एक अश्मसह एवं चीनी मिट्टी परियोजना लगाने का निश्चय किया। पटना की एक फर्म उसमें भागीदार होने की इच्छुक थी। बहरहाल कम्पनीने फरवरी 1975में अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। सर्वेक्षण पर 14,500 रु0 व्यय करने के बाद यह योजना छोड़ दी गयी। क्योंकि वहां कोयले के भंडार पता लगन पर एन0सी0डी0सी0 ने खान खोदने के अधिकार प्राप्त कर लिये थे।

मोहनलालगंज में प्रायोगिक सीमेन्ट संयंत्र

28. अप्रैल 1972 में व्यवस्था निदेशक ने मोहनलालगंज के घाटे पर चलने वाले राज्य सरकार के एक प्रायोगिक सीमेन्ट संयंत्र को लेने का निश्चय किया। यह संयंत्र खड़ी भट्टी द्वारा सीमेन्ट उत्पादन के उद्देश्य से लगाया गया था जो असफल साबित हुआ। संयंत्र की 15.20 लाख रुपये की परिसम्पत्ति (भूमि एवं भवन 3.18 लाख रुपये, संयंत्र एवं मशीनें 11.66 लाख रुपये एवं इस्तेमाल करने योग्य भंडार 0.36 लाख रुपये) राज्य सरकार ने 28 मई 1973 को कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी। दो जून 1973 को संयंत्र का कब्जा ले लिया गया। कम्पनी ने संयंत्र की सम्पत्ति का मूल्य फरवरी 1974 में 10.21 लाख रुपये आंका क्योंकि संयंत्र की मशीन बेकार पायी गयी। कम्पनी द्वारा अन्तिम रूप से (मार्च 1976) देय कीमत अभी अनिर्णीत है। इसी बीच क्षेत्रीय शोधशाला, जोरहट ने (जून 1973) में खड़ी भट्टियों द्वारा सीमेन्ट उत्पादन की संभावना का पता लगाया और इस नतीजे पर पंहुचा कि यह कोई लाभकारी परियोजना नहीं होगी। शोध शाला को उसके काम के लिये 10,000 रुपये भुगतान किये गये। अब कम्पनी (मार्च 1976में) संयंत्र को बेच बांच कर निकालने की सोच रही है।

बसुहारी (मिर्जापुर) जाने वाली सड़क का सर्वेक्षण

29. बसुहारी (मिर्जापुर) में नयी सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के लिये नवम्बर 1973 में बसुहारी को जाने वाले रास्ते पर कम्पनी ने सड़क बनाने के लिये सर्वेक्षण कराने का निश्चय किया। मार्च 1975 में कम्पनी के अभियन्ताओ द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया, जिसमें 21,000 रुपये लगे। सितम्बर 1975 में निदेशक मंडल ने परियोजना छोड़ देने का निश्चय किया क्योंकि किसी अन्य पार्टी ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

सीमेन्ट कंक्रीट के खोखले ढोंकों का निर्माण

30. कम्पनी ने फरवरी 1973 में डाला में सीमेन्ट कंक्रीट के खोखले ढोंकें बनाने के लिये संयंत्र लगाने का निश्चय किया। यह कार्य भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किया गया हलांकि इसमें औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है। संयंत्र की लागत 3.60 लाख रुपये आंकी गयी। मार्च 1975 तक प्रारम्भिक कार्यों पर यथा स्थान अधिग्रहण उपकरण आदि पर 90,000 रुपये खर्च किय गये। भारत सरकार ने फरवरी 1974 में इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उपकरणों को प्राइवेट पार्टियों के हाथ बिक्री कर देने का प्रश्न विचाराधीन (मार्च 1976) है।

अन्य योजनायें

31. कम्पनी की अन्य योजनाओं यथा ऋषीकेश, अलमोड़ा, पिथौरा-गढ़ और देहरादून के पहाड़ी क्षत्र में छोटे सीमेन्ट संयंत्र लगाना अभी अन्वेक्षण के स्तर पर है। इन योजनाओं पर (मार्च 1976) अधिक व्यय नहीं किया गया है।

अन्य रोचक विषय

32. (i) डाला आवासिक बस्तियों में पानी के घोर अभाव एवं संयंत्र में लुग्दी बनाने के लिये पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये डाला के मुख्य अभियन्ता ने सितम्बर 1973 में सोन नदी में फैक्ट्री के जल ग्रहण स्थल पर प्रायोगिक स्तर पर कुआं खुदवाने के लिये स्थानीय स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से सम्पर्क किया। उक्त विभाग ने अक्तूबर 1973 में 1-46 लाख रुपये का अनुमान दिया । इस कार्य को करने की अनुमति मुख्य अभियन्ता द्वारा 6 दिसम्बर 1973 को संप्रेषित की गयी । जनवरी 1974 में शुरू किया गया काम 90/100 फीट खुदाई करने के बाद मई 1976 में छोड़ दिया गया क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला जल (1,500 गैलन प्रति घंटा) अपर्याप्त समझा गया । इस विभाग को 50,000 रु० का मार्च 1974 में भुगतान किया गया। शेष राशि (0.96 लाख) अभी भुगतान होनी है ।

मुख्य अभियन्ता ने केन्द्रीय भूमि एवं जल परिषद् से सलाह किये बिना या नदी तह से पर्याप्त निदेशक जल मिल सकता है कि नहीं इसका समुचित सर्वेक्षण किये बिना ही यह काम शुरू कर दिया था। मंडल की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गयी थी ।

ज्वलनशील बारूदखाने में आग

(ii) 22 अक्तूबर 1974 को घुरमा खदान के विस्फोटक बारूदखानें में आग लगी और 0.25 लाख रु० मूल्य का (2693 किलोग्राम) सरेस (जिलेटिन) भस्म हो गया। अक्तूबर 1974 में खदान प्रबन्धक द्वारा आग लगने के कारणों में (i) तोड़-फोड़ की कार्यवाही या (ii) शाम को बारूद जमा करने वाले कामगरों द्वारा बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ों का फेंका जाना बताया गया। आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच (मार्च 1976) विस्फोटक निरीक्षक, भारत सरकार, नागपुर द्वारा चल रही है। प्रबन्धकों ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन पूरा कर लिया है और हानि को बट्टे खाते में डाल देने का प्रस्ताव (अगस्त 1975) किया है ।

चिरौड़ी (जिप्सम) की ढुलाई में क्षति

(iii) चिरौड़ी (जिप्सम) की ढुलाई में क्षति 1968–69 में 6 प्रतिशत से बढ़ कर 1972–73 में 12 प्रतिशत हो गयी ।

छः प्रतिशत से अधिक कमी होने का मूल्य 1972-73, 1973-74 और 1974–75 में क्रमश: 2.50 लाख रु0, 2.46 लाख रुपये और 1.20 लाख रुपये होता है। जब चुर्क फैक्ट्री सरकार द्वारा विभाग प्रबंधित उपक्रम के रूप में चल रही थी उन दिनों ढुलाई में 6 प्रतिशत की क्षति अनुमन्य थी ।

क्वार्टरों का निर्माण

(iv) मार्च 1972 में कम्पनी ने 3.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत की कामगारों के लिये क्वार्टर (50 एक मंजिली इकाइयां) बनवाने के लिये निविदायें आमंत्रित की। प्राप्त हुये तीन निविदाओं में प्रथम एवं द्वितीय निम्नतम निविदा (2.25 और 2.28 लाख रुपये की) कम्पनी ने इस आधार पर अस्वीकार (28 अप्रैल 1972) कर दिये कि उन निविदाओं के साथ जमानत की रकम (5000 रु0) जमा नहीं की गई थी। मई 1972 में तीसरे निम्नतम निविदा देने वाले को काम सौंपा गया (जिसने इसके पहले तक कम्पनी का कोई काम नहीं किया था)। उसने 2.66 लाख रु0 की निविदा दी थी, परन्तु बातचीत द्वारा 2.34 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। प्रथम एवं द्वितीय निम्नतम निविदा देने वाले जोकि कम्पनी के अन्य सिविल कार्यों को संतोषजनक रूप में पूरा कर रहे थे, ने अनुरोध किया (अप्रैल 1972) कि उनकी जमानत की राशि का उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभू-राशि (सिक्यूरिटी डिपाजिट) के साथ जिसे कि कम्पनी द्वारा मुक्त किया जाना है, समायोजित कर दिया जाय। यह कम्पनी में प्रचलित चलन के अनुसार भी था। निम्नतम निविदा को अस्वीकार कर उच्चतम निविदा दाता को काम सौंपने से 0.09 लाख रुपये अधिक व्यय हुये ।

मई 1972 में कम्पनी ने एक मंजिल के बजाय दुमंजिले क्वार्टरों के बनाने का निश्चय किया। जिस पर ठेकेदार ने निविदा दर से ऊपर पांच प्रतिशत अधिक की मांग की । कम्पनी के सिविल अभियन्ता ने (सितम्बर 1972) केवल एक प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान की सिफारिश की जो कि समान कार्य के लिये सार्वजनिक निर्माण के दर की तालिका के अनुसार था । तथापि कम्पनी ने (जनवरी 1973) ठेकेदार को उसकी मांग के अनुसार पांच प्रतिशत देने का निश्चय किया । परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर तालिका की तुलना में 0.11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबन्धकों ने बतलाया (जनवरी 1976) कि पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी ठेकेदार के आग्रह पर की गयी ।

खत्ती से हाथ द्वारा सीमेन्ट का निकाला जाना

(v) 27 नवम्बर 1972 को यह देखा गया कि डाला फैक्ट्री की 6 खत्तियों से सीमेन्ट का निकाला जा सकना बन्द हो गया, क्योंकि सीमेन्ट के वृहद् भंडार के कारण और खत्तियों की छतों और दीवारों से सीलन के रिसने के कारण खत्ती के दरवाजों पर सीमेन्ट के ढूह जम गये । इस कारण यांत्रिक ढंग से खत्तियों से सीमेन्ट का निकाला जाना असम्भव हो गया । तदनुसार प्रबन्धकों द्वारा यह तय हुआ कि सीमेन्ट हाथ से निकाला जाय । नवम्बर 1972 से अप्रल 1975 तक खत्ती से मजदूरों ने 26859 मेट्रिक टन सीमेन्ट निकाला जिस पर 1.87 लाख रुपये खर्च किये गये, जिसका ब्योरा निम्नांकित है:—

अवधि	थैलों की संख्या	सीमेन्ट मेट्रिक टनों में	व्यय राशि (लाख रुपये में)	टिप्पणी
दिसम्बर 1972 से मई 1973	120718	6035.9	0.49	कार्य आदेशों के
जुलाई 1973 से अक्तूबर 1973	177009	8850.0	0.38	द्वारा ठेके द्वारा
नवम्बर 1974 से अप्रैल 1975	238471	11973.5	1.00	विभागीय श्रमिकों द्वारा
	536198	26859.4	1.87	

खण्ड III

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

33.(i) 26 मार्च 1971 में कम्पनी निगमित हुई। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ, चीनी मिलों का व्यवसाय करना और अन्य किसी भी व्यवसाय या उपक्रम को चलाना, जिसकी जिम्मेदारी राज्य या केन्द्र सरकार उसे सौंपेगी।

जुलाई 1971 में उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम, 1971 के आधीन राज्य सरकार ने घाटे पर चलने वाली 12 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया और उन्हें कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया। इन मिलों के मालिकों न इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया जिनमें से सात को (जुलाई 1971) में स्थगन आदेश मिल गये। अत: कम्पनी केवल पांच मिलों को अधिकार में ले सकी। किच्छा (नैनीताल) चीनी मिल जो कि अभी बिस्ट औद्योगिक निगम लिमिटड द्वारा निर्माणाधीन है, और जो पहले ही नवम्बर 1970 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी थी, फरवरी 1972 में कम्पनी की एक सहायिका को स्थानान्तरित कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त पिपराइच (गोरखपुर) की एक चीनी मिल सार्वजनिक नीलाम में कम्पनी ने खरीद लिया।

(ii) **पूंजी ढांचा**

पांच करोड़ की अधिकृत अंश पूंजी (शेयर कैपिटल) के साथ कम्पनी का पंजीकरण हुआ। शेयर कैपिटल की यह पूंजी 1972-73 में 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गयी। शेयर कैपिटल की पूंजी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था कि पिपराइच चीनी मिल खरीदने, संयंत्र आपूर्ति करने वालों को अग्रिम देने और नयी परियोजना के लिये मशीन खरीदने की जरूरत के लिये धन जुटाया जा सके। परिदत्त शेयर कैपिटल भी तीस सितम्बर 1971 को 0.70 करोड़ रु० से बढ़ाकर 30 सितम्बर 1974 को 7.35 करोड़ रुपये, और 30 सितम्बर 1975 को 9.55 करोड़ रुपये कर दी गयी। सम्पूर्ण शेयर कैपिटल राशि का अभिदान राज्य सरकार द्वारा हुआ। कम्पनी ने राज्य सरकार से ऋण भी प्राप्त किये हैं। 30 सितम्बर 1975 को बकाया ऋणराशि 2.95 करोड़ रुपये थी जिसमें 0.80 लाख रुपय की वह राशि भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत पांच चीनी मिलों के मालिकों को मुआवजे के रूप में भुगतान की जानी थी।

(iii) **आर्थिक स्थिति**

गत तीन वर्षों की अवधि में सितम्बर 1974 तक कम्पनी की आर्थिक स्थिति संक्षेप में निम्नांकित है:—

(लाख रुपये में)

	1971-72	1972-73	1973-74
I—दायित्व (लाइबिलिटीज) —			
(क) परिदत्त पूंजी ..	270.00	300.00	735.00
(ख) आरक्षित एवं अतिरिक्त राशि ..	0.84	7.75	17.33
(ग) कर्ज (बारोइंग) (रोकड़ ऋण को मिलाकर)	82.54	221.29	316.67
(घ) व्यापारिक दय और अन्य चालू दायितायें (प्रावधानों को मिलाकर) ..	65.78	100.97	165.80
योग ..	419.16	630.01	1234.80

1	2	3	4
II. परिसम्पत्ति			
(ङ) ग्रास ब्लाक	75.83	118.54	243.36
अवक्षयण घटाकर	2.17	11.99	31.30
निबल अचल परिसम्पत्ति	73.66	106 55	212.06
(च) चालू पूंजीगत निर्माण	8.98	29.39	272.26
(छ) निवेश (इनवेस्टमेन्ट्स)	75.00	110.00	110.00
(ज) अद्यतन परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम ..	232.62	302.57	381.27
(झ) विविध व्यय एवं हानि ..	28.90	81.50	259.21
योग ..	419.16	630.01	1234.80
नियोजित पूंजी	240.50	308.15	427.53
निबल मूल्य (नेट वर्थ) ..	241.94	226.25	493.12

(iv) **कार्य के परिणाम**

प्रारम्भ से ही कम्पनी घाटे पर रही है जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

		(लाख रुपये में)	
	1971–72	1972–73	1973–74
कुल बिक्री (टर्न ओवर)	392.21	712.37	735.83
विनिर्माण, व्यापार तथा बिक्री व्यय (अवक्षयण, विकास छूट, आरक्षण के लिये प्रावधान को मिलाकर) ..	414.25	765.01	913.58
कार्य के परिणाम	22.04	52.64	177.75

किछा शुगर कम्पनी, लिमिटेड

34. बिष्ट औद्योगिक निगम लिमिटेड (एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी) 20 मार्च 1957 को किछा (नैनीताल) में एक चीनी मिल स्थापित करने के लिये निगमित हुई। यद्यपि कम्पनी को व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये प्रमाण-पत्र 23 नवम्बर 1957 को प्राप्त हो गया था, उसने (157 एकड़) जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, कुछ संयंत्र और मशीन भी खरीद लिये थे, कुछ आवासिक क्वार्टर्स भी बना लिये थे, तथापि यह उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी। तराई के इलाके और उसके आस-पास अतिरिक्त गन्ने की पैदावार के उपयोग, और उसके द्वारा उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को सहायता देने, चीनी उत्पादन करने के लिए, संयंत्र के उपयोग, अनेक लोगों को रोजगार देने, और इस प्रकार सर्वसाधारण की भलाई को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने 12 सितम्बर 1970 को 131.59 लाख रुपए में कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया। इस उपक्रम का 25 नवम्बर 1971 तक सरकारी विभाग द्वारा प्रबन्ध हुआ; तदनन्तर उसे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसके प्रबन्ध के लिए एक समवाय, अर्थात किछा शुगर कम्पनी लिमिटड का 17 फरवरी 1972 को निगमन हुआ।

द्रष्टव्य—(i) नियोजित पूंजी में निबल अचल परिसम्पत्ति और कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) का जोड़ है।

(ii) परिदत्त पूंजी और आरक्षित (निधि) के जोड़ में से अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति निकालकर निबल मूल्य आया।

मशीनों की खरीद

(क) 16 दिसम्बर 1970 को सरकार द्वारा आपूर्ति, निर्माण एवं टर्न-की बेसिस पर अतिरिक्त संयंत्र के कार्यारम्भ के लिए निविदायें आमंत्रित की गयीं (निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30 जनवरी 1971 थी जिसे बढ़ाकर 20 फरवरी 1971 किया गया)। निविदाओं का अन्तिम रूप से चयन आदि करने के लिए सरकार ने एक समिति बनायी। समिति ने राष्ट्रीय चीनी संस्थान के परामर्श से उपकरणों को चार श्रेणियों में विभक्त किया और निविदाकारों से मई 1971 में अनुरोध किया कि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग निविदा दें। संशोधित निविदा पर जिसमें कलकत्ता फर्म की निम्नतम निविदा थी (135.72 लाख रु0, 5.75 लाख रुपए घटाकर जो कार्य स्थल पर प्राप्त वर्तमान भण्डार के मूल्य के बराबर था)। 25 नवम्बर 1971 तक जबकि उपक्रम उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। 26 नवम्बर 1971 को निविदाकारों से एक मीटिंग में कम्पनी ने उनसे संशोधित निविदायें मांगी। प्राप्त हुई 6 संशोधित निविदाओं में से निम्नतम को जोकि यमुना नगर की फर्म की थी (134.00 लाख रुपए) स्वीकार्य मानी गयी। स्वीकार्य समझे जाने के निम्नांकित कारण थे--(i) कीमत निम्नतम थी और आपूर्ति का कार्यक्रम अनुकूल था (आदेश तिथि से 18 मास के भीतर), (ii) आपूर्ति कर्ता का नाम चीनी मिलों के संयंत्र और उपकरण आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृत सूची में था, (iii) आपूर्ति कर्त्ता को चीनी मिल की डिजाइनिंग, फैब्रीकेशन एवं स्थापना की तकनीकी जानकारी और अनुभव था; तथापि कम्पनी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और आपूर्तिकर्ताओं से 14 दिसम्बर 1971 को पुनः अनुरोध किया गया कि 21 दिसम्बर 1971 तक अपनी संशोधित दरें बतलायें। पुनः यमुना नगर फर्म की 134 लाख रुपए की निविदा निम्नतम थी। अन्ततः कम्पनी ने 15 जनवरी 1972 को निर्णय लिया जिसके अनुसार कलकत्ते की फर्म को, जिसका निविदा दर (द्वितीय निम्नतम) 134.20 लाख रुपए था, आदेश दे दिये गये। कम्पनी के द्वारा आदेश देने के पहले ही कलकत्ता फर्म ने अपने दर 0.97 लाख रुपये और बढ़ा दिये। यह कम्पनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और तीन फरवरी 1972 को करार को अन्तिम रूप दे दिया गया। कलकत्ता फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार करने में नौ महीने की देरी के परिणाम स्वरूप कम्पनी पर 5.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आ पड़ा (मूल प्रस्ताव 129.97 लाख रुपये का था और आदेश का मूल्य 135.17 लाख रुपये पड़ा, इस प्रकार 5.20 लाख रुपये का अन्तर)।

करार के अनुसार अपूर्ति, निर्माण और संयंत्र का कार्यारम्भ 15 अक्तूबर 1973 तक पूरा होना था। संयंत्र ने 20 मार्च 1974 में कार्यारम्भ किया। विलम्ब का कारण आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा मशीनों (फिल्टर प्रेसेस, सेंट्रीफ्युगल मशीन, माप नली आदि) की आपूर्ति में देरी को बतलाया गया। विलम्ब के लिए करार के अनुसार करार मूल्य का 5 प्रतिशत (7.90 लाख रुपए) का क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया जा सकता था, नहीं लगाया गया (फरवरी 1976)। इसके अतिरिक्त करार के अनुसार निष्पादन आश्वासन की पूर्ति तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि मशीन और उपकरणों के कार्यारम्भ के बाद उपलब्ध पेराई के पूरे एक सत्र मे प्रतिदिन 2000 मेट्रिक टन गन्नों की पेराई प्रक्रिया लगातार 7 दिन तक न हो सके। बहरहाल संयंत्र अपेक्षित और सहमत क्षमता का 50 प्रतिशत भी प्रथम पेराई सत्र में उपलब्ध नहीं कर सका। कारखाने के मुख्य अभियन्ता ने संयंत्र को लेने से इनकार कर दिया (5 मई 1974) और तदनुसार निर्माताओं को सूचित कर दिया। निर्माताओं ने अपने संयंत्र स्थल के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी इसलिये किच्छा चीनी मिल लिमिटेड ने निर्णय किया (25मार्च 1974) किसुधार कार्य निर्माताओं के मूल्य पर विभाग द्वारा किया जाय। सुधार कार्य विभाग द्वारा किया गया जिस पर 13.00 लाख रुपया खर्च आया, जिसमें से केवल 3.93 लाख रुपये का दायित्व ही निर्माताओं ने स्वीकार किया (मई 1975)। प्रथम पूरे पिराई सत्र (1974-75) में भी अपेक्षित क्षमता प्राप्त नहीं हुई।

प्रबन्धकों ने फरवरी 1976 में बतलाया कि विभाग द्वारा किये गये सुधार कार्य के मूल्य की आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली के लिये प्रत्यत्न किया जा रहा है।

(ख) अधिक भुगतान

नैनीताल के जिलाधिकारी और बरेली के एक फर्म के मालिक के साथ एक मीटिंग में किछा चीनी फैक्ट्री के महाप्रबन्धक, सहकारी चीनी फैक्ट्री, मनझोला से फर्म के द्वारा खोई खरीदने को राजी हुये। आपूर्ति दर जिलाधिकारी, नैनीताल, जो कि मनझोला फैक्ट्री के प्रशासक है द्वारा तय होने तक महाप्रबन्धक ने जनवरी से मार्च 1974 तक फर्म को 8000 मेट्रिक टन खोई की खरीद के लिये तीन आदेश दिये। फर्म ने मार्च 1974 तक केवल 4180 मेट्रिक टन खोई की आपूर्ति की। जो वजन आपूर्ति बीजक में अंकित था कम्पनी के रजिस्टरों में वही वजन लिख लिया गया। प्राप्त हुई खेपों के सामान को किछा चीनी फैक्ट्री में बिना वजन कराये एसा किया गया। शेष 905 मेट्रिक टन की जुलाई 1974 और 718 मेट्रिक टन की आपूर्ति दिसम्बर 1974 (अगले सत्र) में की गयी।

जून 1975 में महाप्रबन्धक ने फर्म को सूचित किया कि जिलाधिकारी, नैनीताल ने मेट्रिक आपूर्ति दर 99 रु0 प्रति मेट्रिक टन तय की है (70 रु0 लागत मूल्य और 29 रु0 यातायात तथा ढुलाई के) इसके अनुसार फर्म ने बिल प्रस्तुत किया, जिसका कि पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके बावजूद कि जुलाई 1974 में 905 मेट्रिक टन बीजक की आपूर्ति फैक्ट्री में तुलने पर 646 मेट्रिक टन निकली। 259 मेट्रिक कम प्राप्ति का मूल्य 0.26 लाख रुपये था।

(ग) अत्यधिक सूखने के कारण हानि

मार्च से जून 1974 के बीच किछा चीनी फैक्ट्री ने अपने गन्ना लेने के केन्द्रों पर 3.72 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा। इन केन्द्रों से गन्ना यातायात ठीकेदारों द्वारा फैक्ट्री भेजा गया जिन्होंने 3.59 लाख क्विंटल गन्ना ही फैक्ट्री पंहुचाया। 12962 क्विंटल के इस अन्तर को (खरीदे गये परिमाण का 3.5 प्रतिशत) सूख जाने की हानि के रूप में स्वीकार किया गया जब कि होल्डिंग कम्पनी के निर्धारित मानक के अनुसार केवल एक प्रतिशत अर्थात् 3,722 क्विंटल से अधिक कमी नहीं होनी चाहिये। 9240 क्विंटल, जिसका मूल्य 1.18 लाख रु0 होता है, की अत्यधिक हानि की कोई जांच-पड़ताल प्रबन्धकों द्वारा नहीं की गयी। यद्यपि 12 केन्द्रों में से 9 केन्द्रों पर हानि का अनुपात भेजे गये गन्नों के परिमाण का 2.29 से 7.05 प्रतिशत था शेष तीन केन्द्रों पर कमी 0.5 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत के बीच थी।

फैक्ट्री प्रबन्धकों ने (सितम्बर 1974) अत्यधिक शुष्कीकरण हानि के निम्नांकित कारण बतलाये:—

(i) गन्ना पेराई की देर से शुरूआत,

(ii) प्रथम पेराई सत्र में मशीनों की त्रुटियां जिसके कारण केन्द्रों में संग्रहीत गन्ना कुछ समय तक पड़ा रहा,

(iii) रास्ते में गन्ने की चोरी।

(घ) ल्यूब्रीकेन्ट की अधिक खपत

किछा चीनी फैक्ट्री के महाप्रबन्धक ने अगस्त 1974 में होल्डिंग कम्पनी को ल्यूब्रीकेन्ट खरीदने का प्रस्ताव भेजा जिस पर उस कम्पनी के सलाहकार अभियन्ता ने बतलाया (अगस्त 1974) कि सामान्यतया प्रति 100 क्विंटल गन्ने की पेराई पर लगभग 0.8 से 0.9 लीटर ल्यूब्रीकेन्ट लगना चाहिये लेकिन संयंत्रों की प्रारम्भिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुये यह मात्रा 1.25 लिटर तक हो सकती है। 1973–74 में 7.02 लाख क्विटल गन्ने की पेराई के लिये 31005 लिटर ल्यूब्रीकेन्ट लगा था अर्थात् 4.4 लिटर प्रति 100 क्विंटल गन्ना वर्ष 1974–75 में 27.17 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई में 47210 लिटर ल्यूब्रीकेन्ट लगा अर्थात् 1.7 लिटर प्रति 100 क्विंटल। खपत की उच्चतर सीमा 1.25 लिटर प्रति 100 क्विंटल से तुलना करने पर 1973–74 में 22230 लिटर (मूल्य 1.00 लाख रुपये) और 1974–75 में 13247 लिटर (मूल्य 1.12 लाख रुपये) ल्यूब्रीकेन्ट अधिक लगा।

1973–74 मे ल्यूब्रीकेन्ट की अत्यधिक खपत के प्रबन्धकों ने ऐ कारण बतलाये (i) मशीनों की प्रारम्भिक भराई और अपकेन्द्रीय मशीन के प्रयोगिक परिचालन के लिये 20 बैरेल (4100 लिटर), (ii) ल्यूब्रीकेन्ट का वाष्पीकरण, (iii) अनुभवहीन कर्मचारी।

इस संदर्भ में निम्नांकित तथ्य सामने आये––

(i) आपूर्तिकर्त्ताओं से ल्यूब्रीकेन्ट की प्राप्ति के समय उसकी माला की सम्पुष्टि नहीं की गयी;

(ii) फैक्ट्री द्वारा रिपोर्ट की गयी खपत की सूचना के आधार पर जारी किये गयेमाल को बाद में दर्ज करना;

(iii) फैक्ट्री में समुचित भंडार सुविधा का अभाव।

(ङ) अतिरिक्त व्यय

दिसम्बर 1972 से जनवरी 1974 के दौरान किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड ने बरेली के एक ठेकेदार से आवासिक और गैर आवासिक भवन बनवाने के लिये 26.46 लाख रु0 की कुल लागत से, जिसमें सामग्री का मूल्य भी शामिल था, 15 करारनामे किये। सभी मामलों में निविदाकारों को दो दरों का उल्लेख करना था, एक इस शर्त के साथ कि सामग्री (सीमेन्ट, ईंट, इस्पात) की आपूर्ति विभाग द्वारा हो और दूसरा ऐसी किसी शर्त के बिना और इस प्रकार के इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था का दायित्व ठेकेदार का होगा। विभागीय आपूर्ति की शर्त वाली निविदाओं की दर निम्नतर थी तथापि ठेकेदार से उच्चतर दर पर सामान के लिये व्यवस्था की उसकी जिम्मेदारी सहित करार हुआ।

निर्माण क्रम में ठीकेदार को 3.79 लाख रुपये मूल्य का सामान (सीमेन्ट, ईंट, इस्पात) कम्पनी के भंडार से दिया गया। यह इस आधार पर दिया गया कि स्लैक कोयले का एक रेक आ जाने पर सस्ते दर पर ईंट पा सकना संभव होगा और ठेकेदार को सीमेन्ट वितरण पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण सीमेन्ट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

चूंकि कोयला आपूर्ति पहले ही नियोजित थी और सीमेन्ट वितरण पर नियंत्रण था ही, यह स्थिति करारनामा करते समय कम्पनी को पता थी। करार में इस शर्त के अभाव के कारण कि जिस काम के लिये सामान कम्पनी देगी उसमें निम्नतर स्तर पर भुगतान होगा, फैक्ट्री को 0.61 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा।

(च) गर्म जल संयंत्र का लगाया जाना

अक्तूबर 1974 में होल्डिंग कम्पनी द्वारा किच्छा चीनी फैक्ट्री के महाप्रबन्धक का गर्म जल प्रक्रिया गन्ना बीज ट्रीटमेण्ट संयंत्र लगाने का कुल 18,000 रु0 लागत का प्रस्ताव संस्वीकृत किया गया। इस पर कार्यवाही करने के पूर्व फैक्ट्री प्रबन्धकों ने मुख्य गन्ना अनुसंधान केन्द्र, शाहजहांपुर एवं भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ, से उनकी सलाह मांगी। उनके परामर्श जो कि नवम्बर 1974 में प्राप्त हुई के अनुसार गर्म पानी ट्रीटमेन्ट की तुलना में गर्म हवा ट्रीटमेन्ट की अधिक प्रभावी, अधिक आसान और काफी सस्ता होता है। सहकारी चीनी फैक्ट्री, मनझोला में विभाग द्वारा बने गर्म हवा संयंत्र को लागत के आधार पर यह प्रस्ताव हुआ कि 11000 रुपये की अनुमानित लागत से विभाग द्वारा गर्म हवा ट्रीटमेन्ट संयंत्र लगाया जाय। सामान न मिलने और अपेक्षित मजदूरों के अभाव के आधार पर यह तय किया गया (जनवरी 1975) कि एक गर्म जल ट्रीटमेन्ट संयंत्र खरीद लिया जाय।

बिना किसी प्रकार की निविदा मांगे गर्म जल ट्रीटमेंट संयंत्र आपूर्ति के लिये लखनऊ की एक फर्म का 42,000 रु॰ मूल्य का प्रस्ताव फैक्ट्री प्रबन्धकों ने स्वीकार कर लिया और फरवरी 1975 में 37,800 रु0 की पेशगी (मूल्य का 90 प्रतिशत) अदा कर दी गयी। संयंत्र की स्थापना और कार्यारम्भ मार्च 1975 में 48,372 रु0 की लागत से हुआ। कार्यारम्भ के पहले दिन ही संयंत्र के क्वायल जल गये और उसका पानी का तालाब रिसने लगा। मरम्मत के बाद उस सत्र में संयंत्र केवल 251 क्विंटल गन्ने बीज के लिये उपयोग में आया (अप्रैल 1975 तक)। प्रबन्धकों ने

(मार्च 1976) में बतलाया कि संयंत्र की प्रारम्भिक दिक्कतें समाप्त हो चुकी हैं और वह संतोष-जनक रूप से काम कर रहा है ।

विलम्ब एवं अवरोधन व्यय

35. दिसम्बर 1974 से फरवरी 1975 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की भटनी इकाई को 80,509 रु0 (40,946 रु0 बिलम्ब शुल्क और 39,563 रु0 अवरोधन शुल्क) का उस गन्ने के लिये ऋणी होना पड़ा जो रेल द्वारा फैक्ट्री भेजा गया था। प्रबन्धकों ने इस शुल्क को रेलवे से माफ कर देने का अनुरोध इस बिना पर किया कि--

(क) फैक्ट्री में मशीनें ठप हो गयीं;

(ख) भरे हुये वैगनों का एक साथ देर से और अनियमित रूप से पंहुचना जिसके कारण माल उतारने में देरी होती थी;

(ग) गन्ना एकत्र करने के केन्द्र पर आवश्यकता से अधिक खाली वैगनों का भेज देना और

(घ) फैक्ट्री में रखने की जगह की कमी।

रेलवे ने 29,501 रु० विलम्ब शुल्क (नवम्बर 1975) और 19,782 रु० अवरोधन शुल्क (सितम्बर 1975) माफ कर दिये।

विभाग द्वारा चूना निर्माण में अधिक व्यय

36. 1974-75 के पेराई सत्र में उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० की बाराबंकी इकाई ने चीनी की सफाई के लिये 200 मेट्रिक टन चूने का उपभोग किया। इसमें से 90 मेट्रिक टन चूना 241 रु० प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से खुले बाजार से प्राप्त किया गया; शेष 110 मेट्रिक टन कम्पनी द्वारा तैयार किया गया। फैक्ट्री में चूना तैयार करने के आर्थिक पहलू को बिना सोचे ही यह कार्य किया गया। चूना निर्माण करने में 400 रु० प्रति मेट्रिक टन का व्यय पड़ा। परिणामस्वरूप लगभग 110 मेट्रिक टन चूने पर 159 रुपये प्रति मेट्रिक टन विभेदक लागत (डिफरेंशीयल कास्ट) के हिसाब से 0.17 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ।

प्रबंधकों ने (नवम्बर 1975) बतलाया कि निर्माण की ऊंची लागत का कारण नियंत्रित दरों पर कोयले का न मिलना था।

ईंधन लकड़ी की खरीद

37. (क) 22 अगस्त 1974 को उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० ने 2.3 लाख क्विंटल सूखी जलाने वाली लकड़ी की खरीद के लिये निविदायें आमन्त्रित की (निविदा प्रस्तुति की अन्तिम तिथि 6 सितम्बर 1974)। यह लकड़ियां चीनी फैक्ट्रियों, सखोटी टांडा (60,000 क्विंटल), मोहिनुद्दीनपुर (40,000 क्विंटल) और प्रबंधकों के आधीन तीन प्राइवेट चीनी फैक्ट्रीयों, रोहनाकलां (50,000 क्विंटल), सहारनपुर (50,000 क्विंटल) और दोईवाला (30,000 क्विंटल) को पहुंचनी थीं। निविदाकारों को विभिन्न तीन आपूर्ति अवधियों के लिये अलग-अलग दरें बतलानी थी। यह अवधियां 1 अक्टूबर 1974 से 15 नवम्बर 1974 तक, 1 दिसम्बर 1974 से 7 जनवरी 1975 तक एवं 1 फरवरी से 31 मार्च 1975 तक थीं। तेरह निविदायें आईं जिनमें से चार अस्वीकृत हो गयी। अस्वीकृति का आधार जमानत राशि का कम होना था। शेष 9 निविदाकारों को बातचीत के लिये बुलाया गया और उनके प्रतिनिधियों के साथ 18 सितम्बर 1974 को अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श हुआ।

बातचीत के बाद अक्टूबर 1974 में 1.91 लाख क्विटल जलाने की लकड़ी की आपूर्ति के लिये 42.46 लाख रुपये (बिक्रीकर अलग) का आदेश दिया गया। यह आदेश मेरठ, दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी की आठ फर्मों को अलग-अलग दरों पर, अलग-अलग आपूर्ति अवधियों के लिये विभिन्न फैक्ट्रियों में पहुंचाने के लिये दिये गये। प्रति क्विटल मूल्य 21.00 रु० से 22.10 रु० तक, 21.45

रु० से 23.50 रु० तक और 22.10 रु० से 23 रु० तक क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपूर्ति अवधियों के लिये पड़ा। इसी बीच (कम परिमाण में) कम्पनी के स्वामित्व में विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों के महाप्रबन्धकों और उसके प्रबंध के अधीन फैक्ट्रियों ने 14.50 रु० से 16.50 रु० प्रति क्विंटल की दर स जलाने वाली लकड़ी खरीदीं। 16.50 रु० की उच्चतर दर की तुलना में 1,90,500 क्विटल ईंधन की लकड़ी (21.00 रु० से 23.50 रु० प्रति क्विटल की दरों पर) खरीदने में 11.02 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

प्रबन्धकों ने बतलाया (फरवरी 1976) कि 1974-75 में पेराई सत्र के उत्तरार्ध में जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में अप्रत्याशित रूप से गिरावट आयी थी, जिसके कारण थे —

(i) परिवहन व्यय प्रति क्विंटल 2.50 रु० का घटना क्योंकि डीजल तेल आपूर्ति की स्थिति सुधर गयी थी,

(ii) बिजली और कोयले की आसान उपलब्धि के कारण जलाने वाली लकड़ी की मांग में कमी,

(iii) जलाने वाली लकड़ी के व्यवसायी अपना माल रोक नहीं सकते थे क्योंकि सरकार न ऋण दन के नियमों में कड़ाई कर दी।

यह भी बतलाया गया कि जिस जलाने वाली लकड़ी के लिये आदेश दिया गया था, वह एक साल से अधिक पुरानी लकड़ी के लिये था, जब कि महाप्रबन्धकों न 6 मास पुरानी आधी सूखी, गीली लकड़ी खरी ीं थीं।

(ख) (1) कम्पनी नियमों के अनुसार महाप्रबन्धक को एक वर्ष में एक लाख रु० मूल्य तक की लकड़ियां खरीदने का अधिकार है। सितम्बर 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में खड्डा चीनी फैक्ट्री में 15,000 क्विटल लकड़ियों की खपत हुई। संयंत्र और मशीनों की स्थिति में किसी विशेष परिवर्तन क अभाव में और चीनी उत्पादन के लक्ष्य के अनुसार सितम्बर 1975 में समाप्त होने वाले वर्ष में लकड़ी की खपत लगभग 15,000 क्विटल आंकी जानी चाहिये थी। फैक्ट्री संयंत्र एवं मशीन की पुनर्स्थापना के पूर्वानुमान के अनुसार आशा थी कि ईंधन की खपत में कमी होगी और लकड़ी खरीद की मांग 7000 क्विटल निकाली गयी थी। इस आधार पर 19 सितम्बर 1974 को महाप्रबन्धक ने लखनऊ के ठेकेदार के साथ एक करार 6,000 क्विटल लकड़ी 16.40 रु० प्रति क्विंटल (बिक्री कर अलग) की दर से खरीद के लिये किया। दूसरा करार (22 अक्तूबर 1974) महाप्रबन्धक द्वारा उसी ठेकेदार से 6,000 क्विटल लकड़ी की खरीद के लिये उसी दर पर किया गया। यह इस आधार पर किया गया कि पुनर्स्थापना कार्य आर्थिक दिक्कतों के कारण छोड़ दिया गया था। इस के बाद ही 8 नवम्बर 1974 को उसी पार्टी को उसी दर पर 2,000 क्विटल के लिये आदेश दिया गया। अस्तु टुकड़ों में 14,000 क्विटल लकड़ी की खरीद का मूल्य 2.30 लाख रुपये हुआ (बिक्री कर अलग)। महाप्रबन्धक द्वारा यह खरीद निदेशक मन्डल की अनुमति के बिना की गयी।

प्रबंधकों ने (फरवरी 1976) बतलाया कि मितव्ययी माप उपकरण की स्थापना में विलम्ब के कारण पूर्वानुमान से अधिक जलाने वाली लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और ठीक समय से आपूर्ति निश्चित करने के लिये सत्र प्रारम्भ होने के पहले की गयी यह व्यवस्था जारी रखी गयी।

(ii) उपर्युक्त प्रथम दो करारों के लिये ठेकेदार और उनके अभिकर्त्ताओं ने पूर्वोत्तर रेलवे रसीद में दर्ज वजन के अनुसार 12175 क्विटल लकड़ी भेजी। लेकिन भुगतान 15345 क्विटल क लिये किया गया। फलत: 0.52 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। प्रबंधकों ने बतलाया (फरवरी 1976) कि रेल रसीद में दर्ज वजन को भुगतान का आधार नहीं माना गया, क्योंकि रास्ते में चोरी आदि होती है और वजन निर्धारण वैगन क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में अटने वाली लकड़ी के बिना व्यवस्था नमूने (रैन्डम सैम्पलिंग) तौल के अनुसार किया गया।

प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ

निरर्थक व्यय

38. (क) बिजली कटौती और कम्पनी के ऐशबाग स्थित कार्यशाला में श्रमिक कर्मचारियों की संख्या अधिक प्रतीत होने के कारण 13 जुलाई 1973 से प्रबन्धकों ने 82 कर्मचारियों की छटनी कर दी। छटनी में आये कर्मचारियों (82 में से 49 ने) औद्योगिक न्यायाधिकरण में शिकायत कर दी जिसने एकतरफा निर्णय (दिसम्बर 1973) दे दिया क्योंकि (प्रबंधकों ने न तो मामले को मुल्तवी कराया और न ही लगातार दो सुनवाइयो पर मामले की पैरवी ही की)। न्यायाधिकरण ने कम्पनी की कार्यवाही को गैरकानूनी करार दिया क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था। उन अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्यत: बहाल करना पड़ा। फलत: 1.24 लाख रुपये (0.61 लाख रु० की लाइबिलटी मिलाकर) की राशि का कर्मचारियों के वेतन के लिय, उस अवधि में जब कि वे बरोजगार थे, भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधकों ने बतलाया (दिसम्बर 1975) कि इस मामले में जांच की जा रही है और अपराधी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

(ख) शुल्क की दुबारा अदायगी—28/29 मई 1971 की अर्धरात्रि से भारत सरकार ने ट्रैक्टरों सहित कुछ सामानों के आयात पर नैमित्तिक सीमा शुल्क और प्रतिशुल्क लगा दिया जो अब तक इस प्रकार के शुल्क से मुक्त थे। सभी उत्पादन शुल्क लगने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत प्रतिशुल्क लगना था। और उत्पादन कर अधिकारियों द्वारा उसके बराबर क्रेडिट की अनुमति देनी थी। यह अनुमति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 में विहित शर्तों के अनुसार होनी थी।

कम्पनी ने 750 जेटर ट्रैक्टर अर्ध जर्जर अवस्था में जुलाई-अगस्त 1971 में आयात किये जिन पर 12.15 लाख० रु० प्रतिशुल्क के रूप में (सी० आई० एफ० मूल्य के 10 प्रतिशत दर पर) बम्बई बन्दरगाह अधिकारियों को देना पड़ा। लखनऊ में सज्जीकरण के उपरान्त बन्दरगाह पर बेबाकी प्रतिशुल्क भुगतान के समय दिये गये प्रतिशुल्क को घटाये बिना इन ट्रैक्टरों पर पुन: उत्पाद शुल्क (13.82 लाख रुपये, जिसमें भुगतान किये गये 12.15 लाख रुपये के प्रतिशुल्क पर 1.21 लाख रु० का शुल्क शामिल है) भरना पड़ा। क्योंकि प्रतिशुल्क प्रदत्त सामान प्राप्ति की पूर्व सूचना उत्पाद शुल्क विभाग को नहीं दी गयी जिससे इसके अधिकारी सामान (मूल पैकिंग में लाये गये) के खोले जाने के समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 में वांछित शर्त के अनुसार उपस्थित रहते। अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, लखनऊ से मार्च 1972 में प्रतिशुल्क के लिये प्रोफार्मा क्रेडिट देने की अपील की गयी लेकिन उन्होंने अपील को इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव (रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट) से शिथिल नहीं किया जा सकता। राज्य में जो ट्रैक्टर खेतिहरों को बेचे गये (सितम्बर 1971 से अप्रैल 1973 तक), उनकी कीमत 12.15 लाख रुपये और पड़ी। प्रबंधकों ने बतलाया (अक्तूबर 1975) चूंकि प्रतिशुल्क और उत्पाद शुल्क (25.97 लाख रू०) के रूप में भुगतान की गयी, पूरी राशि ट्रैक्टरों के मूल्य में शामिल कर ली गयी और खरीददारों से उसकी वसूली कर ली गयी थी इस प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्तु कृषकों को उत्पाद शुल्क के दोहरे भुगतान का भार वहन करना पड़ा।

प्रबंधकों ने आगे बतलाया (जनवरी 1976) कि उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के केन्द्रीय परिषद् के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी है।

(ग) खाद व्यापार में हानि

प्रदेश में खाद की थोक प्राप्ति एवं वितरण कम्पनी करती है। कम्पनी के अतिरिक्त यह काम अन्य तीन अभिकरणों यथा यू० पी० प्रान्तीय कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, यू० पी०, कोआपरेटिव कन यूनियन लिमिटेड और कृषि विभाग द्वारा होता है।

निम्नांकित सारिणी में 1974–75 तक के तीन वर्ष में कम्पनी द्वारा खाद की प्राप्ति, वितरण और इति शेष का विवरण प्रस्तुत है––

वर्ष	आदि भंडार (मैट्रिक टनों में)	खरीद (मैट्रिक टनों में)	बिक्री (मैट्रिक टनों में)	इति भंडार (मैट्रिक टनों में)
1972–73	35,93	155944	172343	19394
1973–74	19394	194029	197290	16133
1974–75	16133	94307	74921	35519

प्रबंधकों ने बतलाया (जनवरी 1976) कि 1974–75 में खादों के कम निकासी के ये कारण थे––

(i) दाम में बढ़ोत्तरी,

(ii) व्यापारियों को थोक बिक्री के बजाय फुटकर बिक्री डिपों द्वारा बिक्री,

(iii) किसानों के हाथ खाद बेचने को उनसे गेहूं उगाहने के साथ जोड़ दिया जाना (अप्रैल से जुलाई 1974) और परमिट, इनपुट कार्ड और जोतबही के अनुसार खाद की बिक्री (जुलाई से नवम्बर 1974 तक) और

(iv) कम्पनी नकद बेच रही थी, जबकि किसानों को खरीद के सरकारी भंडार, कोआपरेटिव फेडरेशन के भंडार एवं गन्ना यूनियनों से उधार खरीदने की सुविधा थी।

1974–75 तक के तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा खाद बिक्री के परिणाम निम्नांकित हैं।

(करोड़ रुपय में)

वर्ष				बिक्री	लाभ (+) हानि (−)
1972–73	..	..	..	14.34	(+) 0.15
1973–74	..	..	..	18.42	(+) 0.55
1974–75	..	..	..	11.64	(−) 0.52

1973–74 में लाभ में वृद्धि के निम्नांकित कारण प्रबंधकों द्वारा बतलाये गये :––

(i) अक्तूबर 1973 में खादों की दर में उच्चतर परिवर्धन, परिणामतः बिक्री का दाम अधिक हुआ और भंडार में पड़ी खाद का मूल्य बढ़ जाना ;

(ii) बैंक को भुगतान किये गये ब्याज पर निम्नतर व्यय ;

(iii) गोदामों के किराये का कम भुगतान।

1974–75 में हानि के निम्नांकित कारण प्रबंधकों द्वारा बतलाये गये (जनवरी 1976)।

(i) राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर वितरण व्यवस्था में परिवर्तन करने से स्थापना और डिपो किराये पर 11.30 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (1973–74 तक अधिकांशतः बिक्री कम्पनी द्वारा नियुक्त व्यवसायियों के माध्यम से थोक भाव से की गयी थी) 1974–75 में फुटकर बिक्री की 200 और दुकानें खोली गयीं। यह दुकानें वर्तमान 100 दूकानों के अतिरिक्त थीं;

(ii) बैंक से उधार, और ब्याज की दरों में बढ़ोत्तरी, फलतः 21 लाख रुपये का अतिरिक्त अर्थभार ;

(iii) देशी खादों के बिक्री दर में कमी के कारण 31 मार्च 1975 को इति भंडार में जमा खादों के मूल्य में 20 लाख रुपये की गिरावट;

(iv) गत वर्षों की अपेक्षा (1.72 और 1.97 लाख मेट्रिक टन क्रमशः 1972–73, 1973–74 में) कम कुल बिक्री (0.75 लाख मेट्रिक टन) जिससे निबल आय में 28 लाख रुपये की कमी हो गयी।

(घ) ओइशी खुला जलपान गृह

मार्च 1972 में कम्पनी ने भवन, उपस्कर, चीनी मिट्टी के बर्तन अन्य बर्तनों आदि पर 2 लाख रु० के पूंजी निवेश से लखनऊ में एक खुला जलपान गृह स्थापित किया। इसका उद्देश्य उपचारित (प्रासेस्ड) फल मण्डल के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना है। जल- पान गृह से 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अप्रैल से जुलाई 1974) में क्रमश: 0.61 लाख, 0.28 लाख और 0.16 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। जलपान गृह जुलाई 1974 में बन्द कर दिया गया। जलपान गृह बन्द करने के कारण प्रबन्धकों द्वारा इस प्रकार बतलाये गये (जनवरी 1976):--

(क) जनता की प्रतिकूल धारणा;

(ख) मुख्य उद्देश्य अर्थात् कम्पनी के उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना, काफी कुछ हासिल किया जा चुका था।

(ग) कंम्पनी को एक बड़े बिक्री काउण्टर, भण्डार गोदाम और कर्मचारियों के लिए जलपान गृह के लिये जगह की आवश्यकता थी।

प्रबन्धकों ने घाटे के कारण इस प्रकार बतलाये (जनवरी 1976):--

(i) ग्राहक बनाने में कुछ समय लगा;

(ii) खुलेजलपान गृह के बड़े क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए बन्द छोटे जलपान गृह की तुलना में अधिक कर्मचारी रखने पड़े;

(iii) ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षाकृत दाम कम रखने पड़े।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर

(क) आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत चूक के कारण ब्याज भरना

39. कम्पनी ने 13 मार्च 1974 को आयकर विभाग को लेखा वर्ष 1973-74 के लिए बर्तमान आय के अनुमान प्रस्तुत किये जिसमें दिसम्बर 1973 में निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत कम्पनी के अनुमानित बजट के आधार पर 30 लाख रु० का लाभ दिखलाया गया। आयकर विभाग को विवरण प्रस्तुत करने की निश्चित तिथि 31 जुलाई 1974 थी। लेकिन विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। क्योंकि 1973-74 के लेखा को 21 अक्तूबर 1974 को अन्तिम रूप प्रदान किया गया यह समझकर कि विवरण निश्चित तिथि (31 जुलाई 1974) तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा कम्पनी के आयकर परामर्शदाता ने सलाह दी कि निश्चित तिथि के भीतर ही एक अनन्तिम (प्रोविजनल) विवरण दिया जाय। यह नहीं किया गया और लखा को अन्तिम रूप प्रदान करने के बाद 23 अक्तूबर 1974 को विवरण जमा किया गया जिसमें कर लगाने योग्य आय 80.91 लाख रुपये दिखलाई गयी। आयकर अधिकारियों ने (दिसम्बर 1974 में) विवरण में दिखलाई गयी कर लगाने योग्य आय के आधार पर 47.90 लाख रुपए का आयकर आंका। चूंकि वास्तविक कर लगाने लायक आय और अनुमानित कर लगाने लायक आय वर्तमान (आय के अनुमान में दिखालायी गयी) में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर था, और आयकर विवरण निश्चित तिथि के भीतर (31 जुलाई 1974) प्रस्तुत नहीं किया जा सका, इस कारण ब्याज के रूप में 3.03 लाख रु० दण्ड (12 प्रतिशत की दर से) लगाया गया, जिसका कम्पनी ने 4 मार्च 1975 को भुगतान किया।

प्रबन्धकों ने बतलाया (जनवरी 1976) कि अपील पर आयकर दायित्व 99,723 रुपये कम कर दिया गया, जिससे देय ब्याज भी 12,000 रु० कम हो गया।

(ख) प्रेषित सामान का प्राप्त न होना

कानपुर की एक बुनकर मिल ने एक माल वाहन द्वारा सूत की 40 गांठे (मूल्य 0.39 लाख रुपए) कम्पनी के वाराणसी डिपो को भेजी (6 जून 1973) लकिन वह सामान डिपो को

नहीं मिला। प्रेषित माल नहीं पहुंचा और प्रबन्धकों के अनुसार " किसी शातिर (मिस्क्रिएण्ट) कदाचित स्वयं डिपो मैनेजर ने जाल साजी से नकली हस्ताक्षार बनाकर उसे उठा लिया" यह तथ्य कम्पनी को अगस्त 1974 में मालूम हुआ और तदनन्तर इसकी रिपोर्ट पुलिस को की गई। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1976)

एक दूसरे मामले में एक फर्म ने वाराणसी डिपो को स्टेपल सूत की 49 गांठें (मूल्य 1.24 लाख रुपए) भेजी। यद्यपि 7 मार्च 1974 को माल वाहक द्वारा दी गई सामान की रसीद की प्राप्ति डिपो प्रबन्धक ने 29 मार्च 1974 को स्वीकार किया लेकिन माल वाहक का रुपया 4,000 के विलम्ब शुल्क का दावा तय न होने के कारण प्रेषित माल पड़ा रहा कथित है कि इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने जाली हस्ताक्षर बनाकर वाहक के गोदाम से सामान उठा लिया। कम्पनी को अगस्त 1974 में यह मामला मालूम हुआ। कम्पनी ने मामला पुलिस को दे दिया जिसने डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

तीसरे मामले में सीतापुर के एक सूत व्यवसायी ने बैंक में भुगतान का जाली प्रमाण देकर सूत की 18 गांठे (मूल्य 0.24 लाख रु०) उठवा ली और वास्तविक जमा क सत्यापन किय बिना उसे सामान दे दिया गया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड

खम्भा (पोल) कारखाने की स्थापना

40. बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाके के विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में मार्च 1972 में कम्पनी ने बुन्देलखण्ड कंकरीट स्ट्रक्चर्स लि० कं० ने (मार्च 1972) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सहयोग से कालपी में सीमेंट कंकरीट खम्भे बनाने का एक कारखाना लगाने का निश्चय किया। जिसका स्वामित्व और प्रबन्ध कम्पनी की एक सहायक कम्पनी का होता। इसमें 10 लाख रुपए की आधिकृत पूंजी लगनी थी। कम्पनी ने मद्रास की एक सलाहकार फर्म से नवम्बर 1973 में एक करार किया। यह करार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और परियोजना चालू करने के लिए अपेक्षित विस्तृत रूपरेखा (डिजाइन्स) और अभियन्त्रण दस्तावेज (इंजीनियरिंग डाकूमेंटेशन) तैयार करने के लिए था, जिसके लिये 0.58 लाख रुपए का समेकित पारिश्रमिक भुगतान करने थे (अप्रैल, 1974 में 0.17 लाख रुपए भुगतान किय गये) फरवरी 1974 में कम्पनी द्वारा कालपी में तीन एकड़ जमीन ली लेकिन सरकार ने कम्पनी को निर्देश दिया कि अन्तिम निर्णय न होने तक वह उसका उपयोग न करे। इसी बीच कम्पनी ने मशीन और दूसरे उपकरण (0.44 लाख रु०) और 1.10 लाख रुपए में एक 163 के०वी०ए० डीजेल जनरेटिंग सेट खरीद लिये और 31 मार्च 1975 तक वेतन, भत्त, और अन्य विविध व्यय के रूप में 0.21 लाख रुपये खर्च कर दिये थे। जून 1975 में कम्पनी ने परियोजना समाप्त कर देने का निश्चय किया क्योंकि विद्युत परिषद् ने कम्पनी को सूचित किया कि परियोजना द्वारा निर्मित खम्भों की उन्हें जरूरत नहीं है। खरीदे गये मशीन और अन्य उपकरण का अभी तक (मार्च 1976) कोई उपयोग नहीं हुआ।

भारतीय तारपीन और जिन कम्पनी लिमिरोटेड, बरेली

अभिकर्ताओं को उनके कमीशन का भुगतान

41. पांच बिक्री अभिकर्ताओं के साथ करार के अनुसार उनके पास जमा कम्पनी के सामान की बिक्री पर उन्हें चार प्रतिशत कमीशन मिलना था। अभिकर्ताओं क क्षत्र में कम्पनी द्वारा खरीददारों को सीधे बिक्री करने पर कर अभिकरण कमीशन नहीं दिया जाता है। सीधी बिक्री पर सहमत दर के अनुसार अभिकर्ताओं को कमीशन मिलता है, जिसकी पूछताछ आदेश अभिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अप्रैल 1972 से दिसम्बर 1974 में इन अभिकर्ताओं को 4 प्रतिशत की दर से कुल 0.84 लाख रुपए कमीशन के रूप में भुगतान किये गये। इन अभिकर्ताओं को यह कमीशन उनसे कोई भी पूछताछ/आर्डर पाये या बिना पाये ही उनके

क्षेत्र के खरीदारों को कम्पनी द्वारा की गई सीधी बिक्री पर दिया गया। सरकार ने (दिसम्बर 1975) बतलाया कि बिक्री अभिकरण करार के नवीनीकरण के अवसर पर इस बात को दृष्टि में रक्खा जायगा।

उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड

कर्मनाशा नदी पर पुल निर्माण

42. जनवरी 1974 में, कम्पनी ने राज्य सरकार के लिए गाजीपुर जिले में कर्मनाशा नदी पर पुल निर्माण करने के लिए चार कुयें बैठाने का कार्य हाथ में लिया। कार्य प्रारम्भ होने के पहले पुल बनाने के लिए न तो विस्तृत आकलन तैयार किये गये थे और न ही सरकार ने प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। इस कार्य के लिए निधि का आबंटन भी नहीं हुआ था। कम्पनी ने स्वीकृति मिल जाने तथा निधि की व्यवस्था हो जाने की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया था। रेखांकनों के अनुसार कुओं को 32 मीटर गहरे बैठाना था, तथापि, कार्य रुकने तक, 14.70 मीटरों (कुओं की कुल गहराई का 2/3) की अपेक्षित सुरक्षित गहराई के स्थान पर केवल 3.20 मीटरों से 4.28 मीटरों की गहराई तक कुएं बैठाये गये थे।

प्रबन्ध संचालक ने अगस्त 1974 में परियोजना का निर्माण कार्य रोक देने का आदेश दिया। सीमेंट, अन्य भवन सामग्री तथा भारी औजार और संयंत्र कार्य-स्थल से हटा लिये गये, इस प्रकार दिसम्बर 1975 तक परियोजना में लगी 2.54 लाख रुपए की पूंजी निष्क्रिय बनी रही, तथा कुओं को सुरक्षित गहराई तक न बैठाए जाने के कारण उसके निष्फल हो जाने की सम्भावना हो गई है।

प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1976) कि निर्माण कार्य के लिए अक्तूबर 1975 में राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(क) विलम्ब शुल्क एवं घाट शुल्क

43. अप्रैल 1974 से अक्तूबर 1974 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने बरेली, गाजियाबाद और मेरठ के कच्चे माल के तीन गोदामों के लिए रेलवे से माल छुड़ाने के लिए 0.48 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क एवं घाट शुल्क का भुगतान किया। इसका कारण यह बताया गया कि कार्य प्रणाली में दोष होने के कारण रेल की रसीदें देर से मिलीं। कम्पनी की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत कच्चे माल के स्थानीय उत्पादकों के कार्यालयों से रेल रसीदें पहले मुख्यालय में प्राप्त होती हैं और फिर वे विभिन्न गोदामों को भेजी जाती हैं। उत्पादक यदि रेल रसीदें कच्चे माल के गोदामों को सीधे भेजते तो यह व्यय बच सकता था।

यह मामला सरकार को अगस्त 1975 में सूचित कर दिया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1976)।

(ख) मशीनों का आयात

राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों को आयात और वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, सितम्बर 1972 में, पश्चिमी जर्मनी से, गाजियाबाद की एक इकाई (यूनिट) की ओर से, बिना किसी जमानत के, उपकरणों (एक्सेसरीज) सहित 2.31 लाख रुपये के मूल्य का एक "डबुल टर्न प्रेस" आयात किया गया था। फरवरी 1973 में मशीन आ जाने पर, गाजियाबाद की फर्म ने, धन की कमी के कारण, उसे नहीं उठाया तथा उसने यह आग्रह किया कि वह मशीन उसे, किराये द्वारा खरीद पर, आवंटित कर दी जाय, जिसके लिए कम्पनी सहमत हो गई। दिसम्बर 1973 में, किराये द्वारा खरीद के आधार पर, लिए 2.78 लाख रुपये के समेकित मूल्य पर मशीन फर्म को आवंटित कर दी गई। लेकिन, चूंकि आयात तथा निर्यात नियन्त्रक ने स्वामित्व

हस्तानन्तरण के लिए औपचारिक अनुमति नहीं प्रदान की, इसलिए यूनिट मशीन, नहीं उठा सकी (जनवरी 1976)। उपकरणों सहित बंधी-बंधाई मशीन कम्पनी के गोदाम में पड़ी हुई है (फरवरी 1976)।

कम्पनी को जुलाई 1975 में मामले की सूचना दे दी गयी थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

(ग) स्टील की चादरों का आयात

राज्यो में लघु औद्योगिक इकाइयों को अयात और वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत मई 1971 में यूनाइटेड किंगडम से, गाजियाबाद की एक इकाई (यूनिट) की ओर से, 15, 534 पौण्ड (2.82 लाख रुपये के बराबर) सी0आई0एफ0 मूल्य की हाट रोल्ड माइल्ड स्टील की चादरों का, जिसके लिए कम्पनी द्वारा जनवरी 1970 में आयात लाइसेन्स ले लिया गया था, आयात किया गया था। यद्यपि माल मई 1971 में बम्बई बन्दरगाह में आ गया था, परन्तु गाजियाबाद की यूनिट द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण वह उसे नहीं छुड़ा पाई। अगस्त, 1971 में, कम्पनी के पक्ष में इस शर्त पर माल छोड़ दिया गया कि औपचारिकतायें पूरी हो जाने के बाद उसे अन्ततः इकाई (यूनिट) को दे दिया जायगा। माल (समेकित मूल्य 5.99 लाख रुपए) कम्पनी के गाजियाबाद गोदाम में पड़ा हुआ है (मार्च 1976) प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1976) कि बाजार में आम मंदी के कारण माल को अन्य वास्तविक उपयोगकर्ताओं को बेच देने के प्रयत्न भी सफल नहीं हुये।

(घ) रंग सामग्री और रसायन--

राज्य में हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए, कम्पनी नें 1970-71 के दौरान, उद्योग निदेशक द्वारा प्रस्तावित निकसी, परिवहन तथा अन्य प्रभार सहित 6.49 लाख रुपये लागत के आयात लाइसेन्स के अधीन रंग सामग्री और रसायन (सी0 आई0 एफ0 मूल्य 3.34 लाख रुपए) का आयात किया। चूंकि कम्पनी बुनकरों को सामग्री बेचने का प्रबन्ध नहीं कर सकी थी, अतः उसे हथकरघा सहकारी समितियों की शीर्षस्थ संस्था-उत्तर प्रदेश उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड को थोक भाव से बेचने के प्रयत्न किये गये (अगस्त 1973)। लेकिन उसे जिस मूल्य पर बेचा जाना था, उसका कोई अनुबन्ध नहीं हुआ और फरवरी 1974 में कम्पनी ने उद्योग निदेशक से जिस रूप में उचित समझे उस रूप में माल बेचने की अनुमति प्राप्त कर ली। कम्पनी ने जुलाई 1974 में, 5.03 लाख रुपए मूल्य की दस मदों की बिक्री के लिए निविदायें आमंत्रित कीं। 0.49 लाख रुपयें मूल्य की एक मद (फारमोसल रेंगोलाइट्स) के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। शेष नौ मदों (मूल्य 4.54 लाख रुपए) के लिए 3.36 लाख रुपये का उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किया गय, जिसमें 1.18 लाख रुपयों का घाटा हुआ। खरीदार अपने प्रस्तावित दर पर, 3.05 लाख रुपाये की सामग्री उठा ले गया है तथा 0.31 लाख रुपये की शेष सामग्री अभी भी उठाई जानी है (फरवरी, 1976)।

प्रबन्धकों ने यह नहीं बताया कि हथकरघा इकाइयों के बीच इच्छुक खरीददारों की निश्चित मांग के अभाव में रंग-सामग्री तथा रसायन का आयात क्यों किया गया था।

कम्पनी को मामले की सूचना जुलाई 1975 में दे दी गई थी उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1976)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

खण्ड IV

प्रस्तावना

44. 31 मार्च 1975 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुई थी।

(i) ऋण पूंजी

सरकार से प्राप्त ऋण, ऋणपत्र, रुक्कों, निक्षेपों आदि से 1974–75 के अन्त में परिषद् को 1,127.35 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के कुल ऋण प्राप्त थे जो कि गत वर्ष के अन्त में 970.60 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के कुल ऋणों से 156.75 करोड़ रुपये अधिक थे।

(ii) आश्वासन (गारण्टियां)

सरकार ने परिषद् द्वारा प्राप्त 149.33 करोड़ रु0 के ऋण के प्रतिदान का आश्वासन दिया था, जिसमें से 31 मार्च 1975 को 133.01 करोड़ रुपये बकाया थे।

(ii) परिशिष्ट iii में परिषद् के कार्य-संचालन के परिणामों के सारांश का रूपरेखात्मक विवरण दिया गया है। परिषद् की बिल बनाने और उसकी वसूली प्रणाली का उल्लेखख खण्ड पांच में किया गया है।

(ख) अन्य सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पहली जून 1972 को हुई थी। सरकार ने लेखों लाभ-हानि का लेखा और बैलेंस शीट आदि के प्रपत्र निर्धारित नही किये हैं (मार्च 1976)। निगम ने अपन प्रारम्भ से लेकर अब तक किसी वर्ष का कोई लेखा तैयार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कार्य-संचालन की समीक्षा खण्ड छः में की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम निगम के 1974–75 के लेखे अब तक (अप्रैल 1976) प्राप्त नहीं हुये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम

(i) **पूंजी**

31 मार्च 1975 को निगम की परिदत्त पूंजी 265 लाख रुपये थी, जो कि 225 लाख रुपये की गत वर्ष की परिदत्त पूंजी की तुलना में 40 लाख रुपये अधिक थी। इस परिदत्त पूंजी में राज्य सरकार का निवेश 68.06 प्रतिशत था। शेष 31.94 प्रतिशत का अभिदान रिजर्व बैंक आफ इंडिया और आई0डी0बी0 आई0 (20.75 प्रतिशत) बैंकों और वित्तीय संस्थानों (10.23 प्रतिशत) तथा दूसरों (0.96 प्रतिशत) ने किया था।

(ii) **दीर्घकालीन ऋण**

निगम को मिले दीर्घकालीन ऋणों का 31 मार्च 1975 को शेष 1,840.04 लाख रुपये था जो कि गत वर्ष के अन्त के दीर्घकालीन ऋणों के 1,446.82 लाख रुपये के शेष से निबल 393.22 लाख रुपये अधिक का था। वित्तीय सूत्रों के अनुसार दीर्घ कालीन ऋण का विवरण इस प्रकार है––

निवेशित (लाख रुपयों में)			
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा	अन्य	योग
76.86	—	1,763.18	1,840.04

(iii) निगम ने 1974–75 में 87.10 लाख रुपये का निबल लाभ अर्जित किया। निगम के कार्य-संचालन के परिणामों के सारांश का रूप रेखात्मक विवरण परिशिष्ट iii में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

बिल बनाने तथा उगाहने की प्रणाली

45. विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली के व्यय का बिल बनाकर उगाहने के लिये परिषद ने कोई नियमावली तयार नहीं की (मार्च 1976)। समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के द्वारा जो पद्धति निर्धारित की गयी है वह विभिन्न घटकों में भिन्न-भिन्न है, जो उपभोक्ताओं से सम्बद्ध भार की प्रकृति पर निर्भर करती है। शहरी और देहाती क्षेत्रों में अपनाई गयी पद्धति में अन्तर है।

अक्तूबर 1974 तक सभी उपभोक्ताओं को मीटर में अंकित बिजली के वास्तविक उपयोग के आधार पर बिल दिये जाते थे। 12 अक्तूबर 1974 को प्रवर्तित अधिशुल्क सूची के अनुसार राज्य और निजी बिजली के नलकूपों से निश्चित मासिक शुल्क की राशि ली जाती है और इन उपभोक्ताओं द्वारा उपयुक्त बिजली को मीटर से अंकित नहीं किया जाता है। अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य की शर्त के आधीन मीटर में अंकित खपत के आधार पर ही बिल दिया जाता रहा है।

मीटर पढ़ने के लिय अवधि निर्धारण और उसके बाद बिल जारी करने की अवधि के आधार पर उपभोक्ताओं को (राज्य नलकूप एवं निजी नलकूपों को छोड़ कर) निम्नांकित तीन श्रेणियों में रखा गया है:—

(i) वृहत और भारी उपभोक्ता सहित थोक उपभोक्ता, बिजली की रेल की लाइन और लाइसेंस दार।

(ii) लघु एवं मध्यम बिजली उपभोक्ता, और

(iii) घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ता।

थोक उपभोक्ताओं के यहा जहां सम्बद्ध भार 500 किलोवाट एम्पियर से अधिक नहीं है, प्रत्येक मास के अन्तिम दिन उप मण्डल अधिकारी या कनिष्ठ अभियंता द्वारा मीटर रीडिंग लेनी होती है। लकिन यदि सम्बद्ध भार 500 किलोवाट एम्पियर से अधिक हो तो स्वयं अधिशासी अभियंता को मीटर रीडिंग लेनी होती है। थोक उपभोक्ताओं को जिनके यहां 500 किलोवाट या उससे कम खपत है, आगामी मास के दस दिन के भीतर बिल मिल जाना चाहिये लेकिन अन्य मामलों में आगामी मास के तीन दिन के भीतर बिल जारी हो जाना चाहियें। छोटे और मझोले उपभोक्ताओं के यहां प्रत्येक मास की 20 से 25 तारीख के बीच मीटर रीडिंग कर, अगले मास के दस दिन के भीतर बिल जारी हो जाना चाहिये। घरेलू और व्यापारिक उपभोक्ताओं के यहां दो मास में एक बार मीटर रीडिंग करना है और तिथियां वही हैं जो कि छोटे और मझोले उपभोक्ताओं के लिय निर्धारित हैं। सामान्यत: बिल जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर बिल भुगतान की उपभोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है। विलम्ब होने पर वृहद् उपभोक्ताओं को प्रति 100 रुपये या उसके अंश पर 5 पैसे अधिभार भुगतान करना पड़ता है (अक्तूबर 1974 से यह अधिभार 7 पैसे कर दिया गया है)। उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियां विलम्ब होने पर, देय तिथि तक देने पर अनुमत छूट से वंचित हो जाती हैं।

बिजली मिलने के बाद, उपभोक्ता मण्डल के उपभोक्ता खाते में उपभोक्ता के नाम से बिजली कनेक्शन अंकित होन पर मीटर की पहली रीडिंग की जाती है, और पहला बिल बनता है।

46. परिषद् के स्थाई आदेशों के अन्तर्गत उपभोक्ता को दिए गए कनेक्शन की एक मास के भीतर उपभोक्ता खाते में प्रविष्टि होनी चाहिये, और उसके बाद मीटर रीडिंग के बाद ही यथा शीघ्र

पहला बिल जारी होना चाहिये। 31 मण्डलों में (सितम्बर–अक्तूबर 1975) में एक नमूना जांच की गयी और पाया गया कि उपभोक्ता खाते में प्रविष्टि में काफी देर की गयी है, फलतः पहला बिल जारी होने में भी देर हुई। इन 31 मंडलों में दिये गये 7,727 नए कनेक्शनों में से 1,070 मामलों में पहला बिल जारी करने के मामले में एक वर्ष से अधिक की देर हुई। 1,546 मामलों में यह देर 6 माह से एक माह तक हुई।

इस नमूना जांच से यह भी मालूम हुआ कि अनेक मामलों की 31 मार्च 1975 तक खाते में प्रविष्टि नहीं हुई थी। उदाहरणार्थ, निजी नलकूपों/पंपिंग सेट्स के लिये राज्य में 31 मार्च 1975 तक दिए गए कुल कनेक्शनों की संख्या 2.31 लाख थी जब कि खाते में इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या केवल 2.28 लाख दर्ज थी। एक घटक में सम्बद्ध जांच मण्डल से अप्रैल से सितम्बर 1974 के बीच प्राप्त हुई 152 मीटर लगाने की रिपोर्ट पर जुलाई 1975 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मीटर रीडिंग और पहले बिल को जारी करने में देरी

47. आपूर्ति की गयी बिजली के मूल्य की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि मीटर समय से और सही-सही पढ़े जांय। यह देखा गया है कि परिषद् द्वारा नियुक्त पूर्ण कालिक मीटर रीडरों द्वारा नियमित रूप से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रीडिंग नहीं ली गयी। दो घटकों में 10 उपभोक्ताओं को, जिन्हें जुलाई 1972 से दिसम्बर 1973 तक कनेक्शन दिया गया था, जुलाई 1975 तक न्यूनतम मूल्य या वास्तविक खपत का कोई बिल नहीं दिया गया, क्योंकि मीटर ही नहीं पढ़े गये, यद्यपि उपभोक्ताओं के ब्योरे, जनवरी 1975 से मई 1975 से तक उपभोक्ता खाते में दर्ज कर लिये गये थे। अन्य 5 घटकों में 110 उपभोक्ताओं के नाम खाते में दर्ज थे लेकिन उन्हें जनवरी 1972 से अक्तूबर 1974 तक नियत बी० एच० पी० चार्जेज का ही बिल दिया गया और बिजली की वास्तविक खपत का बिल जारी नहीं किया जा सका क्योंकि मीटर रीडिंग दर्ज नहीं की गयी थी। एक अन्य घटक में विभिन्न श्रेणियों के 124 उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिया गया (जून 1975)। यह बिल 7 महीने से लेकर तीन साल तक जारी नहीं किये गये क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं की गयी थी।

बिजली के वृहद उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जहां सामान्यतः अधिक राशि के बिल होते हैं, और मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से उप मण्डल अधिकारी या अधिशासी अभियन्ता की होती है, मीटर रीडिंग में विलम्ब के मामले पाये गये हैं, जो इस प्रकार है--

बिजली अनुरक्षण मण्डल	विलम्ब		
का नाम	एक मास तक	एक से 6 मास तक	छः मास से अधिक
फैजाबाद	47	4	..
अकबरपुर	41	4	11
हरदोई	89	..	..
बस्ती	156	..	..
प्रतापगढ़	33	..	..
गोंडा–दो	23	8	.
रायबरेली	32	..	..
गोंडा–एक	91	..	..
बहराइच	40	..	..
रामपुर	115	..	..
योग	.. 667	16	11

नीचे की तालिका में उन 27 मंडलों के मामलों की सूची दी गई है, जिनमें उपभोक्ता खाते में ब्योरा दर्ज होने के बाद भी बिल जारी करने में विलम्ब हुआ है--

बिजली अनुरक्षण मण्डल के नाम	विलम्ब एक मास से अधिक लेकिन तीन मास से कम	तीन से छ: मास तक	छ: से बारह मास तक	बारह मास से अधिक
फैजाबाद	68	26	6	..
अकबरपुर	72	7	..	2
हरदोई	57	53	5	..
प्रतापगढ़	56	..	..	..
देवरिया	..	5	..	..
बलिया	426	69	..	..
मऊ	678	7	..	..
गोंडा-दो	23	..	..	..
फतेहपुर	461	..	..	..
शाहजहांपुर	15	12	17	33
रायबरेली	11	2	4	1
गोंडा-एक	215	65	..	..
बहराइच	612	197	31	10
गढ़वाल डिवीजन उत्तरकाशी	9	..	..	..
मेरठ	71	..	23	..
बरौत	1255	39	..	..
जौनपुर	403	..	..	..
श्रीनगर	23	..	..	..
मैनपुरी	9	..	..	..
झांसी	13	..	..	..
बरेली	2	2	1	1
रुड़की	109	186	..	..
बाराबंकी	92	15	..	..
हल्द्वानी	14	3	..	..
अल्मोड़ा	102	61	11	..
कानपुर बिजली आपूर्ति प्रशासन	17	32	13	..
रामपुर	418	22	5	..
योग ..	5,231	803	116	47

टिप्पणी : 5 प्रतिशत बिलों के नमूने की जांच के दौरान विलम्ब के उपर्युक्त मामले सामने आये ।

बिल जारी करने में विलम्ब

48. परिषद् ने मीटर रीडिंग के बाद बिल तैयार करने और जारी करने की अवधियां निर्धारित कर दी हैं। यह देखा गया है कि लगभग सभी घटकों में बिल तैयार करने एवं जारी करने में काफी विलम्ब हुआ है। निम्नांकित तालिका में कुछ घटकों के मीटर रीडिंग के बाद बिल जारी करने में विलंब के कुछ मामलों का उल्लेख है:--

(बिलों की संख्या)

घटक का नाम	15 दिन से कम	विलम्ब 15 दिन से एक मास तक	एक मास से दो मास तक	दो मास से अधिक
मशीन से बिल बनाना—				
(क) कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन	..	..	2,23,326	..
(ख) लखनऊ विद्युत आपूर्ति उपक्रम	80,299	..	..	..
(ग) विद्युत अनुरक्षण मण्डल–एक, मेरठ	..	..	19,259	11,347
हाथ से बिल बनाना—				
(i) बत्ती और पंखे, निजी नलकूप और शक्ति				
(क) विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परिमण्डल, लखनऊ	1,77,271	61,896	19,037	..
(ख) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, बस्ती	4,525	2,254	39,854	..
(ग) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, फैजाबाद	..	..	..	21,334
(घ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, रामपुर	..	..	769	344
(ङ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, प्रतापगढ़	...	..	..	2,436
(ii) वृहद और भारी शक्ति—				
(क) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, फैजाबाद	29	6	6	2
(ख) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, अकबरपुर	38	11	8	11
(ग) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, हरदोई	37	..	..	..
(घ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, देवरिया	114	68	17	..
(ङ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, प्रतापगढ़	42	..	..	..
(च) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, बस्ती	104	39	..	..
(छ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, दो गोंडा	21	9	1	..
(ज) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, रायबरेली	32	..	..	..
(झ) विद्युत अनुरक्षण मंडल, एक गोंडा	83	..	..	..
(ञ) विद्युत अनुरक्षण मण्डल, बहराइच	37	..	..	..

कम्प्यूटर से बिल बनाना

49. अधिकांश घटकों में बिल क्लर्क हाथ से बिल बनाते हैं। कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) में, जब सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया था, आई० सी० एल० पद्धति द्वारा यंत्र से बिल तैयार किये जाते थे, और वही पद्धति अब भी चल रही है। तथापि 1965–66 में आई० बी० एम० होलारिथ पद्धति से, यंत्र द्वारा बिल बनाने की दिशा में लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अण्डरटेकिंग (लेसू) द्वारा पहला कदम उठाया गया। लखनऊ में उपलब्ध वहां प्रचलित, सुविधा का उपयोग, अर्थात अप्रैल 1965 से यंत्र से बिल बनाने का काम आठ अन्य मंडलों में लागू कर दिया गया। 1968 में इन आठ मंडलों में से सात मण्डलों में पुनः हाथ से बिल बनाने की पद्धति शुरू कर दी गई, क्योंकि

समन्वयन के अभाव, अनियमित मीटर रीडिंग और कर्मचारियों की कमी के कारण आंकड़े मिलने में विलम्ब होता था ।

कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन, लखनऊ विद्युत आपूर्ति उपक्रम, इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम में यंत्र से बिल बनते थे । परिषद् के पास बिना उपयोग की गई मशीनी क्षमता काफी है । लखनऊ में एक पारी में बिल बनाने की वर्तमान क्षमता 1.5 लाख बिल प्रतिमास की है और उस क्षमता का उपयोग सम्प्रति केवल 40000 बिल बनाने में हो रहा है ।

नवम्बर 1974 में परिषद् ने इन वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और राजस्व मंडलों में बिल बनाने के काम पर प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण यंत्र से बिल बनाने के कार्य में विस्तार की सम्भावना के बारे में नये सिरे से जांच की । परिषद के मुख्य अभियंता ने यह महसूस किया कि बिल बनाने में विलम्ब और गलत बिल बनाने के कारण परिषद को काफी क्षति उठानी पड़ी है । फिर भी यह क्षति कितनी हुई इसका जायजा लेने के लिये कोई अध्ययन कार्य हाथ में नहीं लिया गया ।

मशीन से बिल तैयार करने की अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता का अनुकूलतम उपयोग और उसके विस्तार की संम्भावनाओं को जांचने के बजाय परिषद ने 30 दिसम्बर 1974 को दिल्ली की एक फर्म से, 12 मंडलों में कम्प्यूटर से उपभोक्ताओं के बिल तैयार करने के लिये एक करार किया । इनमें से सात मंडलों में एक स्तर पर यह कार्य प्रारम्भ किया गया था, परन्तु 1968 में उसे रोक दिया गया । दिल्ली फर्म द्वार दिये गये प्रस्ताव के आधार पर बिना प्रतियोगी निविदायें मांगें करार किया गया था । यह इस आधार पर किया गया कि परिषद को ऐसे किसी अन्य संगठन की जानकारी नहीं थी, जो उस तरह की सेवा कर सके । तथापि 18 सितम्बर 1975 को (पुन: एक ही प्रस्ताव पर) दिल्ली की दूसरी फर्म से पहले पांच मंडलों में उसी प्रकार के काम के लिये करार किया गया ।

परिषद ने हिसाब लगाया कि पहले करार के अनुसार प्रति बिल लागत 1.06 रु० बैठेगी और दूसरे करार के अनुसार 5 यूनिटों पर प्रथम चरण में प्रति उपभोक्ता 1.50 रु० की आवर्ती मूल लागत पड़ेगी और द्वितीय चरण में और यूनिटों के लिए बिल तैयार कराने में रु० 1.02 प्रति बिल लागत पड़ेगी लखनऊ और कानपुर में परिषद की अपनी ही पद्धति के अनुसार यह लागत क्रमश: 0.84 रुपया और 0.88 रुपया प्रति बिल पड़ती थी। यह भी देखा गया कि वाराणसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उपक्रम में जिसका परिषद ने फरवरी 1975 में अधिग्रहण किया था, 0.24 लाख रु० प्रतिमास किराये पर लगी आई० बी० एम० डाटा प्रोसेसिंग मशीन का उपयोग उसकी क्षमता का पचास प्रतिशत तक ही हो रहा था ।

उपर्युक्त दो करारों के अनुसार बिलों की छपाई क्रमश: अप्रैल 1975 और अगस्त 1975 में शुरू हुई । परिषद ने शिरोपरि को मिलाकर वास्तविक प्रतिबिल लागत का विश्लेषण नहीं किया (मार्च 1976)। पहली फर्म द्वारा प्रस्तुत कुछ बिलों के लेखा परीक्षण के क्रम में विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि बिल बनाने का खर्च 1.92 रु० प्रति बिल आया (रु० 1.51+0.34 स्टेशनरी का खर्च और रु0 0.7 ब्याज खर्च) जब कि मूल अनुमानित लागत जिसके आधार पर परिषद ने स्वीकृति दी थी, प्रति बिल रु० 1.06 बताई गई थी। मशीन से बिल बनाने के काम के लिये परिषद ने लखनऊ में एक कार्यालय और मेरठ, आगरा और लखनऊ में तीन कार्य केन्द्र और दिल्ली में एक निकासी कार्यालय खोला है। इन खोले गये नए कार्यालयों के लिये एक विशेष अधिकारी, चार अधिशासी अभियंता, नौ सहायक अभियंता और 38 अन्य कर्मचारियों को अगस्त 1975 में नियुक्त किया गया । बाद में अधिशासी अभियंता के दो पद और सहायक अभियंता के चार और पद सृजित किये गये। केवल वेतन पर ही आज यह व्यय 0.80 लाख रु० प्रतिमास का है। इस व्यय का भार प्रति बिल 81 पैसे आता है ।

पहली फर्म के माध्यम से कम्प्यूटर से बिल बनाने का निर्णय लेते समय यह समझा गया था कि व्यय में 1रु० प्रति बिल की बचत होगी, क्योंकि हाथ से बिल बनाने के कार्य में लगे वर्तमान कर्मचारियों

को दूसरे कार्यों के लिये छोड़ा जा सकेगा । यह पूर्वानुमानित बचत पूर्ति नहीं हो पायी । सभी सम्बद्ध मंडलों में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बनी रही और अधिकांश मंडलों ने अधिक कर्मचारियों की मांग की है। कम्प्यूटर में देने के पूर्व आकड़े एकत्र कर उनकी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये कर्मचारियों का उपयोग किया गया । अतः मशीन से बिल बनाने का परिषद का व्यय अतिरिक्त व्यय है, जिससे पूरे वर्ष में 12 मंडलों पर कुल 0.37 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा ।

कुछ मंडलों में नवम्बर 1975 में किए गए अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि बिल जारी करने के काम में तेजी नहीं आयी बल्कि औसतन एक मास का और बिलम्ब हुआ । यह भी देखा गया कि फर्म द्वारा की गयी सेवा के बिलों की शुद्धता जांचने के लिये परिषद ने कोई उपाय नहीं किया और बिना किसी जांच के भुगतान किए जा रहे थे ।

बिलों का प्रेषण एवं उनकी वसूली

50. परिषद के उपभोक्ताओं को बिल भेजने के भिन्न-भिन्न तरीके हैं । लखनऊ और कानपुर के शहरी क्षेत्रों में इन बिलों को एक ठेकेदार द्वारा वितरित किया जाता है जो कि क्रमशः 12 पै० और 8 पै० प्रति बिल लेता है। अन्य शहरों में बिल डाक द्वारा भेजे जाते हैं और अपेक्षाकृत छोटे नगरों में पूर्णकालिक चपरासियों द्वारा यह बिल भेजे जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मंडलीय कार्यालयों में बिल तैयार करके वितरण के लिये उपमंडलीय कार्यालय को भेजे जाते हैं, जहां लाईनमैन या अन्य उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा बिल वितरित होते हैं । यद्यपि बिल तैयार करने की तिथि को ही परिषद बिल प्रेषण की तिथि मानती है और उस प्रेषण तिथि से, उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय बिल भुगतान के लिए दिया जाता है । लेकिन वस्तुतः बिल काफी बाद में प्रेषित और उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । फलतः भुगतान में बिलम्ब होता है । भुगतान तिथि बीत जाने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा बिल प्राप्ति के अनेक मामले होते हैं । जनवरी मार्च 1975 के बीच विद्युत शक्ति की बिक्री के लिये लखनऊ बिजली आपूर्ति उपक्रम द्वारा निर्धारित तिथि को लागू नहीं किया जा सका और 80,292 उपभोक्ताओं को तीन से पन्द्रह दिन तक का समय और देना पड़ा । इन बिलों की कुल राशि 38.88 लाख रु० थी । भुगतान तिथि की इस बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त लिपिक कार्य भी बढ़ा । परिषद में बिल प्रेषण की वास्तविक तिथि का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता ।

शहर/कस्बे में स्थित उपभोक्ताओं से, जहां कि मंडलीय कार्यालय स्थित है बिल का भुगतान मण्डलीय रोकड़ी द्वारा नकद, चेक या धनादेश द्वारा स्वीकार किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से मण्डल कार्यालय में बिल का भुगतान धनादेश या चेक द्वारा स्वीकार किया जाता है । चेक उन बैंकों का स्वीकार किया जाता है, जिनकी शाखायें शहर/कस्बे में हों । ग्रामीण उपभोक्ताओं से भुगतान केन्द्रों पर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगद भुगतान भी स्वीकार किये जाते हैं । इस प्रकार प्राप्त राशि और उनकी रसीद की प्रतियों को मण्डल रोकड़ी के पास संकलनकर्ता द्वारा भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की सूची सहित जमा करना होता है । नमूने की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वसूली के लिये केन्द्रों को जारी की गई रसीद किताबों का समुचित लेखा नहीं रखा जाता है और उन किताबों को बहुधा देर से लौटाया जाता है । प्राप्त किया गया भुगतान शीघ्र ही जमा हुआ, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच पद्धति भी नहीं है ।

मीटर की जांच और प्रतिस्थापन

51. समय-समय पर मीटरों की जांच और खराब मीटरों का यथासमय प्रतिस्थापन मरम्मत न केवल बेची गई बिजली के सही बिल बनाने के लिये, बल्कि लाइन क्षतियों का परिमाण निश्चित करने के लिये, विश्वस्त आधार प्रदान करने के लिये भी आवश्यक है । 1968-69 तक यह कार्य सम्बद्ध अनुरक्षण मण्डलों के जिम्मे था । परिषद् ने अब विद्युत जांच मण्डल के सृजन द्वारा क्रमशः एक अलग संगठन तैयार कर लिया है । 31 मार्च 1975 को ऐसे 16 मण्डल अस्तित्व में थे, जिनका प्राथमिक काम नये उपभोक्ताओं के लिये नये मीटरों को प्राप्त कर उनकी आपूर्ति, लगे हुए मीटरों की समय-समय पर जांच और खराब मीटरों को बदलना था । यह देखा गया कि मंडलों के पास

खराब मीटरों और प्रतिस्थापित मीटरों का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं था। यह भी देखा गया है कि घरेलू कनेक्शन्स में, जांच डिवीजन जांच तभी करता है जब कि उसे सम्बद्ध अनुरक्षण मंडल द्वारा मीटर की खराबी की कोई शिकायत मिलती है; और मीटरों के बदलने में काफी विलम्ब होता है। उदाहरण के लिये बदायूं मण्डल में मार्च 1971 से नवम्बर 1973 तक आठ मीटर खराब पाये गये, लेकिन जुलाई 1975 तक वे बदले नहीं गये। रायबरेली मण्डल में सात खराब मीटरों का सितम्बर 1973 से अप्रैल 1974 में पता लगा, लेकिन मार्च 1975 तक वे बदले नहीं गए। गोंडा मण्डल में 13 खराब मीटर 5 से लेकर 28 महीनों तक बदले नहीं गए।

एक जांच मीटर एक उपभोक्ता के परिसर में लगाया गया जिसने 2 मई 19 '3 से 13 जून 1973 तक काम किया, जिससे पता चला कि पुराना मीटर 24.9 प्रतिशत कम रीडिंग दे रहा था और अधिकतम मांग जो पढ़ी गई उसमें 47 प्रतिशत की कमी थी। फिर भी पुराना मीटर बदला नहीं गया और उसी पुराने मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल बनाए जाते रहे। जनवरी 1974 में मण्डल ने मीटरों की खराबी के कारण गलत रीडिंगों के कारण अवप्रभार को ठीक करने के लिये 2.45 लाख रुपयों के और बिल बनवाये। यह बिल 3 फरवरी से 6 जून 1973 तक की अवधि के थे, जिनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया था (फरवरी 1976)। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं से 7 जून 1973 से 4 सितम्बर 1974 तक की अवधि में, 3.52 लाख रुपये का अन्डर चार्ज (15.24 लाख यूनिट और 36,440 के वी०ए० पर) हुआ जिसका बिल नहीं बनाया गया (फरवरी 1976)। मामला परिषद् को जनवरी 1975 में रिपोर्ट किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1976)।

मुरादाबाद बिजली अनुरक्षण मण्डल में निजी नलकूपों के कनेक्शन प्राप्त 26 उपभोक्ताओं के मीटर खराब या जल गये या जाम हो गये थे। मण्डल ने उपभोक्ताओं से केवल नियत रकम और मीटर के किराये के लिये बिल दिये। नियम के अनुसार 80 यूनिट प्रति बी0 एच0पी0 प्रतिमास के आधार पर बिल नहीं दिये गये। मार्च 1971 से जून 1973 तक 0.29 लाख रुपये का कम निर्धारण (अंडर असेसमेंट) हुआ था। उसी मंडल में 10 छोटे और मध्यम शक्ति (पावर) उपभोक्ताओं से जिनके मीटर खराब थे, नियमानुसार प्रति बी०एच० पी० 110 यूनिट प्रतिमास अथवा मीटर खराब होने के महीने के पहले गत तीन महीनों के औसत के आधार पर बिजली का मूल्य लेने के बजाय नाममात्र अथवा शून्य खपत दिखाकर बिल बनाये गये। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 1972 से जुलाई 1973 के दौरान 0.26 लाख रुपये का कम निर्धारण (अण्टर असेसमेण्ट) हुआ।

बत्ती पंखे के चार उपभोक्ताओं के लेखे की नमूना जांच परीक्षा से पता चला कि खराब मीटरों के कारण कुल 0.22 लाख रुपये कम के बिल बने। मीटर खराब होने के महीने के पहले गत तीन महीनों के औसत के आधार पर मूल्य लेने के बजाय न्यूनतम मूल्य लिया गया।

इन मामलों की मार्च 1974 में परिषद् को सूचना दी गई थी; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1976)।

बहियों में प्रविष्टियां तथा मिलान

52. निर्धारण के अनुरूप वसूली पर निगाह रखने तथा दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से उपभोक्ताओं से की गई वसूलियों को उपभोक्ता बही (लेजर) में दर्ज होना चाहिये। लेकिन देखने में आया कि किसी भी मण्डल के बही खाते (लेजर) में आद्यतन प्रविष्टियां नहीं थीं। तीन स्थानों पर, यथा, कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन (केसा), लखनऊ विद्युत उपक्रम (लेसू), तथा इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम (एसू) जहां कि मशीन से बिल बनते हैं, उपभोक्ता लेजर नहीं बने हैं, और इन घटकों के परिषद को हस्तान्तरित होने से अब तक बकाया राशियों का उन कार्डों से कोई मिलान नहीं किया गया जिनके भुगतान नहीं हुये हैं। उपभोक्ता बही खातों की कुल मासिक प्रविष्टियों का रोकड़ बही में दर्ज वसूली की राशियों से मिलान होना चाहिए। किसी भी मण्डल में यह काम अद्यतन नहीं, तथा सात घटकों में मिलान का काम हुआ ही नहीं है (30 जून 1975)।

परिषद् द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार उपभोक्ताओं से प्राप्त वे वसूलियां जो कि अपेक्षित विवरण, यथा, उपभोक्ता का नाम, सर्विस कनेक्शन सं0, आदि, के अभाव में संबंधित बही खातों में नहीं दिखाई जा सकतीं, उनको शुरू में एक अलहदा पुस्तिका में, जिसे "रजिस्टर आफ अनपोस्टेड रिकवरीज" कहते हैं, दर्ज करना चाहिये। इस प्रकार की प्रविष्टियों का समायोजन उन्हें सम्बन्धित बही खातों में चढ़ाकर 2 माह के भीतर कर लेना चाहिये। यह देखने में आया कि 18 घटकों में उपभोक्ताओं से 1970-71 से 1974-75 तक के दौरान 6.76 लाख रु० की वसूलियां सम्बन्धित बही खातों में नहीं चढ़ी थी (जून 1975)। वर्षानुवर्ष स्थिति इस प्रकार थी :--

वसूली का वर्ष		राशि (लाख रु0 में)
1970-71		0.05
1971-72	..	0.09
1972-73	..	0.78
1973-74	..	0.75
1974-75	..	5.09
योग	..	6.76

वर्तमान व्यवस्था में यदि उपभोक्ता चाहे तो चेक द्वारा बिल का भुगतान कर सकता है, जिसे नकद मानकर रोकड़ बही और उपभोक्ता खाते में चढ़ा लेना चाहिये। चेक न भुनने की स्थिति में उपभोक्ता को इसकी सूचना तुरन्त देनी चाहिये, तथा देय राशि, और यदि कोई छूट (डिस्काउण्ट) थी, तो वह भी जोड़कर मांग पत्र भेजना चाहिये। साथ-साथ रोकड़ बही और बही खाते (लेजर अकाउन्ट) में आवश्यक प्रविष्टियां होनी चाहिये, तथा मण्डल अधिकारी को इस की सम्पुष्टि कर लेनी चाहिये कि बकाया राशियों की वसूली में अनावश्यक कोई देर न हो। 9 मण्डलों के लेखे की नमूना जांच परीक्षा से मालूम हुआ कि यद्यपि उन चेकों को जो कि भुने नहीं थे, रोकड़ बही में चढ़ा लिया गया था। संबंधित बही खातों (लेजर अकाउन्ट) के नामे बिजली का मूल्य, विद्युत कर तथा जब्त छूट, यदि थी, नहीं डाले गये थे। ऐसे 49 उपभोक्ताओं के मामलों में 6.18 लाख रुपये की धनराशियां फंसी हैं।

बकाया वसूली में वृद्धि

53. जिन विद्युत प्रभारों के लिये बोर्ड ने बिल बनाये और अपने लेखे में राजस्व के रूप में लिया, लेकिन जिनकी वसूली नहीं हुई थी, उनकी राशि 1969-70 के अन्त में 5.76 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1974-75 के अन्त तक यह राशि बढ़कर 54.22 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1974-75 के मध्य 104.48 करोड़ रुपये वसूली के लिये बाकी थे; अतएव, वर्ष के अन्त में बकाया वसूलियां उस वर्ष के लिए निर्धारित (असेस्ड) राजस्व का 51.9 प्रतिशत थीं। योजना आयोग ने 1973 में बताया था कि बकाया वसूलियां सामान्यतया वार्षिक निर्धारण का 6 प्रतिशत होना चाहिये। परिषद् ने यह भी लक्ष्य निर्धारित किया था (फरवरी 1974) कि मार्च 1975 तक बकाया वसूलियां घटकर 30.76 करोड़ रु० रह जानी चाहिये। तथापि, मार्च 1975 तक बकाया वसूलियां बढ़कर 54.22 करोड़ रु0 हो गईं। जून 1975 के अन्त तक इनमें और वृद्धि हुई और यह 64.25 करोड़ रु० हो गई। निम्नलिखित तालिका में

विद्युत प्रभार सहित 1974-75 की अवधि में निर्धारित बकाया राशियों का विवरण दिया है:—

उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	1974-75 में निर्धारित राजस्व	1974-75 के अन्त में बकाया वसूलियां (कर सहित)
		(करोड़ रुपयों में)	
घरेलू और वाणिज्यिक ..	11,13,637	14.92	8.15
मिले जुले भार सहित लघु एवं मध्यम उद्योग	67,780	15.60	5.48
बृहद तथा भारी उद्योग	1,235	27.96	9.78
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था तथा स्यूएज पंपिग ..	3,300	1.75	0.54
राज्य ट्यूबवेल ..	13,225	9.17	7.12
निजी ट्यूबवेल तथा अन्य कृषि भार ..	2,28,182	20.83	13.75
रेलवे मार्ग विद्युतीकरण ..	2	3.24	1.29
लायसेन्सधारी (लायसेन्सी) ..	26	8.17	4.60
राज्य के बाहर आपूर्ति ..	12	2.26	3.00
परिषद् के कर्मचारी ..	18,899	0.11	0.14
अन्य ..	84	0.44	0.37

नोट-- 1974-75 के राजस्व निर्धारण तथा 1974-75 के अन्त में बकाया राजस्व के उपर्युक्त आकड़े मुख्य अभियंता के रिकार्ड के अनुसार हैं। लेखा के अनुसार तत्संबंधी आंकड़े क्रमश: 102.18 करोड़ रु० तथा 52.12 करोड़ रु० हैं। लेकिन, मंडलीय लेखा के साथ प्राप्त सूची (शिड्यूल) के अनुसार 1974-75 के अंत में बकाया की राशि 52.68 करोड़ रु० आती है। परिषद द्वारा भिन्न-भिन्न के आंकड़ों में अन्तर के कारणों की न तो जांच की गई है और न ही आकड़ों का मिलान किया गया है (जनवरी 1976)।

राजस्व की वसूली में बकाया की वृद्धि के लिये परिषद द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गये हैं (नवम्बर 1975)।

(क) अक्टूबर 1974 में प्रशुल्क का बढ़ जाना ;

(ख) 12 अक्टूबर 1974 से प्रशुल्क के पुनरीक्षण के फलस्वरुप अक्टूबर से अप्रैल 1974 की अवधि के लिए घाटे के संचित बिलों का निर्गमन (न्यूनतम प्रभार तथा ऊर्जा की खपत के आधार पर प्रभार के बीच का अन्तर) ;

(ग) अक्टूबर 1974 के पुनरीक्षित प्रशुल्क के आधार पर न्यूनतम/नियत प्रभार की वसूली के खिलाफ न्यायालयों द्वारा ऊर्जा के बड़े तथा भारी उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूपों के कनेक्शन के पक्ष में दिये गये स्थगन आदेश। अत: उपभोक्ताओं द्वारा अभिलिखित खपत के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ;

(घ) कुछ लाइसेंसदारों के उपक्रम परिषद द्वारा ले लिये गये हैं। इन लाइसेंन्सदारों से मिलने वाली रकम के बकाये का समायोजन क्रय मूल्य के प्रति किया जाना है, जिसको अभी निर्धारित नहीं किया गया ;

(ङ) परिषद द्वारा रेलवे को दिये जाने वाले भार शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा माल को चढ़ाने उतारने के शुल्क के इकट्ठा हो जाने के कारण रेलवे ट्रैक्शन में खपत की जाने वाली ऊर्जा के लिये किये जाने वाले भुगतान को रेलवे द्वारा रोक देना;

(च) बिहार राज्य विद्युत परिषद को रिहन्द से दी गई विद्युत की लागत का समायोजन न किया जाना जो कि बिहार द्वारा परिषद को करमनाशा पर की गयी आंपूर्ति से समायोजित (सेट आफ) होना था ।

परिषद ने बताया (नवम्बर 1975) कि बकायों को कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(क) राजस्व की उगाही के कार्य की देखरेख के लिये तीन राजस्व उगाही यूनिटें स्थापित की गई हैं जिनके मुख्यालय रुड़की, बरेली तथा अलीगढ़ में हैं । प्रत्येक यूनिट में एक अधीक्षण अभियंता तथा उसकी सहायता के लिये चार अधिशासी अभियंता हैं;

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र अधिकारियों को सभी दोषी उपभोक्ताओं को विद्युत उपक्रम (देय की वसूली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत मांग पत्र/वसूली सार्टीफिकेट जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं;

(ग) राजस्व परिषद् से अनुरोध किया गया है कि देय की वसूली के मामलों को जिला राजस्व अधिकारी ले लें;

(घ) नगरपालिका खुरजा तथा नगरपालिका मंसूरी में ग्रहणकर्ता रिसीविर नियुक्त किये जा चुके हैं।

प्रतिभूति जमा

54. आमतौर पर ऊर्जा विक्रय तथा उसकी खपत होने के काफी समय बाद परिषद उसका मूल्य वसूल करती है। ऊर्जा के बड़े तथा भारी उपभोक्ताओं के विषय में जिनमें कि समय का अंतराल सबसे कम होता है, ऊर्जा की बिक्री और खपत तथा भुगतान के बीच 17 से 38 दिन तक का अन्तराल पड़ता है । घरेलू तथा व्यापारिक कनेक्शनों के मामले में जहां बिल दो दो महीने में बनाये जाते हैं, वहां 25 से 85 दिनों तक का अंतराल पड़ता है । इसकी वजह से परिषद को व्याज की जो हानि होती है वह आंशिक रूप में परिषद के पास रहने वाली उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा से पूरी हो जाती है । 31 मार्च 1975 को यह राशि 14.12 करोड़ रु० थी । इस प्रतिभूति जमा पर परिषद् को तीन प्रतिशत वार्षिक व्याज देना पड़ता है । प्रतिभूति जमा की राशि जो कि लगभग 2 महीने की खपत के आधार पर पिछली बार 1973 में संशोधित हुई थी वह अक्टूबर 1974 में शुल्क दर वृद्धिगत संशोधित हो जाने के बाद, अब पर्याप्त नहीं रह गई है । नमूना जांच के दौरान देखा गया कि कई मामलों में प्रतिभूति जमा की पूरी राशि वसूल नहीं की गई थी। 14 मंडलों में 16 उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा नहीं ली गई थी तथा वसूल न होने वाली राशि का योग 26.94 लाख रुपये था । इन मंडलों में 197 उपभोक्ताओं से कम प्रतिभूति जमा ली गयी थी। इस प्रकार की कम वसूली का योग 50.63 लाख रुपये था ।

परिषद के मार्च 1975 में जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत जहां निजी नलकूपों को चलाने के लिये दिये गये कनेक्शनों को अन्य कार्यों के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है वहां 10 रु० प्रति बी० एच०पी० के हिसाब से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा होनी चाहिए । इस मद में तीन मंडलों के 880 उपभोक्ताओं से 0.80 लाख रु० की धनराशि कम वसूल की गई थी। एक दूसरे आदेश के अनुसार जो कि अगस्त 1970 में जारी किया गया था, ऊर्जा के उपभोक्ताओं के रूप में परिषद के कर्मचारियों से भी 20 रु० प्रति उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा की जानी थी । किन्तु, यह देखा गया था कि किसी भी मंडल के कर्मचारी उपभोक्ताओं से प्रतिभूति नहीं जमा कराई गयी थी । 31 मार्च 1975 को वसूल की जाने योग्य कुल प्रतिभूतियों का योग 3.77 लाख रुपये था ।

30 नवम्बर 1975 को 11 निजी लाइसेंसधारी (प्राइवेट लाइसेंसी) तथा 12 नगरपालिका लाइसेंसधारी थे जो कि अपने-अपने क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को पुन: बिक्री के लिये परिषद् से पावर की थोक आपूर्ति लेते थे । 31 मार्च 1975 को उनसे विद्युत शुल्क के बकाये की धनराशि क्रमश: 2.93 करोड़ तथा 1.67 करोड़ रुपये थी, तथा प्रतिभूति जमा की वसूली में क्रमश: 43.20 लाख तथा 29.39 लाख रुपये की कमी थी । सरकार के 27 नवम्बर 1975 के अध्यादेशों के अन्तर्गत सभी ग्यारह निजी लाइसेंसधारियों के उपक्रम दिसम्बर 1975 परिषद् में विलय हो गये थे ।

लाइसेंसधारियों द्वारा देय विद्युत शुल्क की अब नकद वसूली नहीं की जा सकती है। इस धनराशि की वसूली क्रय मूल्य (कंसीडरेशन) के निर्धारण होने के बाद उससे समायोजन द्वारा ही हो सकती है। मार्च, 197- के अन्त तक 18 निजी लाइसेंसधारियों के उपक्रम परिषद् ने अधिग्रहीत किये और इनमें से 16 मामलों में नवम्बर, 1975 तक क्रय-मूल्य निश्चित नहीं किया गया था।

वसूली योग्य दिखाई गयी बकाये की धनराशि जो कि अप्राप्य है अथवा परिषद् के खाते में जमा नहीं हो सकती हैं

55. परिषद् के 1974–75 के खाते में 52.12 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली के लिये बाकी के रूप में दिखाई गई है। इसमें 1.59 करोड़ रुपये की वसूली की वह राशि भी शामिल है जो 1 अप्रैल 1959 के पहले की अवधि की है जबकि परिषद् की स्थापना हुई थी। इन उपभोक्ताओं से की जाने वाली वसूली सरकार के खाते में जमा होनी चाहिये। परिषद् ने ऐसा कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि उक्त बकाया धनराशियों में से यदि कोई रकम वसूल की गई है तो वह कितनी है। इस खाते में सरकार को कोई भुगतान नहीं किया गया है (मार्च, 1976)।

परिषद् के लेखे के अनुसार विद्युत आपूर्ति के विविध देनदारों पर बकाये में वे धनराशियां भी सम्मिलित थी जिनके विरुद्ध उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त हो चुका था लेकिन परिषद् के लेखे म जमा नहीं की गई थी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की 1973-74 (वाणिज्यिक) रिपोर्ट के पैरा 15(8) मे दिखाया गया है कि 1965-66 से 1973-74 के दौरान लेखे में शामिल न की गई एसी राशियों का योग 9.63 लाख रुपये था। वसूल किये हुये राजस्व को कम करके जमा करने का एक और मामला सितम्बर, 1975 में पाया गया। यह मामला विद्युत अनुरक्षण मंडल, बादायू के एक उपमंडल के ग्रामीण उपभोक्ताओं से संबंधित था जहां वसूली का कार्य एक कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा हुआ था। मंडल ने कनिष्ठ अभियन्ता को जारी की गई रसीद बहियों का कोई समुचित हिसाब नहीं रखा था और रसीद बहियों की समय से वापसी की निगरानी नहीं की गई थी। कर्मचारी ने 1971 से 1974 के दौरान कई मौकों पर अपने द्वारा वसूल की गई निधियों को मंडलीय कैशियर के पास जमा नहीं किया। 77 रसीद बहियों के संबंध में जो कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने पास रोक ली गई थी, वसूल की हुई कुल रकम जिसे जमा नहीं किया गया था, 2.06 लाख रुपये थी। सूचित किया गया है कि उक्त कर्मचारी को दिसम्बर, 1974 में निलम्बित कर दिया गया है।

भुगतान में त्रुटियों के पुराने मामले

56. राशियों के बकायों का कालक्रमानुसार विवरण न तो परिषद् के कार्यालयों में रखा गया है और न क्षत्रीय इकाइयों मे ही। परिणाम स्वरूप पुराने मामले की साविधिक समीक्षा के लिये तथा वसूली के परिसीमन (लिमिटेशन) से बाधित होने के पहले, समय रहते कार्यवाही करने की कोई एक जैसी पद्धति नहीं है। परिषद् ने उन धनराशियों का निर्धारण करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं जो कालबाधित हो गई हैं, न उसके लिये जिम्मेदारी निश्चित की गई है। अप्राप्य वसूलियों को भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। लेखे में साल दर साल अप्राप्य एवं विवादास्पद ऋणों का तदर्थ आधार पर प्रावधान किया गया है जिसमें ऋणों की काल अवधि और वसूली की संभावनाओं का उल्लेख नहीं था। 31 मार्च, 1975 को 54.22 करोड़ रुपयों के बकाये में से केवल 97.04 लाख रुपये के अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये ही प्रावधान था।

उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर परिषद् को आपूर्ति काटने का, जिसके लिये स्वयं बिल ही नोटिस कार्य करता है तथा देय रकमों का जमानत की रकम से समायोजन करने का अधिकार है। यदि जमानत की रकम भुगतान न की गयी देय रकमों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो विद्युत उपक्रम (देय की वसूली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत शेष रकम राजस्व विभाग द्वारा लगान के रूप में वसूल किया जा सकता है बशर्ते कि उसके लिये विधिवत मांग पत्र तथा वसूली के प्रमाण पत्र दे दिये गये हों।

यह देखा गया था कि बहुत ज्यादा मामलों में भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा पहली चूक करने के तुरन्त बाद ही उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई थी, परिणाम स्वरुप उन पर बकाया जमानत जमा से कहीं अधिक बढ़ गया था। 16 मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि किसी भी मामले में पहले बिल का भुगतान बकाया रहने पर कार्यवाही नहीं की गई थी। इन मंडलों में अक्टूबर 1974 से मार्च 1975 के दौरान अर्जित निजी नलकूपों वाले 8,363 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये थे।

इन मामलों में 7.6 लाख रुपये की जमानत जमा की तुलना में 79.56 लाख रुपये का बकाया इकट्ठा हो गया था। इस प्रकार के कुछ मामलों की प्रमुख विशेषतायें नीचे दी जाती हैं:-

(i) अलीगढ़ का एक उपभोक्ता विद्युत अनुरक्षण मंडल, अलीगढ़ से 4 जून 1962 से 550 अश्वशक्ति भार का एक कनेक्शन लिये हुये था जिसके लिये 1 जनवरी 1963 को एक औपचारिक करारनामा निष्पादित हुआ था। यद्यपि मंडल से करारनामे की शर्तों के अनुसार बिल बनते थे परन्तु उपभोक्ता उक्त बिलों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने से इनकार करता था, तथा उनमें अपनी गणनानुसार स्वेच्छा से कटौती करने के उपरान्त उनका भुगतान करता था। 31 जनवरी 1967 तक अदत्त देयों का बकाया 30,840 रुपये तक हो गया था, फरवरी 1967 में मंडल ने उपभोक्ता को कनेक्शन काटने का नोटिस दिया जिसमें भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 1967 दी गयी थी। उपभोक्ता ने अदालत से कनेक्शन काटे जाने के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली (14मार्च 1967), और मुकदमा दायर कर दिया, जिसे नहीं लड़ा गया। 23अगस्त1967 को मुकदमें का उपभोक्ता के पक्ष में एक पक्षीय फैसला हो गया। इसकी कोई अपील नहीं की गई। उपभोक्ता ने 1 जुलाई 1968 से बिलों में मंडल द्वारा मांगी गई धनराशि को स्वीकार किया लेकिन 44,239 रुपये के विवादग्रस्त दावे (विलम्ब से भुगतान के लिये अधिभार को छोड़कर) अदत्त रहे (जनवरी 1976) और कालबाधित हो गये हैं।

(ii) देहरादून के एक उपभोक्ता को 140के0 वी0 ए0 पर आपूर्ति का कनेक्शन 19 सितम्बर 1972 को दिया गया था। उपभोक्ता ने पावर की आपूर्ति के बिलों का भुगतान (सितम्बर 1972 तथा अक्तूबर 1972 के लिये क्रमश: 1,562 तथा 2,651 रुपये के बिल) इस आधार पर नहीं किया कि विद्युत की कटौती के कारण विद्युत भट्टी का परिचालन नहीं हो सका। जून 1973में उक्त उपभोक्ता से सितम्बर 1972 से फरवरी 1973 तक की अवधि के पड़े हुये बिलों का, जो कुल 15,451 रुपये के थे, 3 जुलाई 1973 तक भुगतान मांगते हुये कनेक्शन काटने की नोटिस दी गई जिस पर उपभोक्ता ने दीवानी का मुकदमा दायर कर दिया। परिषद् द्वारा इसका प्रतिवाद नहीं किया गया और 15 जून 1974 को एकतरफा डिगरी हो गई जिसने परिषद् को स्थायीरूप से आपूर्ति काटने से रोक दिया और उसे विवादग्रस्त दावों को वसूल करने से वर्जित कर दिया। उपभोक्ता ने जुलाई, 1973से सभी भुगतान रोक दिये। मई, 1975तक 0.41 लाख रुपये का बकाया चढ़ गया। परिषद् ने जनवरी 1976 में बताया है कि इस मामले को अदालत में फिर से प्रारम्भ किया गया है।

( ) विद्युत अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर ने 21 जनवरी 1969 को गोरखपुर की एक फर्म से 300एच0पी0 की विद्युत की आपूर्ति के लिये प्रथमत: 5 वर्षों का करारनामा किया। उपभोक्ता की प्रार्थना पर आपूर्ति 29 मई 1971 को काट दी गई लेकिन पार्टी द्वारा 6,700 रुपया जमा करने के उपरान्त, जो कि विद्युत प्रभार के बकाये का 50 प्रतिशत था, 5 अक्तूबर 1971 को कनेक्शन पुन: जोड़ दिया गया। बकाये की राशि जो कि किश्तों में दी जानी थी, नहीं दी गई और विद्युत प्रभार के चालू बिलों का भी भुगतान नहीं हुआ 9 फरवरी, 1972को आपूर्ति पुन: काट दी गई, लेकिन कुल देय राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के बाद उसे 11 सितम्बर, 1973को फिर जोड़ दिया गया। उपभोक्ता

द्वारा फिर भुगतान न होने पर 7 दिसम्बर, 1974 को आपूर्ति काट दी गई जिसे 14 अप्रैल, 1975 से स्थाई मान लिया गया। अंतिम रूप से कनेक्शन के काटे जाने के समय 1.01 लाख रुपये का बकाया था जिसे उपभोक्ता ने, परिषद् द्वारा लागू की गई कटौतियों तथा जिस अवधि में मीटर दोषपूर्ण था उस अवधि में औसत के आधार पर बिल बनाने में त्रुटियों के आधार पर, भुगतान करने से इनकार कर दिया। 1.01 लाख रुपये के बकाये के विरुद्ध परिषद् के पास केवल 0.12 लाख रुपये की जमानत निधि उपलब्ध थी।

यह देखा गया था कि उपभोक्ता का कनेक्शन काटने के उपरान्त भी बची हुई देय राशि को जमानत निधि से समायोजित करने के लिये शीघ्र कदम नहीं उठाये गये थे। बिलम्ब के कारणों में से एक कारण, साधारणतया नये मंडल बनाने पर उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या में एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरित होना था। इस प्रकार के कई मामलों में स्थानान्तरित उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण उत्तरवर्ती मंडलों को नहीं भेजे गये थे, परिणामस्वरूप मामले निगाह से चूक गये। इस प्रकार के पांच मंडलों में, जिनके रिकार्ड नमूने के तौर पर जांचे गये थे, देखा गया था कि स्थानान्तरित उपभोक्ताओं से सम्बन्धित 29.82 लाख रुपये के बकाये के विवरण नव सृजित उत्तरवर्ती मंडलों को उपलब्ध नहीं किये गये थे, और देय राशियों की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। विद्युत अनुरक्षण मंडल, हरदोई को, जो अप्रैल, 1969 में स्थापित हुआ था, सीतापुर मंडल से, अप्रैल, 1972 में 6747 उपभोक्ताओं के खाते प्राप्त हुये थे और उसी समय इन उपभोक्ताओं के ऊपर बकाये की राशि (योग 9.28 लाख रुपये) लेखा समायोजन द्वारा स्थानान्तरित की गई थी। हरदोई मंडल ने अगस्त 1975 तक न तो स्थानान्तरित क्रेडिट को स्वीकार किया था, और न उन्हें उपभोक्ताओं के चालू खातों में चढ़ाया था। परिणामस्वरूप, 6 वर्षों से भी अधिक अवधि तक दोनों में से किसी भी मंडल द्वारा इन बकायों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया गया। उपभोक्ता के रिकार्डों को स्थानान्तरित करने में बिलम्ब के इसी तरह के एक मामले में विद्युत अनुरक्षण मंडल, लखनऊ ने परिषद् को 2.02 लाख रुपये के दावों को, जिन्हें वसूल न होने योग्य बताया गया था, बट्टे खाते में डाल देना प्रस्तावित किया (फरवरी, 1975)।

1967, में कुछ उपभोक्ताओं के खाते अलीगढ़ और मैनपुरी के अनुरक्षण मंडलों से एटा के नवनिर्मित मंडल में स्थानान्तरित किये गये थे। स्थानान्तरण के अवसर पर सभी उपभोक्ताओं के ऊपर देय राशियां शेष थीं और कुछ मामलों में आपूर्ति पहले ही काटी जा चुकी थी। एटा मंडल ने मार्च, 1972 तक, जबकि मांग नोटिसें भेजी गई थीं, वसूलियां उगाहने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी। जनवरी 1973 में एटा के जिलाधिकारी से बकाये की राशि को लगान के रूप में वसूल करने का अनुरोध किया गया था। अधिकतर मामलों में जिलाधिकारी ने सूचित किया कि उपभोक्ताओं के पते-ठिकाने अज्ञात थे और कोई भी वसूली न हो सकी। मई 1973 में अधीक्षण अभियन्ता ने परिषद् के मुख्यालय को सूचित किया कि 1.26 लाख रुपये के दावे बट्टे खाते में डाल दिये जायं और 0.32 लाख रुपये के अन्य दावों को संदिग्ध ऋण मान लिया जाय।

अप्रैल, 1974 में परिषद् को मामले की सूचना दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1976)।

राजस्व अधिकारियों के माध्यम से देयों की वसूली करने में मांग पत्रों तथा वसूली के प्रमाण-पत्र जारी करने में पर्याप्त बिलम्ब हुआ है, परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी धनराशियां अप्राप्त घोषित की गई हैं। देय राशियों के वसूल न होने के जो कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा बताये गये थे वे उपभोक्ताओं के पतों-ठिकानों का मालूम न होना अथवा उनके पास किसी परिसम्पत्ति, जिससे कि वसूली की जा सकती का न होना था। 31 मार्च 1975 तक 4.15 करोड़ रुपये की वसूली के मामलों को जिलाधिकारी के पास भेजा गया था जिसमें से केवल 25.50 लाख रुपये की वसूली हुई थी। 14 मंडलों के 688 मामलों में, जिनके रिकार्डों की नमूने के रूप में जांच की गई थी, जिलाधिकारी ने सूचित किया था कि वसूलियां अप्राप्य थीं। इनमें से 211 मामलों में 2.09 लाख रुपये की धनराशि फंसी हुई थी। अशोध्य धनराशियों को बट्टे-खाते में नहीं डाला गया था (दिसम्बर, 1975)।

देय की वसूली में बिलम्ब के दो अन्य मामले निम्नलिखित हैं:——

(i) एक लाइसेंसदार का कारोबार (उसके स्वेच्छिक परिसमापन पर), जिसके ऊपर 1.45 लाख रुपये का विद्युत प्रभार बकाया था, 18 दिसम्बर, 1973 को परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। परिषद् की सम्बद्ध इकाई द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत मूल्यन परिमंडल, आगरा) से 15 जनवरी, 1975 को क्रय मूल्य से अदत्त देयों की वसूली करने के लिये अनुरोध किया गया था लेकिन उस समय तक भूतपूर्व लाइसेंसधारी को प्रारम्भिक भुगतान (25 लाख रुपये) किया जा चुका था। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमान लगाया गया था कि भुगतान करने के लिये कुछ शेष नहीं बचा था,

अत: देयों की अदायगी की आशा नही रखनी चाहिये थी। दिसम्बर, 1975 के अंत तक विलम्ब से भुगतान करने के कारण अतिरिक्त प्रभार सहित, बिना अदायगी के पड़ा रहने वाला 3.13 लाख रुपये का देय अदत्त बना है (जनवरी, 1976)।

यह मामला परिषद् को अगस्त, 1975 में सूचित किया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी, 1976)।

(ii) फरवरी 1974 में हुई एक बैठक मे जो परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के बीच सम्पन्न हुई थी, यह निर्णय लिया गया था कि हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाले कुम्भ मेले के अवसर पर विद्युत की निरन्तर आपूर्ति के लिये परिषद् कुछ कार्य प्रारम्भ करेगी। तदनुसार, विद्युत अनुरक्षण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण परिमंडल, रुड़की के अन्तर्गत परिषद् के विभिन्न मंडलों द्वारा 1974 में 5 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से (वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था) डिपाजिट कार्य के रूप में कई निर्माण कार्य पूरे किये गये थे। इसकी तुलना में सार्वजनिक निर्माण विभाग से केवल 2.83 लाख रुपये प्राप्त हुये थे। इस परिमंडल को जिला अधिकारी अथवा मेला अधिकारियों से बची हुई शेष राशि के भुगतान के विषय में कोई आश्वासन नही दिया गया। इसके अतिरिक्त, 1.58 लाख रुपये (1968 के अर्धकुम्भ मेला के विद्युत प्रभार के बकाये के 0.20 लाख रु0 को सम्मिलित करते हुये) की विद्युत खपत के बिलों का भी जिला अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। परिषद् ने बताया (मार्च, 1976) कि देय की वसूली का प्रश्न सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है।

विद्युत प्रभार

57. अन्य लाइसेंसदारों के समान परिषद् को भी अपनी ऊर्जा बिक्री पर विद्युत शुल्क वसूल करके सरकार के खाते में जमा करना होता है।

विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1970 की शर्तों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत, वसूल किया हुआ शुल्क, जिस महीने में मीटर रीडिंग अंकित की गई हो, उस महीने की समाप्ति के बाद, दो कैलेन्डर महीनों के अन्दर ही सरकार के पास जमा हो जाना चाहिये। सरकार ने 23 मार्च 1974 को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया जिसके अनुसार जिस महीने में वसूली की गई हो उसकी समाप्ति के बाद दो कैलेन्डर महीनों के अन्दर ही, शुल्क सरकार के खाते में जमा हो जाना चाहिये। अधिनियम में निर्धारित अवधि में सरकार को जमा न किये जाने वाले शुल्क की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाने की भी व्यवस्था है। विभिन्न इकाइयों के लेखों की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित बातें देखी गई थी:——

(i) विद्युत शुल्क की कम अदायगी

1970-71 से 1973-74 के दौरान जबकि परिषद् को निर्धारण (असेसमेंट) के आधार पर शुल्क जमा करना था, उसने 1.65 करोड़ रुपये की धनराशि (वर्षानुवर्ष का विवरण

नीचे दिया गया है) कम जमा की ।

वर्ष			विद्युत शुल्क			
			निर्धारित (असेस्ड)	सरकार को दी गयी	कम जमा की गयी	अधिक जमा की गयी
			(राशियां करोड़ रुपये में)			
1970–71	..	..	2.23	1.49	0.74	..
1971–72	..	..	3.28	3.18	0.10	..
1972–73	..	..	3.55	3.59	..	0.04
1973–74	..	..	3.25	2.40	0.85	..
		योग ..	12.31	10.66	1.69	0.04

(ii) **विद्युत शुल्क की गैर अदायगी**

परिषद् की विभिन्न इकाइयों द्वारा अप्रैल 1974 से जून 1975 के दौरान वसूल किया हुआ कुल 2.33 करोड़ रुपये का विद्युत शुल्क, अगस्त 1975 के अंत तक सरकार के पास नहीं जमा किया गया था ।

कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन ने 1974-75 के दौरान वसूल किये 101.67 लाख रुपये का विद्युत शुल्क कथित धनाभाव के कारण खजाने में नहीं जमा किया । विद्युत अनुरक्षण मंडल, देहरादून ने मार्च, 1974 से जनवरी, 1975 की अवधि के दौरान (अप्रैल, 1974 को छोड़कर) वसूल किये 9.80 लाख रुपये का विद्युत शुल्क 18 अप्रैल, 1975 को जमा किया । शुल्क के भुगतान में विलम्ब के कारण सरकार ने 76813 रुपये का दंड ब्याज लगाया है ।

परिषद् को मामले की सूचना अगस्त, 1975 में दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च, 1976) ।

(iii) **विद्युत शुल्क का गलत वर्गीकरण**

परिषद् की 10 इकाइयों में, उपभोक्ताओं से वसूल किये हुये 2.77 लाख रुपये के विद्युत शुल्क को विद्युत मूल्य (चार्ज) के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और उसे परिषद् के राजस्व में जमा कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शुल्क की अदायगी नहीं हुई ।

(iv) **निर्मूल्य विद्युत आपूर्ति पर विद्युत शुल्क को न लगाना**

परिषद् के आदेशानुसार उसके उन कर्मचारियों को जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगे हो, प्रतिमास 15से 22 यूनिटों तक विद्युत की निर्मूल्य आपूर्ति होती है। संशोधित विद्युत शुल्क अधिनियम, 1952 में निर्मूल्य दी गई विद्युत पर शुल्क लगाने की व्यवस्था है । लेकिन यह देखा गया था कि इस प्रकार की आपूर्ति में शुल्क नहीं लगाया गया था । परिषद् ने सरकार को इस शुल्क के भुगतान का दायित्व भी नहीं स्वीकार किया है । 1969–70 से 1974–75 के दौरान परिषद् ने 80.49 एम0 के0 डब्लू0 एच0 ऊर्जा निर्मूल्य प्रदान की, जिस पर 16.1 लाख रुपये का शुल्क लग सकता था ।

राजस्व की कम वसूली

58. यह देखा गया है कि कई मामलों में अनुबंध निष्पादन में विलम्ब, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग, अतिरिक्त भार की अन-अदायगी, गलत शुल्क दरों के लगाने आदि से राजस्व की कम वसूली हुई थी । इस प्रकार के कुछ मामले नीचे दिये जाते है:—

रेलों से कम राजस्व प्रभाव लेना

(i) विद्युत् अनुरक्षण मंडल, इलाहाबाद ने 1968 में रेलों को विद्युत प्रदान किया था किन्तु उनसे कोई अनुबंध नही किया गया (जनवरी 1976) । अनुबंध की अनुपस्थिति में परिषद् 12 अक्तूबर 1974 से लागू होने वाले ईधन के मूल्य में परिवर्तन के कारण नियमित रूप से भुगतान लेने में असमर्थ रही है । 52.41 लाख रुपये की एक धनराशि जो कि अप्रैल 1975 से नवम्बर 1975 की अवधि में ईधन के मूल्य में परिवर्तन के कारण देय थी, जनवरी 1976 में वसूल की जानी थी ।

(ii) टूंडला में, जहां रेलों से 90 किलोवाट का भार अनुबंधित था (प्रकाश, पंखा और पावर का संयुक्त भार) वहां उनसे दिसम्बर 1971 तक न्यून मिश्रित भार शुल्क लिया गया जनवरी 1972 से बड़ा पावर शुल्क (एच0 वी0–2ए) की दरें लागू की गई थी । एच0 वी0–2ए शुल्क औद्योगिक और/अथवा प्रक्रियात्मक उपयोगों (प्रोसेसिंग परपजेज) और राज्य सिचाई के लिये प्रयुक्त होता है तथा रेलों को दी गई आपूर्ति उसमें सम्मिलित नहीं होती है । रेलों के लिये मिश्रित भार-शुल्क (रेल ट्रैक्शन को छोड़कर जिसके लिये अलग शुल्क होता है) प्रयुक्त होता है । गलत शुल्क दर लगने के परिणाम स्वरूप जनवरी 1972 से दिसम्बर 1975 तक की अवधि में 0.71 लाख रुपये के राजस्व का अव प्रभारण (अन्डर चार्जिग) हुआ है ।

परिषद् को मई 1974 में इस मामले की सूचना दे दी गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

दर तालिका का गलत लागू होना

(iii) एक उपभोक्ता को 1 मई 1971 से 400 के0 वी0 ए0 का भार स्वीकृत किय गया था । एक उपभोक्ता का घरेलू भार 8 मार्च 1972 तक थोक आपूर्ति मीटर के साथ जुड़ा रहा, और तभी आवासीय हिस्से में प्रकाश और पंखे की खपत के लिये एक अलग सब- मीटर लगा दिया गया था । 1 जुलाई 1971 से लागू संशोधित शुल्क के अन्तर्गत, ऊर्जा की कुल खपत का बिल दर तालिका एच0 वी0–1 (मिश्रित भार-शुल्क) के अन्तर्गत बनना चाहिये था, लेकिन उपभोक्ता के बिल रेट-तालिका एच0 वी0–2 (बड़े पावर शुल्क) के अन्तर्गत बनाये गये थे । रेट-तालिका की गलत प्रयुक्ति, तथा लाइन को अलग करने / सब-मीटर लगाने की नोटिस देने में विलम्ब होने से राजस्व में 0.37 लाख रुपये की हानि हुई है ।

परिषद् को अप्रैल 1973 में मामले की सूचना दे दी गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

कम विद्युत् शुल्क के बिल बनाना

(iv) 11 मई 1973 को लगा कर तथा 13 जून 1973 को हटाये गये एक जांच-मीटर से ज्ञात हुआ कि एक उपभोक्ता के परिसर में लगाया गया एक पुराने मीटर का के0 डब्ल्यू0 एच0 भाग लगभग 9 प्रतिशत धीमा चल रहा था, तथा अधिकतम मांग सूचक 11.5 प्रतिशत कम बता रहा था । 21 नवम्बर 1973 को मीटर ठीक कर दिया गया । बीच की अवधि में, दोषपूर्ण मीटर द्वारा अंकित किये गये मीटर वाचन के आधार पर ही बिल बनाये जाते रहे ।

जून 1973 से नवम्बर 1973 की अवधि में 0.68 लाख रुपये का अवप्रभार हुआ (39,204 रुपये के डब्लू0 एच0 मीटर के धीमा चलने से, तथा 28,355 रुपये अधिकतम मांग सच म) ।

परिषद् को जनवरी 1975 में मामले की सूचना दे दी गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

(v) (क) एक सिंचाई मंडल को,400 वोल्टों पर 1,223 के०वी०ए० के अनुबंधित भार की पावर दी जा रही है । संबधित रेट तालिका के अनुसार, 400 वोल्टों की आपूर्ति दिये जाने पर, मांग और ऊर्जा प्रभार का 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के रूप में लगाया जाना चाहिये । पावर की आपूर्ति करने वाली परिषद् की इकाई ने, मार्च 1972 से अक्तूबर 1974 की अवधि में, 7.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया; परिणामस्वरूप 0.21 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई थी।

जनवरी 1975 में परिषद् को मामले की सूचना दे दी गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

(ख) बड़े उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली दर तालिका (एच0 वी0–2 ए) के एक अनुच्छेद के अनुसार, यदि बिल में दर्शायी गई तिथि तक मासिक बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो, उपभोक्ता से बिल की अदत्त राशि पर नियत तिथि के आगे भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिये प्रति 100 रुपये, अथवा, उसके किसी हिस्से पर, 5 पैसे का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाना चाहिये । परिषद् के दो उपभोक्ताओं के मामलों में जून 1971 से जून 1973 की अवधि के बिल जमा करने में विलम्ब के लिये बिना अतिरिक्त प्रभार के स्वीकृत किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप 0.31 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1974 में दी गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

(vi) बुलन्दशहर के एक उपभोक्ता को 17 अगस्त 1970 से 670 बी0 एच0 पी0 के अनुबंधित भार की विद्युत आपूर्ति की जा रही है । पैनल में पावर टर्मिनल में दोष होने के कारण उपभोक्ता के परिसर में ट्राइवेक्टर मीटर नहीं लगाया जा सका था । खपत को अभिलिखित करने के लिये के० डब्लू० एच० (यूनिट) का जो मीटर लगाया जा गया था (17 अगस्त 1970) वह भी लगाये जाने की तिथि से ही खराब था। अगस्त 1971 में कनेक्शनों को ठीक किया गया था। उपभोक्ता के प्रतिनिधियों और परिषद् की एक बैठक में जो कि 27 नवम्बर 1971 को सम्पन्न हुई थी, उपभोक्ता से 17 अगस्त 1970 से अगस्त 1971 तक की अवधि के बिल बनाने का एक फार्मूला बनाया गया था। तदनुसार, उपभोक्ता से 0.63 लाख रुपये के बकाया प्रभार का (तदनंतर अक्तूबर 1973 में संशोधित), 0.61 लाख रुपये 7 जनवरी 1972 तक भुगतान करने का अनुरोध किया गया था (23 दिसम्बर 1971) । इसमें से दिसम्बर 1973 के अंत तक 0.40 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। 0.21 लाख रुपये की धनराशि की वसूली नहीं की गई। ट्राइवेक्टर मीटर न लगने के कारण, वास्तविक अथवा अनुबंधित मांग, जो भी अधिक हो, के 60 प्रतिशत से, के स्थान पर अनुबंधित मांग के 60 प्रतिशत के आधार पर बिल बनाये जाते रहे।

इस मामले में परिषद् के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

अन्य रोचक विषय

स्टील का अधिक निर्गमन

59. (i) परिषद् ने बरेली की एक फर्म से, 132 के० वी० की लाइनें बिछाने के लिये, 7.69 लाख रुपये की लागत का एक स्टील का ढांचा तैयार करने का अनुबंध किया (फरवरी 1969)। फर्म को 250 मैट्रिक टन प्रतिमास की दर से स्टील का ढांचा तैयार करना था। ढाचा बनाने का सम्पूर्ण कार्य चार महीने के अन्दर पूरा हो जाना चाहिये था। लेकिन यह कार्य नवम्बर 1973 में पूरा किया गया था। कार्यपूर्ति में विलम्ब के लिये कोई दंड नहीं लगाया गया।

तैयार ढांचे के काम के आधार पर हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि 974.129 मैट्रिक टन स्टील की वास्तविक आवश्यकता के बजाय, ढांचा बनाने वाली फर्म को 1218.477 मैट्रिक टन स्टील दिया गया था; फलतः, उसे 2.92 लाख रुपये लागत का 244.348 मैट्रिक टन स्टील अधिक दिया गया था। अधिक दिये हुये स्टील का मूल्य परिषद् ने वसूली नहीं किया है (जनवरी 1976)।

परिषद् को इस मामले की सूचना जुलाई 1975 में दे दी गई थी; उत्तर अब भी प्रतीक्षित है (मार्च 1976)।

स्टील की खरीद

(ii) परिषद् की एक इकाई ने नवम्बर 1970 और अप्रैल 1971 के बीच विभिन्न आपूर्त्ति-कर्ताओं से, संयुक्त क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों से ऊंची दरों पर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लेने की अनिवार्यता से बचने के लिये फुटकर आर्डरों, द्वारा 1.77 लाख रुपये लागत की 112.80 मैट्रिक टन स्टील उपलब्ध की थी।

संयुक्त क्रय समिति की दरों पर (1,200 रुपये प्रति मैट्रिक टन), 112.80 मैट्रिक टन स्टील का मूल्य 1.35 लाख रुपये होता था। इस प्रकार 0.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था। इस मामले को अगस्त 1973 में परिषद् को भेजा गया था। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 1976)।

टावरों का निर्माण

(iii) बम्बई की एक फर्म से 132 के० वी० एकतरफा सरकिट पारेषण लाइनों के लिये टावरों को बनाने, कलई करने, और पहुंचाने के एक अनुबन्ध (अप्रैल 1972) में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था थी कि टावर बनाने वाले को यदि स्टील दिया गया, और काम में उसका उपयोग किया गया तो उसे संयुक्त क्रय समिति की दर से मूल्य दिया जायेगा। टावर बनाने वाले ने 66 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जिसके लिये 1,120 रुपये प्रति मैट्रिक टन की संयुक्त क्रय समिति की दर के स्थान पर, 1,760 रुपये प्रति मैट्रिक टन के बिलेट रिरोलर्स कमेटी की दर से भुगतान किया गया; परिणामस्वरूप, 0.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह मामला मई 1974 में परिषद् के सम्मुख लाया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

ढुलाई व्यय का भुगतान

(iv) बम्बई की एक फर्म को जिसे ओबरा से राबर्ट्सगंज तक 132 के०वी०डी०सी० पारेषण लाइनें बनाने के लिये नियुक्त किया गया था (अप्रैल 1972) कार्य में लगने वाले स्टील की निर्मूल्य आपूर्ति की जानी थी। बनाने वाली फर्म यदि अपने से कोई स्टील लगायेगी तो उसे जे० पी० सी० दरों (स्तम्भ-1) के साथ सेक्शन अतिरिक्त, तथा केन्द्रीय बिक्री-कर जोड़ कर भुगतान लेने का हक होता था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं था। लाइन बनाने वाली फर्म ने अपने भंडार से 682 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग

किया था और उसने अनुबन्ध में उल्लिखित स्टील के मूल्य (सेक्शन अतिरिक्त को शामिल करते हुये) के दावे के अलावा, 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से, 68,200 रुपये को ढुलाई का दावा प्रस्तुत किया।

परिषद् ने ढुलाई का दावा स्वीकार किया, और मई 1973 में उसका भुगतान कर दिया।

यह मामला मई 1974 में परिषद् को प्रेषित किया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

विशिष्ट औजारों एवं संयंत्रों को न लौटाना

(v) सिविल निर्माण मंडल, चतुर्थ चरण, कासिमपुर ने अलीगढ़ की एक फर्म से 0.42 लाख रुपये की लागत से विशिष्ट औजारों एवं संयंत्रों की मरम्मत का अनुबन्ध निष्पादित किया (दिसम्बर 1972)। अनुबन्ध के अनुसार 12 दिसम्बर 1972 को कार्य प्रारम्भ किया जाना था, और उसे 26 मार्च 1973 तक पूरा हो जाना था। मंडल के परिसर में ही फर्म को मरम्मत कार्य करना था। लेकिन फर्म से 5 प्रतिशत (2,090 रुपये) बट्टा पाने के लिये फर्म को अपनी कार्यशाला में मरम्मत करने की अनुमति दे दी गई थी। फर्म ने कार्य पूरा नहीं किया और मरम्मत के लिये दिये गये विशिष्ट औजारों एवं संयंत्रों में से (लागत 1.56 लाख रुपये) उसने केवल 0.74 लाख रुपये के ही औजार लौटाये। 0.82 लाख रुपये की लागत के शेष औजार एवं संयंत्र वापस नहीं किये गये (जनवरी 1976)। इसके अतिरिक्त मरम्मत कार्य के लिये 0.06 लाख रुपये के अतिरिक्त पुर्जे भी दिये गये थे; उनमें से 0.03 लाख रुपये के पुर्जे नहीं लौटाये गये। अनुबंधित लागत (4.179 रुपये) के 10 प्रतिशत तक का दंड, जो कि कार्य को अनुबंधित तारीखों के अन्दर पूरा न करने के कारण लगाया जाना चाहिये था, फर्म से वसूल नहीं किया गया (जनवरी 1976)।

परिषद् को मार्च 1975 में इस मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च, 1976)।

पारेषण लाइन निर्मित करना

(vi) टावरों की आपूर्ति करने (30 अप्रैल 1969 तक पूरी की जाने वाली) और 160 किलोमीटर लम्बी 220 के० वी० की एक तरफ सरकिट वाली छिब्रो-शामली पारेषण लाइन (फरवरी 1971 तक पूरी की जाने वाली) निर्मित करने का, 29.58 लाख रु० का एक अनुबंध, 4 सितम्बर 1970 को बम्बई की एक फर्म को प्रदान किया गया था। चूंकि फर्म मार्च 1975 तक पलस्तर कार्य (रिवेटमेंट वर्क) पूरा नहीं कर सकी, जिसका मुख्य कारण रेखांकनों का न मिलना था (संशोधित रेखांकन दिसम्बर 1974 में दिये गये थे), अतः उसने इसके लिये अनुबंध में उल्लिखित 50 रु० प्रति घनमीटर के बजाय 150 रुपये प्रति घनमीटर की ऊंची दर की मांग की। अन्ततः 140 रु० प्रति घनमीटर की दर अनुमोदित की गई (अगस्त 1974)। इसके परिणामस्वरूप 2181.4 घनमीटर के पलस्तर कार्य में 1.96 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ (जनवरी 1976)।

परिषद् ने बताया (जनवरी 1976) कि उत्तर प्रदेश और हिमांचल प्रदेश के बीच जमुना विद्युत् की साझेदारी के लिये अंतर्प्रादेशिक विवाद के कारण पलस्तर कार्य लगभग एक वर्ष तक स्थगित रहा। (8 फरवरी 1972 को दुबारा काम शुरू हुआ) तथा 1971–72 के दौरान तेजी से दरों के बढ़ने के कारण दर बढ़ने की अनुमति दी गयी थी।

विशिष्टियों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण होने वाली हानि

(vii) हरदुआगंज तापशक्ति परियोजना के पांचवें और छठें चरणों के लिये नियंत्रणों एवं उपकरणों की आपूर्ति करने बनाने, जांच करने और चालू करने के लिये कोटा की एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म को अगस्त 1970 और सितम्बर 1970 में क्रमश: 59.41 लाख रुपये तथा 69.84 लाख रुपयें लागत के आर्डर प्रदान किये गये थे। कलकता की एक फर्म को परामर्श के लिये भारी मूल्य (28.35 लाख रुपये) देने के बावजूद विशिष्टियां निश्चित न हो सकीं और अनुबंधों को क्रमश: जून 1974 तथा अक्टूबर 1973 तक अंतिम रूप नही दिया जा सका। उस समय तक फर्म ने मूल्यों को बढ़ा कर 59.41 लाख रुपये से 88.13 लाख रुपये, और 69.84 लाख रुपये में 123.84 लाख रुपये कर दिया। तापविद्युत डिजाइन परिमंडल, लखनऊ (थर्मल डिजाइन सरकिल, लखनऊ) के अधीक्षण अभियन्ता ने सूचित किया (जनवरी 1976) कि कोटा फर्म को अभिप्राय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) देने के पर्याप्त समय बाद पांचवें और छठें चरणों के लिये परामर्श अनुबन्ध को क्रमश: फरवरी 1971 और नवम्बर 1972 में अंतिम रूप प्रदान किया गया था, तथा कोटा फर्म का प्रस्ताव बिल्कुल सामान्य प्रकृति का था, और वह निर्माताओं के परामर्श से डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान करने तथा उपस्कर की सूची निश्चित किये जाने पर निर्भर था। विशिष्टियों को तैयार करने उपकरणों की सूची तथा डिजाइनों को निश्चित करने तथा अनुबन्धों को अंतिम रूप प्रदान करने में विलम्ब होने के कारण 82.72 लाख रुपये का अतिरिक्त दायित्व उठाना पड़ा। निर्माण कार्य अभी चल रहा है (जनवरी 1976)।

परिषद् को सितम्बर 1975 में मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

बड़े निर्माण कार्यों का टुकड़ों में निष्पादन

(viii) विद्युत ताप डिजाइन परिमंडल—द्वितीय, लखनऊ के अधीक्षण अभियंता द्वारा, 29 जनवरी 1972 को ओबरा ताप संयंत्र की पक्की सड़क के लिये कटाई भराई, स्थानीय नाली व्यवस्था, राख के निवर्तन, क्षेत्रीय तटबंध तथा सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिये निविदायें आमंत्रित किये गये थे। निविदायें 5 मई 1972 को खोली गई। ओबरा की एक फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई दरें सबसे कम थीं। लेकिन परियोजना परामर्शदाता तकनीकी ड्राइंगों के अभाव में विलम्ब होने के कारण प्रासंगिक सर्वेक्षण आंकड़ों की प्राप्ति निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सका। तदुपरांत अत्यावश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य के टुकड़े कर दिये गये। कार्य का एक भाग (लागत 5.45 लाख रुपये) ओबरा की फर्म को, उसकी उद्धृत दरों पर दिया गया (अगस्त 1972) शेष कार्य 18 दिसम्बर 1972 को उसी फर्म तथा एक और फर्म के बीच 25 सितम्बर 1972 को प्रस्तुत की गई उच्चतर दरों पर जैसा कि नीचे दिखाया गया है, बांट दिया गया था:——

प्रति घनमीटर (रुपये के हिसाब से)

मिट्टी के कार्य की प्रकृति	फर्म की मूल दरें	फर्म की संशोधित दरें	दूसरी फर्म की दरें
(1) सभी प्रकार की मिट्टी	6.55	7.20	7.20
(2) नर्म और अपघटित (डिकम्पोज्ड) चट्टाने ..	10.25	11.00	10.80
(3) कड़ी चट्टानें	18.00	19.80	19.80

ओबरा फर्म की मूल दरों की तुलना में 1.15 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

परिषद् को मामले की सूचना मार्च 1974 में दी गई थी उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1976)।

निर्माण कार्यों का ऊंची दरों पर निष्पादन

(ix) नवम्बर 1969 में ओबरा जल विद्युत सिविल मंडल, मिर्जापुर द्वारा ओबरा ताप विद्युत् गृह प्रसार परियोजना प्रथम चरण के लिये उपसंरचनाओं तथा अधिसंरचनाओं में कंक्रीट तथा सम्बद्ध कार्यों के लिये, तथा खाइयों को ढकने के लिये ढुलाई पूर्व प्रबलित कांक्रीट मेम्बरों (प्रिकास्ट रीइनफोर्स्ड कांक्रीट मेम्बर्स) को निर्मित करने और लगाने के लिये 36.58 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर (निर्माण कार्य के पूरा होने की निश्चित अवधि जुलाई 1972) एक फर्म से अनुबंध किया गया था। फर्म ने वांछित अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया लेकिन 3.66 लाख रुपये का दंड जैसा कि अनुबंध में दिया गया था, अनुमानित लागत पर अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से नहीं लगाया गया। मंडल ने अगस्त 1972 में फर्म से निर्माण-कार्य की अपूर्ण मदों के लिये मूल अनुबंध में दी गई दरों से 10 प्रतिशत ऊंची दरों पर दो अनुबंध किये, हालांकि मूल अनुबंध में मूल्य बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 0.61 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

परिषद् को मामले की सूचना मार्च 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)

परिवहन अनुबंध

(x) अप्रैल 1971 में ली गई दो निविदाओं के आधार पर विद्युत अनुरक्षण मंडल, लखनऊ ने, जुलाई 1971 में आर० सी० सी०/पी० सी० सी० खम्भों सहित भंडार सामग्री ढोने, चढ़ाने-उतारने तथा चट्टों में लगाने का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा। जल विद्युत् प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ से विभिन्न स्थलों तक आर०सी०सी०/पी०सी०सी० खम्भों की ढुलाई की दर (चढ़ाने-उतारने तथा चट्टों में लगाने सहित) प्रति खम्भा प्रति किलोमीटर 0.80 रुपये थी। लेकिन उसी अवधि के दौरान (अगस्त 1971) उसी प्रकार के काम के लिये विद्युत् सिविल निर्माण मंडल (II) लखनऊ द्वारा प्राप्त और अंतिम रूप प्रदान की गई दरें निम्नलिखित थी:—

दूरी	दर (प्रति खम्भा, प्रति कि० मी० पैसों में)
8 कि० मी० तक	49
9 से 16 कि० मी० तक	40
17 से 240 कि० मी० तक	9.75

मार्च 1972 में, 100 किलोमीटर की दूरी के लिये प्रति खम्भा प्रति किलोमीटर 12 पैसे की दर तथा 100 किलोमीटर के आगे 250 किलोमीटरों तक 5 पैसे की दर कर दी गयी।

अनुवर्ती मंडल को अगस्त 1971 में उपलब्ध दरों की तुलना में जनवरी से जुलाई 1972 की अवधि में खम्भों की ढुलाई के ऊंची दरों पर किये गये अनुबंध के फलस्वरूप 2.42 लाख रुपये का अधिक व्यय करना पड़ा।

परिषद् को सितम्बर 1972 में मामले की सूचना दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

भंडार की स्थानीय खरीद

(xi) निर्धारित प्रणाली के अनुसार सामग्री और भंडार की खरीद के लिये कार्य-आदेश (वर्क आर्डर) नहीं जारी किये जाने चाहिये तथा 2500 रुपये अथवा अधिक की सामग्री की खरीद खुली निविदाओं के आधार पर की जानी चाहिये।

1972 और 1973 कैलेन्डरी वर्षों के दौरान विद्युत अनुरक्षण मंडल बाराबंकी में खुली निविदायें आमंत्रित किये बिना फर्मों के एक समूह से सीमित रूप में कोटेशन ले कर कार्य आदेशों तथा आपूर्ति आदेशों के द्वारा (1972 में क्रमशः 14.69 लाख रुपये तथा 0.87 लाख रुपये व 1973 में क्रमशः 16.69 लाख रुपये तथा 2.37 लाख रुपये के कार्य आदेश तथा आपूर्ति आदेश) 34.62 लाख रुपये का भंडार खरीदा गया था । खरीद में से 24.53 लाख रुपये लागत का भंडार केवल 10 फर्मों से खरीदा गया था (15.91 लाख रुपये का लखनऊ की 5 फर्मों से, 1.24 लाख रुपये का मेरठ की एक फर्म से, 2.38 लाख रुपये का रामपुर की एक फर्म से, 3.04 लाख रुपये का सीतापुर की एक फर्म से, 0.93 लाख रुपये बुलन्दशहर की एक फर्म से और 1.03 लाख रुपये का बाराबंकी की एक फर्म से) । इसके अतिरिक्त मंडल की आवश्यकताओं को ध्यान में रक्खे बिना ही खरीद की गई थी । 1973 में की गई स्थानीय खरीद में से (10.69 लाख रुपये), 10.78 लाख रुपये की सामग्री को अन्य मंडलों में स्थानान्तरित करने के बावजूद 2.95 लाख रुपये लागत का भंडार फालतू घोषित किया गया था ।

परिषद् को इस मामले की सूचना मई 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

अतिरिक्त पुर्जों की खरीद

(xii) हरदुआगंज शक्ति प्रसार चतुर्थ चरण के लिये 260 मेट्रिक टनों की क्षमता वाले दो ब्वायलरों के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति के लिये तिरुच्चिरापल्ली की एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म द्वारा 14 जुलाई 1973 को 41.57 लाख रुपयों का कोटेशन दिया गया था जिसकी वैधता 12 सितम्बर, 1973 तक थी। बाद में 30 नवम्बर 1973 तक वैधता बढ़ा दी गई थी ।

खरीद को अंतिम रूप देने के पहले परिषद् के स्थल (साइट) अभियन्ताओं ने अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त पुर्जों की तादाद में वृद्धि करने सुझाव दिया था (अक्तूबर 1973) । इसे स्वीकार नहीं किया गया और पूर्व अनुमानित तादाद के लिये जनवरी 1974 में आदेश दे दिये गये ।

लेकिन उसी आपूर्तिकार से पहले की मूल दरों की तुलना में 0.67 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से अक्तूबर 1974 में अतिरिक्त पुर्जे लिये गये थे ।

परिषद् ने सूचित किया (जनवरी 1976) कि आपूर्तिकार ने सुपर हीटर के अतिरिक्त पुर्जों को मूल दरों पर देना स्वीकार नही किया ।

कोयले की खरीद

(xiii) कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन के एक बिजलीघर की वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भंडार अविप्राप्ति परिमण्डल (स्टोर्स प्रोक्योरमेंट सरकिल), लखनऊ, ने 24 सितम्बर 1970 को "क" और "ख" श्रेणी के कोयले (क्रमशः 1.20 लाख तथा 2.40 लाख मेट्रिक टन) की आपूर्ति के लिये निविदायें आमंत्रित की । निविदाओं से, जिन्हें 21 नवम्बर 1970 को खोला गया था, "क" श्रेणी के लिये 70.46 रुपये से 74.18 रुपये प्रति मेट्रिक टन तथा "ख" श्रेणी के लिये 67.09 रुपये से 70.77 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दरें (लोडेड) प्राप्त हुई । लेकिन परिषद् ने केवल तीन महीनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये "क" श्रेणी के 30,000 मेट्रिक टन तथा "ख" श्रेणी के 60,000 मेट्रिक टन कोयले के लिये आर्डर प्रदान करने का निश्चय किया; शेष मात्रा को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एन० सी० डी० सी०), अथवा नई निविदायें

आमंत्रित करके लेने का निश्चय किया । विविध फार्मों को नीचे लिखे आर्डर प्रदान किये गये थे:

	आर्डर की मात्रा (मेट्रिक टनों में)	लोडेड दर (प्रति मेट्रिक) टन (रुपये में)
"क" श्रेणी कोयला		
फर्म "डब्लू"	12,000	74.18
फर्म "एक्स"	12,000	74.18
फर्म "वाई"	6,000	72.76
"ख" श्रेणी कोयला		
फर्म "वाई"	6,000	69.48
फर्म "डब्लू"	42,000	67.09
फर्म "जेड"	12,000	70.43

यद्यपि "क" श्रेणी कोयले के लिये फार्म "वाई" की और "ख" श्रेणी कोयले के लिये फार्म "डब्ल्यू" की दरें सब से कम थीं, और उन्होंने आर्डर की मात्रा से अधिक कोयले की आपूर्ति करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आंशिक मात्रा के लिये दूसरी फर्मों को भी उच्चतर दरों पर आर्डर दिये गये थे। इसके कारण 0.88 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

परिषद् को अप्रैल 1972 में इस मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1976) ।

ट्रांसफार्मरों की खरीद

(xiv) 100 के0 वी0 ए0, 63 के0 वी0 ए0 तथा 25 के0वी0ए0 वितरण ट्रांसफारमरों की खरीद की निविदायें, जो कि चार महीनों तक वैध थी, 16 जनवरी 1974 को खोली गई थी । बम्बई की एक फर्म ने, 100 के0 वी0 ए0 तथा 25 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मरों के लिये क्रमश: 7,800 रुपये तथा 3,850 रुपये प्रति ट्रासफार्मर की निम्नस्थ दरें इस शर्त के साथ दी थीं कि आर्डर मिलने से दो महीनों की अवधि के अन्दर आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, और उसे 100/150 ट्रांसफार्मर प्रतिमास की दर से पूरा किया जायेगा । 63 के0 वी0ए0 ट्रांसफार्मर के लिये पुरी की एक फर्म की 6,120 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर निम्नस्थ थी तथा 6,250 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर देने वाली बम्बई की फर्म दूसरी निम्नस्थ थी । लेकिन 9,700 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर से 100 के0वी0ए0 के 300 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति करने का आर्डर, 21 मार्च 1974 को, बंगलौर की एक फर्म (आठवीं निम्नस्थ) को दिया गया था तथा 63 के0वी0ए0 व 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मरों में, प्रत्येक के 100 ट्रांसफार्मरों के लिये, क्रमश: 7,450 रुपये तथा 4,450 रुपये प्रति ट्रांसफार्मर की दर से 11 अप्रैल 1974 को कलकत्ता की एक फर्म को आर्डर दिया गया था । आर्डरों का क्रय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना था (29 मार्च 1974 को अनुमोदन हुआ) । बम्बई की फर्म का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि--(1) परिषद् ने पहले कभी उससे ट्रासफार्मर नहीं खरीदे, और (2) बंगलौर फर्म से एक्स स्टाक आधार पर आपूर्ति की जायेगी । ज्ञात हुआ कि बम्बई की फर्म ने मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की विद्युत परिषदों और रेलवे को विभिन्न क्षमताओं के ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की थी । बम्बई की फर्म को यदि जनवरी 1974 में आर्डर दे दिये गये होते तो

एक्स-स्टाक की काफी ऊंची दरों की खरीद बचायी जा सकती थी। चूंकि पुरी फर्म ने भी परिषद् को पहले ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति नहीं की थी, अतः उसके प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया गया।

निम्नतम फर्मों के प्रस्तावों को स्वीकार न करने से 7.63 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को इस मामले की सूचना अगस्त 1974 में दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

सरकिट ब्रेकरों की खरीद

(xv) परिषद् के उप-स्टेशन डिजाइन मंडल ने 416 सरकिट ब्रेकरों (33 के0वी0) की आपूर्ति के लिये, 8 जुलाई 1970 को निविदायें आमंत्रित की थी। निविदायें 6 सितम्बर 1970 को खोली गई। बम्बई की एक फर्म द्वारा 27,131 रुपये की निम्नतम दरें प्रस्तुत की गई थीं, तथा भाड़ा, बीमा तथा फिटिंग को शामिल करते हुये आगणित मूल्य 35,281 रुपये था। हैदराबाद की एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म ने 40,258 रुपये (आगणित) की दर प्रस्तुत की तथा भोपाल की एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म द्वारा 49,879 रुपये (400/200 आई0ए0) अथवा 49,556 रुपये (200/100 आई0ए0) की दरें दी। प्रस्ताव तीन महीनों तक वैध थे।

हालांकि सामग्री अत्यावश्यक थी, परन्तु परिषद् ने मामला तय करने में लगभग एक वर्ष का समय लगा दिया तथा निम्नलिखित प्रकार से आर्डर प्रदान किये गये।

तिथि		फर्म		संख्या
28 अगस्त 1971	..	भोपाल		400/200 आई0ए0 के 50 200/100 आइ0ए0 के 150
13 दिसम्बर 1971	..	बम्बई	..	50
14 मार्च 1972	..	हैदराबाद	..	250

लेकिन आर्डर दिये जाने के पहले ही, फर्मों ने अपने मूल्यों को निम्न प्रकार से बढ़ा दिया था (आगणित मूल्य):—

भोपाल की फर्म	..	50,375 रुपये (400/200 आई0ए0) और 49,945 रुपये (200/100 आई0ए0)
बम्बई की फर्म	..	39,707 रुपये
हैदराबाद की फर्म	..	43,955 रुपये

सुपुर्दगी की वांछित तालिका को ध्यान में रखते हुये यदि सभी 216 सेटों के लिये बम्बई फर्म को आर्डर प्रदान करने का परिषद् को परामर्श दिया गया होता तो उससे 7.05 लाख रुपये की बचत होती। यह भी उल्लेखनीय है कि बम्बई फर्म की सुपुर्दगी की शर्तें उपयुक्त जान पड़ती थी और उसकी आपूर्ति करने की क्षमता परिषद् के एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जा चुकी थी।

आर्डर प्रदान करने में विलम्ब के कारण परिषद् को 9.18 लाख रुपये की और हानि उठानी पड़ी थी।

परिषद् को अगस्त 1974 में मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

पानी के पम्पो की खरीद

(xvi) निम्नशीर्ष और उच्च शीर्ष के सीधे बहने वाले पम्पों (लो हेड, हाइ हेडवर्टिकल सर्कुलेटिंग वाटर पम्प) (प्रत्येक प्रकार के चार) की आपूर्ति, लगाये जाने में देख-रेख, जांच तथा उन्हें चालू करने के लिये अगस्त 1972 में निविदायें आमंत्रित की गई, और दो फर्मों से निम्नलिखित प्रस्ताव (तकनीकी रूप से उपयक्त) प्राप्त हुये थे:—

फर्म	तखमीना (इवेल्युएटेड) मूल्य निम्न शीर्ष पम्प	उच्च शीर्ष पम्प
	(रुपयों में)	
"क"	17,14,900	37,35,200
"ख"	20,39,079	43,10,700

यद्यपि परिषद् के परामर्शदाता ने फर्म "क" के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश की थी, लेकिन क्रय समिति ने फर्म "ख" से, फर्म "क" द्वारा प्रस्तुत मूल्यों को घटाने के लिये मोल-तोल करने, तथा फर्म "क" द्वारा दूसरी पार्टियों को दिये गये पम्पों के विषय में परिचालन अनुभव की जानकारी प्राप्त करने को कहा । इस कार्य में लगभग पांच महीने लग गये । फर्मों से जब वैधता अवधि को मई 1973 तक बढ़ाने को कहा गया, तो उन्होंने अपनी दरों को निम्नलिखित रूप में बढ़ा लिया:—

	निम्न शीर्ष पम्प	उच्च शीर्ष पम्प
	(रुपये में)	
फर्म "क"	3,02,852	4,83,280
फर्म "ख"	..	3,88,336

मई 1973 में, फर्म "ख" को बढ़े हुये मूल्य पर आर्डर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप फर्म "क" के मूल प्रस्ताव की तुलना में, 12.88 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था ।

परिषद् को अगस्त 1975 में इस मामले की सूचना दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976) ।

कास्ट स्टील बाल्स की खरीद

(xvii) 40 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर की 100 और 60 मैट्रिक टन कास्ट स्टील बाल्स की आपूर्ति की निविदा के जवाब में (निविदा का पहला भाग 8 मई 1973 को तथा दूसरा भाग 19 जून 1973 को खोला गया था) कलकत्ता की एक फर्म के, 40 मि0मी0 और 60 मि0मी0 की नाप के लिये, क्रमश: 2,290 रुपये प्रति मैट्रिक टन (एक्स वर्क्स) तथा 2,138 रुपये प्रति मैट्रिक टन (एक्स वर्क्स) का निम्नतम प्रस्ताव, उत्पाद शुल्क (87.50 रुपये प्रति मैट्रिक टन) तथा पैकिंग व्यय (58 रुपये प्रति मैट्रिक टन) को जोड़कर, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया था। दरें निविदा खुलने की तारीख से 6 महीने के लिये वैध मान्य थीं । तथापि, फर्म की वैध तिथि, अर्थात्, 7 नवम्बर 1973 तक, कोई आर्डर नहीं दिया गया था । 9 नवम्बर 1973 को तार द्वारा आर्डर दिये जाने पर (औपचारिक आर्डर 14 नवम्बर 1973 को दिया गया था) फर्म ने पहले की बताई गई दरों पर सामग्री की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया । अन्ततः, 40 मि0मी0 तथा 60 मि0मी0 बाल्स के लिये, क्रमश: 2,800 रुपये तथा 2,632 रुपये प्रति मैट्रिक टन की, बातचीत में तय की जाने वाली दरों तथा उत्पाद शुल्क (175 रुपये प्रति मैट्रिक टन) व पैकिंग व्यय (75 रुपये प्रतिटन) पर खरीद की गई (5 अप्रैल 1974 के आदेश द्वारा)। इस प्रकार 0.97 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था ।

यह मामला अगस्त 1975 में परिषद् के सम्मुख लाया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

नमक के तेजाब (हाइड्रोक्लोरिड एसिड) की खरीद

(xviii) केन्द्रीय भुगतान तथा लेखा मंडल, ओबरा ने 250 मेट्रिक टन नमक के तेजाब (हाइड्रोक्लोरिड एसिड) की खरीद के लिये निविदायें आमंत्रित की, और उन्हें 15 जनवरी 1972 को खोला गया। निम्नतम निविदाकर्ता, रेनूकूट की एक फर्म ने निविदायें खोले जाने की तारीख पर 300 रुपये प्रति मैट्रिक टन (150 रुपये प्रति मैट्रिक टन सामग्री के लिये तथा 150 रुपये प्रति मैट्रिक टन सड़क परिवहन के लिये) की अपनी मूल दरें, सामग्री के लिये बताई जाने वाली दरों में हिसाब की गलती हो जाने के कारण 50 रुपये प्रति मट्रिक टन बढ़ा लिया। फरवरी 1972 में इस फर्म को बढ़ी हुई दरों पर आर्डर दे दिये गये, यद्यपि दूसरे निविदा कर्ताओं द्वारा सामग्री का आधार मूल्य, उक्त फर्म द्वारा पूर्व प्रस्तुत आधार मूल्य से कम था, और वह प्रति मैट्रिक टन 80 रुपये तथा 130 रुपये के बीच में था। नवम्बर 1972 में 250 मैट्रिक टन का एक दूसरा आर्डर भी फर्म को उन्हीं दरों पर दिया गया।

क्या यह स्पष्ट नहीं है कि रेनूकूट से ओबरा (64 कि० मी०) तक तेजाब परिवहन के लिये 150 रुपये प्रति मैट्रिक टन (100 रुपये परिवहन के लिये तथा 50 रुपये टैंकर के किराये के लिये) का किराया अधिक नहीं था ? एक अन्य रसायन (कास्टिक सोडा लाई) की आपूर्ति के लिये उसी पार्टी ने परिवहन के लिये 40 रुपये प्रति मैट्रिक टन का भाव बताया था। जिसे बाद में 90 रुपये प्रति मैट्रिक टन तक बढ़ा लिया गया था। (70 रुपये प्रति मैट्रिक टन परिवहन के लिये और 20 रुपये टैंकर के किराये के लिये)।

सामग्री के लिये 200 रुपये की उच्चतर दर से बढ़े हुये मूल्य को स्वीकार करने के कारण 0.25 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

परिषद् को अगस्त 1973 में मामले की सूचना दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने में विलम्ब

(xix) (क) पनकी ताप स्टेशन की 110 एम० डब्लू० की दो इकाइयों के लिये दो बाहरी तथा दस भीतरी 6,600/415 वोल्टों के ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने में देख-रेख, जांच तथा चालू करने के लिये, जुलाई 1973 में मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की गई थी। निविदाओं का पहला भाग 5 जुलाई 1973 को तथा दूसरा भाग 31 अगस्त 1973 को खोला गया था। निम्नतम निविदाकर्ता का 9,95,895 रुपये का मूल्यांकित प्रस्ताव वैधता, अवधि (5 नवम्बर 1973) के अंदर स्वीकार नहीं किया गया। अत: निविदाकर्ताओं से वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया। निम्नतम निविदाकर्ता ने वैधता अवधि बढ़ाना स्वीकार करते हुये प्रस्तावित रकम को, 40 प्रतिशत बढ़ाकर 13,99,320 रुपये (मूल्यांकित दाम) कर दिया। किन्तु एक अन्य निविदाकर्ता ने अपने मूल प्रस्ताव (11,27,551 रुपये मूल्यांकित) में बढ़ोत्तरी किये बिना वैधता अवधि बढ़ा दी। दूसरी फर्म को, जिसके प्रस्ताव पर पहले विचार नहीं किया गया था, आर्डर दिया गया था।

निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब होने के कारण परिषद् को 1.32 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

परिषद् को अगस्त 1975 में इस मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

(ख) दि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 कारें 11 के० वी० श्रेणी के केबिलों के लिये निविदायें आमंत्रित की थी। निविदाओं का पहला भाग 18 मई 1973 को तथा दूसरा भाग 17 जुलाई 1973 को खोला गया था। लेकिन खरीद को अंतिम रूप दे में विलम्ब हो जाने के

कारण, दिल्ली की फर्म "क" का 1,07,880 प्रति कि0 मी0 का निम्नतम प्रस्ताव (15 सितम्बर 1973 तक मान्य) वैधता अवधि के अन्दर स्वीकार नहीं किया जा सका। सभी निविदाकर्ताओं से 16 जवरी 1974 तक अपने संशोधित प्रस्ताव देने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली की उसी फर्म को, जो कि 1,39,460 रुपये प्रति कि0मी0 का संशोधित प्रस्ताव देने में भी निम्नतम थी, 4 कि0 मी0 केबिल की आपूर्ति करने का आर्डर दे दिया गया। वैधता अवधि के अन्दर निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण 1.26 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् को अगस्त 1975 में मामले की सूचना दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

(ग) कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 33 के9वी0 केबिलों के लिये निविदायें आमंत्रित की थी। निविदाओं का पहला भाग 28 जून 1973 को तथा दूसरा भाग 10 अगस्त 1973 को खोला गया। सतना की एक फर्म का 2,53,240 रुपये प्रति कि0 मी0 का निम्नतम प्रस्ताव वैधता अवधि (27 अक्टूबर 1973) के अन्दर स्वीकार नहीं हुआ। सभी निविदा कर्ताओं से अपने-अपने संशोधित प्रस्ताव देने का अनुरोध किया गया (19 दिसम्बर 1973)। सतना की उसी फर्म को, जिसने 3,13,000 रुपये प्रति कि0 मी0 का संशोधित निम्नतम प्रस्ताव किया था, 6.4 कि0 मी0 केबिल की आपूर्ति का आर्डर दे दिया गया (मार्च 1974)। वैधता अवधि के अन्दर निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण, 3.73 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिषद् ने सूचित किया (दिसम्बर 1975) कि अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण निविदाओं को वैधता अवधि के अन्दर निश्चित नहीं किया जा सका। यदि वैधता अवधि के अन्दर आडर दे भी दिया गया होता तो, सितम्बर 1973 से कच्चे माल के मूल्यों और मजदूरी के आकस्मिक वृद्धि होने के कारण, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति को पूरा कर लेना निश्चित नहीं था।

हिसाब में नहीं लिये गये भंडार

(xx) ग्राम विद्युतीकरण मंडल, इलाहाबाद ने जुलाई 1972 में, ए०सी०एस०आर० कंडक्टर की 63.897 कि0मी0 आपूर्ति के सम्बन्ध में रिटायरिंग डिस्पैच डाकूमेन्टों में 0.52 लाख रुपये का भुगतान किया। सामग्री (एक उपमंडल में सहायक स्टोर कीपर द्वारा, 2 अगस्त 1972 को प्राप्ति बताई गई) न तो नापी गई थी और न उसे लेखे में डाला गया था। 31 अगस्त 1972 को वह उपमंडल फतेहपुर के एक अन्य मंडल के नियंत्रण में दे दिया गया। इस अनुमान पर कि सामग्री सहायक स्टोर कीपर ने उपमंडल के स्थानान्तरण के बाद प्राप्त की होगी, तथा हिसाब में ले लिया होगा, इलाहाबद मंडल ने एक डेबिट सूचना प्रेषित की जिसे फतेहपुर मंडल ने इसलिये अस्वीकृत करके वापस लौटा दिया (जुलाई 1974) कि उनके यहां सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। सहायक स्टोर कीपर से सामग्री के मूल्य की वसूली नहीं की गई है। सामग्री का पता नहीं लगाया गया है (जनवरी 1976)।

सामग्री की कमी

(xxi) नवम्बर/दिसम्बर 1974 में, सेवा निवृत्ति से पूर्व, एक कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य-भार दिये जाने के समय 1.51 लाख रुपये मूल्य की सामग्री कम पाई गई थी। परिषद् ने बताया (जनवरी 1976) कि कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध अभियोग-पत्र तैयार कर लिया गया है, तथा पेंशन और आनुतोषिक सहित उसके सभी पड़े हुये दावों को रोक दिया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायगी।

तांबे के कन्डक्टरों की पुन: प्राप्ति में कमी

(xxii) अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 की अवधि में, विद्युत अनुरक्षण मंडल, मुजफ्फरनगर द्वारा, कुछ आर0टी0 लाइनों में तांबे के कन्डक्टरों के स्थान पर ए0सी0यस0आर0 कन्डक्टर लगाये गये थे। इस कार्य के लिये 3.63 लाख मीटर ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर निर्गमित कि गये थे और लगभग इसी लम्बाई के 42.094 कि0 ग्रा0 (इंजीनियरिंग तालिका के

अनुसार 0.116 कि0ग्रा0=1 मीटर लेते हुये) भार तांबे के कण्डक्टरों की पुन: प्राप्ति होनी चाहिये थी। लेकिन केवल 38,034 कि0ग्रा0 तांबें के कन्डक्टर ही वापस प्राप्त हुये थे, परिणामस्वरूप 4,060 कि0ग्रा0, 0.61 लाख रुपये मूल्य का 4060 कि0ग्रा0 (15 रुपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से) की कम वापसी हुई।

परिषद् को मई 1973 में मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

भंडार में कमियां

(xxiii) (क) भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार होना चाहिये। ऊर्जा तकनीकी समिति ने दिसम्बर 1972 में विचार व्यक्त किया कि प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रिया का बिल्कुल नाम मात्र के लिए पालन किया गया था। वर्तमान प्रणाली में स्वतंत्र माध्यम एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष समापन तथा भंडार की अधिक मूल्य की चुनी हुई मदों की स्थिति के बारे में शीर्षस्थ प्रबन्धकों को, सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत अनुरक्षण मंडल, बाराबंकी में, 1966 में सृजन के समय से ही स्टाक रजिस्टरों को बन्द नहीं किया गया था तथा फरवरी 1973 के पहले स्टाक/भंडार का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। केन्द्रीय भंडार के, 1 अक्टूबर 1971 से मार्च 1973 तक की अवधि के, स्टाक रजिस्टरों की नमूना जांच के दौरान (फरवरी 1974) यह देखा गया था कि अगले अर्द्ध वार्षिक रजिस्टरों में भंडार की 126 मद आगे ले जाये गये शेष, उन शेषों से कम थे, जो मार्च 1972 की अवधि में समाप्त होने वाले स्टाक रजिस्टरों में दिखाये गये थे। इन अशुद्ध शेषों के आधार पर स्टोर कीपर ने 1 अक्टूबर 1972 को एक नयें पदधारी को कार्य भार सौंप दिया। लेखा परीक्षा के अनुरोध पर परिषद् की आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम ने स्टोर कीपर के 1 अप्रैल 1971 से कार्यभार दिये जाने तक की तारीख के स्टाक तथा औजार और संयंत्र रजिस्टरों की आगे जांच की (जून से सितम्बर 1974 के दौरान) और उसने 24.64 रुपयों की कमी पाई। यद्यपि कमियां पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय की थीं, परन्तु, मंडल द्वारा कमी की धनराशि की जांच करने, समायोजन करने/वसूली करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस मामले की परिषद् को मई 1974 में सूचित कर दिया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

(ख) 21 नवम्बर 1971 को ग्राम विद्युतीकरण मंडल, वाराणसी द्वारा विद्युत अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर के काष्ठ संसाधन संयंत्र को 500 संसाधित (पकाई हुई) साल बल्लियों की आपूर्ति के लिये मांग-पत्र दिया था। बल्लियां एक प्राइवेट परिवहन एजेंसी द्वारा सड़क मार्ग से प्रेषित की जानी थी। वाराणसी मंडल के स्टोर कीपर ने, बल्लियों को परिवहन में पड़े रहने पर, बीजक पर (जनवरी 1972) प्राप्ति की रसीद दे दी। परिवहन एजेंसी द्वारा वाराणसी में केवल 50 बल्लियां सुपुर्द की। गोरखपुर मंडल द्वारा प्रदत्त 500 बल्लियों का डेबिट फरवरी 1972 में पूरे का पूरा स्वीकृत कर लिया गया था। मार्च 1972 में, प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, 450 बल्लियां कम पाई गई। तदुपरान्त, वाराणसी मंडल ने शेष बल्लियों की आपूर्ति का मामला गोरखपुर मंडल से उठायी लेकिन बल्लियां गोरखपुर में भी नहीं पाई गई। इसके परिणाम स्वरूप परिषद् को 0.43 लाख रुपये की हानि हुई है। विद्युत अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर के काष्ठ संसाधन संयंत्र द्वारा कम बल्लियां दिये जाने के सम्बन्ध में, कई मंडलों से शिकायतें मिलने पर, परिषद् की आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा उक्त इकाई का विशेष लेखा परीक्षण किया गया, और भंडार में कुल 3.90 लाख रुपये लागत का गबन पाया गया (मई–जून 1970)।

परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1975) कि स्टोर कीपर से वसूली के लिये कमी के मूल्य को लेखों में विविध अग्रिम के रूप में डाल दिया गया है।

इलेक्ट्रानिक क्लाक सिस्टम

(xxiv) लखनऊ में परिषद् के मुख्यालय भवन में इलेक्ट्रानिक्स क्लाक सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये, अक्टूबर 1972 में 0.88 लाख रुपये के मूल्य की 25 आंकिक घड़ियां

उपलब्ध की गई थीं। इसके अतिरिक्त, सितम्बर, 1973 में उनके लिये केबिलों की खरीद (0.29 लाख रुपये) की गई थी। जुलाई से अक्तूबर 1974 के बीच 15 घड़ियां लगाई गईं। शेष बची हुई 10 घड़ियों (0.28 लाख रुपये) तथा केबिलों (0.16 लाख रुपये) को अबतक नहीं लगाया गया (जनवरी 1976) वे जबसे आईं तब से बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई हैं।

परिषद् को इस मामले की सूचना अप्रैल 1973 में दे दी गई थीं; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

उपकरण को क्षति

(xxv) 11 के0 वी0 तथा 540 के0 वी0 ए0 आर0 क्षमता के 6 कन्डेन्सर बैंक, जो परिषद् को दिसम्बर 1968 में, सतना की एक फर्म से, (मार्च 1969 में अनुबन्ध निष्पादित) 1,44,186 रुपये से प्राप्त हुये थे, तभी से ठीक से नहीं चल रहे थे, जबकि दिसम्बर, 1970 से मई, 1971 के दौरान, उन्हें लगाया गया था। आपूर्ति करने वाली फर्म कन्डेन्सर बैंकों को बदलने के लिये, इस कारण राजी नहीं हुई (अप्रैल 1971) कि उन्हें गलत ढंग से चलाया गया था तथा 11 के0 वी0 के स्थान पर, जिसके लिये उन्हें बनाया गया था, उन्हे 132 के0 वी0 पर ऊर्जित किया गया था। क्षतिग्रस्त उपकरण बिना किसी उपयोग के पड़े हुये हैं (दिसम्बर 1975)

परिषद् को मामले की सूचना मई 1974 में दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

11 के0 वी0 के सैंडेड टाप इंसुलेटरों की खरीद

(xxvi) परिषद् ने फरवरी 1968 और अगस्त 1968 के बीच, मद्रास की एक फर्म से कुल 1.37 लाख रुपयों के मूल्य पर मद्रास तक एफ0 ओ0 आर0 "ट्रायपिल पोल मैनुअली आपरेटेड" स्विचों के लिये, 11 के0 वी0 के 33,720 सैंडेड टाप इंसुलेटर उपलब्ध किये। माल प्राप्त होने पर पाया गया कि इंसुलेटरों के सैंडेड छिद्रों का व्यास, पहले के वर्षों में खरीदे हुये इंसुलेटरों के व्यास से कम था जिनमें ट्रायपिल मैनुअली आपरेटेड स्विचों के पिन की परिमाप में थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता थी। 1973–74 में (अर्थात् इंसुलेटरों को उपलब्ध करने के 6 वर्षों बाद) परिमाप में परिवर्तन किया गया था, जिसके बाद परिषद् केवल 15,220 इंसुलेटरों का उपयोग कर सकी। 0.75 लाख रुपयों के शेष 18,500 इंसुलेटर 1968 से बिना किसी उपयोग के पड़े हुये हैं (1975)।

परिषद् ने बताया (अगस्त 1975) कि अब इंसुलेटरों का उपयोग किया जा रहा था।

निष्क्रिय कैपैसिटर बैंक

(xxvii) भंडार अधिप्राप्ति (स्टोर्स प्रोक्योरमेंट) परिमंडल, लखनऊ ने विद्युत् आरक्षण मंडल, मिर्जापुर को एक 3.3 के0 वी0 कैपैसिटर बैंक की अवश्यकता के मुकाबले में, रिएक्टर तथा उपकरणों सहित, 1.47 लाख रुपयों के मूल्य का एक 11 के0 वी0 कैपैसिटर बैंक आवंटित किया (अप्रैल 1973)। यद्यपि मंडल ने आवंटन आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था (जुलाई 1973) परन्तु ऐसा नहीं किया गया, और आपूर्ति करने वाली फर्म न दिसम्बर 1973 तथा जुलाई 1974 में माल प्रेषित कर दिया। जुलाई 1974 में भेजे जाने वाले माल को समय से नहीं छुड़ाया जा सका और वह निधि की कमी के कारण रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 25 जुलाई 1974 से 14 फरवरी, 1975 की अवधि के लिये कुल 0.24 लाख रु० के विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क का भुगतान करना पड़ा था। मुख्य सामान जनवरी (1974 में प्राप्त) और उपकरण निष्क्रिय पड़े हुये हैं (जनवरी 1976)।

परिषद् को मामले की सूचना मई 1975 में दे दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

चुंगी प्रभार का भुगतान

(xxviii) जुलाई 1970 के एक सरकारी आदेश के अनुसार स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली चुंगी तथा सीमा-शुल्क आदि के भुगतान से परिषद् मुक्त है। किन्तु इलाहाबाद

विद्युत् आपूर्ति उपक्रम में 1974–75 के दौरान 1.15 लाख रुपये की चुंगी का भुगतान किया था।

परिषद् को जुलाई 1975 में इस मामले की सूचना दे दी गयी थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1976)।

बिक्री-कर का भुगतान

(xxix) केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियमों के अन्तर्गत, माल के भाड़े डेलीवरी तथा बीमा के मूल्य पर यदि उन्हें अलग-अलग लिया गया हो तो कोई कर देय नहीं है। परिषद के स्टोर्स प्रोक्योरमेंन्ट परिमंडल, लखनऊ द्वारा साधारणतया निविदायें मांगी जाती थी तथा निर्दिष्ट स्थान तक रेल में निःशुल्क भेजनें के आधार पर खरीद के अनुबंधों को अंतिमरूप प्रदान किया जाता था। आपूर्ति कर्ताओं के बिलों में भाड़े तथा बीमा शुल्कों को अलग नही दिखाया गया था। इसके फलस्वरूप इन मदों पर बिक्री-कर का भुगतान किया गया था जिसको प्रत्येक बिल में भाड़ा तथा बीमा शुल्क को अलग-अलग दिखानें पर बचाया जा सकता था। लेखा-परीक्षा में नमूना जांच करने पर पाया गया था कि 1970 और 1971 में दिये गये 39 आदेशों में मूल्य के भाड़ा शुल्क और बीमा शुल्क पर केन्द्रीय और प्रादेशिक बिक्री-कर का प्रभार क्रमशः 2.30 लाख रु० तथा 0.64 लाख रु० था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त होने की सुविधा न उठाना

(xxx) हल्का (लाइट) डीजल तेल तथा मिट्टी तेल (फरनेस आयल) यदि वे राज्य विद्युत परिषदों द्वारा विद्युत उत्पन्न करनें में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होंते हैं, तो वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से मुक्त रहते हैं। विद्युत कुमांयु मंडल, पिथौरागढ़ नें विद्युत पैदा करने के लिये खरीदे जानें वाले डीजल तेल को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान से मुक्त करने के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों से वांछित छूट नहीं ली। अप्रैल 1972 से सितम्बर 1974 की अवधि में मंडल नें 852.7 किलोमीटर डीजल तेल खरीदा और 0.63 लाख रुपयों का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क चुकाया।

परिषद् को मामले की सूचना जनवरी 1975 में दे दी गयी थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)

कोयले की ढुलाई

(xxxi) कानपुर इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन ने रेल रसीदों पर लिखे गये वजन के आधार पर कोयले के मूल्य तथा उस पर रेल भाड़े का भुगतान किया। किन्तु यह वजन जैसा कि रेल नियमों के अन्तर्गत अनुमत है, 2 मेट्रिक टन प्रति वैगन की उच्चतम सीमा व वैगनों की लादने की क्षमता के जोड़ से अधिक था। अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 की अवधि के दौरान 243 वैगनों में सीमा से ऊपर 453 मैट्रिक टन कोयला (भाड़े आदि को लेकर) 72 रु० प्रतिटन के हिसाब से 0.33 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ।

परिषद् को यह मामला मार्च 1973 में सूचित कर दिया गया था; उत्तर की प्रतीक्षा (मार्च 1976)।

विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क प्रभारों का भुगतान

(xxxii) (क) ग्राम विद्युतीकरण मंडल, वाराणसी ने जुलाई 1974 में रेलों को 0.48 लाख रु० के मूल्य के पी०सी०सी०खम्भों के संबंध में घाट शुल्क के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया। फरवरी 1974 में भेजे जानें वाले खम्भों को जुलाई 1974 में छुड़ाया गया था क्योंकि धनाभाव के कारण मंडल रेल रसीदों का समय पर भुगतान (रिटायर) नही कर सका था।

इसी मण्डल में फरवरी 1974 से सितम्बर 1974 की अवधि के दौरान आये हुये 5.36 लाख रुपये के मूल्य के माल की सुपुर्दगी (डलीवरी),

उस पर इकट्ठे घाट शुल्क के 90 प्रतिशत के अधित्याग (वेवर) के बाद भी 2.53 लाख रुपये रेल अधिकारियों द्वारा विलम्ब शुल्क / घाट शुल्क का भुगतान किये जाने के बाद जून 1975 में ली गई थी। 5.36 लाख रुपयों के मूल्य में से आपूर्तिकर्ता को 3.95 लाख रुपयों तक का भुगतान किया गया था। लेकिन फिर भी जिस माल के लिए भुगतान किया गया था उसे समय से नहीं छुड़ाया जा सका क्योंकि मण्डल 0.64 लाख रुपयों का रेल भाड़ा तथा इकट्ठे हुये विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ था।

परिषद् को जुलाई 1975 में मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

(ख) डिजाइन परिमण्डल, लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता के आदेश पर (15 दिसम्बर 1973) बंगलोर की एक फर्म ने 9.68 लाख रुपयों का एक 20 एम०वी०ए०–132/33 के०वी०ट्रांसफार्मर, मिर्जापुर में परिषद की एक इकाई को प्रेषित किया। ट्रांसफार्मर 17 फरवरी 1975 को मिर्जापुर पहुंच गया लेकिन उपयुक्त क्रेन के उपलब्ध न होने के कारण उसे उतारा नहीं जा सका। उसे जौनपुर के एक क्षतिपूर्ण ट्रांसफार्मर के स्थान पर भेज दिया गया (29 अप्रैल 1975)। चूंकि जौनपुर की सड़क का पुल ट्रांसफार्मर का भार वहन करने के उपयुक्त नहीं था इसलिए उसे पुनः जफराबाद भेज दिया गया (26 मई 1975) जहां वह 23 सितम्बर 1975 तक बिना छुड़ाये पड़ा रहा, कारण यह कि प्रेषण के दौरान मार्ग में उसमें कुछ क्षति हो जाने से उसे खोलकर छुड़ाया जाना था। उसके मिर्जापुर, जौनपुर तथा जफराबाद में पड़े रहने के कारण परिषद को 0.96 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क देना पड़ा था।

(ग) हैदराबाद की एक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म द्वारा, 12/13 मार्च 1974 को प्रतापगढ़ उप-स्टेशन के लिए उपकरणों सहित 132 के० वी० के तीन मिनिमम आयल सरकिट ब्रेकर प्रेषित किये गये थे लेकिन प्रेषण सम्बन्धी कागज प्रतापगढ़ उप स्टेशन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली परिषद की सुल्तानपुर की इकाई को भेजा गया। उप स्टेशन का नियन्त्रण अगस्त 1974 में आजमगढ़ की एक इकाई को दे दिया गया था। अन्ततः 0.23 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क दिये जाने के उपरान्त मार्च 1975 में आजमगढ़ की इकाई ने उपकरण प्राप्त किये। कागजों के भुगतान (रिटायरमेंट) में विलम्ब होने के कारण फर्म ने 0.32 लाख रुपयों का ब्याज लगाया और परिषद से प्राप्त अग्रिमों से उसके समायोजन के द्वारा माल के मूल्य के साथ उसका भुगतान ले लिया।

(घ) उपस्टेशन डिजाइन परिमण्डल, लखनऊ ने विदेशों से आये हुए विभिन्न सामानों को छुड़ाने में विलम्ब के लिए कलकत्ता बन्दरगाह अधिकारियों को फरवरी 1975 में 5.93 लाख रुपये का बन्दरगाह के किराये के रूप में भुगतान किया। परिमण्डल अधिकारियों ने बताया जून 1975 कि मुख्यालय से निधि प्राप्ति में विलम्ब, माल छुड़ाने में विलम्ब का मुख्य कारण था (जून, 1975)। परिषद ने बताया (दिसम्बर 1975) कि रेलों से वैगन मिलने में विलम्ब भी बन्दरगाह किराया दिये जाने का आंशिक कारण था।

(ङ) परिषद् के एक मण्डल द्वारा वाराणसी की एक फर्म को भण्डार का माल लादने, उतारने, ले जाने तथा चट्टे लगाने का ठेका दिया गया था (अप्रैल 1972)। ठेके के नियम और शर्तों के अनुसार रेल वैगनों से माल उतारने का कार्य रेल द्वारा दिये गये निर्धारित समय के अन्दर ही पूरा किया जाना था। ऐसा न किये जाने पर यदि कोई विलम्ब शुल्क तथा घाट-शुल्क लगता तो उसे ठेकेदार को वहन करना था। ठेकेदार को बिजली के उपकरणों को उतारने के लिए जो कि अन्य किसी प्रकार से नहीं उतारे जा सकते थे, क्रेनो का प्रबन्ध भी करना था। उस दशा में उतराई के अतिरिक्त परिषद् को क्रेनों का किराया भी देना था। आर० एस० ज्वाइस्टों को विलम्ब से उतारने के लिए मण्डल ने अप्रैल 1972 में 0.39 लाख रुपयों का विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क दिया लेकिन परिवहन ठेकेदार से इस आधार उसकी, पर वसूली नहीं की गई कि क्रेन मिलने में देर हुई थी। इस सम्बन्ध में यह बताना समीचीन होगा कि आर० ए० ज्वाइस्टों

को साधारणतया मजदूरों से उतारा जाता है और ठेकेदार से उन्हें मजदूरों द्वारा उतारने के लिए कहा भी गया था (अप्रैल 1972)। अतएव घाट शुल्क/विलम्ब शुल्क ठेकेदार से वसूल किया जाना था।

इस मामले में परिषद् के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम के अन्तर्गत दंड

(xxxiii) देखने में आया कि परिषद् की आठ इकाइयों ने मार्च 196/ से दिसम्बर 1972 की अवधि में कर्मचारी निर्वाह निधि के लिए कर्मचारियों तथा मालिकों के अंशदान तथा उस पर प्रशासनिक खर्च को निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं जमा किया। अत: क्षेत्रीय निर्वाह निधि आयुक्त ने कुल 3.21 लाख का दण्ड लगाया।

परिषद् ने बताया (दिसम्बर 1975) कि एक इकाई में इस चूक के लिए जिम्मेदारी निश्चित की।

बीमा किस्तों का भुगतान

(xxxiv) 30 मार्च 1968 की एक बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार (मूल रूप में 30 अप्रैल 1970 तक वैध) जिसे हरदुआगंज परियोजना प्रसार चतुर्थ चरण के मुख्य उपकरण तथा साज-सामान को लाने, ले जाने, एकत्रित करने, लगाने तथा जांच करने के दौरान खतरे से आ क्षित करने के लिए 18.76 करोड़ रुपये (9.38 करोड़ प्रति यूनिट के हिसाब से दो यूनिटों के लिए) में लिया गया था। बीमाकृत के अनुरोध पर अतिरिक्त किश्त से भुगतान से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। दोनों पार्टियों द्वारा किसी भी समय 30 दिन की नोटिस पर, बीमा के असमाप्त भाग के लिए यथानुपात किश्तों को वापसी पर रद्द किया जा सकता था। यद्यपि 30 जनवरी, 1972 में ही चतुर्थ चरण की पहली इकाई चालू हो गई थी तथा परिपालन और अनुरक्षण के लिए सौंपी जा चुकी थी, लेकिन पूरी रकम के लिए 30 जून 1972 तक पालिसी बढ़ा दी गई। इसके परिणामस्वरूप पहली इकाई पर 1 मार्च 1972 से 30 जून 1972 तक (नोटिस के लिए 30 दिनों को छोड़कर) 0.86 लाख रुपए की किश्त का भुगतान करना पड़ा था।

परिषद् को अक्तूबर 1974 में मामले की सूचना दे दी गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1976)।

खंड VI

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

प्रस्तावना

60. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। निगम की स्थापना के पहले राज्य परिवहन सेवायें अर्थात् उ० प्र० राजकीय रोडवेज का परिवहन विभाग द्वारा परिचालन होता था।

मई 1947 में इन सेवाओं को चलाने का कार्य सरकार द्वारा ले लिया गया था ताकि राज्य में आरामदेह, किफायती तथा कुशल सड़क परिवहन सेवायें प्रदान की जा सकें और सड़क परिवहन सेवाओं में चतुर्मुखी और सुनियोजित विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसके लिए राज्य में आगरा, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, गोरखपुर, कानपुर तथा लखनऊ में सात क्षेत्रों (रीजन), तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यशाला व काठगोदाम (जिला नैनीताल) में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त उपक्षेत्रीय कार्यशाला की स्थापना की गई थी। प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत कई डिपो थे तथा कई डिपो कार्यशालायें राज्य भर में फैली थीं। अक्तूबर 1947 में बसों का ढांचा (बाडी) बनाने, इंजनों को नया करने, टायरों की रिट्रीडिंग, गाड़ियों के अनुरक्षण तथा भारी मरम्मत, उनको नया करने तथा दूसरे सरकारी विभागों की गाड़ियों की मरम्मत के लिए कानपुर में एक रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप की स्थापना की गई थी।

निम्नलिखित तालिका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज के निगम बनाये जाने के समय तक विकास प्रदर्शित करती है:

तारीख	निविष्ट पूंजी (लाख रु० में)	गाड़ियों (फ्लीट) की स्थिति			परिचालित मार्ग	परिचालित सड़क किलो मीटर	उपलब्ध सड़क किलोमीटर
		बसें	ट्रकें	टैक्सियां			
31 मार्च 1948 (परिचालन के प्रथम वर्ष की समाप्ति)	92.55	511	336	अनुपलब्ध	31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
1 अप्रैल 1951 (प्रथम पंच वर्षीय योजना का प्रारम्भ)	312.34	1307	520	50	242	7,465	16,182
31 मार्च 1956 (प्रथम पंच वर्षीय योजना का अन्त)	460.93	1668	140	52	342	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31 मार्च 1966 (तृतीय पंच वर्षीय योजना का अन्त)	2,104.71	3,604	443	71	841	17,828	27,198
1 अप्रैल 1969 (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ)	2,336.77	3,821	525	111	853	19,396	29,213
31 मई 1972 (निगम द्वारा अधिग्रहीत किये जाने से पूर्व)	3,282.38	4,536	343	82	1,123	20,004	अनुपलब्ध

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शत प्रतिशत यात्री यातायात को राज्य सड़क परिवहन की परिधि में ले आने के उद्देश्य से माल परिवहन को निजी क्षेत्र में तथा यात्री परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत 1 जून 1972 से निगम की स्थापना की।

निगम की स्थापना होने पर परिचालन की बनी हुई सुविधाओं सहित सभी गाड़ियां उसके द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी थीं, हालांकि राज्य सरकार ने उ० प्र० गवर्नमेंट रोडवेज की 31 मई 1972 को मौजूद सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों (प्रापरटीज एण्ड एसेट्स) को निगम को स्थानान्तरित करने का औपचारिक आदेश 14 सितम्बर 1972 को दिया था।

31 मई 1972 को भूतपूर्व उ0 प्र0 राजकीय रोडवेज की अचल परिसम्पत्ति और दायित्वों का तखमीना बनाने के लिए राज्य सरकार ने 25 नवम्बर 1972 को एक मूल्यांकन समिति बनाई जिसे छ: माह के अन्दर अपनी आख्या देनी थी। आख्या दिसम्बर 1975 में दी गई। सरकार ने अभी तक इस आख्या को स्वीकृति नहीं दी है (मार्च 1976)। परिणामस्वरूप न तो अचल परिसम्पत्ति और दायित्वों की कोई सूची बनी और न ही उनका कोई वास्तविक तखमीना तैयार हुआ है। अभी तक (मार्च 1976) अचल परिसम्पत्ति और दायित्वों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई इकरारनामा भी नहीं तैयार हुआ है।

नीचे दी हुई तालिका में, रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर को छोड़कर भूतपूर्व उ० प्र० राज्य रोडवेज के केवल क्षेत्रों और मुख्यालय के कार्यालय के विषय मे अप्रैल 1969 से लेकर मई 1972 की अवधि के कार्यकारी परिणाम दिये हैं, जबकि शासन इसका प्रबन्ध करता था :

(लाख रुपये में)

वर्ष	निविष्ट पूंजी	आमदनी	व्यय	निवल लाभ	ले जाई गई सवारियां (लाख में)
1969-70	2,180.85	2,191.29	1,994.43	196.86	2,171.62
1970-71	2,247.99	2,443.56	2,203.18	240.38	2,333.09
1971-72	2,390.46	2,767.03	2,518.91	248.12	2,513.25
1972-73 (मई 1972)	2,444.05	519.04	453.75	65.29	441.95

रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के जो कि अलाभालाभ आधार पर स्वतन्त्र इकाई के रूप में काम करती है, अप्रैल 1969 से मई 1972 की अवधि में कार्यकारी परिणाम नीचे की तालिका

में दिये हैं :--

(लाख रुपये में)

वर्ष		निविष्ट पूंजी	भण्डार की सामग्री	चालू काम	असमायोजित शेष	लाभ (+) हानि (−)
1969–70	..	531.98	175.96	80.34	179.87	(+) 18.65
1970–71	..	670.28	224.13	191.11	75.38	(+) 16.85
1971–72	..	782.28	223.22	146.91	132.02	(−) 4.63
1972–73 (मई 1972 तक)	..	838.35	224.99	40.22	265.73	(−) 10.66

उद्देश्य

61. मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 68 (ग), सपठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में विहित है कि निगम प्रदेश में एक कुशल, समुचित, किफायती और सुसामंजस्यपूर्ण सड़क परिवहन सेवा व्यवस्था के अधिकाधिक विकास के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करे ।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम की धारा 33 (1) के अनुसार निगम के स्थापना काल से कोई वार्षिक लेखा तैयार नहीं हुआ है । प्रबन्धक मण्डल द्वारा निगम की उत्पादिता के मूल्यांकन के लिये आवश्यक लेखा वहियों, आवश्यक सांख्यकीय आंकड़ों का संकलन और यथा समय लेखा पूरा होना अपेक्षित है ।

संगठनात्मक व्यवस्था

62. निगम का प्रबन्ध एक मण्डल द्वारा होता है । अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, अध्यक्ष सहित मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है । अध्यक्ष तथा मण्डल के सदस्यों का एक बार का कार्यकाल एक वर्ष है ।

31 मार्च 1975 को मण्डल में नौ सदस्य थे। अध्यक्ष सहित सात सदस्य सरकारी अधिकारी थे और शेष दो गैर-सरकारी सदस्य थे । सरकारी सदस्यों में से तीन भारत सरकार द्वारा नामित किये गये थे और अध्यक्ष सहित शेष सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार ने नामित किया था । निगम की स्थापना के समय से निगम के महाप्रबन्धक उसके अध्यक्ष भी रहे हैं ।

अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार राज्य सरकार ने एक मुख्य लेखाधिकारी की भी नियुक्त की है । उक्त अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुसार मण्डल द्वारा उस पर विचार होने के पहले निगम निधि से व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव पर अपनी अभिमत अंकित करने का लेखाधिकारी का अधिकार है।

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निगम को समितियां बनाने और अधिकारों के प्रतिनिधान का अधिकार है । तदनुसार विभिन्न अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधान हुआ है ।

निगम ने निम्नलिखित स्थायी समितियां भी बनाई हैं जिन्हें समय-समय पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार सौंपे गये हैं :—

(क) प्रत्येक क्षेत्र और केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के लिए एक-एक भण्डार क्रय समिति;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक गाड़ी रद्द घोषित करने वाली समिति;

(ग) निगम के मुख्यालय में 'क' और 'ख' केन्द्रीय भण्डार क्रय समितियां ।

पूंजी व्यवस्था

पूंजी के स्रोत

63. अधिनियम में पूंजी के निम्नलिखित स्रोतों का प्राविधान है :—

(1) उक्त अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अभिदान अथवा राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य पक्षों को अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार अंश (शेयर) देकर तथा

(2) उक्त अधिनियम की धारा 26(1) के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय के लिए सार्वजनिक रूप से अथवा/अन्यथा ऋण (बारोइंग) लेकर ।

पूंजीगत अभिदान

बाद में बने लेखे के अनुसार 31 मई 1972 को भूतपूर्व उपक्रम में राज्य सरकार का रु० 32.82 करोड़ का पूंजीगत निवेश था । उपक्रम के निगम को हस्तान्तरण के समय अनन्तिम रूप से अनुमानित 30 करोड़ रु० का निवेश था । राज्य सरकार ने यह घोषित किया (24 जुलाई 1972) कि उक्त मूल्य की स्थान्तरित अचल परिसम्पत्ति में 12 करोड़ रु० अविचल ऋण (फिक्स्ड लोन) के रूप में ब्याज सहित (जो कि बाद में 6 1/4 प्रतिशत की दर से तय हुआ) प्रारम्भिक पूंजीगत अभिदान माना जाय और 18 करोड़ रु० की शेष राशि निगम को दिया गया । पुनर्देय सावधि ऋण (रियिबिल टर्म लोन) निगम की पूंजी के निमित्त राज्य सरकार ने और कुछ नहीं दिया ।

केन्द्रीय सरकार निगम के कुल पूंजीगत अभिदान का 20 प्रतिशत अभिदान देने को सहमत हो गई है (9 मार्च 1972) । अपने हिस्से के 3 करोड़ रु० का केन्द्रीय सरकार ने 97.84 लाख, 10.36 लाख और 191.80 लाख रुपये की तीन किस्तों में क्रमशः फरवरी, अप्रैल और मई 1975 में भुगतान किया । तीसरी किस्त में से मार्च 1975 तक के अभिदान पर 6 1/4 प्रतिशत ब्याज के रूप में 93,208 रु० काट लिये गये थे ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह धारणा की गई थी कि योजना की अवधि में निगम की पूंजी में राज्य सरकार 15.00 करोड़ रु० लगायेगी और अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों को 1 : 2 के अनुपात में दिये गये केन्द्रीय सरकार के अभिदानों की भांति इसमें उसका हिस्सा 7.50 करोड़ रुपये होगा । किन्तु राज्य सरकार ने निगम की पूंजी के निमित्त 1974-75 और 1975-76 के दौरान कुछ भी राशि लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ।

ऋण

निगम के द्वारा लिये जा सकने वाले ऋण की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा 5·00 करोड़ से बढ़ाकर 8.00 करोड़ रुपया कर दी गई है (जनवरी 1975) । निम्नलिखित तालिका में अपने प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च 1975 तक विभिन्न स्रोतों से निगम द्वारा लिये गये ऋणों का विवरण दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

ऋण का स्रोत	1972-73	1973-74	1974-75
(1) राज्य सरकार ..	19.00	..	..
(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया ..	0.50	0.495	..
(3) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया (चेसिस की खरीद पर बिलों का पुनः बट्टे पर भुनाना)	..	1.66	..
(4) एक अनुसूचित बैंक ..	..	..	1.64

राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों में उसके द्वारा निगम को हस्तान्तरित उपलिखत परिसम्पत्तियों के अनन्तिम रूप से निर्धारित मूल्य के एक भाग के तौर पर 18.00 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं। बाद में तैयार किये गये हिसाब के अनुसार परिसम्पत्तियों का वही मूल्य 32.82 करोड़ था जिसमें निगम के मुख्यालय का भवन शामिल नहीं है। परिसम्पत्तियों के बही मूल्य और अनन्तिम तौर पर निर्धारित मूल्य के बीच के 2.82 करोड़ रुपये के अन्तर को क्या माना जाय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं (जनवरी 1976)। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन होने तक ऋण की राशि स्थायी तौर पर निर्धारित की गई है। ऋण पर 7 1/2 प्रतिशत का ब्याज लगेगा किन्तु यह कितने समय में वापस किया जायेगा यह तय नहीं किया गया है। शेष ऋण (एक करोड़ रुपये) 1972-73 में आहरित किया गया था जो आहरण के 6 माह के भीतर ब्याज सहित वापस किया जाना था। इस राशि पर 9 1/2 प्रतिशत ब्याज लगाना था किन्तु समय पर अदायगी होने पर 2 1/2 प्रतिशत छूट की व्यवस्था थी। 31 दिसम्बर 1975 तक 8.67 लाख रुपये की छूट की हानि हो चुकी थी क्योंकि मूलधन (1.00 करोड़ रुपये) और ब्याज (32.95 लाख रुपये दिसम्बर 1975 तक) का भुगतान नहीं किया गया।

स्टेट बैंक आफ इंडिया और अनुसूचित बैंक से लिए गये ऋणों पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है। 31 मार्च 1975 तक मूलधन की किश्त की कोई रकम देय नहीं थी। उस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है (जनवरी 1976)। 31 मार्च 1975 को देय ब्याज की राशि 19.50 लाख रुपये थी।

आन्तरिक स्रोत

निगम की स्थापना के दिन अवक्षयण के लिए आरक्षित निधि तथा बीमा निधि में क्रमशः 18.42 करोड़ तथा 0.12 करोड़ रुपये थे जिसमें क्रमशः 4.29 करोड़ और 9.12 करोड़ रुपये निवेश की राशियां थीं। बाद में निगम ने अपनी पूंजीगत परिसम्पत्ति (कैपिटल एसेट्स) पर 1972-73 में 3.00 करोड़ रुपये (जून 1972 से मार्च 1973 तक) और 1973-74 में 4.22 करोड़ रुपये के अवक्षयण का प्राविधान किया और इन प्रावधानों को अवक्षयण आरक्षित निधि में मिला दिया। 1972-73 में (1.46 करोड़ रुपये) और 1973-74 में (2.44 करोड़ रुपये) बेची गई रद्दी घोषित गाड़ियों का मूल्य घटाने के बाद अवक्षयण आरक्षित निधि में 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 19.96 करोड़ रुपये तथा 21.74 करोड़ रुपये का शेष था। अवक्षयण आरक्षित निधि निवेष लेखे में से 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 0.50 करोड़ और 2.99 करोड़ रुपये निकाले गये और उसमें 1972-73 तथा 1973-74 के अन्त में क्रमशः 3.79 करोड़ और 0.80 करोड़ रुपये ही शेष रह गये।

अवक्षयण आरक्षित निधि, पूंजीगत परिसम्पत्ति को प्रतिस्थापित करने (रिप्लेसमेन्ट) के लिये होती है किन्तु 1972-73 में 0.50 करोड़ रुपये और 1973-74 में 2·99 करोड़ रुपये की राशियां अवक्षयण आरिक्षत निधि निवेश लेखे से निकाल कर दूसरे उद्द्श्यों के लिये प्रयुक्त की गई अर्थात् 0.50 करोड़ रुपये नकद साधनों की सामान्य वृद्धि के लिये प्रयुक्त किये गये और 2.99 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देय बकाया यात्री-कर के लिये समायोजित किये गये। इस प्रकार अन्य उद्देश्यों के लिये व्यय की गई राशियां पुनः वापस जमा नहीं की गयीं।

1974-75 का लेखा तैयार न होने के कारण आन्तरिक स्रोत और उनके उपयोग की स्थिति उपलब्ध नहीं हो सकी।

बजट नियंत्रण

प्राक्कलन

6.4. अधिनियम की 32वीं धारा में यह प्राविधान है कि प्रत्येक निगम आगामी वित्त वर्ष के लिये प ा नर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक बजट तैयार करके राज्य सरकार के समक्ष

अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा और यह भी कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हुये बिना किसी चालू बजट अनुदान में से कोई भी राशि व्यय नहीं की जायेगी । बजट का प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा मई 1972 में निर्धारित किया जा चुका है । यह भी तय किया गया है कि अगले वित्त वर्ष के लिये बजट का प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर तक सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया जाना चाहिये ।

निगम का 1973-74 के लिए बजट पिछले वर्ष (1972-73) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलनों के बिना ही सरकार को अनुमोदन के लिये 11 जनवरी 1973 को भेजा गया था । 1972-73 के वास्तविक आंकड़ों की उस वर्ष के बजट प्राक्कलन से तुलना भी नहीं की गई है । 16 फरवरी 1974 को भेजे गये 1974-75 के बजट में, 1972-73 के वास्तविक आंकड़े नहीं दिखलाये गये थे। अलग-अलग क्षेत्रों तथा केन्द्रीय कार्यशाला से प्राप्त मासिक विवरणों से प्रति मास लेखा तैयार नहीं किया जाता । 1974-75 के लेखे का संकलन आरम्भ नहीं किया गया है (नवम्बर 1975) ।

व्यय

यद्यपि अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत निगम को संस्वीकृत बजट प्राक्कलनों में दी गई रकमों से अधिक व्यय करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वास्तविक व्यय बजट अनुदानों से अधिक न होने पाये इसके निमित्त प्राप्त होने वाली व्यय की प्रगति पर निगाह रखने के लिये निगम ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है ।

नकदी का प्रबन्ध

65. निगम की स्थापना से लेकर 1 जुलाई 1975 तक इसकी निधियां सरकारी खजानों में निक्षेप खातों में रखी जाती थी और उन निक्षेप खातों से आहरण किया जाता था । विभिन्न क्षेत्रों में निधि की आवश्यकता को निगाह में रखते हुए अपनी आमदनियों और जमा का प्रबन्ध करने के लिये निगम ने उपयुक्त कदम नहीं उठाये ।

उदाहरणार्थ, कानपुर क्षेत्र में 1974-75 के अन्त तक निधि से 120 लाख रुपये तक का अधि-विकर्षण (ओवरड्राल) किया गया था । अक्सर ही तत्काल किये जाने वाले भुगतानों के लिये निगम आवश्यक निधि का आहरण नहीं कर पाता था । 1972-73 में 450 टाटा मर्सिडीजबेन्ज और 210 लेलैण्ड बसों के लिये आर्डर दिये गये थे किन्तु धन की कमी और परिणामतः समय से भुगतान करने की सामर्थ्य के अभाव में निगम को फर्म से नवम्बर 1974 में निवेदन करना पड़ा कि वह 85 चेसिसों की आपूर्ति दूसरे खरीदारों को करदे । रेल द्वारा आयी सामग्रियों को समय से न उठा सकने के कारण केवल केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में ही विलम्ब-शुल्क और गोदाम भाड़ा के तौर पर 1972-73 से 1974-75 के दौरान 1.44 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा । अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) का भुगतान करने में निगम के असमर्थ होने के कारण कानपुर ट्रेजरी ने आगे आहरण के लिये अनुमति नहीं दी, परिणामस्वरूप 1974-75 में (24 दिसम्बर 1974 तक) 52.34 लाख रु० की आय की रकम सीधे खर्च में विनियोजन करा लिया गया । कानपुर क्षेत्र में अक्तूबर 1974 से दिसम्बर 1974 तक की तिमाही के लिये देय सड़क-कर की अदायगी के लिये लखनऊ राजकोष से भुगतान करने की व्यवस्था की गई ।

इस सिलसिले में यह देखा गया कि यद्यपि नकद राशि के सम्बन्ध में निगम की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी फिर भी टाटा मर्सिडीज बेन्ज और ले लैंड के व्यवसायियों को चेसिस की सुपुर्दगी (डेलिवरी) की तिथि से बहुत पहले ही बड़ी-बड़ी ब्याजमुक्त राशियां बतौर पेशगी दे दी गई थीं । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 98 प्रतिशत की पेशगी या माल सुपुर्दगी के समय 100 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता था । निगम ने भुगतान के सम्बन्ध में पहला विकल्प चुना । 1973-74 में 724 चेसिसों के लिए एक पेशगी दी गई (5.18 करोड़ रुपये) जिसमें से उस वर्ष केवल 543 चेसिसें प्राप्त हुईं और 1.27 करोड़ रुपये की राशि असमायोजित रह गई । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से वास्तविक उपयोग कर्ता के लाइसेन्स के अन्तर्गत निगम मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त पुर्जों

का आयात करती रही है। शर्तों के अनुसार रेलवे रसीद प्राप्त होने पर निगम को 95 प्रतिशत का तत्काल भुगतान करना होता है। किन्तु टायर, ट्यूब और सिलिण्डर हेड्स के आयात के लिए क्रमशः 12.39 लाख और 17.50 लाख रुपये की 95 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिये नवम्बर 1974 में धन का प्रबन्ध नहीं किया जा सका। कम्पनी ने माल छुड़ा कर इन्हें बाकायदा बीमा करा कर किराये के एक गोदाम में रखवा दिया। कम्पनी की दावे के अनुसार 1.50 लाख रुपये और 0.29 लाख रुपये की राशियों का नवम्बर 1974 से जनवरी 1975 तक क्रमशः बैंक के ब्याज तथा गोदाम के किराये के रूप में निगम द्वारा भुगतान किया गया (जनवरी 1975)।

'टाटा पिस्टन' असेम्बली, पिस्टन रिंग और सिलिण्डर लाइनर्स (मूल्य 17.17 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिए जनवरी 1974 में मद्रास की एक फर्म को आर्डर दिये गये। आपूर्ति कर्ता ने अक्तूबर 1974 में माल रवाना कर दिया किन्तु धन के अभाव में रेलवे रसीद छुड़ाई नहीं जा सकी। परिणामतः माल आपूर्तिकर्ता के एक वितरक को देना पड़ा। चूंकि मर्सिडीज इंजिनों की मरम्मत और ओवर हालिंग के लिये सामान की तीव्र आवश्यकता थी, निगम ने उसे उसी वितरक से मई 1975 में ऊंचे दाम पर खरीदा जिसे माल पहले व्यवर्तित (डाइवर्ट) कर दिया गया था। परिणामतः 0.23 लाख रुपयों का अधिक व्यय हुआ।

योजना का कार्यान्वयन

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

66. 1956-57 से 1968-69 तक 11 वर्ष की अवधि के दौरान राज्य परिवहन सेवाओं के विकास का कार्य योजना के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। उसके पश्चात् राज्य में सड़क परिवहन के विकास को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया। योजना के चौथे वर्ष (1972-73) में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई। उक्त तिथि को निगम के पास 1.22 लाख कि0 मी0 लम्बे 1,123 मार्गों पर चलने वाली 4,536 बसें, 343 ट्रकें और 82 टैक्सियां थीं। 1972-73 के अन्त तक मार्गों की संख्या घटाकर 1,111 कर दी गई। 1973-74 के अन्त में कुल 1.43 लाख कि0मी0 1,208 मार्गों पर परिचालन किया जा रहा था।

योजना के अनुसार राज्य में सड़क परिवहन के विकास के लिए 7.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल आउट ले), 773 बसें खरीदने (592.87 लाख रुपये) और भूमि का अधिग्रहण करने, भवन निर्माण, औजार और मशीनों तथा फर्नीचर और जुड़नार खरीदने के लिये (132.13 लाख रुपये) था। 31 मार्च 1972 तक इस विनिधान (अलाकेशन) में से 323.20 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हुआ था। 1972-73 में निगम की स्थापना के पश्चात् पूंजीगत व्यय की जरूरत पूरी करने के लिये योजना के प्राविधान के अनुसार 1972-73 के लिये 200 लाख रुपये मुक्त करने के लिये राज्य सरकार से निवेदन किया गया किन्तु सरकार से कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई। किन्तु 1972-73 के दौरान पूंजीगत व्यय की आवश्यकता पूरी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये का ऋण जून 1972 (75 लाख रुपये) और अगस्त 1972 (25 लाख रुपये) में संस्वीकृत किया गया (ब्याज सहित इसकी अदायगी 6 माह के अन्दर होनी थी) और 50 लाख रुपये का ऋण स्टेट बैंक आफ इंडिया से लिया गया।

गाड़ियों की लागत, भूमि और भवन, औजार और मशीनों, फर्नीचर और जुड़नार (फिक्स्चर) इत्यादि पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 1973-74 के दौरान निगम को 401.80 लाख रुपये की पूंजीगत निधि की आवश्यकता थी। इस लिए राज्य सरकार से मई 1973 में निगम को 4 करोड़ रुपये देने के लिए निवेदन किया गया जो राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवहन के विकास के लिये उद्दीष्ट किया गया था, 1972-73 में (2 करोड़ रुपये) और 1973-74 में (2 करोड़ रुपये)। सरकार से कोई भी रकम प्राप्त न होने के कारण 1973-74 की अपनी पूंजीगत

आवश्यकता की पूर्ति के लिए निगम ने स्टेट बैंक आफ इंडिया से 49.50 लाख रुपये का एक और ऋण लिया और इन्डस्ट्रियल बैंक आफ इंडिया की बिलों को बट्टे पर पुन: भुनाने की योजना (बिल्स रीडिस्काउंटिंग स्कीम) की सुविधा का लाभ उठा कर ब्याज की उच्चतर दर पर (15 प्रतिशत) 1.66 करोड़ रुपये प्राप्त किए ।

योजना के अनुसार 1,000 किलोमीटर की लम्बाई के मार्गों पर राज्य सड़क परिवहन सेवाओं का विस्तार होना था। जिसमें से निगम की स्थापना होने के पूर्व ही 612 किलोमीटर लम्बे मार्गों पर अतिरिक्त सेवायें बढ़ाई जा चुकी थीं। 1972–73 और 1973–74 के अन्त तक निगम ने क्रमश: 1,008 किलोमीटर और 1,242 किलोमीटर लम्बे अतिरिक्त मार्गों पर सेवायें आरम्भ की। नये अधिगृहित मार्ग पहाड़ी जिलों में अल्मोड़ा–बसौली और अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ तथा मैदानी इलाकों में जौनपुर–केराकत और सैदपुर–मेहनाजपुर थे ।

योजना के अनुसार नये मार्गों के विस्तार और अभिवृद्धि के लिये 773 नयी बसें खरीदी जानी थी। 31 मई 1972 तक केवल 432 बसें खरीदी गई थी। 1972–73 की वार्षिक योजना के अनुसार नये मार्गों के विस्तार और अभिवृद्धि के लिए निगम को 209 नई बसें खरीदनी थीं किन्तु अर्थाभाव के कारण योजना के कार्यक्रम के अनुसार एक भी बस नहीं खरीदी जा सकी। बहरहाल, नये मार्गों के विस्तार और अभिवृद्धि के लिये उस वर्ष के दौरान ऋण लेकर निगमने 50 बसें खरीदीं। चूंकि 1972–73 के दौरान किसी नये मार्ग का अधिग्रहण नहीं किया गया था, इन बसों का वर्तमान मार्गों के विस्तार में उपयोग किया गया। 1973–74 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 409 बसों की खरीद प्रस्तावित की गई थी जिसकी तुलना में निगम ने उस वर्ष के दौरान लिये गये ऋणों से 291 बसें खरीदीं ।

1972–73 और 1973–74 के दौरान वित्तीय और ठोस लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है:—

(लाख रुपयें में)

	लक्ष्य		वास्तविक	
	1972–73	1973–74	1972–73	1973–74
(i) राज्य सरकार द्वारा सीधा निवेश	200.00	201.80	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी	कुछ नहीं	300.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii) राज्य सरकार से अल्प अवधि के ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.00	कुछ नहीं
(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50.00	150.16
(v) अतिरिक्त मार्गों पर परिचालन (कि०मी० में)	200	200	396	234
(vi) नये मार्गों पर पचालन के लिए गाड़ियों की खरीद (सं०)	209	132	50	291

पांचवी पंचवर्षीय योजना

निगम के माध्यम से सड़क परिवहन सेवाओं के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 61.25 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया था। वांछित साधन निम्न लिखित स्रोतों से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी :—

		(करोड़ रुपयों में)
(i) पूंजी के लिये राज्य सरकार द्वारा अभिदान	..	15.00
(ii) पूंजी के लिये केन्द्र सरकार का अभिदान	..	7.50
(iii) अवक्षयण आरक्षित निधि से आहरण	..	24.50
(iv) वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण	..	14.25
योग	..	61.25

किन्तु 1974-75 के दौरान राज्य सरकार कोई भी राशि नहीं दे पायी है और उसने 1975-76 में भी कोई अभिदान दे पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। परिणामतः केन्द्र सरकार से प्राप्य आनुपातिक अभिदान भी प्राप्त नहीं हो पाया है। निगम ने साधनों की उपलब्धि की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए योजना में संशोधन नहीं किया है (जनवरी 1976)।

1974-75 के दौरान योजनागत व्यय के लिये अर्थ की व्यवस्था करने के लिये एक अनुसूचित बैंक से 1.64 करोड़ रुपये का एक ऋण लिया गया और अवक्षयण आरक्षित निधि के एक अंश (5.01 करोड़ रुपये) का योजनागत व्यय के लिये उपयोग कर लिया गया।

निम्नलिखित तालिका में 1974-75 के दौरान बसों की खरीद के लिये निर्धारित लक्ष्य और वस्तुतः क्रय की गई बसों की संख्या दिखलाई गई है :—

बसों की खरीद का उद्देश्य		लक्ष्य	वास्तविक खरीद
(क) रद्दी घोषित गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों का प्रबन्ध करने के लिये (आयोजनेतर)	..	376	110
(ख) बसों की संख्या बढ़ाने के लिये (योजनागत)	..	124	168

वर्ष भर में खरीदी गई 278 बसों की कुल लागत केवल 3.34 करोड़ रुपये होती है जब कि कुल उपलब्ध साधन 6.65 करोड़ रुपये के थे (1.64 करोड़ रुपये ऋण से और 5.01 करोड़ रुपये अवक्षयण आरक्षित निधि से)।

वित्तीय स्थिति

67. जिस प्रपत्र में भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकारी रोडवेज के लेखे तैयार किये जाते थे उसमें ही 1972-73 और 1973-74 के अनन्तिम लेखे (केन्द्रीय कार्यशाला का लेन देन छोड़कर) संकलित किये गये हैं। निम्नलिखित तालिका में इन अनन्तिम (प्राविजनल) लेखों के आधार पर निगम की इन दो वर्षों में आर्थिक स्थिति निम्न प्रकार थी :—

		(लाख रु० में)	
		*1972–73	1973–74
दायित्व			
(क) **पूंजी	..	788.56	838.58
(ख) ऋण			
(i) राज्य सरकार†	..	1,544.05	1,544.05
(ii) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्टबैंक ग्राफ इंडिया (चेसिसों की खरीद पर बिलों का बट्टे पर पुनः भुनाकर)		..	131.88
(iii) स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया	..	50.00	99.50
(ग) ग्रवक्षयण निधि ग्रौर बीमा निधि	..	2007.69	2,185.77
(घ) चालू दायित्व	..	937.30	1,600.73
(ङ) ग्रदत्त (ग्रनडिस्चार्ज्ड) दायित्व	..	31.42	42.99
		5,359.02	6,443.50
परिसम्पत्ति			
(क) ग्रचल परिसम्पत्ति	..	4,274.22	4,810.81
(ख) निवेश	..	390.62	92.08
(ग) चालू परिसम्पत्ति ऋण ग्रौर ग्रग्रिम	..	694.18	1,540.61
		5,359.02	6,443.50

किये गये काम के परिणाम

1972–73 ग्रौर 1973–74 के ग्रनन्तिम लेखों के ग्राधार पर निगम के कारोबार के परिणामों का विश्लेषण निम्न प्रकार से है :—

*यह ग्रांकड़े 1 जून 1972 से 31 मार्च 1973 तक की ग्रवधि के हैं।

**इसे 12.00 करोड़ होना चाहिये जो कि राज्य सरकार द्वारा पूंजी के तौर पर अभिदत्त राशि है।

†इससे राज्य सरकार की ग्रधिसूचना के ग्रनुसार 18.00 करोड़ रुपये ग्रौर ग्रहण किये जाने की तिथि पर सरकार द्वारा किये गये निवेशों के पुस्तक मूल्य (बुक-वैल्यू) के ग्रनुसार 20.82 करोड़ रुपये 1972–73 में ऋण दी गयी 1 करोड़ रुपये की राशि होना चाहिए।

(लाख रुपये में)

विवरण	1972-73 (जून 1972 से मार्च 1973)	1973-74
राजस्व		
(क) परिचालन राजस्व		
(i) यात्री सेवायें	2,133.71	3,215.42
(ii) अनुबन्ध सेवायें	38.13	66.13
(iii) यात्रियों का सामान	19.64	34.06
(iv) पार्सल सेवायें	0.99	1.14
(v) डाक मेल सेवायें	3.03	1.99
(vi) बाह्य अभिकरण से आय (आउट-स्टेशन) ..	4.86	4.94
योग ..	2,200.36	3,323.68
(ख) परिचालनेतर (नान आपरेटिंग) अतिरिक्त राजस्व		
(i) विज्ञापनों से आय ..	0.71	1.38
(ii) जलपान-गृहों का किराया	6.07	11.25
(iii) विविध आय	71.13	108.77
योग ..	77.91	121.40
(ग) कुल राजस्व	2,278.27	3,445.08
व्यय		
(क) परिचालन व्यय		
(i) यातायात	568.97	908.74
(ii) मरम्मत और अनुरक्षण	633.02	926.89
(iii) पावर	397.25	526.06
(iv) लाइसेन्स और कर	123.15	151.99
(v) कल्याण और सेवानिवृत्ति	107.79	176.89
(vi) सामान्य खर्च	24.49	41.59
(vii) प्रशासनिक व्यय	87.39	134.22
(viii) अवक्षयण निधि में अभिदान	299.44	421.83
योग ..	2,241.50	3,288.21
(ख) परिचालनेतर व्यय पूंजी और ऋण पर ब्याज	147.52	193.44
(ग) कुल व्यय	2389.02	3481.65
(घ) परिचालन लाभ (+) हानि (−)	(−) 41.14	(+) 35.47
(ङ) निबल लाभ (+) हानि (−)	(−) 110.75	(−) 36.57
(च) परिचालन–राजस्व की तुलना में परिचालन व्यय का प्रतिशत	100.19	98.96
अन्य विवरण		
(1) प्रति गाड़ी कि०मी० पर कुल परिचालन व्यय (पैसे)	92.38	127.57
(2) प्रति गाड़ी कि० मी० पर कुल परिचालन राजस्व (पैसे)	90.69	128.94

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 के दौरान क्षेत्रों के परिचालन के वित्तीय परिणाम दिखलाये गये है :—

क्षेत्र का नाम	वर्ष के अन्त में गाड़ियों की संख्या	प्रभावी कि0मी0 (लाख में)	कुल लाभ (लाख रुपये में)	कुल व्यय (लाख रुपये में)	प्रति कि0मी0 आय (रुपये में)	लाभ (+) हानि (–) (लाख रुपये में)
आगरा	550	297.86	461.28	459.96	1.55	(+) 1.32
अलीगढ़	367	222.88	365.46	345.06	1.64	(+) 20.40
इलाहाबाद	534	284.78	399.29	435.27	1.40	(–) 35.98
बरेली	399	204.97	327.60	332.16	1.60	(–) 4.56
देहरादून	431	216.20	328.52	317.52	1.52	(+) 11.00
गोरखपुर	399	246.78	394.29	345.49	1.60	(+) 48.80
कानपुर	537	241.43	339.03	417.01	1.40	(–) 77.98
लखनऊ	516	291.65	448.32	491.68	1.54	(–) 43.36
मेरठ	361	217.87	358.19	298.17	1.65	(+) 60.02
नैनीताल	315	138.39	194.08	244.08	1.40	(–) 50.00
टनकपुर	125	43.81	61.36	98.58	1.40	(–) 37.22
वाराणसी	441	220.36	314.74	376.40	1.43	(–) 61.66
योग	4,975	2,626.98	3,992.16	4,161.38		(–) 169.22

क्षेत्रों से प्राप्त मासिक लेखे से ज्ञात हुआ कि कुछ क्षेत्रों, उदाहरणार्थ, टनकपुर, कानपुर, वाराणसी, और लखनऊ में प्रत्येक वर्ष लगभग हर माह हानि होती रही है।

इन क्षेत्रों में 1972–73, 1973–74, 1974–75 के दौरान हुई हानि का वार्षिक ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

क्षेत्र का नाम		1972–73	1973–74	1974–75
इलाहाबाद	..	19.36	19.17	35.98
बरेली	..	9.18	2.10	4.56
कानपुर	..	38.69	34.14	77.98
लखनऊ	..	23.95	3.24	43.36
नैनीताल	..	14.72	15.69	50.00
टनकपुर	..	16.33	25.37	37.22
वाराणसी	..	8.04	18.66	61.66

निबल लाभ का उपयोग (डिस्पोजल)

अधिनियम की धारा 30 में विहित है कि निगम के निबल वार्षिक लाभ पर पहला अधिभार ब्याज/लाभांश का भुगतान और अवक्षयण, आरक्षण और अन्य निधि के प्रावधान का होगा।

उपर्युक्त प्रावधान के उपरान्त, शेष का उपयोग यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने, श्रम-कल्याण, विस्तार के कार्यक्रम या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिये होगा, और उसके बाद यदि कोई राशि शेष बचे तो उसे सरकार को सड़क विकास के लिये दे देना होगा। आरम्भ से लेकर बाद के तीन वर्षों में पूंजी / ऋणों पर व्याज का भुगतान स्थगित कर दिया गया।

बसों का उपयोग:

68. अपनी स्थापनाकाल से और बाद के वर्षों में निगम के पास गाड़ियों की संख्या निम्न-प्रकार से थी :—

		बसें	ट्रकें	टैक्सियां	स्टाफ कारें*
1 जून 1972	..	4,536	343	82	अनुपलब्ध
31 मार्च 1973	..	4,582	351	65	77
31 मार्च 1974	..	4,745	336	53	94
31 मार्च 1975	..	4,975	257	54	102

परिचालन वर्ष और चले हुए किलोमीटरों के रूप में, बसों और ट्रकों (लखनऊ और गोरखपुर क्षेत्रों तथा केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर को छोड़कर) की आयु नीचे दिखलाई गई है :

		31 मार्च 1973 को		31 मार्च 1974 को		31 मार्च 1975 को	
		बसें	ट्रकें	बसें	ट्रकें	बसें	ट्रकें
(क) परिचालन वर्ष के रूप में							
8 वर्ष से ऊपर	..	810	185	741	272	729	198
5 से 8 वर्ष तक	..	595	123	854	9	727	7
5 वर्ष से कम	..	2234	20	2235	17	2627	18
(ख) चले हुए किलो मीटरों के रूप में							
6 लाख से ऊपर		77	33	68	35	46	36
५ से ६ लाख तक		155	2	157	6	232	9
५ लाख से कम		3407	293	3605	257	3805	178

निम्नलिखित तालिका में, 1974-75 तक के तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में चलने वाली और खड़ी गाड़ियों की संख्या दिखलाई गई है :—

		1972-73	1973-74	1974-75
सड़क पर चालू गाड़ियां				
बसें	..	3,272	3,417	3,539
ट्रकें	..	195	190	160
टैक्सियां	..	44	46	43
खड़ी गाड़ियां बसें				
आरक्षित	..	179	210	260
मरम्मत / निस्तारण के लिये	..	1,131	1,118	1,176
ट्रकें	..	156	146	97
टैक्सियां	..	21	7	11

*केन्द्रीय कार्यशाला, गोरखपुर क्षेत्र और निगम के मुख्यालय की गाड़ियों को छोड़ कर।

ऊपर दिखलाई गई, मरम्मत/निस्तारण के लिये खड़ी हुई गाड़ियों में निस्तारण के लिये प्रस्तावित बसों की संख्या 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान क्रमश: 69, 65 और 52 थी। इसी प्रकार ऊपर दिखलाई गई खड़ी ट्रकों की संख्या में 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान नीलाम के द्वारा निस्तारण के लिए क्रमश: 14, 31 और 4 गाड़ियां थी।

1974-75 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में, गाड़ियों की कुल संख्या के परिप्रेक्ष्य में खडी बसें, ट्रकें और टैक्सियों का प्रतिशत नीचे दिखलाया गया है :--

	1972-73	1973-74	1974-75
(1) कुल गाड़ियों की तुलना में खड़ी बसों का प्रतिशत	28.6	28.0	28.9
(2) कुल गाड़ियों की तुलना में खड़ी ट्रकों का प्रतिशत	44.4	43.4	37.7
(3) कुल गाड़ियों की तुलना में खड़ी टैक्सियों का प्रतिशत	23.3	13.2	20.4

यातायात का विश्लेषण

ग्रामीण सेवायें

69. निगम की अपनी अधिकांश बसें, कस्बाई क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं। इन सेवाओं में, अन्तर्राज्य सेवायें, डी-लक्स सेवायें, वातानुकूलित सेवायें और रात्रि सेवायें शामिल हैं। 1974-75 तक के तीन वर्षों में इन ग्रामीण सेवाओं के परिचालन के परिणाम नीचे दिये गये हैं :--

विवरण	1972-73	1973-74	1974-75
(1) परिचालित मार्गों की संख्या ..	1,006	1,098	1,109*
(2) अनुसूचित कि०मी० (लाख में) ..	2323.80	2461.06	2718.49
(3) परिचालित कि०मी० (लाख में) ..	2131.93	2237.33	2449.09
(4) परिचालन दक्षता (परिचालित कि०मी० का अनुसूचित कि०मी० से प्रतिशत) ..	91.31	90.99	90.90
(5) अनुसूचित खेपे (ट्रिपें) (लाख में) ..	36.80	38.27	32.68**
(6) परिचालित खेपें (लाख में) ..	33.88	35.75	28.78**
(7) सेवा में नियमितता (परिचालित खेपों का अनुसूचित खेपों से प्रतिशत) ..	92.07	93.40	88.00
(8) लादे गये यात्रियों की संख्या (लाख में) ..	1785.33	2127.73	2340.51
(9) परिचालित कि०मी० (लाख में)			
(क) अर्जित ..	2105.07	2207.42	2415.70
(ख) अनर्जित (विभागीय सहित) ..	26.86	29.91	33.39
योग ..	2131.93	2237.33	2449.09
(10) कुल कि०मी० से अनर्जित (डेड) कि०मी० का प्रतिशत	1.26	1.34	1.36
(11) औसत बैठने की क्षमता ..	48.17	48.34	48.42
(12) औसत भार घटक (फैक्टर) (प्रतिशत)	62.70	68.73	78.35
(13) लागत प्रति कि०मी० (पैसों में) ..	107	119	152
(14) आय प्रति कि०मी० (पैसों में) ..	117	132	151
(15) लाभ (+) हानि (-) प्रति कि०मी० (पैसों में)	(+)10	(+)13	(-)1

*यह 31 दिसम्बर 1974 तक की अवधि का है।

**लखनऊ क्षेत्र के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

नगरीय/शहर बस सेवा :—

केवल छ: शहरों यथा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, आगरा और इलाहाबाद में निगम की शहर बस सेवा चलती है। 1974–75 तक के तीन वर्ष में नगर बस सेवा परिचालन का विश्लेषण नीचे दिया है:—

विवरण	1972–73	1973–74	1974–75
(1) परिचालित बस मार्गों की संख्या ..	105	110	130*
(2) अनुसूचित खेपें (लाख में)	10.59	10.56	10.75
(3) परिचालित खेप (लाख म) ..	8.59	8.31	8.04
(4) परिचालित खेपों की तुलना में कम की गयी खेपों का प्रतिशत	23.28	27.08	33.70
(5) परिचालित कि0 मी0 (लाख में) —			
(क) अर्जित	183.32	199.38	190.50
(ख) अनर्जित (डेड) (विभागीय सहित)	7.37	8.08	6.70
कुल ..	190.69	207.46	197.20
(6) बैठने के स्थान की औसत क्षमता ..	50.75	50.75	50.75
(7) ली गई सवारियां (लाख में) ..	596.72	660.23	714.71
(8) औसत भार अंश	45	59	72.4
(9) प्रति कि0 मी0 औसत आय (रु0 में) ..	1.07	1.18	1.32
(10) प्रति कि0 मी0 औसत मूल्य (रु0 में) ..	1.13	1.25	1.65
(11) कुल हानि (लाख रुपये में) ..	13.35	14.52	65.08
(12) प्रति दिन परिचालित बसों का औसत ..	351	407	415

जून 1972 से मार्च 1975 तक की अवधि में शहरी बस परिचालन में कुल 92.95 लाख रुपये की हानि हुयी।

निगम ने विद्यार्थियों, अन्धे व्यक्तियों, पत्र संवाददाताओं, आदि को रियायती टिकिट दिये। मार्च 1975 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष में विद्यार्थियों को 1972–73, 1973–74 व 1974–75 में क्रमश: कुल 0.35 लाख, 0.35 लाख और 0.46 लाख पास दिये गये। निगम ने उस राजस्व का लेखा नहीं बनाया जो कि इन रियायतों के कारण उसे छोड़ना पड़ा।

*यह 31–12–1974 तक की अवधि के विषय में है।

अर्नाजित (डैड) किलो मीटर

31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी बस परिचालनों में राजस्व कि0 मी0 तथा अर्नाजित कि0 मी0 की स्थिति इस प्रकार रही :

(लाख किलो मीटर में आंकड़े)

	ग्रामीण बस परिचालन		शहरी बस परिचालन	
	राजस्व	अर्नाजित	राजस्व	अर्नाजित
1972–73	2105.07	26.86	183.32	7.37
1973–74	2207.42	29.91	199.38	8.08
1974–75	2415.70	33.39	190.50	6.70

इस सम्बन्ध में उक्त वर्षों में ग्रामीण परिचालनों में राजस्व कि0मी0 की तुलना अर्नाजित कि0मी0 का प्रतिशत क्रमश: 1.28, 1.35 व 1.38था, जब कि शहरी बस सेवा के परिचालनों में यह प्रतिशत क्रमश: 4.02, 4.05 व 3.52 था। 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष में ट्रकों और टैक्सियों के द्वारा अर्जित 28.11 लाख कि0मी0, 22.76 लाखकि0मी0 व 20.22 लाख कि0मी0 की तुलना में उनके अर्नाजित कि0 मी0 15.27 लाख कि0 मी0, 17.09 लाख कि0 मी0 व 17.19 लाख कि0 मी0 थे। ट्रकों और टैक्सियों के मामले में कुल कि0 मी0 की तुलना में आय कि0मी0का प्रतिशत क्रमश: 64.9, 57.1 और 54.0 था।

एक क्षेत्र के तीन डिपो से दिल्ली जाने वाली सवारी गाड़ियां, दिल्ली की निर्धारित खेपें पूरी करने के बाद, वहां गाड़ी खड़ी करने के स्थान की कमी के कारण, 29 कि0मी0 बेकार चलने के बाद, (दिल्ली में स्टेशन के बाहर खड़े होने के बजाय), गाजियाबाद में खड़ी की जाती थीं। दिल्ली से परिचालित होने के लिए, वहां तक ये सवारी गाड़ियां फिर खाली जाती थीं। जुलाई 1969 से अप्रैल 1973 तक गाजियाबाद से दिल्ली और वहां से वापसी में ये सवारी गाड़ियां 5.24 लाख अर्नाजित कि0 मी0 चलीं।

जुलाई 1969 से मई 1971 तक 94 पैसा प्रति कि0 मी0 तथा जून 1971 से रु0 1.20 पैसे प्रति कि0 मी0 की दर से परिचालन मूल्य के आधार पर निगम ने 5.40 लाख रु0 का अलाभकारी व्यय किया। अप्रैल 1973 के बाद से यह बसें दिल्ली में अन्तर्राज्य बस स्टेशन पर खड़ी की जा रही हैं।

यात्रियों को टिकटों की बिक्री

निगम के पास कई बस स्टेशन हैं जहां यात्रियों को वांछित गन्तव्य स्थान के लिए टिकट बेचे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रास्ते में भी कण्डक्टर बिक्री करते हैं। विभिन्न डिपो में नमूने के तौर पर जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें दिखाई पड़ीं—

(1) रवन्नों (वे बिल) और रास्ते में बिक्री के लिए दी गई कोरी टिकिट पुस्तिकाओं पर न तो क्षेत्र के नाम का उल्लेख था और न ही इस बात का कोई संकेत कि विशिष्ट रवन्ने (वे बिल) का प्रारूप मूल, द्वितीय प्रति, अथवा तृतीय प्रति है।

(2) कण्डक्टरों को दिये गये रवन्नों पर उन्हें जारी करने वाले प्राधिकारी के पूरे हस्ताक्षर नहीं थे, और न ही डिपों में रवन्नों व कोरी टिकिट पुस्तिकाओं के कण्डक्टरों को देने और उनसे उनकी वापसी का कोई विधिवत् लेखा था।

(3) निरीक्षण कर्मचारियों को निरीक्षित रवन्ने और सारांश कण्डक्टर को वापस करने चाहिये थे और वह उन्हें रोकड़ के साथ खजांची के पास जमा करता। इसके बजाय निरीक्षण कर्मचारियों ने अधिकतर सिर्फ एक चिट ही लिख दी जिस पर जमा के लिए रोकड़ मात्र ही अंकित होती थी।

(4) सारांश नहीं बने हैं, और मुख्य रोकड़ बही तथा गाड़ियों की दैनिक आय से उनका मिलान नहीं किया जाता है।

(5) निरीक्षण रजिस्टर, संग्रह रजिस्टर, गाड़ी की दैनिक आय, रवन्ने देने के रजिस्टर और सहायक परिवहन निरीक्षकों, परिवहन अधीक्षकों की मार्ग निरीक्षण रिपोर्टों का बिके हुये टिकटों के सारांश और प्राप्त आय से कोई मिलान नहीं किया जाता है।

(6) निरीक्षण रजिस्टर तथा दैनिक रोकड़ वसूली रजिस्टरों की, उनके तैयार करने वाले के अतिरिक्त और कोई कर्मचारी जांच नहीं करता।

(7) बाहर के स्टेशनों के बिक्री खातों और रोकड़ बहियों की नियमित जांच नहीं होती थी, तथा

(8) टिकट बाबू के पास कितना भण्डार बचा है, इसे सुनिश्चित किये बगैर उनको टिकट जारी किये जा रहे थे।

वसूलियों का हिसाब रखने और किराये के सरकारी हिसाब में जमा करने के तरीकों में उपर्युक्त कमियों को किराये की वसूली को हिसाब में न लिए जाने के मामलों के बार बार दुहराये जाने के सन्दर्भ में गौर किया जाय, जिसके नमूना जांच क दौरान प्रकाश में आये कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(1) कानपुर क्षेत्र में अप्रैल 1974 से अक्टूबर 1974 तक उन टिकटों की बिक्री में, जो कि हिसाब में नहीं थे रु0 16,684 का गबन हुआ। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 1974 से अप्रैल 1975 तक, कम पैसा जमा होने के कारण केवल एक डिपो (जुही) में कण्डक्टरों से रु0 4,877 वसूल होने हैं।

(2) टिकट बाबुओं ने उन टिकटों के नम्बर दिखाकर जो कि भण्डार में नहीं थे, रवन्नों (वे बिल) में झूठी प्रविष्टियां की थीं। ऐसी बिक्री को उनकी खिड़की के बिक्री खाते में नहीं लिया गया। इसके कारण 1974-75 में गोरखपुर क्षेत्र में रु0 6,763 का घाटा हुआ।

(3) आगरा क्षेत्र में एक कण्डक्टर को 6-9-74 को दी गयी 50 टिकटों की एक टिकट पुस्तिका गुमशुदा घोषित की गयी। उसने 35 जगह सवारियों को कोई टिकट दिये बिना खोये हुये कोरे टिकटों से नम्बर उतार कर रवन्ने (वे बिल) में लिख दिये। बताया गया कि रु0 395 की आय का नुकसान हुआ।

(4) अक्टूबर 1971 से अक्टूबर, 1974 के बीच जारी किये गये अनबिके टिकट जिन्हें गुमशुदा घोषित किया गया और जो मथुरा और आगरा डिपो (आगरा क्षेत्र) के हिसाब में बकाया दिखाये गये हैं और जिन्हें टिकट बाबुओं और कण्डक्टरों से वसूल किया जाना है, क्रमश: रु0 5,990 व रु0 6,398 मूल्य के हैं।

(5) इलाहाबाद क्षेत्र में जून 1974 से जनवरी 1975 तक कोरी टिकट पुस्तिकाओं के गुम होने के मामले में 4 कण्डक्टरों के विरुद्ध जांच बाकी है। यह रु0 796 का मामला है।

(6) अलीगढ़ क्षेत्र में अगस्त 1974 में रु0 1,395 प्रत्यक्ष मूल्य के 300 टिकिट कम हो गये। 25 जनवरी 1975 को क्षेत्रीय प्रबन्धक को इसकी सूचना दी गई। इस मामले की न तो पुलिस को रपट की गई और न ही कोई विभागीय जांच हुई (मार्च 1976)।

(7) गोरखपुर क्षेत्र में रवन्नों में परिवर्तन, उन्हें नष्ट कर देने या, धन के गबन के कई मामले दिखाई पड़े। गोंडा डिपो में मार्ग आय 4 से लेकर 10 दिन के बाद जमा की गई।

देवरिया डिपो में 1974–75 में कण्डक्टरों द्वारा रवन्नों की बुकिंग के 17 मामलों में रु0 4,376 जमा नहीं हुए और 17 दूसरे मामलों में रु0 411 कम जमा किये गये। टिकट खो देने के लिए देवरिया डिपो के एक कण्डक्टर से रु0 3,091 की वसूली होनी थी और एक दूसरे मामले में 287 टिकट खो जाने के कारण रु0 1,002 की वसूली बकाया थी।

अन्तर्राज्य सेवाएं

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के मध्य निगम अन्तर्राज्य सेवायें परिचालित करती है। गोरखपुर, टनकपुर और नैनीताल क्षेत्रों को छोड़कर, विभिन्न क्षेत्रों में इन अन्तर्राज्य सेवाओं के परिचालन के परिणाम इस प्रकार हैं:—

	1972–73	1973–74	1974–75
(1) परिचालित मार्ग	60	64	63
(2) परिचालित कि0 मी0 (लाख में) ..	193.41	214.25	224.60
(3) अर्जित आय (लाख में)	173.95	308.30	357.01
(4) लेजाई गयी सवारियां (लाख में) ..	111.89	127.65	137.32
(5) औसत भार अंश	58	65	79
(6) प्रति कि0 मी0 आय (पैसे में) ..	90	144	159
(7) प्रति कि0 मी0 व्यय (पैसे में) ..	107	119	152
(8) प्रति कि0 मी0 लाभ/हानि (पैसे में) ..	(–)17	(+)25	(+)7
(9) कुल लाभ (+)/हानि (–) (लाख रुपयों में)	(–)33.88	(+)53.56	(+)15.72

वातानुकूलित सेवाएं

भूतपूर्व उ0 प्र0 राज्य रोडवेज ने भारत सरकार के पर्यटन विभाग के सुझाव पर मार्च 1962 में रु0 1.03 लाख की कीमत पर एक वातानुकूलित गाड़ी खरीदी, और आगरा-दिल्ली मार्ग पर इसका परिचालन शुरू किया। इस मार्ग पर वातानुकूलित सेवाओं के परिचालन को और बढ़ाने के उद्देश्य से बसों के लिये 6 वातानुकूलन संयंत्र के आयात हेतु भारत सरकार ने उ0 प्र0 राज्य रोडवेज को विदेशी मुद्रा उपलब्ध की, जिसमें से 4 संयंत्र आयात किये गये और मई 1968 में पहली वातानुकूलित बस निर्मित हुयी। भारतीय पर्यटन विकास निगम लि0 (भारत सरकार का एक उपक्रम) और उ0 प्र0 राज्य रोडवेज में जून 1968 में एक समझौता हुआ कि आगरा-दिल्ली मार्ग पर संयुक्त आधार पर प्रत्येक संस्था 2 बसें परिचालित करेगी। निगम की परिषद् के (22.4.1969) के निर्णय के अनुसार 12 मई, 1969 से अन्य 2 बसें दिल्ली-देहरादून मार्ग पर परिचालित की गयीं, और दिसम्बर 1971 में बन्द कर दी गयीं। आगरा-दिल्ली मार्ग पर वातानुकूलित गाड़ियों के 1972–73 तक परिचालन के विवरण नहीं मिले। वर्ष 1973–74 व 1974–75 के परिचालनों के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

	1973–74	1974–75
कुल परिचालित कि0 मी0	72,315	63,724
ली गयी सवारियां	1,989	6,069
अर्जित आय (रुपयों में)	33,594	88,119
प्रति कि0 मी0 आय (रु0 में)	0.46	1.38
भोजन के लिये रु0 10 प्रति सवारी सहित (रुपयों में) कुल व्यय	1,22,541	1,57,578
प्रति कि0 मी0 व्यय	1.69	2.47
परिचालन पर कुल हानि (रुपयों में)	88,947	69,459

पिछले 3 वर्ष से डिलक्स बसों के रूप में परिवर्तित होने के लिये 4 वातानुकूलित बसें केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में पड़ी हैं, और वातानुकूलन संयंत्र बिकने को पड़े है (मार्च 1976)।

डिलक्स सेवायें

लगभग सभी क्षेत्रों में निगम की कई डिलक्स बसें चल रही हैं। विशेष आराम की सुविधा वाली सीटों के कारण इन बसों के परिचालन का व्यय अधिक है। साधारण बसों के मुकाबले इन बसों में अधिक किराया लिया जाता है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, देहरादून और मेरठ क्षेत्रों में इन सेवाओं के परिचालन के परिणाम नीचे दिये हैं :—

	1972-73	1973-74	1974-75
परिचालित गाड़ियों की संख्या	21	24	17
परिचालित मार्गों की संख्या	10	10	10
ले जायी गयी सवारियां (लाख में) ..	1.22	1.95	2.65
औसत भार अंश	74.3	79	88.04
कुल आय (लाख रुपये में)	11.11	18.77	26.04
कुल व्यय (लाख रुपये में)	11.21	16.64	27.72
परिचालित कि0 मी0 (लाख में).. ..	9.99	13.34	16.77
प्रति कि0 मी0 आय (पैसों में)	112	141	155
प्रति कि0 मी0 व्यय (पैसों में)	113	125	165
प्रति कि0 मी0 लाभ/हानि (पैसों में) ..	(−)1	(+)16	(−)10
लाभ/हानि (लाख रुपयों में)	(−)0.10	(+)2.13	(−)1.68

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये एक आदेश (5 नवम्बर 1971) के अनुसार डिलक्स बसों में साधारण दर की तुलना में 1-1/2 गुना किराया लेना चाहिये। तदनुसार 31-12-1971 तक प्रति सवारी प्रति कि0 मी0 4.95 पैसे, किराया तथा तदनन्तर 5.70 पैसे आता है। लेकिन अलीगढ़-दिल्ली मार्ग पर डिलक्स बसों में 12-9-72 तक प्रति सवारी प्रति कि0 मी0 3.80 पैसे, तथा बाद में 4.42 पैसे की दर से किराया लिया जाता रहा। इस प्रकार 5 नवम्बर 1971 से 3 जून 1974 की अवधि में निगम को रु0 1.29 लाख का घाटा हुआ।

दूसरे क्षेत्रों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है (मार्च, 1976)।

मेला स्पेसल

13 जनवरी, 1972 से लागू होने के लिये राज्य सरकार ने जो नयी पुनरीक्षित भाड़ा व्यवस्था ज्ञापित की उसके अनुसार मेलों और दूसरे विशेष अवसरों पर चलाई जाने वाली विशेष गाड़ियों (स्टेज कैरिज) के लिये प्रति सवारी प्रति कि0 मी0 5.06 पैसे की दर निर्धारित की गई। क्षेत्र विशेष में विभिन्न मेलों तथा दूसरे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मेलों के अवसर पर प्रत्येक वर्ष निगम के सभी क्षेत्रों से विशेष सवायें परिचालित होती हैं। लेखा परीक्षा द्वारा नमूना जांच (1975) से पता चला कि निगम ने राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उच्चतर मेला दर पर भाड़े नहीं लिये, और इस

कारण सिर्फ इलाहाबाद तथा गोरखपुर क्षेत्रों में ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार रु0 0.57 लाख का घाटा हुआ:--

मेले का नाम	क्षेत्र का नाम	अवधि	निर्धारित दर (प्रति सवारी प्रति कि0 मी0, पैसा)	ली गयी वास्तविक दर (प्रति सवारी प्रति कि0 मी0, पैसा)	हानि (रुपये में)
माघ मेला, इलाहाबाद	इलाहाबाद	8 से 10, तथा 12 से 17 फरवरी 1975	5.06	3.80 4.42	20,085*
,,	गोरखपुर	7 से 10, तथा 12 से 14 फरवरी 1975	5.06	4.42	26,024
दरगाह शरीफ, बहराइच	गोरखपुर	9 से 10, तथा 12 से 14 मई 1974	5.06	3.80	10,592@

अनुबन्धित गाड़ियां

निगम ने कई बसें और ट्रकें लम्बी अवधि के अनुबन्धों पर सरकारी विभागों/ कम्पनियों/निगमों को भाड़े पर उठाई हैं। बिना इस हिसाब के कि गाड़ियां कितने कि0 मी0 चलती हैं, भाड़े के रूप में प्रतिमास एक निश्चित राशि दी जाती है। प्रत्येक बस या ट्रक के साथ चालक तथा कण्डक्टर/क्लीनरों की सेवायें भी दी जाती हैं। पेट्रोल की कीमत, तेल, लुब्रिकैन्ट, अनुरक्षण व्यय, मरम्मत का व्यय तथा गाड़ियों का अवक्षयण (डिपरीसियेशन), और चालकों आदि के वेतन निगम वहन करती है। इस प्रकार के परिचालनों के लाभ/हानि पर कोई विचार नहीं किया गया है (जनवरी 1976)।

बसों के ठेके पर भाड़े की दरों (चार्टरिंग रेट्स) की तुलना में निगम को काफी घाटा उठाना पड़ा, जिनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित तालिका में दिये हैं:—

भाड़े पर बस लेने वाले का नाम	किराये पर ली गई बसों की संख्या	भाड़े की दरें (रुपये में)	प्रभारित दर (रुपये में)	प्रतिदिन हानि (रुपये में)	प्रतिवर्ष हानि (लाख रुपये में)
इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद	9	†2868 प्रतिदिन	1900 प्रतिदिन	968	3.02
लिमिटेड, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स, इलाहाबाद	5	†1022 प्रतिदिन	500 प्रतिदिन	522	1.63
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद	3	†555 प्रतिदिन	300 प्रतिदिन	255	0.80
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर	10	2.06 प्रति कि॰मी॰	1.20 प्रति कि॰मी॰	533	1.66
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ	3	2.06 प्रति कि॰मी॰	1.20 प्रति॰ कि॰मी॰	187	1.21

*जीरो रोड क्षेत्र से परिचालन को निकाल कर।

@केवल बलरामपुर और गोंडा डिपों के विषय में।

†(ठेके पर) भाड़े के दरें इन बसों द्वारा प्रतिदिन वास्तविक कि॰मी॰ चलने के औसत को ठेके के भाड़े की प्रति कि॰मी॰ दर स गुणा करके निकाला गया है।

अलाभकारी मार्ग

प्रत्येक क्षेत्र में निगम ऐसे कई मार्गों पर गाड़ियां चला रही है जो कि लाभकारी नहीं थे। विभिन्न क्षेत्रों में लेखा परीक्षा के दौरान घाटे के ऐसे कई मार्ग ज्ञात हुए जिन की आय लगातार उनके परिचालन व्यय से कम थी। इन मार्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है (जनवरी, 1976)।

कानपुर क्षेत्र में शहरी बसों के अलावा 75 ऐसे मार्ग थे जो कि बराबर रु० 1.50 प्रति कि०मी० से कम की आमदनी दे रहे थे। आगरा क्षेत्र में शहरी बस सेवा के 5 ऐसे मार्ग थे जिनकी आमदनी उनके परिचालन व्यय से कम थी। इसके अतिरिक्त नैनीताल, देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्रों में घाटे के ऐसे कई मार्ग से जिन की आमदनी उन के परिचालन व्यय से कम थी, और जो कि अब भी हैं। जून 1972 से मार्च 1975 के बीच निगम को इस कारण 14.13 लाख रु० (लगभग) का घाटा हुआ।

घाटे के स्टेशन

किसी स्टेशन के आत्म निर्भर बने रहने के लिये निगम के (जून 1970) तखमीने के आधार पर उसकी प्रतिदिन की आय रु० 300 और रुपया 400 के बीच होनी चाहिये। अतएव परिवहन आयुक्त ने जून 1970 में निदेश दिया कि प्रथम चरण में मार्ग के वे स्टेशन बन्द कर दिये जायें, जिनकी प्रतिदिन आय रु० 50 से कम हो, और बाद के चरणों में रु० 100 प्रतिदिन से कम की बिक्री वाले स्टेशन भी बन्दकर दिए जायें। अकेले कानपुर क्षेत्र में ऐसे 8 स्टशन थे जिनकी रु० 50 प्रतिदिन से कम आय थी, जिन्हें बन्द नहीं किया गया। गोरखपुर क्षेत्र में गिलौला, मगहर, मुण्डेखा और भटहट के स्टेशनों पर प्रत्येक से रु० 75 प्रतिदिन से भी कम आय थी।

समय से पहले खराब हो जाना

निगम स्थापित होने के समय से प्रतिवर्ष इंजिनों, टायरों और बैटरियों के अवधि से पूर्व ही खराब हो जाने के कुछ मामलों का नीचे उल्लेख है :—

(क) इंजिन (आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, टनकपुर और लखनऊ क्षेत्रों को छोड़कर)

	1972-73	1973-74	1974-75
(1) निर्धारित काल (लाख कि०मीटरों में)			
नये	2.5	2.5	2.5
मरम्मत किये हुये	1.0	1.0	1.0
(2) समयपूर्व खराब हुये इंजिन (संख्या)			
नये	48	52	45
मरम्मत किये हुये	201	263	279
(3) निकाल दिये गये (इंजिनों) की तुलना में खराब इंजिनों का प्रतिशत			
नये	15.0	15.3	14.7
मरम्मत किये हुये	31	31.7	30.1

इंजिनों के समय पूर्व खराब हो जाने के ये कारण बताये गये :—

(1) निर्माण दोष, (2) इंजिनों की टक्कर, (3) बेयरिंगों का पिघल जाना, और (4) तेल के चाप का कम होना।

(ख) टायर (केवल अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, देहरादून और वाराणसी क्षेत्र)

	1972–73	1973–74	1974–75
(1) निर्धारित काल (कि०मी० में)			
नये	80,000	80,000	80,000
पुनश्चारित (रिट्रेडेड)	30,000	30,000	30,000
(2) निकाल दिये गये टायर (संख्या)			
नये	5,491	8,086	8,949
पुनश्चारित (रिट्रेडेड)	2,243	3,088	3,641
(3) समय पूर्व खराब हुये (संख्या)			
नये	1,800	2,245	2,651
पुनश्चारित (रिट्रेडेड)	924	1,578	1,918
(4) निकाल दिये गये टायरों की तुलना में खराब टायरों का प्रतिशत			
नये	33	30	30
पुनश्चारित (रिट्रेडेड)	41.2	51.1	52.7

टायरों के समय पूर्व खराब हो जाने के कारण ये थे : (1) निर्माण दोष, (2) पत्थर से कट जाना, (3) टायर फट जाना, (4) हाल चौड़ा हो जाना (रिम फ्लैट), (5) हचक से फट जाना (कान्कशन बर्स्ट), (6) घिसे हुये।

(ग) बैटरियां

	1972–73	1973–74	1974–75
(1) निर्धारित काल (महीनों में)	12	12	12
(2) निकाल दी गई बैटरियां (संख्या) ..	4,2 9	6,016	5,930
(3) समयपूर्व खराब हुयी (संख्या) ..	1,191	1,682	1,812
(4) निकाल दी गयी की तुलना में खराब हुयी का प्रतिशत	27.96	27.96	30.60

बैटरियों के समय पूर्व खराब हो जाने के कारण, (1) निर्माण दोष, तथा (2) रिसना (लीकेज) बताये गए।

परिचालन के लिये गाड़ी के सम्मोचन (रिलीज) में विलम्ब

परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित नियम (नवम्बर 1970) के अनुसार गाड़ियां जिस दिन केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से आती है उसी दिन से उन का परिचालन शुरू हो जाना चाहिये। इसके विरुद्ध यह देखने में आया कि परिचालन हेतु गाड़ी को डिपो भेजने में 7 से 33 दिन तक की देर हुई, जिसके फलस्वरूप रु० 300 प्रति गाड़ी प्रति दिन की न्यूनतम औसत आय का अनुमानित घाटा हुआ।

गाड़ियों का अनुरक्षण पूरा करने में विलम्ब

यह देखा गया कि एक लाख कि0 मी0 चलकर मरम्मत और अनुरक्षण के लिये जो गाड़ियां 1974 और 1975 में क्षेत्रीय कार्यशाला में भेजी गयी, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित (नवम्बर 1970) 30 दिन के नियम के बजाय, 30 से लेकर 198 दिन बाद वापस मिलीं। वापसी में विलम्ब का कारण श्रमिकों और सामग्री का अभाव बताया गया। निगम के अनुसार मरम्मत और अनुरक्षण में विलम्ब के कारण खेपों में अच्छी खासी कटौती करनी पड़ी।

देहरादून क्षेत्र में मरम्मत और अनुरक्षण के लिये जनवरी 1973 से अक्तूबर 1973 तक भेजी गई गाड़ियां 90 से 210 दिन के बीच वापस मिली। इसी प्रकार गोरखपुर और अलीगढ़ क्षेत्रों में अक्टूबर और मार्च के बीच प्राप्त हुई गाड़ियों के लौटाने में 88 से 223 दिनों का विलम्ब हुआ।

गाड़ियों का पंजीकरण

क्षेत्रों में गाड़ी आ जाने के दो दिन के भीतर उनको परिचालित करने के पूर्व, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से उनकी अस्थायी पंजीकरण संख्या ले लेनी चाहिये। देखा गया कि 1973-74 में देहरादून क्षेत्र में 23 दिन तक के बाद गाड़ियां सड़क पर निकाली गयी।

समुपयुक्तता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सार्टिफिकेट)

वर्तमान प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने के दो दिन के अन्दर प्रत्येक गाड़ी के लिये नया समुपयुक्तता प्रमाण-पत्र ले लेना अपेक्षित है। नया प्रमाण-पत्र लेने में विलम्ब के कारण (बस) सेवाओं में कटौती करनी पड़ती है जिससे आमदनी का घाटा होता है। टनकपुर क्षेत्र में 1974-75 में इस कारण 86 से 178 दिन का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया कि समुपयुक्तता प्रमाण-पत्र ले लेने के बाद गाड़ी को परिचालनार्थ निकालने में 1 से 10 दिन तक लग गये।

सड़क-कर की वापसी (रिफंड)

प्रत्येक तिमाही के सड़क कर का भुगतान पेशगी तौर पर होता है। जो गाड़ियां कम से कम तीन महीने तक नहीं चलती उनका सड़क कर प्रत्यापित (रिफंड) हो जाता है, बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को समय से सूचना दे दी गयी हो। गाड़ियों के न चलने की सूचना के साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र के टोकन भी वापस कर देना चाहिए। यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को समय से सूचना नहीं दी गयी थी, और उक्त टोकन या तो वापस ही नहीं किये गये या बहुत विलम्ब से वापस हुये। परिणामतः निगम को सड़क कर वापस नहीं हुआ।

केवल एक क्षेत्र (देहारादून) में 1969-70 से 1974-75 के मध्य 2.47 लाख रु0 की वापसी के दावों में से केवल 1.13 लाख रु0 की वापसी के वाऊचर मिले और 1.34 लाख रु0 के दावे बगैर जांच पड़ताल के अभी तक बकाया पड़े हैं (जनवरी, 1976)। उनमें से कुछ कालबाधित भी हो गये थे।

गोरखपुर और अलीगढ़ क्षेत्रों में 1957 से मार्च 1975 की अवधि के क्रमशः 4.09 लाख व 3.08 लाख रुपये के दावे संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास पड़े हैं (जनवरी 1976)।

ट्रक परिचालन

निगम की स्थापना काल से उसके पास ट्रकों की संख्या कुल परिचालित कि0 मी0, राजस्व कि0 मी0, अनर्जित कि0 मी0, अर्जित आय, परिचालन व्यय, तथा प्रति कि0 मी0 आय की वार्षिक स्थित नीचे दी हुयी है :—

	1972-73	1973-74	1974-75
(1) ट्रकों की संख्या	351	336	257
(2) परिचालित कि0 मी0 (लाख में) ..	33.84	31.73	30.51
(3) राजस्व कि0 मी0 (लाख में) ..	20.48	16.06	14.68
(4) अनर्जित कि0 मी0 (लाख में) ..	13.36	15.67	15.83
(5) कुल कि0मी0 की तुलना में अनर्जित कि0 मी0 का प्रतिशत	39.48	49.38	51.88
(6) राजस्व कि0 मी0 की तुलना में अनर्जित कि0 मी0 का प्रतिशत	65.23	97.57	107.83
(7) अर्जित आय (लाख रु0 में)	17.87	22.40	19.26
(8) प्रति राजस्व कि0 मी0 आय (रु0 में) ..	0.87	1.39	1.30
(9) प्रति कि0मी0 परिचालन व्यय (रु0 में) ..	1.07	1.19	1.52
(10) प्रति कि0 मी0 लाभ (+)/हानि (−) ..	(−)0.20	(+)0.20	(−)0.22

उपर्युक्त परिचालन लागत में बसों सहित समस्त गाड़ियों की लागतें शामिल हैं। ट्रकों की परिचालन लागत को निगम ने अलग से निर्धारित नहीं की थी। तथापि यह देखा गया कि 1973–74 में ट्रकों पर 62 लाख रुपये व्यय के मुकाबले उनसे 17 लाख रुपये की ही औसत आय हुई। सामान परिवहन का गत भाड़ा जून 1974 में पुनरीक्षित किया गया था।

निम्नलिखित तालिका में 1974–75 तक के तीन वर्ष में ट्रकों की उम्र, वर्षों और कि0 मी0 के रूप में तथा न चलने वाली ट्रकों की संख्या (लखनऊ व गोरखपुर क्षेत्र तथा केन्द्रीय कार्यशाला को छोड़कर) दी हुई है :—

	1972–73	1973–74	1974–75
(क) परिचालन वर्ष के रूप में			
8 वर्ष से अधिक	185	272	198
5 व 8 वर्ष के बीच	123	9	7
5 वर्ष से कम	20	17	18
	328	298	223
(ख) परिचालित कि0 मी0 के रूप में			
6 लाख से अधिक	33	35	36
5 व 6 लाख के बीच	2	6	9
5 लाख से कम	293	257	178
	328	298	223
न चलने वाली ट्रकें	156	146	98
कुल ट्रकों की तुलना में न चलने वाली ट्रकों का प्रतिशत	47.56	48.99	43.95

देहरादून क्षेत्र में 1972 में प्रति कि0 मी0 परिचालन व्यय रु0 1.28 प्रति कि0 मी0 था, जबकि आमदनी मुश्किल से रु0 1 प्रति कि0 मी0 थी। इसी प्रकार नैनीताल क्षेत्र में 1973-74 में प्रति कि0 मी0 आय रु0 1.41 थी, जबकि प्रति कि0 मी0 परिचालन व्यय रु0 1.98 था।

वाराणसी क्षेत्र की एक ट्रक, जिसके आलेखों की नमूना जांच की गई थी, उत्तर रेलवे को (मई 1971) में भाड़े पर दी गयी थी, और 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में उससे क्रमशः रु0 6,406, रु0 4,706, व रु0 3,362 की आय हुई। इसके मुकाबले, वार्षिक परिचलन व्यय, चालक और क्लीनर के वेतन व भत्ते (रु0 4,600), उपयुक्त ईन्धन और तेल (रु0 4,200), अनुरक्षण और मरम्मत (रु0 5,600) तथा अवक्षयण (रू0 600) को लेकर कुल रु0 15,000 (लगभग) हुये। स्थानीय प्रबन्धक ने मार्च, 1974 में जनरल मैनेजर से दरों के पुर्ननिर्धारण के लिए सम्पर्क किया, इस मामले में अभी निर्णय शेष है (जनवरी 1976)।

टैक्सी परिचालन--

निम्नलिखित तालिका से टैक्सियों की संख्या परिचालित कि0 मी0, अर्जित राजस्व और प्रति कि0 मी0 आय की वार्षिक स्थिति मालूम होती है :—

	1972-73	1973-74	1974-75
(1) टैक्सियों की संख्या	65	53	54
(2) परिचालित कि०मी० (लाख में) ..	9.54	8.12	6.90
(3) अर्जित आमदनी (लाख रुपये में) ..	4.29	6.01	3.92
(4) प्रति कि०मी० आमदनी (रु० में) ..	0.45	0.75	0.57
(5) राजस्व कि०मी० (लाख में) ..	7.63	6.70	5.54
(6) अनर्जित कि०मी० (लाख में) ..	1.91	1.42	1.36
(7) कुल कि०मी० की तुलना में अनर्जित कि०मी० का प्रतिशत।	20.02	17.49	19.71
(8) राजस्व कि०मी० की तुलना में अनर्जित कि०मी० का प्रतिशत	25.03	21.19	24.55

प्रति कि०मी० परिचालन व्यय का सब क्षेत्रों में विश्लषण नहीं हुआ है। वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रों के विषय में 31-3-75 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष का विवरण दिया गया है :—

विवरण	1972-73		1973-74		1974-75	
	वाराणसी	गोरखपुर	वाराणसी	गोरखपुर	वाराणसी	गोरखपुर
(1) उत्पादक परिचालित कि०मी०	70,743	42,650	68,173	35,257	52,873	20,936
(2) अनर्जित परिचालित कि०मी०	33,173	17,926	9,541	15,922	2,362	8,024
(3) आय (रुपयों में)	22,910	32,880	25,871	28,632	37,441	16,112
(4) प्रति उत्पादन कि० मी० आय (पैसों में)	32	75	42	72	71	76
(5) प्रति उत्पादन कि० मी० व्यय (पैसों में)	105	110	118	165	140	143
(6) प्रति कि०मी० घाटा	73	35	76	93	69	67
(7) कारोबार के फलस्वरूप घाटा (लाख रुपये में)	0.52	0.15	0.52	0.33	0.36	0.14

इन दो क्षत्रों में ही तीन वर्ष में कुल 1.97 लाख रुपये का घाटा हुआ।

टैक्सियों के भाड़े के दर पिछली बार मार्च 1970 में निर्धारित किये गये थे जबकि पेट्रोल का मूल्य रु० 1.24 प्रति लीटर था। जून 1971 में पेट्रोल का मूल्य रु० 1.47से बढ़ कर नवम्बर, 1974 में रु०3.35 हो जाने के बावजूद भाड़ा पुनरीक्षित नहीं किया गया (जनवरी 1976)। 31 मार्च, 1973, 31 मार्च 1974, तथा 31 मार्च, 1975 को खड़ी टैक्सियों की संख्या क्रमश: 21,7 तथा 11 थी जो कि इन तीनवर्ष की कुल टैक्सियों का क्रमश: 33.2, 13.2, तथा 20.4 प्रतिशत था। अलग-अलग क्षत्रों में एक टैक्सी जितने कि०मी० चली और 19/2-73, 1973-74 तथा 1974-75 के तीन वर्षमें जो आय हुई वह इस प्रकार है :--

क्षेत्र का नाम		प्रति टैक्सी दौरे के कि० मी० 1972-73	1973-74	1974-75	प्रति कि०मी० आय (पैसों में) 1972-73	1973-74	1974-75
आगरा	..	4,939	4,334	4,199	65	57	49
इलाहाबाद	..	10,323	8,070	10,990	33	58	60
अलीगढ़	..	26,580	80,834	6,803	59	10	71
बरेली	..	20,811	10,323	17,937	62	57	51
मेरठ	..	22,478	15,294	10,818	35	34	54
गोरखपुर	..	22,125	17,059	14,480	49	56	56
नैनीताल	..	11,245	18,613	14,107	63	58	51
लखनऊ	..	14,678	13,717	21,340	64	45	43
कानपुर	..	17,031	6,693	9,275	24	28	34
वाराणसी	..	18,355	15,543	18,096	25	40	67
देहरादून	..	19,872	18,641	18,063	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

निम्नलिखित तालिकामें तीन क्षेत्रों में 1974-75 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि में उनके यहां की टैक्सियों के चलने और खड़े रहन क दिनों की संख्या दी गयी है।

	परिचालन के दिनों की संख्या 1972-73	1973-74	1974-75	खाली दिनों की संख्या 1972-73	1973-74	1974-75
अलीगढ़	184	80	51	181	285	314
बरेली	391	422	266	704	673	464
कानपुर	284	172	162	446	558	568

निगम के पास दो वातानुकूलित कारें हैं जिन्हें मेरठ क्षेत्र पिछले 4 वर्ष से टैक्सी के रूप में चला रहा

है। वर्ष 1973–74 और 1974–75 में (वर्ष 1972–73 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये) वातानुकूलित कारों के परिचालन से आमदनी का ब्योरा नीचे दिया हुआ है :—

विवरण	1973–74	1974–75
परिचालित कारों की संख्या	2	2
परिचालन के दिनों की संख्या	96	120
खाली दिन	634	610
कुल परिचालित कि0 मी0	3,211	7,709
राजस्व कि0 मी0	2,938	6,650
अनर्जित कि0 मी0	273	1,059
अर्जित आय (रुपये में)	5,455	15,090
प्रति कि0 मी0 आय (पैसों में)	170	196

इन कारों के वास्तविक परिचालन व्यय के विषय में निगम के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। इस बात का भी कोई लेखा नहीं कि जिन दिनों यह गाड़ियां खड़ी रहीं उस अवधि में इनके कर्मचारियों का कोई अन्य उपयोग हुआ या नहीं।

डीजल तेल की खपत

जून 1970 में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रति लीटर एच० एस० डी० तेल से पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में गाड़ियों को क्रमशः 5.00 तथा 5.5 कि० मी० चलना चाहिये। नीचे की तालिका में 1974–75 तक के तीन वर्ष की अवधि में एच० एस० डी० तेल की आठ क्षेत्रों में (कानपुर, टनकपुर, वाराणसी और मेरठ छोड़कर) अत्यधिक खपत के कारण निगम को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ा उसका ब्योरा दिया है :—

	1972–73	1973–74	1974–75
(1) चले हुये कुल कि0 मी0 (लाख कि0 मी0 में)	1677.40	1,836.74	1,945.03
(2) मानदण्ड के अनुसार ईंधन की खपत (लाख लीटर में)	334.48	367.35	389.00
(3) उपयुक्त ईंधन (लाख लि0 में) ..	371.15	409.61	444.43
(4) अतिरिक्त खपत (लाख लिटर में) ..	35.67	42.26	55.43
(5) अतिरिक्त खपत का मूल्य (लाख रुपये में) ..	32.10	42.26	60.97

एच0 एस0 डी0 तेल की अत्यधिक खपत के प्रबन्धकों ने ये कारण बताये : (1) गाड़ियों का अधिकांशतया बहुत पुराना होना, (2) खराब सड़कें, (3) चालकों की लापरवाही, (4) खराब सेल्फ स्टार्टर, (5) परिचालन में चोरी।

इस्तेमाल किया हुआ तेल (बर्नट आयल) मोबिल आयल

परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार (नवम्बर 1970) डीजल बसों को प्रत्येक 200 कि0 मी0 चलने के बाद 1/2 लीटर मोबिल आयल दिया जाना चाहिए। इस्तेमाल किए हुए तेल की 80 प्रतिशत के हिसाब से वापसी का भी प्रावधान है। देखने में यह आया कि सभी क्षेत्रों में मोबिल आयल का इस्तेमाल 1/2 लिटर प्रति 200 कि0 मी0 से अधिक था तथा इस्तेमाल किये हुये तेल की वास्तविक

*दूसरे क्षेत्रों के डिपो से लिया गया तेल इसमें नहीं जुड़ा हो

वापसी उन बसों को दिये गये कुल मोबिल आयल के 80 प्रतिशत से कम थी। मोबिल आयल की अत्यधिक खपत के कुछ उदाहरण नीचे दिये हैं :—

क्षेत्र का नाम	अवधि	यात्रा के कि० मी० (लाख में)	प्रयुक्त* मोबिल आयल (लाख लीटर में)	अधिक उपयुक्त तेल (लाख लीटर में)	मूल्य अतिमात्र (लाख रुपये में)
वाराणसी ..	जुलाई 1973 से फरवरी 1974	83.79	0.62	0.42	3.38
देहरादून ..	1972–73	183.94	1.53	0.61	1.66
	1973–74	200.65	1.74	0.74	2.21
	1974–75	223.77	1.66	0.54	4.55

बर्नट आयल की कम वापसी के कुछ उदाहरण नीचे दिये हैं :

क्षेत्र का नाम	अवधि	दिया गया मोबिल आयल (लाख लीटरों में)	वापस मिला (लाख लीटरों में)	न्यून वापसी (लाख लीटरों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
लखनऊ ..	नवम्बर से दिसम्बर 1973	0.76	0.14	0.47	1.41
देहरादून ..	अप्रैल 1973 से फरवरी 1975	3.09	0.21	2.26	6.79
मेरठ (एक डिपो)	अप्रैल 1974 से अप्रैल 1975	0.36	0.16	0.12	0.36
आगरा (एक डिपो)	1972–73	0.56	0.26	0.19	0.58
	1973–74	0.49	0.22	0.17	0.52
	1974–75	0.55	0.16	0.27	0.82

पेट्रोल का खर्च

नीचे दी हुयी तालिका में ट्रकों और टैक्सियों में 1972–73 से 1974–75 तक पेट्रोल के अतिमात्र खर्च पर अतिरिक्त व्यय का ब्योरा है :

विवरण	1972-73	1973–74	1974–75
प्रति लीटर निर्धारित चलना (कि० मी० में) ..	8	8	8
कुल कि० मी० (लाख में)**	14.72	15.32	15.91
पैमाने के अनुसार ईंधन का खर्च (लाख लीटर में) ..	1.84	1.92	1.99
ईंधन का वास्तविक खर्च (लाख लीटर में) ..	2.87	2.84	2.76
अति मात्रा खर्च (लाख लीटर में) ..	1.03	0.92	0.77
अति मात्रा खर्च का मूल्य (लाख रुपयों में) ..	2.06	2.76	2.69

* दूसरे क्षेत्रों के डिपो से लिया गया तेल इसमें नहीं जुड़ा है।

**केवल 6 क्षेत्रों की स्थिति, यथा, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, नैनीताल,

अतिमात्रा खर्च के कारण (1) पुरानी गाड़ियां, (2) खराब सड़कें, (3) चोरी, और (4) चालकों की लापरवाही, बताये गये।

बकाया प्रभार

विभिन्न सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी फरीकों (प्रायवेट पार्टीज) के काम करने, ईंधन आपूर्ति, आदि के एवज में उन पर नीचे दिये विवरण के अनुसार भारी रकम बकाया है (जनवरी 1976):—

	(लाख रुपये में)	
पेट्रोल की कीमत तथा मरम्मत का काम	12.61	लखनऊ व गोरखपुर क्षेत्रों में सरकारी विभागों (11.75 लाख रु0) और गैर-सरकारी पार्टियों (0.86 लाख रु0)
पेट्रोल और डीजल की कीमत ..	7.42	कानपुर क्षेत्र में 1954–55 से 6.04 लाख रु0 और आगरा में 1.38 लाख रु0
विज्ञापन शुल्क	0.32	कानपुर क्षेत्र में 1954–55 से
ट्रक का भाड़ा	4.82	नैनीताल, टनकपुर और देहरादून क्षेत्रों में कृषि विभाग को 1972–73 में दिये गये ट्रकों के लिए

इसके अतिरिक्त मालूम हुआ कि दिसम्बर 1969 से मई 1974 के बीच उ0 प्र0 निवास, नयी दिल्ली की 6 टैक्सियों की मरम्मत और उनका अनुरक्षण मेरठ क्षेत्र में हुआ लेकिन इन कामों, सामग्री और लगाये गये अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य मालूम न होने के कारण क्षेत्र ने उसके बिल नहीं बनाये (जनवरी 1976)।

विविध

भाड़ों का पुनरीक्षण

70. राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1972 से, यात्री कर में आनुपातिक वृद्धि सहित, भाड़े की दरें 10 प्रतिशत बढ़ा दीं। अप्रैल व मई 1972 में जब कि इस कार्य का प्रबन्ध राज्य सरकार के हाथ में था, इस उपक्रम से 65.29 लाख रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन वित्तीय वर्ष के शेष 10 महीनों में निगम को 1.10 करोड़ का अनुमानित घाटा हुआ (केन्द्रीय कार्यशाला के कारोबार को छोड़कर)। प्रबन्धकों ने इसके निम्न कारण बताये (मई 1975) :

(1) सरकारी पूंजी, ऋण तथा बैंक ऋणों पर ऊंची दर के ब्याज का भार, (2) कर्मचारियों को बोनस की तरह अनुग्रह भुगतान, (3) महंगाई भत्ते में वृद्धि, (4) सामग्री, विशेषतया तेल और ल्युब्रीकैण्ट्स के मूल्यों में वृद्धि, (5) गाड़ियों के पंजीकरण शुल्क तथा समुपयुक्तता शुल्क का भुगतान, और (6) ऊंची दरों पर विक्रय कर का भुगतान। निगम ने भाड़े की दरें बढ़ाने के लिए शासन से आग्रह किया, जिसे शासन ने 1–1–1972 से शुरू किये गये भाड़े का 40 प्रतिशत बढ़ाकर 15–5–75 से प्रभावी भाड़े की पुनरीक्षित दरें ज्ञापित कीं। पुनरीक्षित भाड़ा 5.32 पैसे प्रति कि0 मी0 में उसका 15 प्रतिशत यात्री कर जोड़कर कर निर्धारित हुआ। जनवरी 1972 में भाड़े की दरें पुनरीक्षित करते समय 'क' श्रेणी मार्गों के लिए राज्य सरकार ने प्रति यात्री प्रति कि0 मी0 रु0 3.80 की उच्चतम सीमा एवं 15 प्रतिशत यात्री कर निर्धारित की थी। तथापि, दरों को प्रतियोगी स्तर पर रखने

के लिए रेल के समानान्तर जाने वाले मार्गों पर उपक्रम ने उच्चतम सीमा से कम दरें निर्धारित कीं। तदनुसार, 145 कि0 मी0 लम्बे वाराणसी–इलाहाबाद मार्ग का अधिकतम भाड़ा रु0 5.50 + रु0 0.85 की अनुज्ञेय सीमा के बजाय, रु0 4.80 + रु0 0.75 (3.30 पैसा प्रति कि0 मी0 और उस पर 15 प्रतिशत यात्री कर जोड़कर) निर्धारित हुआ (19–5–1972)। सितम्बर 1974 में रेल का भाड़ा (द्वितीय श्रेणी) रु0 5.95 से बढ़कर रु0 7.40 हो गया, लेकिन बस का किराया उतना ही चलता रहा। 14–5–75 को ही भाड़ा रु0 8.90 (यात्री कर के रूप में रु0 1.20 सहित) किया गया। रेल भाड़ा बढ़ने के बाद जल्द ही यदि निगम ने भाड़े को उच्चतम सीमा के अनुरूप कर दिया होता तो वाराणसी से इलाहाबाद और वापसी पर सीधे यात्रा करने वाली 0.78 लाख सवारियों से नवम्बर 1974 से 13 मई 1975 के बीच निगम को 0.63 लाख रुपये (0.55 लाख रुपये भाड़ा और 0.08 लाख रुपये कर) अतिरिक्त राजस्व मिल जाता। सितम्बर और अक्तूबर 1974 में राजस्व के नुकसान का हिसाब नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह बताया गया कि फरवरी 1975 में छात्र आन्दोलन के कारण आलेख नष्ट हो गये (जुलाई 1975)।

हालांकि पिछले 4 वर्ष में बसों के भाड़े दो बार बढ़ाये गये लेकिन जून 1974 से माल परिवहन के भाड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माल सेवा का प्रति क्विंटल प्रति कि0 मी0 दर रु0 2.65 है लेकिन निगम ने ऊपरी खर्च और अवक्षयण सहित वास्तविक परिचालन लागत का कोई विश्लेषण तैयार नहीं किया है। 1973–74 में अवक्षयण और ऊपरी खर्च निकाल कर (जैसे ब्याज भार और मुख्यालय व्यय) निगम को अपनी माल परिवहन सेवा में 45 लाख रुपये का घाटा हुआ (व्यय: 62 लाख रुपये और आमदनी 17 लाख रुपये)।

इसी प्रकार मैदानों के लिए 40 पैसा तथा पर्वतों के लिए 50 पैसा प्रति कि0 मी0 के टैक्सी भाड़े की वर्तमान दरें वास्तविक परिचालन व्यय से बहुत कम हैं, क्योंकि जैसा कि टैक्सियों की लाग बुकों की जांच से ज्ञात हुआ, प्रति टैक्सी आमदनी, पेट्रोल और मोबिल आयल के खर्च भर को भी नहीं होती। निगम टैक्सी परिचालन के सम्बन्ध में खर्च का अलग से कोई लेखा तैयार नहीं करती है, और उसने कोई लागत विश्लेषण नहीं किया है (जनवरी 1976)। वाराणसी क्षेत्र में यह देखा गया कि प्रति कि0 मी0 व्यय 1972–73 में रु0 1.05 से बढ़कर 1973–74 में रु0 1.18 और 1974–75 में रु0 1.40 हो गया। निगम ने जनता को भाड़े पर दी जाने वाली बसों की दरें भी पुनरीक्षित नहीं की है जो कि पहले 3–2–1972 को निर्धारित की गयी थी।

निगम ने लागत का कोई विश्लेषण तैयार नहीं किया और न बस यात्रियों के सामान ले जाने के भाड़े का ही 1964 से कोई पुनरीक्षण किया है। आउट एजेन्सी माल भाड़े भी जोकि पिछली बार अगस्त 1964 में निर्धारित किये गये थे, नहीं बदले गये हैं।

खाली खड़ी बसें

निगम द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार कुल बसों की तुलना में खड़ी बसों का प्रतिशत 16 से 20 तक होना चाहिए। लेकिन देखने में आया कि औसतन प्रायः 1200 बसें खड़ी रहीं, और 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में इनका प्रतिशत क्रमशः 25.5, 27 व 27.7 रहा। प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1975) कि गाड़ियों के कुछ मुख्य पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण खड़ी बसों का प्रतिशत बढ़ गया है।

वर्ष 1973–74 और 1974–75 में विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी बसों की स्थिति नीचे

दी गई है :—

प्रतिशत

क्षेत्र	1973-74 न्यूनतम	1973-74 अधिकतम	1973-74 कुल	1974-75 न्यूनतम	1974-75 अधिकतम	1974-75 कुल
आगरा ..	16.2	24.5	20.7	20.7	28.4	24.6
अलीगढ़ ..	17.4	29.0	25.8	20.1	27.1	24.2
इलाहाबाद	10.0	17.5	13.7	8.55	20.8	15.1
बरेली ..	12.8	30.3	19.7	13.8	25.4	20.6
देहरादून ..	29.2	41.7	33.4	31.0	40.1	36.1
गोरखपुर ..	13.6	21.3	17.0	10.9	18.5	15.0
कानपुर ..	29.5	38.0	33.2	28.4	35.7	32.2
लखनऊ ..	22.06	32.3	26.8	18.2	32.2	25.1
मेरठ ..	15.6	31.4	24.5	15.8	28.4	21.5
नैनीताल ..	15.1	20.5	18.7	22.9	30.4	27.0
टनकपुर ..	24.5	45.04	38.8	27.2	42.8	34.7
वाराणसी	18.2	25.4	22.4	22.6	27.4	25.0
औसत ..	.	..	24.6		.	25.0
केन्द्रीय कार्यशाला ..	2.1	2.7	2.4	2.47	2.90	2.74
(कुल) ..	..	..	27.0	..	..	27.74

बस सेवा में समय पालन

निगम की सेवाओं में हर साल समय पालन का ह्रास होता गया है जैसा कि नीचे के आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष			कुल खेपें	समय से की गयी खेपें	कुल की गयी खेपों की तुलना में ठीक समय पर की गयी खेपों का प्रतिशत
1970–71	..	..	41,28,567	37,64,964	91.19
1971–72	..	..	41,83,162	36,94,226	88.31
1972–73	..	..	42,47,558	37,04,700	87.22
1973–74	..	..	44,05,505	38,26,266	86.85
1974–75 (दिसम्बर 1974 तक)			29,52,502	25,11,453	85.06

समय पालन में ह्रास से न केवल यात्रियों को असुविधा हुयी बल्कि खेपों में भी कटौती हुई जिससे विभिन्न क्षेत्रों में आमदनी का नुकसान हुआ।

खेपों की कटौती

निम्नलिखित तालिका में निगम की स्थापना से अब तक अनुसूचित कि० मी०, परिचालित कि० मी०, अनुसूचित खेपें और परिचालित खेपों की प्रति वर्ष की स्थिति का उल्लेख है :—

		1972–73	1973–74	1974–75
(1) अनुसूचित कि० मी०	(लाख में)	2531.66*	2689.27*	2937.38*
(2) परिचालित कि० मी०	,,	2322.62*	2444.79*	2646.29*
(3) अनुसूचित खेपें	,,	47.39	48.83	43.43
(4) परिचालित खेपें	,,	42.47	44.06	36.82
(5) खेपें जो काट दी गयी	,,	4.92	4.77	6.61

* लखनऊ क्षेत्र को छोड़ कर।

वर्ष 1972–73, 1973–74 व 1974–75 में खेपें कम कर देने के फलस्वरूप ग्रामीण तथा शहरी बस सेवा में क्रमशः 685 तथा 59.61 लाख कि0 मी0 में बस परिचालन नहीं हुआ। गाड़ियों के निर्धारित परिचालन व्यय (रु0 1 प्रति कि0 मी0) के आधार पर हिसाब लगाने से खेपों में कटौती के कारण ग्रामीण तथा शहरी परिचालनों में क्रमशः 685 लाख रुपये तथा 59.61 लाख रुपये का घाटा हुआ।

अधिक संख्या में खेपों की कटौती के प्रबन्धकों ने ये कारण पेश किये:––(1) परिचालन कर्मचारियों की अनुपलब्धता, (2) कार्यशाला से बसों की अनुपलब्धता, (3) यांत्रिक कारणों से बसें ठप हो जाना तथा (यांत्रिक) दोष, (4) दुर्घटनाएं आदि।

इंजनों की कार्य क्षमता

विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1973–74 और 1974–75 में बसों के इंजिनों के निष्पादन (परफारमेंस) की नमूना जांच से पता लगा कि टाटा मर्सिडीज और लेलैण्ड दोनों प्रकार के इंजिनों का वास्तविक निष्पादन (परफारमेंस) नये के लिए 2.80 लाख कि0 मी0 और मरम्मत किये हुओं के लिए 1 लाख कि0 मी0 के निर्धारित काल से बहुत कम रहा। वर्ष 1973–74 और 1974–75 में टी0 एम0 बी0 और ले लैण्ड दोनों प्रकार के इंजिनों की विभिन्न क्षेत्रों में औसत निष्पादन का ब्योरा उनके बदले जाने अथवा मरम्मत किये जाने के समय तक नीचे दिया है:—

(कि0 मी0 में आंकड़े)

क्षेत्र का नाम	नये		मरम्मत हुये	
	1973–74	1974–75	1973–74	1974–75
ले लैन्ड इंजन				
आगरा ..	1,60,800	2,02,000	72,700	70,200
अलीगढ़ ..	2,22,000	1,66,000	68,100	69,000
इलाहाबाद ..	2,41,000	2,14,000	84,500	91,600
बरेली ..	2,01,700	1,85,000	1,02,700	72,000
देहरादून ..	1,78,881	2,34,942	72,400	92,220
गोरखपुर ..	2,02,000	2,45,000	82,400	82,800
कानपुर ..	..	..	68,100	53,285
लखनऊ ..	..	..	35,731	..
वाराणसी ..	1,55,329	1,19,189	47,550	..
टी०एम०बी० इंजन				
आगरा ..	1,56,200	1,70,000	65,000	74,200
अलीगढ़ ..	1,25,000	1,80,500	67,100	64,300
इलाहाबाद ..	1,63,000	1,72,000	77,500	81,500
बरेली ..	1,64,000	1,90,000	72,400	71,200
देहरादून ..	1,66,500	1,57,800	87,700	74,400
गोरखपुर ..	2,05,000	1,85,500	97,100	95,500
कानपुर ..	1,41,000	1,65,000	70,600	81,000
नैनीताल ..	1,36,000	1,54,800	78,000	75,500
लखनऊ ..	1,69,800	1,91,000	77,000	1,04,400
मेरठ ..	1,52,800	1,73,800	63,500	66,200
वाराणसी ..	1,47,000	1,79,400	70,400	75,400
टनकपुर ..	1,22,478	92,100	40,300	43,100

दुर्घटनायें

वर्ष 1973–74 और 1974–75 में सेवाओं के परिचालन में दुर्घटनाओं का विश्लेषण नीचे दिया है :

विवरण		1973–74	1974–75
कुल परिचालित कि० मी० (लाख में)	..	2,577.62	2,708.17
दुर्घटनाओं की संख्या ..	..	986	898
प्रति एक लाख प्रभावकारी कि० मी० में दुर्घटनायें ..	.	0.38	0.33
चालू गाड़ियां	..	3,417	3,539
प्रति बस दुर्घटनायें	..	0.29	0.25
चालू बसों की तुलना में दुर्घटनाओं का प्रतिशत	..	28.86	25.37

दुर्घटनाओं में वृद्धि के ये कारण बताये गये :—

(1) खराब सड़कें, (2) अन्धाधुन्ध गाड़ी चलाना, (3) अन्धे मोड़ और (4) लम्बे कार्यकाल (ड्यूटी)।

निगम की स्थापना से वार्षिक मुआवजे के पड़े हुए मामले (वाराणसी क्षेत्र को छोड़कर) नीचे दिये हैं:—

		आदि शेष	नये मामले	तय हुए मामले	अवशेष
1972–73	..	760	140	55	845
1973–74	..	845	205	41	1,023
1974–75	..	1,023	188	34	1,177

इनमें से 840 मामले 2 वर्ष से अधिक पुराने, 181 एक से दो वर्ष पुराने और 156 एक वर्ष से कम के थे। इस बात की कोई सूचना नहीं कि कितनी रकम के मुआवजे हैं।

सेवाओं का ठप होना

वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान सेवाओं के ठप हो जाने की स्थिति नीचे है :—

विवरण		1973–74	1974–75
(1) गाड़ियों द्वारा परिचालित कुल कि०मी० (लाख में)		2,577.62	2,708.17
(2) ठप होने की संख्या	..	12,637	14,361
(3) प्रति 10 हजार प्रभावी कि०मी० ठप होने का प्रतिशत	..	0.48	0.53
(4) चालू गाड़ियों की संख्या ..	..	3,417	3,539
(5) प्रति चालू गाड़ी से ठप होने का प्रतिशत ..	..	3.70	4.06
(6) कुल चालू गाड़ियों की तुलना में उनके ठप होने का प्रतिशत	..	370	406

गाड़ियों के ठप हो जाने के सामान्यतया निम्नलिखित कारण बताये गये :—

(1) पहले की पुरानी बसों का अब भी चलाना, (2) अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण समय पर रख-रखाव का अभाव, (3) टायरों के पंक्चर, (4) गाड़ी में स्टार्ट करने से सम्बन्धित दोष और (5) ब्रेकों का खराब होना।

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर

71. यह कारखाना 1947 में 700 कर्मचारियों को लेकर प्रारम्भ किया गया था जो कि बढ़कर 1965 में 2,000 हो ग ा और इस समय (31-3-1975) कारखाने के कर्मचारियों की संख्या 2,235 है। कारखाने का वार्षिक उत्पादन लगभग 6 करोड़ है। विचार यह था कि कारखाना 'अलाभालाभ के आधार पर चलेगा। 31 मई 1972 को क रखाने में 8.38 क ड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी, जिसमें से 0.36 कराड़ रुपये अचल परिसम्पत्ति में तथा 2.25 करोड़ रुपये भण्डार और सामग्री के रूप में थे।

कारखाने में एक प्रशिक्षण केन्द्र है जिसमे नये अभियंत्रण स्नातकों, अभियंत्रण डिप्लोमा वालों और दूसरे टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान अधीक्षण कर्मचारियों के लिए अभिनवन (रेफरेशर) पाठ्यक्रम भी है।

एलन वन, कानपुर में 60 एकड़ क्षेत्र में 1.50 करोड़ रुपये की कुल लागत से अभी हाल में एक नया केन्द्रीय कारखाना निर्मित हुआ है। इसके अतिरिक्त इमारतों के विद्युतीकरण और मशीनों के क्रमिक क्रय पर 1 करोड़ प्रस्तावित व्यय भी होना है। आशा थी कि अप्रैल 1976 से नये कारखाने में उत्पादन शुरू हो जायेगा और प्रथमतया 500 कर्मचारियों से गाड़ियों के नवीनीकरण का काम होगा।

बस की बाडियों के मानकीकरण का अभाव

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर ने जिसे नये चेसिस पर बस की बाडियां बनाने और पुरानी गाड़ियों की बाडी के पूरे नवीनीकरण का काम दिया गया है बस बाडियों के लिए न तो कोई विशिष्ट डिजाइन निर्धारित किया और न ही उसमें लगने वाली सामग्री के खर्च के लिए कोई मात्रा निर्धारित की। बाडी बनाने के लिए सामग्री देने (इश्यू करने) या उसके खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है। जाब कार्ड में सालों प्रविष्टियां नहीं होती हैं और कुल लागत का निश्चित हिसाब लगाने या सामग्री का फालतू खर्च जानने का पता लगाने के लिए, यदि ऐसा है तो, किसी स्तर पर भी कारखाने में लागत का हिसाब (कास्टिंग) नहीं लगाया जाता।

बस बाडियों का निर्माण

1972-73 से 1974-75 के दौरान केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में प्रत्येक वर्ष बस बाडियों का निर्माण इस प्रकार रहा :--

(संख्या के रूप में आंकड़े)

		टी०एम०बी०	ले लैंड	नवीनीकृत बाडियां	कुल
1972-73	..	376	68	195	639
1973-74	..	459	75	220	754
1974-75	..	332	236	187	755

बस बाडियां बनाने के सम्बन्ध में कारखाने की क्षमता निर्धारित नहीं की गयी है (जनवरी 1976)।

बस बाडियों के निर्माण के लिए खुले कार्यादेश। जाब कार्ड के (एक कार्ड में दस गाड़ियां) विश्लेषण से पता चला कि फरवरी 1974 से मई 1974 के दौरान समान मात्रा के निर्माण में मजदूरी के खर्च में 0.67 लाख से 0.81 लाख रुपये और सामग्री के मूल्य में 1.51 लाख से 1.94 लाख रुपये की घट बढ़ होती रही।

गाड़ियों का नवीनीकरण

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में 1972–73 से 1974–75 के दौरान गाड़ियों के नवीनीकरण की सालाना स्थिति इस प्रकार रही––

	टी०एम०बी०	लेलैंड	कुल
1972–73	149	46	195
1973–74	185	35	220
1974–75	152	27	179

गाड़ियों के नवीनीकरण के विषय में कारखाने की कार्यक्षमता भी निर्धारित नहीं हुई है (जनवरी 1976)। तथापि, कारखाने के मुख्य यांत्रिक अभियन्ता का तखमीना था कि कारखाने की एक पारी के हिसाब से प्रतिवर्ष कार्यक्षमता 120 बसों की है। उपर्युक्त उत्पादन अधिसमय (ओवर टाइम) काम करा कर हो पाया।

यह भी देखा गया कि पर्वतीय ट्रकों के शहरी बसों में रूपान्तरण में 11 से 12 महीने तक लग गये तथा मार्च 1970 से अगस्त 1974 तक के दौरान गाड़ियों के नवीनीकरण के लिए क्षेत्रों से आयी 28 गाड़ियां दीर्घकाल तक रोक रखी गयीं और अब भी केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में नवीनीकरण के लिए पड़ी हैं (जनवरी 1976)। यह भी देखने में आया कि जिन गाड़ियों को खोल दिया गया था उनसे निकले पुर्जों का कोई हिसाब नहीं है।

इंजिनों का नवीनीकरण

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में 1972–73 से 1974–75 के दौरान इंजिनों के नवीकरण की वर्षानुवर्ष स्थिति इस प्रकार रही :––

	टी०एम०बी०	लेलैंड	अन्य	कुल
1972–73 ..	1,399	472	70	1,941
1973–74 ..	1,221	446	73	1,740
1974–75 ..	1,343	432	52	1,827

इंजिनों के नवीकरण की कारखाने की क्षमता का निर्धारण नहीं हुआ है (जनवरी 1976)। अधिसमय (ओवरटाइम) काम होने के बावजूद नवीकरण कार्य निगम द्वारा 1974 में निर्धारित 2,400 इंजिन प्रति वर्ष (1,800 टाटा और 600 लेलैंड) के लक्ष्य से बहुत पीछे रहा। इसीलिए इंजिनों के नवीकरण का काम क्षेत्रों को भी दे दिया गया ताकि वह गैर सरकारी माध्यम से उसे करा लें। केन्द्रीय कार्यशाला में 1974 और 1975 के दौरान 6,000 रु० प्रति इंजिन के हिसाब से नवीकरण हुआ जबकि अक्तूबर 1974 में गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्रों द्वारा गैर सरकारी मोटरखानों में फ्यूल इंजेक्शन पम्प, कनेक्टिंग राड, सेल्फ स्टार्टर, एयर क्लीनर, इंजेक्टर नाजिल और सिलिण्डर लायनर (कुल लागत 1,900 रुपये) की कीमत निकाल कर क्रमश: 6,500 रु० और 5,800 रु० की लागत से नवीकरण हुए।

इंजिनों के नवीकरण में कमी और उत्पादन में गिरावट के निम्नलिखित कारण बताये गये :––

(1) उत्पादकों से अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता, (2) अक्तूबर 1974 से निगम को आर्थिक कठिनाइयां और (3) अतिरिक्त कल-पुर्जों के इकट्ठे क्रय की अग्रिम योजना का अभाव।

फ्यूल इंजेक्शन पम्पों का नवीकरण

कारखाने में 1972-73 से 1974-75 के दौरान फ्यूल इंजेक्शन पंपों के नवीकरण की वर्षानुवर्ष स्थिति नीचे दी हुई है :—

		पी०6	टी०एम०बी०	लेलैंड	कुल
1972-73	..	16	3,237	746	3,999
1973-74	..	15	3,083	815	3,913
1974-75	..	..	3,730	755	4,485

फ्यूल इंजेक्शन पंपों के नवीकरण के विषय में कारखाने की कार्य क्षमता निर्धारित नहीं हुई है (जनवरी 1976)। तथापि मुख्य यांत्रिक अभियन्ता का अनुमान था कि प्रतिवर्ष दो पारियों में 3,120 इंजिनों पर कार्य किया जा सकता है। उपर्युक्त उत्पादन अधिसमय काम करने के बाद सम्भव हुआ।

टायरों की रिट्रीडिंग

कारखाने में 1972-73 से 1974-75 तक टायरों की रिट्रीडिंग की वर्षानुवर्ष स्थिति निम्न प्रकार थी :—

		आकार			
		600×16	825×20	900×20	कुल
1972-73	..	31	2,777	7,554	10,362
1973-74	..	..	2,007	6,878	8,885
1974-75	..	..	2,581	8,079	10,660
	कुल	31	7,365	22,511	29,907

कारखाने के टायर रिट्रीडिंग संयंत्र की क्षमता प्रति मास 750 टायर की है। इसके 6 में से 4 ब्वायलर क्रमश: 11 मई 1971, 6 अक्तूबर 1973, 17 अप्रैल 1974 और 30 मार्च 1975 से खराब पड़े थे। 12,000 टायर प्रतिवर्ष की लक्ष्य पूर्ति न होने के प्रबन्धकों ने ये कारण बताये ब्वायलरों का बार-बार खराब हो जाना तथा पत्थर कोयला और अन्य सामग्री का आवश्यकता के समय अनुपलब्धता।

जाब कार्डों का बन्द न करना

केन्द्रीय कार्यशाला में खोले गये जाब-कार्डों/कार्य आदेशों की वर्षानुवर्ष स्थिति तथा मई 1975 तक पूरे कर दिये गये जाब कार्डों / कार्य आदेशों की स्थिति नीचे दी गयी है :—

वर्ष			खोले गये कार्य आदेश	पूरे किये गये कार्य आदेश	31 मई 1975 को अवशेष
1960-71	..	..	35,042	31,056	3,986
1972	..	..	3,218	3,077	141
1973	..	..	3,371	3,147	224
1974	..	..	2,304	1,581	723
	कुल	..	43,935	38,861	5,074

मई 1975 के अन्त तक 1960 से 1974 के समय के जाब-कार्ड/कार्य आदेश बन्द नहीं किये गये थे। इस प्रकार इन जाब/कार्य आदेशों पर हुआ व्यय उन विभिन्न क्षेत्रों के नाम स्थानान्तरित नहीं हुआ जिनके काम किये हुए थे। 31 मई, 1972 को कारखाने के वर्गीकृत लेखे में इस मद के 2.66 करोड़ रुपये पड़े थे।

अधिसमय (ओवरटाइम) भुगतान

कारखाने के नियमित तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बस बाडी बनाने, गाड़ी नवीकरण, इंजिनों और फ्यूल इन्जेक्शन पंपों के नवीकरण, टायर रिट्रीडिंग आदि के लिए वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में अधिसमय भत्तों की भारी राशियां दी गयीं, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

(लाख रु० में)

वर्ष		नियमित		कार्य प्रभारित	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1972–73	..	1,761	0.56	1,472	4.25
1973–74	..	1,752	3.63	1,449	14.77
1974–75	..	1,776	12.69	1,472	2.69

वस्तु सूची नियंत्रण

भण्डार वस्तु सूची

72. निगम ने भण्डार नियंत्रण की कोई वैज्ञानिक पद्धति स्थापित नहीं की है (जनवरी 1976)। वर्तमान पद्धति में निम्नलिखित की कोई व्यवस्था नहीं है :—

(क) भण्डार का उचित वर्गीकरण,

(ख) भण्डार की प्रत्येक मद की अधिकतम व न्यूनतम की सीमा तथा सम्पूर्ति (रिप्लैनिशमेन्ट) कार्यवाही आरम्भ करने का स्तर।

(ग) किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा भण्डार की वास्तविक सम्पुष्टि,

(घ) भण्डार में बचे सामान और उनके आर्थिक मूल्य की शीर्षस्थ प्रबन्धकों को समय-समय पर सूचना,

(ङ) अधिक एवं कम खर्च होने वाली भण्डार मदों का वर्गीकरण।

भण्डार सामग्रियों की थोक आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार में आती है जो कि कानपुर की केन्द्रीय कार्यशाला का एक भाग है। मांग-पत्र के आधार पर कार्यशाला व विभिन्न क्षेत्रीय भण्डारों को केन्द्रीय भण्डार से सामग्री दी जाती है।

क्षेत्रीय भण्डारों से क्षेत्रीय कारखानों और डिपो कारखानों के लिए सामग्री दी जाती है।

कारखानों और क्षेत्रीय भण्डारों से प्राप्त मांग-पत्रों का विस्तृत प्राक्कलन किये बिना ही थोक खरीदारी के आदेश दे दिये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जहां भण्डार की कुछ मदें अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, वहां दूसरी मदों की मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे उदाहरण देखने में आये हैं कि जिन मदों की थोक खरीद के आदेश पहले ही किये जा चुके थे उन्हीं के तात्कालिक क्रय के लिए तदर्थ आदेश भी किये गये। क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने भी स्थानीय क्रय किया। कुछ उदाहरण ऐसी मदों के हैं जोकि आवश्यकता न होने के कारण एक क्षेत्र में पड़ी थीं, अन्य क्षेत्र

में उनकी खरीदारी हुई । केन्द्रीय कार्यशाला में ज्येष्ठ फोरमैन अलग-अलग डिपो (शाप्स) की सामग्री की मांग की अनुसूचियां तैयार करता है और मुख्य यांत्रिक अभियन्ता / उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता के स्थान पर सहायक परिवहन अभियन्ता । सर्विस मैनेजर उन्हें अनुमोदित करता है । इस प्रकार इश्यू की गयी सामग्री न तो निर्धारित यात्रा-सीमा (नार्म) के अनुरूप है और न ही उसके खर्च पर कोई नियंत्रण रखा गया है ; इसी प्रकार, क्षेत्रीय कारखानों में भी सामग्री के खर्च की मात्रा-सीमा का कोई अनुपालन नहीं हुआ । वार्षिक लेखे का समापन करते समय आदि शेष में साल भर के क्रय, प्राप्तियों को जोड़ कर और अन्तशेष (क्लोजिंग बैलेंस) घटा कर जो बचा उसे खर्च माना गया है, लेकिन इस प्रकार निर्धारित खर्च की संख्या का समय-समय पर हुए वस्तुत: जारी की गई सामग्री (इश्यूज) से मिलान नहीं किया गया । इस प्रकार चोरियां, गबन आदि स्वयमेव खर्च में शामिल कर लिए जाते हैं, यहां तक कि चोरी एवं गबन के स्पष्ट मामलों का भी अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है ।

निगम की स्थापना के समय (1 जून 1972) इसे क्षेत्रीय भण्डारों द्वारा 270.38 लाख रु० और केन्द्रीय भण्डार में 224.99 लाख रु० के बही मूल्य की सामग्री प्राप्त हुई । 31 मार्च 1973, 1974 और 1975 क्षेत्रीय भण्डारों की मदों का मूल्य बढ़कर क्रमश: 314.01 लाख, 400.98 लाख व 417.97 लाख रुपये हो गया ।

31 मार्च 1975 की सामग्री में केवल चार क्षेत्रों की 9.76 लाख रुपये कीमत की बेकार और अप्रचलित सामग्री तथा 4.32 लाख रुपये की फालतू सामग्री भी शामिल थी । केन्द्रीय भण्डार में 31 मार्च 1975 को 26.95 लाख रुपये की फालतू और बेकार सामग्री थी । फालतू और बेकार सामग्री की दूसरी सूची का तखमीना बन रहा है (जनवरी 1976) जिस की अनुमानित लागत 40 लाख रुपये है ।

क्रय

निगम द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पुर्जों सहायक तथा जुमला सामग्री के क्रय की प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रों और केन्द्रीय कार्यशाला के वार्षिक मांग-पत्रों के आधार पर उप महा प्रबन्धक (भंडार) द्वारा इन मदों की थोक खरीदारी का प्रावधान है। इस उद्देश्य से दो समितियां ('क' और 'ख') बनाई गयीं । एक को रु0 50,000 मूल्य तक की एक ही बार में खरीदारी निश्चित करनी थी और दूसरी को एक ही बार में रु0 50,000 से अधिक की । यदि थोक खरीदारी के आदेशों की समय से पूर्ति नहीं होती तो उप महा प्रबन्धक भंडार को स्वीकृत व्यापारियों से एक बार में रु0 50,000 तक (एक महीने में 5 लाख रुपये) का अथवा दूसरों से एक महीने में 2 लाख रुपये तक की तदर्थ खरीदारी करने का अधिकार है । प्रत्येक क्षेत्र तथा केन्द्रीय कार्यशाला के लिये प्रतिमास रु0 30,000 से अनधिक अत्यावश्यक स्थानीय खरीदारी करने के हेतु भी एक एक समिति है । अतिरिक्त व्यय की खरीदारी के कुछ उदाहरण नीचे दिये हैं :--

(1) रु0 51.96 प्रति रनिंग मीटर की दर से विशिष्ट आकार की 12,000 रबर की सीटें खरीदने के लिये उप महा प्रबन्धक (भण्डार) ने मद्रास की एक फर्म को आदेश दिया (29 मई 1974) । जुलाई 1974 तक 6000 सीटें प्रतिमास के हिसाब से दो महीने के अन्दर आपूर्ति पूरी हो जानी थी । उक्त अवधि में आपूर्ति नहीं हुई । इसी बीच सड़क परिवहन उपक्रमों की स्थायी समिति द्वारा कीमतों में वृद्धि की घोषणा के कारण 18 मई 1974 से सीटों की कीमत प्रति रनिंग मीटर रु0 67.18 कर दी गयी और 1-8-1974 से प्रति रनिंग मीटर मूल्य रु0 72.22 हो गया । आपूर्ति में विलम्ब के कारण फर्म को जो अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा वह 0.25 लाख हुआ ।

(2) रु0 282 प्रति बैटरी की दर से 6 वोल्ट–19 प्लेट की क्रमश: 3500 और 2500 बैटरियों की आपूर्ति के लिये निगम ने कानपुर और दिल्ली की दो फर्मों को आदेश दिये (अगस्त 1974) । इन दोनों निर्माता फर्मों का उद्योग निदेशक, उ0 प्र0 से उसी प्रकार की बैटरियों के लिये ठेका था, जिसमें कानपुर और दिल्ली की फर्मों के लिये गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त रु0 213 और रु0 226.10 प्रति बैटरी दरें थीं । यह दरें 31 मार्च 1975

तक वैध थी। उद्योग निदेशक के अनुबन्ध दर के मूल्यों के अनुसार आदेश न दिये जाने के कारण 3.42 लाख रुपये का अतिरि त व्यय हुआ।

(3) हालांकि संयुक्त क्रय समिति ने निगम के लिये 1630 मेट्रिक टन एम0 एस0 ऐंग्लिस, फ्लैटस, शीट्स और चैनल्स का आवंटन किया था, निगम ने मुख्य उत्पादकों से आपूर्ति प्र प्त होने में अनिश्चितता तथा आवश्यकताओं की अविलम्बता के आधार पर 1030 मेट्रिक टन के लिये मार्च 1974 में कानपुर की एक फम को आदेश दे दिये। कानपुर की फर्म को 33.73 लाख रुपये के आपूर्ति आदेश, जो कि संयुक्त क्रय समिति की दरों से 11.49 लाख रुपये अधिक थे, बिना किसी प्राप्ति का क्रम अथवा विलम्ब से आपूर्ति के लिये दण्ड की व्यवस्था के दिये गये थे। अक्तूबर 1974 तक फर्म ने केवल 253.875 ट्रिक टन स्टील की आपूर्ति की, जिस पर संयुक्त क्रय समिति की रों से 2.81 लाख रुपये अधिक आये। चूंकि संयुक्त क्रय समिति के आबंटन के अनुसार आपूर्तियां शुरू हो गई थीं (अप्रैल और जुलाई 1974) निगम ने नवम्बर 1974 में कानपुर वाली फर्म से आगे की आपूर्ति रोक दी और मार्च 1975 में वह आदेश रद्द कर दिया।

(4) उप महाप्रबन्धक (भण्डार) ने जनवरी 1975 से अप्रैल 1975 के दौरान कानपुर की एक फर्म को रु0 5.50 प्रति कि0 ग्रा0 (बिक्री कर निकाल क) की दर से कपड़ा धोने के साबुन की थोक आपूर्ति के लिये आदेश दिया। उसी दौरा मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता, कानपुर ने भी कारखाने के कर्मचारियों के लिये उसी ब्रण्ड का कपड़ा धोने का साबुन, कोटेशन के आधार पर क नपुर की एक दूसरी फर्म से रु0 3.25 प्रति कि0ग्रा0 के कम मू य पर खरीदा। जांच और सम्पुष्टि (जनवरी 1971) के उपरान्त साबुन सन्तोषजनक पाया गया। ऊंची दर से 22,400 किलो ग्राम कपड़ा धोने का साबुन खरीदने के फलस्वरूप 0.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(5) अपने अपने क्षेत्रों की अतिशीघ्र आवश्यकताओं के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक रु0 20,000 प्रतिमास (मई 1 74 से यह सीमा बढ़ाकर रु0 30,000 प्रतिमास कर दी गयी थी) की सामग्री अनुमोदित तथा अधिकृत व्यापारियों एवं फर्मों से स्थानीय रूप से खरीदने के लिये अधिकृत हैं। इस वित्तीय सीमा से अधिक खरीदारी के लिये हर बार महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

यह देखने में आया कि उन अनुमोदित और अधिकृत व्यापारियों/फर्मों की जिनसे स्थानीय खरीदारी की जा सकती थी कोई सूची क्षेत्रीय प्रबंधकों को नहीं दी गयी। इ लिये क्षेत्रीय प्रबंधक अपनी मर्जी से जिन व्यापारियों या स्टाकिस्टों से चाहते हैं खरीदारी करते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधकों के पास निर्माताओं की मूल्य सूची नहीं होती और वे यह जानने की स्थिति में नहीं होते कि इस स्थानीय खरीदारी पर उन्हें ऊंची दर पर तो भुगतान नहीं देना पड़ रहा है। क्षेत्रीय प्रबन्धक भी खरीदारी विषयक अपने वित्तीय अधिकारों की परिसीमा का उल्लंघन करके स्थानीय व्यापारियों/स्टाकिस्टों से खरीदारी कर रहे हैं और महा प्रबन्धक की पुर्वानुमति प्राप्त करने के बजाय वे उप महाप्रबन्धक (भण्डार) का कार्योत्तर (एक्स पोस्ट फैक्टो) अनुमोदन ले रहे है जो कि अनुमोदन के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। गोरखपुर क्षेत्र में 1974–75 में 42.00 लाख रुपये मूल्य की स्थानीय खरीदारी की गयी। इस क्षेत्र में यह देखा गया कि अक्तूबर 1974 से मार्च 1975 के दौरान रु0 56,089 कीमत की केवल चार मदें खरीदी गयी। उन्हीं मदों के लिए उसी अवधि में उससे कम दरों का उप-प्रबन्धक (भण्डार) ने भी आदेश दिये थे। उप महाप्रबन्धक (भण्डार) को प्राप्त दरों के अनुसार उक्त चार मदों की लागत मूल्य रु0 19,903 आती है और इस प्रकार उक्त मदों पर रु0 36,186 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सामग्री जिसकी प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है

यह देखा गया है कि प्राप्तकर्ता क्षेत्रीय भण्डारों को कार्यशाला द्वारा दी गयी सामग्री की प्राप्त की रसीदें उनसे नियमित रूप से नहीं मिलती। यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है

कि कार्यशाला से लिया गया सामान क्षेत्रीय भण्डारों के लेखे में दर्ज हो गया है। इलाहाबाद और गोरखपुर क्षेत्रों की कार्यशाला को दी गयी सामाग्री के क्रमश: 35.33 लाख (1954–55 से 1974–75 तक) और 56.01 लाख रुपये (1955–56 से 1973–74 तक) के बिलों के विषय में प्राप्ति की सूचना नहीं मिली है (जनवरी 1976)।

अस्वीकृत (रिजेक्टेड) सामग्री के लिये अग्रिम भुगतान

कार्यशाला में उपभोग के लिये अतिरिक्त पुर्जों की खरीदारी के एवज में विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं को 1972 और 1973 के दौरान पेशगी भुगतान हुये थे। प्राप्त सामग्री में 7.60 लाख रुपये के अतिरिक्त पुर्जे भी थे जो कि या तो अधो मानक (सब स्टैण्डर्ड) थे या अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार नहीं थे। इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया और इन्हें बदलने के लिये फर्मों को सूचित कर दिया गया। फर्मों ने न तो अस्वीकृत सामग्री उठाई और न ही उन्हें बदल कर दूसरा सामान दिया (जनवरी 1976)। फर्मों ने पेशगी भुगतानों (95 प्रतिशत) को भी वापस नहीं किया है। सामान कार्यशाला में पड़ा है (जनवरी 1976)।

बेकार गाड़ियों का निकालना

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर और विभिन्न कार्यशालाओं में 31 मार्च 1975 तक 23 बसें, 3 ट्रकें और 2 टैक्सियां ऐसी पड़ी थी जो कि पहले ही बेकार घोषित कर दी गई थी। निम्नलिखित तालिका में वह अवधि दी गई है जब से कि बेकार गाड़ियां बिक्री के लिये कार्यशालाओं में पड़ी हैं।

गाड़ियों का प्रकार	5 वर्ष से अधिक	3 से 5 वर्ष तक	3 वर्ष से कम
बसें			
टी० एम० बी० और लेलैण्ड	13	2	8
ट्रकें	..	3	..
टैक्सियां	..	..	2

इसके अलावा एक साल से ज्यादा खड़ी 93 बसें और 3 ट्रकें सर्वेक्षण और बेकार घोषित किये जाने के लिये पड़ी हैं (जनवरी 1976)।

अप्रचलित पुर्जों की बिक्री

भूतपूर्व उपक्रम ने 1970 व 1971 में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के 2.29 लाख रु0 मूल्य के अप्रचलित अतिरिक्त पुर्जों को महानिदेशक, आपूर्ति तथा निकासी (डी० जी० एस० एण्ड डी०) के द्वारा निकालने के प्रयत्न किये थे। काफी पत्राचार के बाद महानिदेशक, आपूर्ति तथा निकासी ने सितम्बर 1973 में निगम को सूचित किया कि अतिरिक्त पुर्जे की बिक्री संभव नहीं। सितम्बर 1974 में निगम ने अतिरिक्त पुर्जे निकालने के बारे में फिर विचार किया और यह तय किया कि विभागीय नीलाम द्वारा सारे अप्रचलित पुर्जे निकाल दिये जायें। केन्द्रीय कार्यशाला में पड़े पुर्जों को मार्च 1975 में नीलाम किया गया। 26.95 लाख रुपये के 6,611 अतिरिक्त पुर्जों की अधिकतम बोली 2 लाख रुपये लगी, जिसे मई 1975 में वार्ताओं के द्वारा बढ़ाकर 2.05 लाख रुपये कर दिया गया। जुलाई 1975 में अवमोचन आदेश हुये। इस निकासी में निगम को 24.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ। निगम की केन्द्रीय कार्यशाला और विभिन्न क्षेत्रों में निकासी के लिये अभी और अतिरिक्त पुर्जे पड़े हैं (मार्च 1976)। कानपुर, आगरा, नैनीताल और लखनऊ क्षेत्रों में पड़े हुये ऐसे पुर्जों का 31 मार्च 1975 को 9.76 लाख रुपया मूल्य अनुमान किया गया था।

24 नवम्बर 1974 को टनकपुर क्षेत्र में अप्रचलित, बेकार और कबाड़ की सामग्री तथा गाड़ियों का एक नीलाम हुआ था। अवमोचन आदेश होने के 20 दिन के भीतर सामान उठ जाना था अन्यथा रु0 10,000 या उससे अधिक के सामान पर रु0 40 प्रतिदिन की दर से फर्श का किराया या रु0 10,000 से कम के सामान पर रु0 0.25 प्रति दिन का किराया पड़ता था। नीलामी बोली लगाने वालों से 1975 के दौरान रु0 22,375 का किराया वसूल होना था। जिसमें से जनवरी 1976 तक सिर्फ रु0 326 वसूल हुये थे।

भण्डारों में न्यूनता

केन्द्रीय कार्यशाला के विभिन्न शाप्स और सेक्शनों तथा क्षेत्रीय कार्यशाला, इलाहाबाद में भण्डार सम्पुष्टिकरण तथा भण्डार गणना की निरन्तर प्रक्रिया के दौरान उनमें 1972–73 और 1973–74 के दरम्यान क्रमश: 1.25 लाख और 1.35 लाख रुपया मूल्य की निम्नलिखित न्यूनतायें मालूम हुयीं।

(लाख रुपये में)

			केन्द्रीय कार्यशाला	इलाहाबाद भण्डार
1972–73 ..	..	..	0.34	0.36
1973–74 ..	..	..	0.91	0.99
	कुल	..	1.25	1.35

नैनीताल क्षेत्र में जनवरी से अगस्त 1974 की अवधि में 59,000 लिटर मोबिल आयल (4.72 लाख रुपये मूल्य का) अभिलेखों मे कम दर्ज किया गया जिसके विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है (जनवरी 1976)।

न्यूनता और अधिकता के विषय में क्या कार्यवाही की जाय यह तय करने के लिए जो समिति गठित की गई थी (जनवरी 1972) उसने यह सिफारिश की (नवम्बर 1972) कि एक ही प्रकार की मदों में रु0 67,553 मूल्य की न्यूनता का रु0 69,459 मूल्य की अधिकता से समायोजन कर दिया जाय। इस विषय में उप महाप्रबन्धक (भण्डार) के आदेशों की प्रतीक्षा में कोई कार्यवाही नहीं की गई (जनवरी 1976)। शेष न्यूनताओं के विषय में भी उप महाप्रबन्धक (भण्डार) के आदेश प्रतीक्षित है।

चोरियां

निगम के स्थापना काल से वर्षानुवर्ष 6 क्षेत्रों और केन्द्रीय कार्यशाला में चोरियों का विवरण नीचे दिया है :—

	आदि शेष		वृद्धि		निपट गये दावों की संख्या		अन्त शेष	
	सं0	राशि (रु0 में)	संख्या	राशि (रु0 में)	संख्या	राशि (रु0 में)	संख्या	राशि (रु० में)
1972–73	185	1,64,901	99	67,138	59	3,387	225	2,28,652
1973–74	225	2,28,652	95	72,018	26	1,908	294	2,98,762
1974–75	294	2,98,762	89	44,565	9	282	374	3,43,045

अलीगढ़, देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ, नैनीताल और टनकपुर क्षेत्रों में चोरी के मामलों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी (जनवरी 1976)।

रेलवे पर दावे

निगम के स्थापना काल से वर्षानुवर्ष सात क्षेत्रों और केन्द्रीय कार्यशाला के रेलवे पर बकाया दावों की संख्या नीचे दी गई है :—

			आदि शेष	वृद्धि	तय हुये मामले	अन्तशेष
1972–73	..	..	357	103	29	431
1973–74	..	..	431	112	97	446
1974–75	..	..	446	56	88	414

31 मार्च 1975 को तय होने के लिये बचे 414 मामलों में से 289 दो वर्ष से अधिक पुराने हैं। अनिर्णीत मामलों का मूल्य मालूम नहीं हुआ (जनवरी 1976)।

बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर क्षेत्रों के अनिर्णीत मामलों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

जन शक्ति (मैन पावर) का विश्लेषण

कर्मचारियों की स्थिति

73. भूतपूर्व राजकीय परिवहन संगठन के तमाम अधिकारी निगम ने ले लिये। वे अब भी वाह्य सेवा शर्तों पर काम कर रहे हैं। प्रथम जून 1972 के बाद रखे गये लोग निगम के कर्मचारी माने जाते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों के विषय मे अभी तक कोई सेवा नियम नहीं बने। निगम ने राज्य कर्मचारियों को अपने यहां स्थायी रूप से विलीन करने के विषय में भी कोई शर्तें निर्धारित नहीं कीं (मार्च 1976)।

1972-73, 1973-74 और 1974-75 प्रत्येक वर्ष के अन्त में निगम के कर्मचारियों की संख्या की स्थिति इस प्रकार थी :—

	31मार्च 1973	31मार्च 1974	31मार्च 1975
(1) प्रशासनिक	2,630	2,798	2,820
(2) यातायात	7,008	7,273	8,346
(3) चालक और कण्डक्टर ..	14,414	15,246	15,917
(4) अनुरक्षण	10,212	10,653	11,160
(5) अन्य	1,659	1,707	1,718
कुल ..	35,923	37,677	39961

विभिन्न वर्गों के कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में निगम ने कोई स्वीकृत संख्या निश्चित नहीं की है (जनवरी 1976)।

परिचालन कर्मचारि वर्ग की उत्पादकता

31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष के दौरान केवल परिचालन कार्य में संलग्न कर्मचारिवर्ग की उत्पादकता का ब्योरा नीचे दिया है :—

	कुल परिचालित कि0 मी0 (लाख में)	केवल परिचालन में संलग्न कर्मचारियों की संख्या	प्रति कर्मचारी परिचालित कि0 मी0
1972-73	2,426.42	21,422	11,336
1973-74	2,577.62	22,519	11,442
1974-75	2,708.17	24,263	11,161

गाड़ी कर्मचारी अनुपात

31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष के दौरान गाड़ियों और कर्मचारियों का अनुपात

निम्न प्रकार रहा:—

	1972–73	1973–74	1974–75
(1) कुल बसें	4,582	4,745	4,975
(2) कुल कर्मचारी†	35,430	37,194	39,543
(3) बस कर्मचारी अनुपात			
यातयात कर्मचारिवर्ग	1.55	1.53	1.68
चालक और कन्डक्टर	3.04	3.11	3.11
कार्यशाला और अनुरक्षण कर्मचारी ..	2.23	2.25	2.24
अन्य, प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग व अधिकारीवर्ग सहित।	0.93	0.95	0.92
कुल ..	7.75	7.84	7.95

कर्मचारिवर्ग आय अनुपात

31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष में कर्मचारिवर्ग: आय का अनुपात इस प्रकार रहा:

	*1972–73	1973–74	1974–75
कुल आमदनी (लाख रुपये में) ..	2,278.27	3,445.08	3,992.16
कर्मचारियों की कुल संख्या ..	35,923	37,677	39,961
कर्मचारिवर्ग: आय अनुपात (रुपये में)	6,342	9,143	9,990
परिचालन राजस्व (लाख रुपये में) ..	2,200.36	33,23.68	3,900.00
केवल परिचालन कर्मचारिवर्ग ..	21,422	22,519	24,263
परिचालन: राजस्व कर्मचारिवर्ग अनुपात	10,271	14,759	16,074

व्यय: कर्मचारिवर्ग अनुपात

31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष के दरम्यान व्यय: कर्मचारिवर्ग अनुपात इस प्रकार रहा :—

	1972–73*	1973–74	1974–75
कुल व्यय (लाख रुपयें में) ..	2,389.02	3,481.65	4,161.38
कर्मचारियों की कुल संख्या ..	35,923	37,677	39,961
व्यय कर्मचारिवर्ग अनुपात (रु० में) ..	6,650	9,241	10,414
परिचालन व्यय (लाख रु० में) ..	2,241.50	3,288.21	4,000.00
केवल परिचालन कर्मचारिवर्ग ..	21,422	22,519	24,263
परिचालन व्यय:कर्मचारिवर्ग अनुपात (रु० में)	10,464	14,602	16,486

कण्डक्टरों और चालकों का उपयोग

निगम के आकलन (मई, 1975) के अनुसार खड़ी हुई गाड़ियों का प्रतिशत सामान्यया 16 और 20 के बीच होना चाहिये। देखने में आया कि सभी क्षेत्रों में खड़ी हुई गाड़ियों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहा है और कुछ जगह तो 45 प्रतिशत तक हो गया। खड़ी हुई बसों का औसत 20 प्रतिशत मान लें तो, दुहरे कर्मी दल (क्रू) और छुट्टी रिजर्व के लिये 40 प्रतिशत जोड़कर भी चालकों और कन्डक्टरों की कुल आवश्यकता क्रमशः 6079 और 5572 आती है। 31 मार्च, 1975 को चालकों और कण्डक्टरों की वास्तविक संख्या क्रमशः 8212 और 7705 थी।

---

†टैक्सियों ट्रकों और स्टाफ कारों के चालकों को छोड़कर।

*दस महीने में

9 से 21 फरवरी, 1973 तक निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस के फलस्वरूप 359769 कार्य दिवस तथा 99.60 लाख रुपयें की आमदनी का नुकसान हुआ। हड़ताल के दौरान 1,000 चालक और कण्डक्टर नियुक्त हुये जिन्हें बाद में निगम की सेवा में विलय कर लिया गया।

अनुग्रह भुगतान

राज्य सरकार ने 1972-73 में उ० प्र० राज्य रोडवेज के कर्मचारियों को 1971-72 के लिये बोनस भुगतान की घोषणा की। इसका भुगतान वेतन और मजदूरियों के 8.33 प्रतिशत की दर से निगम की निधि से किया गया, जिसकी बाद में सरकार ने आपूर्ति कर दी। इसके बाद निगम ने सन् 1972-73 और 1973-74 के लिये क्रमश: 9 और 9.5 प्रतिशत की दर से सारे कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान किया। सन् 1974-75 के लिये भी 9.5 प्रतिशत की दर से प्रबन्धक मण्डल ने अनुग्रह भुगतान की घोषणा की (सितम्बर, 1975) और कुछ क्षेत्रों में इसका भुगतान भी हो गया। कालान्तर में राज्य सरकार की एक घोषणा (सितम्बर, 1975) के अनुसार जिसमें कि घाटे पर चल रहे उपक्रमों में 4 प्रतिशत बोनस का परिसीमन कर दिया गया था, निगम के कर्मचारियों को भी अनुग्रह भुगतान की दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई।

लेखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा

74. अधिनियम की धारा 33 (i) के अनुसार निगम को अपेक्षित लेखा तथा दूसरे आलेख तैयार करना अनिवार्य है। इसकी स्थापना के पहले कोई लेखा व्यवस्था नहीं बनी थी। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में 25 अप्रैल 1972 को राज्य सरकार ने निगम को उ० प्र० राज्य रोडवेज के लिए प्रचलित कोष लेखा पद्धति चालू रखने की अनुमति इस परिवर्तन के साथ दी कि निगम जमा खाता लेखे (डिपाजिट एकाउण्ट) पर चलेगी और प्रत्येक कोष से किये गये आहरण उस खाते में जमा की राशि तक सीमित रहेंगे। परिणाम स्वरूप निगम के लेन देन (ट्रैनजैक्शन) का संकलन एवं हिसाब पूर्ववत् महालेखाकार करेंगे और प्रोफार्मा वाणिज्य लेखा निगम द्वारा तैयार किया जाएगा।

निगम के मुख्य लेखाधिकारी और सचिव राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगमों की लेखा पद्धति के अध्ययन के लिए वहां गये (नवम्बर-दिसम्बर, 1972), लेकिन अभी तक (मार्च, 1976) वाणिज्य लेखा पद्धति लागू नही की गई। 1 जुलाई, 19/5 से कोष पद्धति बदल दी गई और निगम ने एक अनुसूचित बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक से लेन देन (बैंकिग) व्यवस्था तय कर ली लेकिन 25 अप्रैल, 1972 के आदेश रद्द नहीं हुये हैं और न उनमें कोई संशोधन या परिवर्तन ही हुआ है।

अधिनियम की धारा 33 (1) के अन्तर्गत निगम को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, लाभ तथा हानि खाता व बैलेन्स शीट सहित लेख का वार्षिक विवरण बनाना चाहिये। राज्य सरकार ने अभी तक (मार्च, 1976) प्रपत्र निर्धारित नहीं किया है।

आन्तरिक लखा परीक्षा

निगम में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा कक्ष नहीं खोला गया है (जनवरी, 1976)।

अन्य रोचक विषय

खरीदी हुई जमीन का बेकार पड़ा रहना

75. बस स्टेशन के निर्माण के लिए 1957 में कुशीनगर (देवरिया) में 1972 एकड़ का एक भूखण्ड अधिग्रहीत किया गया था। उस जमीन का सीमांकन नहीं हुआ है और न कोई चौहद्दी ही बनाई गई है (जनवरी, 1976) सन् 1970 में यह सूचना मिली कि पड़ोस की जमीन के किरायेदार उस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही की गई। इस जमीन के उपयोग के लिए एक डिपो कारखाना बनाने पर विचार हो रहा था (जनवरी, 1976)।

ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) में बस स्टेशन बनाने के लिए 13.56 एकड़ का एक भूखण्ड रु0 25,188 में अगस्त, 1972 में लिया गया था, जो कि खाली पड़ा है (जनवरी, 1976)।

रोकड़/भण्डार का अपाहरण (मिसऐप्रोप्रियेशन)

समय-समय पर रोकड़ और भण्डार के अपाहरण के मामलों की सूचना मिली है। केन्द्रीय कार्यशाला के मामलों को निकाल कर, जिन पर कि अभी प्रबन्धक मण्डल के अन्तिम आदेश बाकी थे, विभिन्न क्षेत्रों में 31 मई, 1972 तक बही खातों के अनुसार औसतन 1.47 लाख रुपये की रोकड़ का गबन था। निगम के क्षेत्रीय लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1973 तक यह राशि बढ़कर 1.52 लाख रुपये हो गई तथा 31 मार्च, 1974 को घट कर 1.30 लाख रुपये बची। वर्ष 1974-75 में रोकड़ के गबन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी (मार्च, 1976)। आलेखों की नमूना जांच से पता लगा कि कण्डक्टरों द्वारा जमा की गई राशियों, रोकड़ बही में जाली भुगतान की प्रविष्टियों तथा कर्मचारियों से प्राप्त जमानतों (धन) को हिसाब में शामिल न करने के कारण कानपुर क्षेत्र में अप्रैल से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में रु0 16,684 का गबन हुआ, तथा जून से नवम्बर, 1974 के दरम्यान लखनऊ क्षेत्र में रु0 18,726 गबन हुये। सन् 1972-73 से 1974-75 तक के 3 वर्ष में रोकड़ और भण्डार के गबन के (आठ क्षेत्रों में) मामलों की संख्या सहित व्यापक स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	आदि शेष		वृद्धि		तय शुदा		अन्त शेष	
	सं०	मूल्य (रु० में)	सं०	मूल्य (रु० में)	सं०	मूल्य (रु० में)	सं०	मूल्य (रु० में)
1972-73	42	4,06,512	4	5,856	2	6,557	44	4,05,811
1973-74	44	4,05,811	10	53,813	—	..	54	4,59,624
1974-75	54	4,59,624	5	17,009	14	1,647	45	4,74,986

31 मार्च 1975 तक 30 मामले दो वर्ष से अधिक पुराने थे, 10, एक और दो वर्ष के बीच, और 5 एक साल से कम पुराने थे, बरेली, देहरादून, टनकपुर और वाराणसी क्षेत्रों से संबंधित स्थिति उपलब्ध नहीं थी। इन मामलों की जांच अभी शुरू होनी है और दायित्व निर्धारित होना है (मार्च 1976)।

कैन्टीनों के ठेके

यात्रा करने वाली सवारियों की सुविधा के लिए विभिन्न बस स्टेशनों पर निर्मित कैन्टीनें नीलाम द्वारा उठाई जानी चाहिए, लेकिन देखने में यह आया कि 1971 से 1975 के दौरान कई कैंटीनें किराये पर नहीं उठीं जिससे आमदनी का नुकसान हुआ। 31 मार्च, 1975 को 8 क्षेत्रों में 21 कैन्टीनें नहीं चल रही थीं (अन्य क्षेत्रों के बारे में सूचना नहीं मिली)।

गजरौला और बछरावां स्थित कैन्टीन 1971 से बन्द हैं। ठेकेदार द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश ले लेने के कारण बिजनौर और सीतापुर की कैन्टीनें 1973 से बन्द हैं। वाराणसी में छावनी बस स्टेशन की कैन्टीन 25 अगस्त, 1972 को 3 वर्ष के लिए रु0 80,000 में नीलाम हुई थी, और 15 जुलाई, 1973 को खाली कर दी गई। 9 जुलाई, 1973 को किये गये एक नीलाम में 3 वर्ष के लिए रु0 70,000 की उच्चतम बोली लगी, जिसे निगम ने स्वीकार नहीं किया। 24 अगस्त, 1973 को उसे दुबारा नीलाम किया गया और रु0 30,000 की उच्चतम बोली लगी। अक्टूबर, 1973 में यह तय हुआ कि निविदायें आमंत्रित की जायें। 3 वर्ष के लिए रु0 1,10,000 की उच्चतम निविदा स्वीकार कर ली गई और तदनुसार दूसरे फरीक को 24 अक्टूबर 1973 को सूचित कर दिया गया, लेकिन चूंकि कैन्टीन 3 सितम्बर, 1973 से रोडवेज कर्मचारी संघ, वाराणसी के कब्जे में थी, इसलिए उसे नहीं उठाया जा सका। यह अब भी (जनवरी, 1976) बगैर किसी किराये, बिजली और पानी के दाम के संघ के कब्जे में है।

कैसरबाग बस स्टेशन की कैन्टीन का 3 वर्ष के लिए रु0 82,000 का ठेका 8 जून, 1974 को खत्म हो गया। 16 अक्टूबर, 1974 को नया नीलाम हुआ और 3 वर्ष के लिए उच्चतम बोली रु0 1,54,000 की लगी। कैन्टीन का प्रवेश रोक कर उसके सामने रोडवेज के एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा एक अलहदा चाय की गुमटी खोल लेने से नया करारनामा कार्यान्वित नहीं हो पायी और वर्तमान ठेकेदार को ही पुरानी दर पर बने रहने की अनुमति दे दी गयी जिसके कारण अक्तूबर, 1975 तक रु0 25,000 का नुकसान हुआ।

खुर्जा डिपो की कैन्टीन का नीलाम हुआ और उसे 25 जुलाई, 1974 को 3 वर्ष के लिए 3,01,100 पर उठा दिया गया। कैन्टीन 9 अगस्त, 1974 से शुरू हो गई लेकिन निगम के अनुमोदन की प्रतीक्षा में 30 नवम्बर, 1974 तक उसे पुरानी दरों (रुए 47,000 वार्षिक) पर रहने की अनुमति दे दी गई। अनुमोदन 15 नवम्बर, 1974 को मिला। 9 अगस्त, 1974 से 30 नवम्बर, 1974 तक रु० 14,361 के राजस्व का नुकसान हुआ।

नेहटौर बस स्टेशन (बरेली क्षेत्र) 1 अक्तूबर, 1973 को स्थापित हुआ लेकिन संलग्न कैन्टीन पहली बार 3 वर्ष के लिए 500 रु0 प्रति मास के किराये पर 26 मई, 1975 को नीलाम हुई और किराये पर उठाई गई इस दर पर 1 अक्तूबर, 1973 से 25 मई, 1975 तक 9,500 रु0 का राजस्व प्राप्त होता।

राजस्व का अवप्रभार (अण्डर चार्ज)

रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल, 1971 से "उच्च" श्रेणी समाप्त कर दी गई थी। विचार यह था कि अतिरिक्त खेपों/कि0मी0 के परिचालन वाली सभी बसों पर (अनुसूचित बसों को छोड़कर) उच्च श्रेणी के लिए निर्धारित किराये वसूल किये जायें।

नमूना जांच के परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण सामने आये जिनमें, निम्नलिखित के अनुसार, अतिरिक्त खेपों के लिये अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया गया :

क्षेत्र का नाम	अवधि	अवप्रभार (रु0)	टिप्पणी
आगरा	दिसम्बर, 1974 से मई, 1975 तक	44,409	अतिरिक्त खेपें
आगरा	नवम्बर, 1974 से मई, 1975 तक	16,054	भाड़े पर दी गई बसें
बरेली	जुलाई, 1971 से जून, 1974 तक	9,578	अतिरिक्त खेंप
		70,041	

आगरा क्षेत्र में आगरा-इटावा और आगरा-शिकोहाबाद मार्गों को मोड़ देने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए फसलों की उपेक्षा के कारण 26 अगस्त, 1974 से 30 अप्रैल, 1975 के दौरान 10,997 रु0 का कम भाड़ा लिया गया। बाद में इन मार्गों के बढ़े हुए फासलों के अनुसार इन पर भाड़ा लिया गया।

आउट एजेन्सी मात्र की भाड़ा दरें

उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज ने 1948 में देहरादून से मंसूरी आउट एजेन्सी और वापसी में पार्सल और माल ले जाने का काम अपने हाथ में ले लिया। बुक किये हुए माल का रोडवेज रु0 1.56 प्रति मन की दर से भाड़ा ले रही थी, जिसमें से पार्सलों और माल पर प्रशासनिक व्यय के रूप में भाड़े के शेष में से 2 1/2 प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त 31 पैसे प्रतिमन रेलवे को दिये जाते थे। यह व्यवस्था 9 अगस्त, 1964 तक चलती रही। इसके बाद भाड़ा दर रु0 1.88 प्रति 44 कि0 ग्रा० की दर लागू हो गई, जिसमें से 44 पैसे रेलवे को दिये जाते थे। तब से भाड़े की इन दरों में (सिवाय 20

पैसा प्रति 40 कि0ग्राम की सितम्बर, 1970 वृद्धि के, जो कि कुलियों की मजदूरी बढ़ाये जाने के कारण उन्हें देय था) कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ और हालांकि परिचालन व्यय 1963-64 में रु0 0.85 से बढ़कर 1973-74 में रु0 1.30 प्रति कि0 मी0 हो गया है ।

इस प्रकार देहरादून से मंसूरी और वापसी के लिये प्रति 40 कि0 ग्रा0 पार्सल और माल की ढुलाई के रु0 2.08 में से निगम को मात्र 0.94 पैसे मिल रहे हैं ।

पिथौरागढ़ में आउट एजेन्सी की स्थापना के फलस्वरूप टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच माल ढोने के लिये अगस्त, 1973 में निगम ने रु0 12.66 प्रति क्विन्टल (60 पैसे के घाट कर सहित) की दर से उत्तर पूर्व रेलवे से एक अनुबन्ध किया । हालांकि निगम की माल परिवहन दरें 1 जुलाई, 1974 से ही बढ़ा दी गई थीं, लेकिन चूंकि रेलवे से इस सम्बन्ध में मार्च, 1975 में ही बात हुई थी इसलिये आउट एजेन्सी इकरार के मामले में रु0 17.40 प्रति क्विन्टल की उच्च दरें (60 पैसे घाट टैक्स सहित) जून, 1975 से ही लागू की गईं । यद्यपि मूल अनुबन्ध में ही समय-समय पर भाड़ा दरों के पुनरीक्षण का प्राविधान था, लेकिन जून, 1975 में एक पुनरीक्षित अनुबन्ध किया गया । जुलाई, 1974 से मई 1975 की अवधि के दौरान 24,262 क्विन्टल ढोये गये माल पर 1.15 लाख रुपये के भाड़े की दरों का अन्तर हुआ । पुनरीक्षित दरों के विलम्ब से लागू होने के कारण निगम को उक्त सीमा तक आमदनी में घाटा हुआ ।

यात्री कर तथा मालकर

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियम, 1972 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 के प्रावधान के अन्तर्गत निगम को क्रमशः यात्री कर तथा माल कर वसूल करके वसूली को कोष में जमा कर देना चाहिये ।

यात्रियों से बस भाड़ा लेते समय ही निगम उनसे यात्रीकर तथा मालकर वसूल करती है और महीना पूरा होते ही कुल वसूली का लगभग 13 प्रतिशत कोष में जमा कर देती है । देखने में यह आया कि निगम ने सरकार को हमेशा कम राशियां जमा की है । अतएव 2.99 करोड़ रुपये के बकाया कर सरकार ने 1973-74 में अवक्षयण आरक्षित निधि-निवेश (डिप्रीसियेशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट) से समायोजित किया ।

स्टाफ कारों का आबंटन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम नियम, 1972 के अनुसार केवल निगम के अध्यक्ष के उपयोग के लिये स्टाफ कार दी जा सकती है । मुख्यालय तथा केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर में तैनात अधिकारियों के लिये अनेक स्टाफ कारों के अलावा 1973-74 के अन्त में निगम के बारहों क्षेत्रों में 102 स्टाफ कारें थी ।

अधिकारियों से स्टाफ कारें वापस लेने के विषय में रिपोर्ट देने के लिये निगम ने प्रबन्धक मंडल के तीन सदस्यों की एक समिति बनाई (नवम्बर, 1974) । समिति ने संस्तुति दी (मार्च, 1975) कि निगम के हित में अधिकारियों से स्टाफ कारें वापस नहीं लेनी चाहिये । यह संस्तुति प्रबन्धक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई लेकिन स्टाफ कारों की वापसी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

स्टाफ कारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । लेकिन उनके उपयोग और उन पर व्यय की निगरानी रखने के लिये निगम के पास कोई रिकार्ड नहीं थे । मुख्य कार्यालय, केन्द्रीय कार्यशाला और नैनीताल क्षेत्र को निकाल कर 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में स्टाफ कारें क्रमशः 18.74 लाख कि0 मी0, 20.53 लाख कि0 मी0 और 21.43 लाख कि0 मी0 चली । क्षेत्रों में 102 स्टाफ कारों पर 1973-74 के दौरान 16.65 लाख रुपये अर्थात रु0 14,353 प्रति स्टाफ कार खर्च हुये ।

कर्मचारियों की भविष्य निधि में अभिदान

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार निर्धारित दर पर कर्मचारियों के अभिदान के अतिरिक्त मालिक को भी उनके भविष्य निधि खाते में मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (रिटेनिंग एलाउन्स) यदि है तो, के 8 प्रतिशत के बराबर अभिदान करना चाहिये। अधिनियम के अनुसार मूल वेतन में मकान किराया भत्ता, अधि समय भत्ता और बोनस शामिल नहीं किये जाते ।

कानपुर क्षेत्र में देखा गया कि कर्मचारियों का 8 प्रतिशत अभिदान मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते पर भी काटा जा रहा है और इसके साथ निगम भी उतना ही अतिरिक्त अभिदान दे रही है । उक्त क्षेत्र के आठ में से पांच डिपो में 1974–75 में इस मद पर निगम ने 0.72 लाख रुपये अतिरिक्त अभिदान दिया दूसरी ओर गोरखपुर क्षेत्र में अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी राशियों को जो कि परलब्धियों का अंश है, कर्मचारियों के भविष्य निधि अभिदान की कटौती के लिये शामिल नहीं किया गया । इसका नतीजा यह हुआ कि दिसम्बर, 1974 से मई, 1975 के दौरान कर्मचारियों से रु० 5,220 की कम कटौतियां हुयीं और इसे निगम को वहन करना पड़ा ।

अलीगढ़ क्षेत्र में मालिक का अभिदान देर से जमा होने के कारण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने रु० 8,541 का जुर्माना कर दिया । यह जुर्माना छोड़ देने के लिये 18 सितम्बर, 1974 का निवेदन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 30 जनवरी, 1975 में अस्वीकार कर दिया ।

देवी दयाल जैरथ

(देवी दयाल जैरथ)
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–I

इलाहाबाद : 28 JUN 1976

प्रतिहस्ताक्षरित

अर्धेन्दु बक्सी

(अर्धेन्दु बक्सी)
भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली : 30 JUN 1976

परिशिष्ट

परिशिष्ट

(संदर्भ : पैरा 2,

सरकारी कम्पनियों के 1974–75 के

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तारीख	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+) हानि (−)
1	2	3	4	5	6
1	इंडियन टर्पेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली	उद्योग	22 फरवरी 1924	271.77	(+) 0.54
2	यू0 पी0 स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष का लेखा)	उद्योग	26 मार्च 1971	14,08.17	(−) 3,02.54
3	यू0 पी0 स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मिर्जापुर	उद्योग	29 मार्च 1972	28,09.44	(−) 2,77.99
4	यू0 पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	29 मार्च 1961	..	(+) 34.16
5	यू0 पी0 टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	2 दिसम्बर 1969	11,71.22	(−) 12.06
6	प्रादेशीय इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन श्राफ यू0 पी0 लिमिटेड,लखनऊ	उद्योग	29 मार्च 1972	..	(+) 11.84
7	यू0 पी0 स्टेट हैंडलूम, पावरलूम, फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कारर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	9 जनवरी 1973	47.00	(+) 0.04
8	टर्पेंटाइन सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बरेली	उद्योग	11 जुलाई 1939	15.08	(+) 2.44
9	किछा शुगर कम्पनी लिमिटेड किछा (नैनीताल) (सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष का लेखा)	उद्योग	17 फरवरी 1972	4,97.56	(−) 1,46.12

I

पृष्ठ 1) (जारी)

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम का विवरण

(लाख रुपयों में)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक कर्जों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (6+8)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (6+7)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
7	8	9	10	11	12	13
5.31	5.31	5.85	2.15	273.73	5.85	2.14
97.23	51 41	(–) 2,51.13	..	5,24.51	(–) 2,05.31	..
1,10.12	1,00.22	(–) 1,77.77	..	13,56.94	(–) 1,67.87	..
21.62	21.62	..	..	12,75.47	55.78	4.39
6.34	..	(–) 12.06	..	7,88.46	(–) 5.72	..
5.66	5.64	..	..	4,52.65	17.50	3.9
..	..	0.04	0.99	44.14	0.04	0.09
0.92	..	2.44	16.18	12.65	3.36	26.6
61.61	39.75	(–) 1,06.37	..	4,09.18	(–) 84.51	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6
10	अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड, अल्मोड़ा (अक्तूबर 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष का लेखा)	उद्योग	27 अगस्त 1971	1,00.00	(--) 42.85
11	यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	उद्योग	23 मार्च 1974	30.16	(+) 0.16
12	यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं0 1) लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	20 अगस्त 1974	2,93.48	. .
13	यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल कम्पनी (नं0 2) लिमिटेड, कानपुर	उद्योग	20 अगस्त 1974	0.01	. .
14	यू0 पी0 इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, लखनऊ	उद्योग	30 मार्च 1974	25.00	(–) 2.83
15	यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	कृषि	29 मार्च 1967	6,64.85	(–) 55.96
16	यू0 पी0 पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड फैजाबाद	कृषि	30 मार्च 1971	77.17	(+) 0.02
17	यू0 पी0 पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, देहरादून	कृषि	30 मार्च 1971	73.71	(+) 0.02
18	यू0 पी0 स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	पर्यटन	5 अगस्त 1974	12.63	(–) 0.13

टिप्पणी :—

(i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जे तथा निर्बाध आरक्षित निधि

(ii) लगाई गई पूंजी में (यू0 पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड निबल नियत परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माणाधीन-कार्यों को छोड़कर) और

(iii) यू0 पी0 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रादेशीय इंडस्ट्रियल पूंजी, अर्थात् (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) बांड और ऋणपत्र (डिबेंचर), (iii) आरक्षित और (v) निक्षेप के आदि और अंत के शेषों के योग का औसत प्रदर्शित करती है।

(iv) क्रम संख्या 12 और 13 पर उल्लिखित कम्पनियों में अभी तक उत्पादन प्रारम्भ

I (समाप्त)

7	8	9	10	11	12	13
6.99	6.28	(−) 36.57	...	1,28.54	(−) 35.86	..
..	..	0.16	0.5	29.81	0.16	0.5
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	(−) 2.83	..	21.43	(−) 2.83	..
38.10	2.05	(−) 53.91	..	9,65.29	(−) 17.86	..
0.87	..	0.02	0.03	77.15	0.89	1.15
0.07	0.07	0.09	0.1	62.58	0.09	0.1
0.01	0.01	(−) 0.12	..	12.32	(−) 0.12	..

सम्मिलित है ।

और प्रादेशीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड को छोड़कर कार्यशील पूंजी सम्मिलित है ।

इंवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ यू0पी0 लिमिटेड के विषय में लगाई गई पूंजी, औसत लगाई गई निधियों, (iv) पुन: वित्त को सम्मिलित करते हुए उधार (बारोइंग्स इनक्लूडिंग रिफाइनेंस)

नहीं हुआ है ।

परिशिष्ट II (जारी)

चुर्क–इकाई

(संदर्भ: पैरागाफ 13 पृष्ठ 15 व 17)

कार्य के लिये उपलब्ध समय 'परिचालन के लिये उपलब्ध समय' कार्य के लिये वास्तविक समय और अलग-अलग कारणों से नष्ट समय का विवरण

क्रम-संख्या	संयंत्र के अनुभागों के नाम	पारियों की संख्या	कार्य के लिये उपलब्ध कुल		परिचालन के लिये उपलब्ध		कार्य के लिये वास्तविक	मशीन बन्दी (घंटों में)								
			दिन	घंटे	दिन	घंटे	घंटे	सामान्य नेमी मरम्मत तथा रख-रखाव के कारण	यांत्रिक और विद्युत् के दोषों के कारण	पावर की कमी/कटौती	श्रमिक हड़तालें/विवाद	संचयन पूर्ण, परवर्ती प्रक्रिया का अभाव	पत्थर, लुगदी, क्लिकर का अभाव, पूर्ववर्ती प्रक्रिया का अभाव	वैगन की कमी	कच्चे माल, जल, और वायु आदि कमी सहित अन्य बाधायें	कुल मशीन-बन्दी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1972-73									
1	क्रशर (सं0-1)	2	365	5840	313	5000	3383.00	..	802.70	..	..	..	1267.25	..	432.25	2503.00
2	रा मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	23165.25	2543.21	3744.17	1592.00	..	2746.47	1247.30	..	..	11 874,35
3	भट्ठे (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	26819.45	20 2.15	2851.20	858.35	..	..	552.40	..	1875.25	8,220.15
4	सीमेन्ट मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	21470.37	3404.37	5129.55	2693.50	..	..	219.05	1275.58	845.58	13569.23
							1973–74									
1	क्रशर (सं0-1)	2	365	5840	313	5000	2863.05	..	1014.26	..	..	..	1162.35	..	584.54	2761.55
2	रा-मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	16899.38	2629.16	7142.30	3381.56	14.50	1605.50	3366.00	..	..	18140.22
3	भट्ठे (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	19977.45	1593.45	2517.50	2548.00	14.35	..	3169.35	..	5218.30	15062.15
4	सीमेन्ट मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	15480.21	3728.08	7306.21	3356.05	17.00	..	953.25	2519.35	1679.05	19559.39
							1974–75									
1	क्रशर (सं0-1)	2	365	5840	313	5000	2800.05	....	826.30	..	..	..	1195.40	...	383.45	2405.55
2	रा-मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	17477.06	2008.45	11536.25	465.14	..	2826.40	725.50	..	..	17562.54
3	भट्ठे (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	21607.40	1956.10	4430.00	1192.35	159.10	..	1582.10	..	4112.15	13432.20
4	सीमेन्ट मिलें (सं0-4)	3	1460	35040	1460	35040	15999.47	3032.35	9557.38	1446.37	124.00	..	..	4670.38	208.45	19040.13

टिप्पणी (1) बोरा बन्दी संयंत्रों से सम्बन्धित आंकड़े प्रबन्धकों द्वारा नहीं रखे गये थे।

(2) क्रशर के सम्बन्ध में, परिचालन के लिये उपलब्ध समय, साप्ताहिक बन्दी के कारण कुल उपलब्ध समय से कम है, तथा कार्य के लिये वास्तविक घंटे (कालम 8) तथा मशीन बन्दी के कुल घंटों (कालम 17) का जोड़, परिचालन के लिये उपलब्ध घंटों (कालम 7) से, क्रशर के, 1972–73 (886 घंटे) 1973–74 (625 घंटे) और 1974–75 (206 घंटे) में अधिसमय परिचालन के कारण बढ़ जाता है।

(3) क्रशर की सामान्य और नेमी मरम्मत तथा रख-रखाव साप्ताहिक बन्दी के दिनों में की गई थी।

डाला-इकाई प

परिशिष्ट II (समाप्त)

क्रम-संख्या	संयंत्र के अनुभागों के नाम	पारियों की संख्या	कार्य के लिये उपलब्ध कुल दिन	कार्य के लिये उपलब्ध कुल घंटे	परिचालन के लिये उपलब्ध दिन	परिचालन के लिये उपलब्ध घंटे	कार्य के लिये वास्तविक घंटे	मशीन बंदी (घंटों में): यांत्रिक दोष तथा सामान्य मरम्मत और रख रखाव	क्रेनों का बंद हो जाना	विद्युत के दोष	संचयन पूर्ण, परवर्ती प्रक्रिया का अभाव	पत्थर, लुगदी तथा क्लिंकर का अभाव होना, पूर्ववर्ती प्रक्रिया का अभाव	श्रमिक हड़तालें/विवाद	वैगन की कमी	पावर की कटौती/कमी	अन्य बाधाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									1972–73								
1	क्शर(सं0-1) ..	2	365	5840	313	5000	1007.39	966.33	..	54.50	..	319.21	88.00	..	50.15	2513.22	3992.21
2	रा-मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	10123.20	1997.35	924.00	270.00	897.10	..	..	..	364.10	2943.45	7396.40
3	भट्ठे(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	10281.15	1911.00	59.45	820.30	726.55	975.50	..	..	321.35	2423.10	7238.45
4	सीमेंट मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	8428.15	2782.50	1307.50	558.05	..	..	..	1474.20	419.45	2548.55	9091.45
									1973–74								
1	क्शर(सं0-1) ..	2	365	5840	313	5000	1314.34	539.04	..	224.36	..	695.20	64.00	..	63.15	2099.11	3685.26
2	रा-मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	9164.05	2177.15	1924.40	668.20	604.45	254.00	49.55	..	1422.20	1254.40	8355.55
3	भट्ठे(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	10687.35	1449.40	128.30	207.55	1318.00	771.20	235.30	..	2272.40	448.50	6832.25
4	सीमेंट मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	7139.00	2556.30	1296.35	1965.05	..	..	240.00	1348.15	1994.00	980.35	10381.00
									1974–75								
1	क्शर(सं0-1) ..	2	365	5840	313	5000	1060.18	456.41	..	159.18	..	613.22	..	..	34.00	2676.21	3939.42
2	रा-मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	7956.10	2893.20	933.55	1123.35	202.25	185.15	15.05	..	4041.45	168.30	9563.50
3	भट्ठे(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	7394.10	858.25	10.35	205.15	409.45	1586.10	17.10	..	6557.00	100.30	10125.50
4	सीमेंट मिलें(सं0-2) ..	3	730	17520	730	17520	6331.15	4405.10	1706.25	1048.55	..	..	19.15	248.00	3530.30	230.30	11188.45

टिप्पणी:—

(1) पैक करने के संयंत्र के सम्बन्ध में प्रबन्धकों द्वारा आंकड़े नहीं रक्खे गये थे ।

(2) क्शर के सम्बन्ध में उपलब्ध परिचालन समय, साप्ताहिक बन्दी के कारण कुल उपलब्ध समय से कम है ।

(3) 1-4-1972 से 3-2-1975 तक तथा 4-2-75 से 31-3-75 तक की अवधि में क्शर का क्रमश:, एक और दो पारियों में परिचालन हुआ था ।

(4) सामान्य पारियों के परिचालन के अतिरिक्त क्शर का 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में क्रमश:, 446, 838 और 498 घंटों का अविसमय परिचालन हुआ था ।

(5) क्शर के सम्बन्ध में, कालम नम्बर 9 में प्रदर्शित मशीन बंदी के घंटे, केवल यांत्रिक दोष के कारण होने वाली मशीन बंदी बताते हैं, क्योंकि सामान्य मरम्मत और रखरखाव का कार्य साप्ताहिक बन्दी के दिनों में किया गया था ।

परिशिष्ट III

(संदर्भ-पैरा सं0 44(क) (iii) और (ख) (iii)-पृष्ठ 61)

1974-75 की अवधि में सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+) हानि (−)	लाभ हानि लेखे से प्रभारित कुल ब्याज	लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (6+8)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर कुल प्रति-लाभ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्							
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	शक्ति	प्रथम अप्रैल, 1959	1,11,819.16	(−)924.13	1,442.50	1,442.50	518.37	0.46	1,04,280.56	518.27	0.49
					(ख) अन्य सांविधिक निगम							
1	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	प्रथम नवम्बर, 1954	..	(+)87.10	93.36	93.36	180.46	..	2,092.24	180.46	8.62

टिप्पणी :—1—निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, लम्बी अवधि के ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि शामिल है ।

2—नियोजित पूंजी में (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के अलावा) निवल अचल परिसम्पत्ति (नेट फिक्स्ड असेट्स) तथा कार्यशील पूंजी शामिल है ।

3—उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लगी हुई पूंजी में (1) प्रदत्त पूंजी, (2) बंध-पत्र और ऋण-पत्र, (3) आरक्षित निधि (रिजर्व्ड), (4) रिफायनेंस सहित उधार, (5) निक्षेप तथा (6) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के रूप में दी गई विशेष योजनाओं के लिये निधि के आदि व अन्तशेषों के पूर्णयोग का औसत है ।

पी0 एस0 यू0 पी0 –ए0 पी0—2 महालेखाकार 1976–1046–1750 (हिन्दी)।

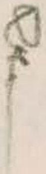

शुद्धि-पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
(iii)	'प्रस्तावनात्मक टिप्पणी'		
	पैरा 4, पंक्ति 4	भाण्डारागार ..	भण्डारागार
(iii)	पैरा 4, पंक्ति 5	नियक्त ..	नियुक्त
1	पैरा 1, पंक्ति 4	कंम्पनियं ..	कम्पनियां
2	पैरा 5, पंक्ति 1	1974–5 ..	1974–75
2	पैरा 5, पंक्ति 9	स्टट ..	स्टेट
5	पंक्ति 2	कंम्पनी ..	कम्पनी
5	पंक्ति 8	1.11 लाख रुपये)	1.11 लाख रुपये
5	पैरा 11, पंक्ति 9 ..	रुपय ..	रुपये
5	अंतिम पंक्ति	शामिल है ..	शामिल है, में वृद्धि।
6	(क) 'सिविल अभियंत्रण निर्माण-कार्य',		
	पंक्ति 9	अपूर्ति ..	आपूर्ति
6	(ख) 'क्रेन गंत्री (क्रेन गैण्ट्री) का ढांचा',		
	पंक्ति 7	प्लेट का पिलाई ..	प्लेट की पिलाई
	पंक्ति 8	अक्तूर ..	अक्तूबर
	पंक्ति 9	वतमान ..	वर्तमान
7	पंक्ति 10	सेवावें ..	सवायें
7	सब-पैरा (ग) 'संयंत्र और मशीनें लगाना'		
	पंक्ति 3	जाने वाल प्रमुख ..	जाने वाले प्रमुख
	सारणी के नीचे चौथी लाइन ..	निर्माण म विलम्ब ..	निर्माण में विलम्ब
7	सब-पैरा (घ) 'क्रशर की आपूर्ति' ..		
	पंक्ति 1	लगाबे ..	लगाने
	पंक्ति 4	आजमाइशी 400 .. परिचालन	आजमाइशी परिचालन
	पंक्ति 5	मैट्रिक टन ..	400 मैट्रिक टन
	पंक्ति 6	आजमाइश क दौरान	आजमाइश के दौरान
10	पंक्ति 2	जसा ..	जैसा
10	सारणी के नीचे सब-पैरा (क) की		
	दूसरी पंक्ति	गोरखपुर क ..	गोरखपुर के
10	सब-पैरा (ii) की हैडिंग ..	ठेके दारो द्वारा लाइम-स्टोन की ढुलई	ठेकेदारों द्वारा लाइम-स्टोन की ढुलाई
10	सब पैरा (ii) "ठेकदारों द्वारा लाइम-स्टोन की ढुलाई"		
	पंक्ति 1	ढेने ..	ढोने

पृष्ठ-संख्या	परा संख्या पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
11	पंक्ति 10	.. ..	ढुलाईथी ..	ढुलाई की
11	पंक्ति 13	.. ..	पुरान ..	पुराने
11	सब-पै'रा (iii) 'ओवरबर्डेन हटाने का काम', की			
	पंक्ति 5	.. ..	ओरबर्डेन ..	ओवरबर्डेन
	पंक्ति 7	.. ..	प्रबन्धक नसितम्बर	प्रबन्धक ने सितम्बर
	पंक्ति 9	.. ..	(कम्पनी के संचालकों में से एक ..	(कम्पनी के संचालकों में से एक)
	पंक्ति 12	.. ..	1 : 3 होन ..	1 : 3 होने
	पंक्ति 14	.. ..	इसक ..	इसके
	पंक्ति 22	.. ..	टण्डरदाताओं ..	टेण्डरदाताओं
12	प्रथम सारणी के नीचे की पांचवीं लाइन		1970 71 ..	1970–71
12	सब-पैरा (ख) (i) 'खदान के कार्य'			
	पंक्ति 2	.. ..	लगातर ..	लगातार
14	प्रथम सारणी के नीचे की तीसरी पंक्ति		क्षमता क उपयोग ..	क्षमता के उपयोग
15	प्रथम सारणी के स्तम्भ 3, 4 तथा 5 का शीर्षक	..	सामान्य मरम्मत, .. अनुरक्षण, ब्रेक डाउन, पावर कटौती, श्रमिक विवाद और बैगनों की कमी को छोड़ कर अन्य कारणों से हुई औसत काम बन्दी	सामान्य मरम्मत, अनुरक्षण, ब्रेक डाउन तथा अन्य कारणों से (पावर की कटौती, श्रमिक विवाद और बैगनों की कमी को छोड़कर) हुई औसत काम बन्दी
15	प्रथम सारणी के नीचे की दूसरी पंक्ति ..	..	4.80 लाख टन	4.80 लाख मैट्रिक टन
15	द्वितीय सरणी, स्तम्भ 1, शीर्षक 'संयंत्र का अनुभाग', के नीचे की	..		
	द्वितीय पंक्ति ..	..	लाइमस्टोन क लिये	लाइमस्टोन के लिये
	चतुर्थ पंक्ति ..	..	लुग्दी क लिये ..	लुग्दी के लिये
16	पंक्ति 5	.. ..	5035 ..	5305
16	द्वितीय सारणी के नीचे के दूसरे सब-पैरा की तीसरी पंक्ति	..	(iv) श्रमिक समस्या	(iv) श्रमिक समस्या,
17	पंक्ति 6	.. ..	मुकावल ..	मुकाबले
17	सब-पैरा (i) की चतुर्थ पंक्ति ..		1974 75 ..	1974–75
17	द्वितीय सारणी, प्रथम स्तम्भ, अंतिम पंक्ति	.. ..	मिलें ..	सीमेंट मिलें
18	प्रथम लाइन, प्रथम शब्द	..	काय ..	कार्य
18	पैरा 14, पंक्ति 1	..	आतर्गत ..	अन्तर्गत

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
19	सब-पैरा "काम का परिणाम" के सारणी के नीचे की पंक्ति 6	4.20 लाख रुपय	4·20 लाख रुपये
20	पैरा 15, तृतीय पंक्ति	बनाए।	बनाए हैं।
20	पैरा 15, पंक्ति 17	करन	करने
21	सब-पैरा 'लागत नियंत्रण', की पंक्ति 2	खंगर	खंगर
21	अंतिम लाइन	प्रतिटन	प्रति मैट्रिक टन
22	सारणी, शीर्षक	प्रति टन उत्पादन का वास्तविक	प्रति मैट्रिक टन उत्पादन का वास्तविक
22	सारणी, प्रथम स्तम्भ, आइटम प्रथम	लाइमस्टोन (मैट्रिक टनों में) जिप्सम	लाइमस्टोन (मैट्रिक टनों में)
	सारणी, प्रथम स्तम्भ आइटम दो	(उत्पादन का प्रतिशत)	जिप्सम (उत्पादन का प्रतिशत)
24	सारणी, स्तम्भ 1, पांचवां आइटम	निर्माण स्थल क बाहर	निर्माण स्थल के बाहर
25	प्रथम सारणी के नीचे की तीसरी पंक्ति	प्राप्ति क रूप म	प्राप्ति के रूप में
25	प्रथम सारणी के नीचे की चतुर्थ पंक्ति	चूंकि इसम	चूंकि इसमें
25	प्रथम सारणी के नीचे की आठवीं पंक्ति	जोड़ देन से	जोड़ देने से
25	दूसरी सारणी	(रुपय में)	(रुपये में)
26	पैरा 16, पंक्ति 2	कर्मचारी ह	कर्मचारी हैं
26	पैरा 16, पंक्ति 3	कारखानों क बिक्री संगठनों क काम-काज	कारखानों के बिक्री संगठनों के काम-काज
26	सब-पैरा 'विपणन व्यवस्था' की		
	पांचवी पंक्ति	क माध्यम स	के माध्यम से
	आठवीं पंक्ति	पशगी	पशगी
	नवीं पंक्ति	चुक	चर्क
26	अंतिम पंक्ति	के लिय	के लिये
27	प्रथम पंक्ति	कारखाने क निदेशक	कारखाने के निदेशक
28	पैरा 17, द्वितीय पंक्ति	प्रबन्धक क प्रति	प्रबन्धक के प्रति
28	पैरा 17, तृतीय पंक्ति	प्रत्यक संयंत्र	प्रत्येक संयंत्र
28	सारणी के नीचे की द्वितीय पंक्ति	विचाराधीन रहन	विचाराधीन रहने
30	पैरा 18, आइटम (iv) की प्रथम पंक्ति	व्वस्था	व्यवस्था
32	सारणी, स्तम्भ 3 का शीर्षक	जो संख्या प्रयोग य है	जो संख्या प्रयोग में है
33	आठवीं पंक्ति	इसके अतिरित	इसके अतिरिक्त
33	पंक्ति 12	सुधारा प्रतिस्थापन	सुधार/प्रतिस्थापन

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
33	'कम्प्रेसर' के नीचे छठवीं पंक्ति	पुर्जो क लिये ..	पुर्जों के लिये
33	उपशीर्षक "इंजिन (लोकोमोटिव्ज)"	इंजिन (लोकोमोरिव्ज)	इंजिन (लोकोमोटिव्ज)
33	उपशीर्ष "इंजिन (लोकोमोटिव्ज)" की पांचवी लाइन ..	निर्माताओं क साथ	निर्माताओं के साथ
35	पंक्ति 1	लगत ..	लागत
35	पैरा 21, सारणी, स्तम्भ 3, .. पांचवा आइटम ..	33.63 ..	3.63
35	अंतिम पंक्ति	तुलना म ..	तुलना में
36	द्वितीय सारणी, स्तम्भ पहला .. 'विवरण' के नीचे की .. दूसरी पंक्ति	काम क कुल ..	काम के कुल
	तृतीय पंक्ति	कुल उपलब्ध कार्य घंट	कुल उपलब्ध कार्य घंटे
	पांचवी पंक्ति	उत्पादिता (प्रति श्रमिक घंटा मैट्रिक टन)	उत्पादिता (श्रमिक घंटा।मैट्रिक टन)
36	नीचे से द्वितीय पंक्ति ..	1972-73 म ..	1972-73 में
36	आखिरी पंक्ति	6.36 लाख रुपय	6.36 लाख रुपये
37	पैरा 23, पंक्ति दो ..	रसोंई ..	रसोई
37	पैरा 23, पांचबीं व छठवीं पंक्तियां ..	आवास, पूर्ण बिजली और सौवालय व्यवस्था, सहित कम्पनी उपलब्ध कराती रही है, विचार किया गया है।	आवास, पूर्ण बिजली और सौचालय व्यवस्था सहित, कम्पनी उपलब्ध कराती रही है।
37	नीचे से छठवीं लाइन ..	बिना किसी प्राधिकरण	बिना किसी विशेष प्राधिकार
37	नीचे से द्वितीय पंक्ति ..	कारण कोई ..	कारण का कोई
38	द्वितीय पंक्ति	कम्पनी ने भुगतान किया इस प्रकार है:-	कम्पनी ने इस प्रकार भुगतान किया है:-
38	सारणी	(लख रुपये में) ..	(लाख रुपये में)
40	प्रथम सारणी के नीचे के सब-पैरा .. की प्रथम पंक्ति	7 दिसम्बर 1972 को	7 दिसम्बर 1972 को पुन:
40	प्रथम सारणी के नीचे के सब-पैरा की अन्तिम पंक्ति ..	शुल्क वास्तविक जेब खर्च के लिए 0.35 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहित हुआ	शुल्क, वास्तविक जेब खर्च के लिए 0.35 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहित, तय हुआ।
41	पैरा 25, प्रथम पंक्ति ..	रा मिल्स, को चूना, पत्थर	(रा मिल्स को) चूना पत्थर
41	पैरा 25, तृतीय पंक्ति ..	अवधि से अधिक हो चुका था) ..	अवधि से अधिक हो चुका था

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
41	पैरा 25, सातवीं लाइन ..	जनवरी 1971 में दिया गया। ..	जनवरी 1971 में दिया गया
41	पैरा 25, पँक्ति 16 ..	स्थापन कार्यारम्भ ..	स्थापन तथा कार्यारम्भ
41	नीचे से तीसरी पंक्ति ..	बढ़ोत्तरी की गई ..	बढ़ोत्तरी स्वीकार की गई
41	अंतिम पंक्ति	रखांकन ..	रेखांकन
42	सारणी स्तम्भ 2 का शीर्षक	अप्रैल 1974 .. अनुमान के .. अनुसार लागत ..	अप्रैल 1974 के अनुमान के अनुसार लागत
43	नीचे से नवीं पंक्ति ..	टन और 1985 तक 185 रुपये प्रति मैट्रिक टन नियत रक्खी गई।	टन नियत रक्खी गई, और 1985 तक, यदि 185 रुपये प्रति मैट्रिक टन नियत रक्खी गई।
44	पंक्ति 11	क मद में 12.50 लाख रुपय लगायें ..	के मद में 12.50 लाख रुपये लगाए
44	पंक्ति 15	फीजिबिलिटी ..	(फीजिबिलिटी)
44	पंक्ति 19	क ..	के
45	पंक्ति 8	पता लगन ..	पता लगने
45	पैरा 30, पंक्ति 4 ..	कार्यों पर यथा ..	कार्यों पर, यथा,
46	पैरा 32, पंक्ति 4 ..	1–46 ..	1.46
46	पैरा 32, पंक्ति 11 ..	निदेशक जल मिल सकता है कि नहा। ..	जब मिल सकता है कि नहीं
46	पैरा 32, पंक्ति 12 ..	मंडल की अनुमति	निदेशक मंडल की अनुमति
46	नीचे से आठवीं पंक्ति ..	(जिसन ..	(जिसने
47	सारणी अंतिम स्तम्भ "टिप्पणी" की प्रथम पंक्ति ..	कार्य आदेशों के ..	कार्य आदेशों के द्वारा
48	सारणी, प्रथम स्तम्भ, आइटम (घ) की प्रथम पंक्ति	व्यापारिक दय ..	व्यापारिक देय
49	पैरा 34, पंक्ति 7 ..	उत्पादन करने के लिए,	उत्पादन करने के लिये
49	पैरा 34, पंक्ति 12 ..	प्रबन्ध क लिए ..	प्रबन्ध के लिए
50	सब-पैरा (क) की पंक्ति 8 ..	बराबर था)। ..	बराबर था),
51	सब पैरा (ख) की पंक्ति 7 ..	कराये एसा किया	कराये ऐसा किया
51	सब पैरा (ख) की पंक्ति 11 ..	मेट्रिक आपूर्तिदर ..	आपूर्तिदर
51	सब पैरा (ग) की पंक्ति 2 ..	ठीकेदारों ..	ठेकेदारों
51	नीचे से पांचवीं पंक्ति ..	100 क्विंटल गन्ना	100 क्विंटल गन्ना।
52	सब-पैरा (ङ) 'अतिरिक्त व्यय' की		
	नवीं पंक्ति	ठीकेदार ..	ठेकेदार
	ग्यारहवीं पंक्ति	ठेके दार को सीमेंट	ठेकेदार को, सीमेन्ट
	बारहवीं पंक्ति	कारण सीमेन्ट ..	कारण, सीमेन्ट

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
54	पंक्ति 4 ..	.. स जलाने ..	से जलाने
54	पंक्ति 14 ..	.. न ऋण दने ..	ने ऋण देने
54	पंक्ति 16 ..	.. महाप्रबन्धकों न ..	महाप्रबन्धकों ने
54	पंक्ति 17 ..	.. खरी ी ..	खरीदीं
54	पंक्ति 21 ..	.. परिवर्तन क ..	परिवर्तन के
55	पैरा 38 (क), पंक्ति 4	.. (प्रंबन्धकों ने ..	प्रबंधकों ने
55	पैरा 38 (क), पंक्ति 5	.. पैरवी ही की) ..	पैरवी ही की
55	पैरा 38 (क), पंक्ति 9	.. वेतन के लिय, ..	वेतन के लिये
55	पैरा 38 (ख), पंक्ति 3	.. उत्पादन शुल्क ..	उत्पाद शुल्क
55	पैरा 38 (ख) पंक्ति 4	.. उत्पादन कर ..	उत्पाद कर
55	पैरा 38 (ख), पंक्ति 5	.. उत्पादन शुल्क ..	उत्पाद शुल्क
55	पैरा 38 (ख), पंक्ति 13	.. उत्पादन शुल्क ..	उत्पाद शुल्क
55	पैरा 38 (ख), पंक्ति 23	.. कन्द्रीय ..	केन्द्रीय
55	अंतिम पंक्ति ..	.. कन यूनियन ..	केन यूनियन
56	प्रथम सारणी के नीचे आठवी पंक्ति ..	.. किसानों को खरीद के सरकारी भंडार ..	किसानों को सरकारी भंडार
56	द्वितीय सारणी ..	.. (करोड़ रुपय में)	(करोड़ रुपये में)
57	पैरा 39 (क), पंक्ति 8	.. लखा ..	लेखा
57	पैरा 39 (क), पंक्ति 12	.. आय वर्तमान ..	आय (वर्तमान
57	पैरा 39 (क), पंक्ति 13	.. (आय के अनुमान में दिखलायी गयी) ..	आय के अनुमान में दिखलाई गई)
57	अंतिम पंक्ति ..	.. लकिन ..	लेकिन
58	पंक्ति 13 ..	.. जमा क सत्यापन किय	जमा का सत्यापन किये
58	पैरा 40, पंक्ति 2	.. कम्पनी ने बुन्देलखंड कंकरीट स्ट्रक्चर्स लि0 कं0 ने (मार्च 1972)	कम्पनी ने (मार्च 1972)
58	पैरा 40, पंक्ति 10	.. कम्पनी द्वारा ..	कम्पनी ने
58	पैरा 40, पंक्ति 13	.. भत्त ..	भत्ते
58	शीर्षक ..	.. भारतीय तारपीन और जिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली ..	भारतीय तारपीन और बिरोजा कम्पनी लिमिटेड, बरेली
58	पैरा 41, पंक्ति 2	.. अभिकर्ताओं क क्षत्र	अभिकर्ताओं के क्षेत्र
58	पैरा 41, पंक्ति 3	.. बिक्री करने पर कर	बिक्री करने पर कोई
59	नीचे से सातवीं पंक्ति	.. गाजियबाद ..	गाजियाबाद
59	नीचे से द्वितीय पंक्ति	.. लिए 2.78 लाख	2.78 लाख
60	प्रथम पंक्ति ..	.. मशीन, नहीं ..	मशीन नहीं
60	सबपैरा (ग) की प्रथम पंक्ति	.. अयात	आयात
60	सब-पैरा (घ) की द्वितीय पंक्ति	.. निकसी	निकासी
60	सब-पैरा (घ) की तृतीय पंक्ति	.. अधीन	आधीन
60	सब-पैरा (घ) की चतुर्थ पंक्ति	.. आयत	आयात
60	नीचे से सातवीं पंक्ति	.. गय	गया

पृष्ठ-संख्या	परा संख्या, पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
60	नीचे से छठवीं पंक्ति का पहला शब्द	..	रुपाये	रुपये
61	सब-पैरा (क) (iii) की द्वितीय पंक्ति		उल्लेखख	उल्लेख
61	सब-पैरा (ख) की द्वितीय पंक्ति		ने लेखों लाभ-हानि	ने लेखों, लाभ-हानि
	की तृतीय पंक्ति		अपन	अपने
62	पैरा 45, पंक्ति 2	..	तयार	तैयार
62	नीचे से सोलहवीं पंक्ति	..	लकिन	लेकिन
62	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	अंकित होन	अंकित होने
66	नीचे से 10वीं लाइन	..	रु0'7 ब्याज खर्च)	रु0 . 07 ब्याज खर्च)
67	प्रथम पंक्ति	..	पूर्ति	मूर्ति
68	पंक्ति 8	..	2 मई 19 3	2 मई 1973
68	पंक्ति 14	..	किया गया या	किया गया था
68	पंक्ति 30	..	पहल	पहले
68	नीचे से द्वितीय पंक्ति	..	अद्यतन	आद्यतन
70	नीचे से नवीं पंक्ति	..	बड़	बड़े
71	पंक्ति 14	..	रिसीबर	(रिसीवर)
71	पैरा 54, नवीं लाइन	..	बृद्विगत	वृद्धिगत
71	नीचे से छठवीं लाइन	..	30 नवम्बर 1915	30 नवम्बर 1975
72	पैरा 55, पंक्ति 9	..	म जमा	में जमा
72	पैरा 55, पंक्ति 10	..	रिपोर्ट क पैरा	रिपोर्ट के पैरा
72	पैरा 55, पंक्ति 10	..	1973–74 क दौरान	1973-74 के दौरान
72	पैरा 55, पंक्ति 11	..	न की गई एसी	ा की गई ऐसी
72	पैरा 55 अंतिम पंक्ति	..	दिसम्बर 1914	दिसम्बर 1974
72	पैरा 56, पंक्ति 2	..	भत्रीय	क्षेत्रीय
73	नीचे से आठवीं पंक्ति	..	( )	(iii)
74	नीचे से बारहवीं पंक्ति	..	के अय दावों	के अन्य दावों
74	नीचे से पांचवीं पंक्ति	..	कती	सकती,
75	पंक्ति 23	..	अर्धकुम्भ मला	अर्धकुम्भ मेला
77	पंक्ति 5, उपशीर्षक	..	रेलों से कम राजस्व प्रभाव लेन	रेलों से कम राजस्व प्रभार लेना
77	सब-पैरा 58 (iii), पंक्ति दो	..	एक उपभोक्ता का घरेलू	उपभोक्ता का घरेलू
78	पंक्ति 3	..	मांग सच)	मांग सूचक से) ।
78	सब-पैरा (vi), पंक्ति 4	..	मीटर लगायाजा गया था	मीटर लगाया गया था
78	सब-पैरा (vi), पंक्ति 9	..	(तदनंतर अक्टूबर 1973 में संशोधित) 0. 61 लाख रुपये	(तदनंतर अक्टूबर 1973 में संशोधित 0. 61 लाख रुपये)
78	नीचे से चतुर्थ पंक्ति	..	वास्तविक अथवा अनु-बधित मांग,	वास्तविक अथवा अनु-बंधित मांग का 60 प्रतिशत,
78	नीचे से तृतीय पंक्ति		हो,के 60 प्रतिशत से, क स्थान पर	हो, के स्थान पर

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
79	पैरा 59 (iii), पंक्ति 3 ..	टावर बनाने वाले को यदि	टावर बनाने वाले के द्वारा यदि
79	नीचे से पांचवीं पंक्ति ..	(अप्रैल 192)	(अप्रैल 1972)
80	सब-पैरा (v), पंक्ति 11 ..	अनुबंधित लागत (4179 रुपये) के 10	अनुबंधित लागत के के 10
80	सब-पैरा (v), पंक्ति 12 ..	प्रतिशत तक का दंड,	प्रतिशत तक का दंड (4179 रुपये),
80	नीचे से 8वीं लाइन ..	इसक लिए	इसके लिए
80	नीचे से दूसरी लाइन का अंतिम शब्द ..	क	के
81	सब-पैरा (vii), पंक्ति 6 ..	अक्टूबर 1973	अक्टूबर 1974
81	सब-पैरा (viii) का चौथा वाक्य ..	लेकिन परियोजना परामर्शदाता तकनीकी ड्राइंगों के अभाव में विलम्ब होने क कारण प्रासंगिक सर्वेक्षण आंकड़ों की प्राप्ति निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सका।	लेकिन प्रासंगिक सर्वेक्षण आंकड़ों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण परियोजना परामर्शदाता से तकनीकी ड्राइंगों के अभाव में निविदाओं को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जा सका।
81	नीचे से दूसरी पंक्ति ..	दी गई थी उत्तर प्रतीक्षित है	दी गई थी; उत्तर प्रतीक्षित है।
82	सब-पैरा (x), सारणी के नीचे की दूसरी पंक्ति	5 पैसे की पर	5 पैसे की दर
83	सब-पैरा (xii), पंक्ति 6 ..	करने सुझाव	करने का सुझाव
83	सब-पैरा (xiii), शीर्षक ..	कायेले की खरीद	कोयले की खरीद
84	नीचे से पांचवीं पंक्ति ..	प्रा त होना था	प्राप्त होना था
85	सब-पैरा (xv) की प्रथम सारणी के नीचे की प्रथम पंक्ति	अपने मू यों की	अपने मूल्यों की
85	नीचे से पांचवीं पंक्ति ..	सुपुदेगी	सुपुर्दगी
86	सब-पैरा (xvi), पंक्ति 4 ..	(तकनीकी रुप से उपयक्त)	(तकनीकी रूप से उपयुक्त)
86	सब-पैरा (xvi), दूसरी सारणी के नीचे की प्रथ म पंक्ति का अंतिम शब्द	परिणाम वरुप	परिणाम स्वरूप
86	नीचे से दूसरी पंक्ति ..	(5 अप्रैल 1974 क	(5 अप्रैल 1974 के
87	सब-पैरा (xix) (क), पंक्ति 5	वैधता, अवधि	वैधता अवधि
87	नीचे से तीसरी पंक्ति ..	दि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 कारें	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 कोर
87	अंतिम पंक्ति ..	रुप दन	रूप देने
88	सब-पैरा (ग) की:—		
	प्रथम पंक्ति, ..	33 के 9 बी0	33 के0 बी0

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
	दसवीं पंक्ति	..	आडर	आर्डर
	ग्यारहवीं पंक्ति	..	मजदूरी के	मजदूरी में
88	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	आर0 टी0	एच0 टी0
88	अंतिम पंक्ति	..	कि गये थे	किए गये थे
	अंतिम पंक्ति	..	42.094	42,094
89	तीसरी पंक्ति	..	4,000 कि0आ0 0.61 लाख रुपये	0.61 लाख रुपये
89	सब-पैरा (xxiii) (क) की:—			
	तीसरी पंक्ति	..	माध्यम एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष समापन	माध्यम (एजेंसी) द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन
	नवीं पंक्ति	..	126 मद	126 मदों के
89	सब-पैरा (xxiii) (ख) की:—			
	पांचवीं पंक्ति	..	एजेंसी द्वारा	एजेंसी ने
	आठवीं पंक्ति	..	मंडल से उठायी	मंडल से उठाया
	तेरहवीं पंक्ति	..	(मई—जून 1970) ।	(मई-जून 1973)
90	सब-पैरा (xxv) पंक्ति 3	..	रुपये से	रुपये में
90	सब-पैरा (xxvii), पंक्ति 6	..	फर्म न	फर्म ने
	सब-पैरा (xxvii), पंक्ति 10	..	जनवरी (1974 में प्राप्त)	(जनवरी 1974 में प्राप्त)
91	सब-पैरा (xxix), पंक्ति 1	..	भाड़े डेलीवरी	भाड़े, डिलीवरी
91	सब-पैरा (xxx) की:—			
	तीसरी पंक्ति	..	उत्पादन शुल्क	उत्पाद शुल्क
	चतुर्थ पंक्ति	..	उत्पादन शुल्क	उत्पाद शुल्क
	पांचवीं पंक्ति	..	उत्पादन शुल्क	उत्पाद शुल्क
	सातवीं पंक्ति	..	उत्पादन शुल्क	उत्पाद शुल्क
91	सब-पैरा (xxxi) पंक्ति 5	..	कोयल	कोयले पर
92	प्रथम पंक्ति	..	उस पर इकट्ठे	रेल अधिकारियों द्वारा उस पर इकट्ठे
	प्रथम पंक्ति	..	बाद भी 2.53 लाख रुपय रेल	बाद भी, 2.53 लाख रुपये
92	द्वितीय पंक्ति	..	अधिकारियों द्वारा विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
92	सब-पैरा (घ) की:—			
	चतुर्थ पंक्ति	..	जून 1975	(जून 1975)
	पांचवीं पंक्ति	..	(जून, 1975) ।	।
92	नीचे से दूसरी पंक्ति,	..	इस आधार उसकी, पर	इस आधार पर उसकी
92	अंतिम अंक्ति	..	आर0ए0 ज्वाइस्टों	आर0एस0ज्वाइस्टों
93	सब-पैरा (xxxiii) पंक्ति 1	..	मार्च 1961	मार्च 1967
93	सब-पैरा (xxxiv) की:—			
	दूसरी पंक्ति	..	प्रसार चतुर्थ चरण के	प्रसार-चतुर्थ चरण-के
	तृतीय पंक्ति	..	आक्षित	आरक्षित

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
	पांचवी पंक्ति	..	लिया गया था बीमा-कृत के अनुरोध पर अतिरिक्त किश्त से	लिया गया था, बीमा-कृत के अनुरोध पर अतिरिक्त किश्त के
	सातवीं पंक्ति	..	किश्तों का वापसी पर रद्द	किश्तों की वापसी पर, बीमा रद्द
95	पंक्ति 7	..	उ 9प्र0	उ0प्र0
96	पैरा 61, पंक्ति 2	..	अधिनियम, 1950	अधिनियम, 1950 की धारा 18
96	पैरा 62, पंक्ति 10	..	लेखाधिकारी का	लेखाधिकारी को
97	सब-पैरा 'पूंजीगत अभिदान' की:—			
	छठवीं पंक्ति	..	दिया गया/पुनर्देय सावधि ऋण (रिय-बिलटर्म	दिया गया पुनर्देय सावधि ऋण (रिपेय-बिल टर्म
	सातवीं पंक्ति	..	लोन)	लोन) ।
98	पंक्ति 7	..	राशि स्थायी	राशि अस्थायी
98	सब-पैरा "आंतरिक स्रोत" पंक्ति 2		9.12 करोड़	0.12 करोड़
98	अंतिम पंक्ति	..	य ा नर्धारित	यथा निर्धारित
99	नीचे से चतुर्थ पंक्ति	..	सवता था	सकता था
	नीचे से चतुर्थ पंक्ति	..	विकल्प चु ा	विकल्प चुना
102	नीचे से दूसरी पंक्ति	..	किये गय हैं ।	किये गये हैं ।
	नीचे से दूसरी पंक्ति	..	लेखों क आधार	लेखों के आधार
103	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	इससे राज्य	इसे राज्य
	अंतिम पंक्ति	..	1972–73	और 1972–73
106	पैरा 68 पंक्ति 1	..	से ओर बाद	से और बाद
106	अंतिम सारणी, पहला स्तम्भ	..	खड़ी गाड़ियां बसें आरक्षित	खड़ी गाड़ियां बसें आरक्षित
108	पहली सारणी, पहला स्तम्भ आइटम (3)		परिचालित खेप (लाख में)	परिचालित खेपें (लाख में)
109	नीचे से छठवीं पंक्ति	..	पुस्तिकाओं क कण्डक्टरों	पुस्तिकाओं को कण्डक्टरों
110	पंक्ति 14	..	नमूना जांच क	नमूना जांच के
111	सब-पैरा 'वातानुकूलित सेवायें' की:—			
	पहली पंक्ति	..	रोडवेज ो भारत सर-कार के ा ट्न विभाग के सुझाव पर मा ा 1962 में	रोडवेज ने भारत सर-कार के पर्यटन विभाग के सुझाव पर मार्च 1962 में
	तृतीय पंक्ति	..	सेवओं	सेवाओं
	चौथी पंक्ति	..	6 वातनुकूलन संयंत्र के आयत हेतु	6 वातानुकूलन संयंत्र के आयात हेतु
	आठवीं पंक्ति	..	(22.4.1969)	22–4–1969

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या, पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
112	सारणी के नीचे के सब-पैरा की तीसरी पंक्ति		4.95 पैसे, किराया	4.95 पैसे किराया,
113	प्रथम सारणी, स्तम्भ 5, "माघ मेला, इलाहाबाद" के सामने	..	3.80 4.42	3.80 और 4.42
113	द्वितीय सारणी, प्रथम स्तम्भ, दूसरा आइटम	..	लिमिटेड, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स, इलाहाबाद	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद
115	द्वितीय सारणी, स्तम्भ 2	..	4,2,9	4,259
116	पंक्ति 9	..	अक्टूबर और मार्च	'अक्टूबर और मार्च
118	प्रथम सारणी के नीचे के प्रथम सब-पैरा की प्रथम पंक्ति		विश्लषण	विश्लेषण
119	प्रथम सारणी के नीचे के प्रथम सब-पैरा की प्रथम पंक्ति		खड़े रहन क दिनों	खड़े रहने के दिनों
120	अंतिम पंक्ति	..	1/7 लिटर	1/2 लिटर
122	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	जनवरी 1972 से शुरू होने सब-पैरा से समझा जाय	वाला वाक्य नए
122	नीचे से दूसरी पंक्ति	..	रु0 3.80	3.80 पैसे
127	पैरा 71, पंक्ति 4	..	8.38 करड़	8.38 करोड़
127	नीचे से चौथी पंक्ति	..	कार्यादिश/जाब कार्ड	कार्यादेश/जाब कार्ड
128	नीचे से दसवीं पंक्ति	..	इंजिनों क नवीकरण	इंजिनों के नवीकरण
129	अंतिम सारणी, द्वितीय स्तम्भ शीर्षक	.. ..	खोले गए क य' आदेश	खोले गए कार्य आदेश
130	प्रथम पंक्ति	..	समय के जाब-कार्ड	समय के 5074 जाब-कार्ड
131	प्रथम पंक्ति	..	केन्द्रीय कार्यशाला से शुरू होने वाला वाक्य नए सब-पैरा से समझा जाय	
131	पंक्ति 14	..	1974 और 19 5	1974 और 1975 में
131	पंक्ति 18	..	समग्री थी।	सामग्री थी।
131	सब-पैरा 'क्रय' की:—			
	द्वितीय पंक्ति	..	उपमह प्रबन्धक (भंडार)	उपमहाप्रबन्धक (भंडार)
	पांचवीं पंक्ति	..	समय से ापूर्ति	समय से आपूर्ति
	छठवीं पंक्ति	..	स्वीकृत व्यापरियों	स्वीकृत व्यापारियों
131	नीचे से नवीं पंक्ति	..	परिवहन उपक्रमें	परिवहन उपक्रमों
132	दूसरी पंक्ति	..	रुपये का अतिरि त व्यय	रुपये का अतिरिक्त व्यय
132	सातवीं पंक्ति	..	फम को आदेश	फर्म को आदेश
132	पंक्ति 14	..	वह अदेश	वह आदेश

पृष्ठ-संख्या	पैरा संख्या पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
132	सब-पैरा (4) की:—			
	द्वितीय पंक्ति	..	(बिक्री कर निकाल क)	(बिक्री कर निकाल कर)
	पांचवीं पंक्ति	..	कनपुर की	कानपुर की
	पांचवीं पंक्ति	..	कम मूय पर	कम मूल्य पर
132	सब-पैरा (5) की:—			
	द्वितीय पंक्ति	..	(मई 1 74 से	(मई 1974 से
	पांचवीं पंक्ति	..	म 7 प्रबन्धक	महाप्रबन्धक
133	सब-पैरा "अप्रचलित पुर्जों की बिक्री" की:—			
	दूसरी पंक्ति	..	(डी0जी0एस0एण्ड डा0)	(डी0जी0 एस0 एण्ड डी0)
	छठवी पंक्ति	..	कायशाला	कार्यशाला
	दसवीं पंक्ति	..	विभिन्न क्षत्रों म	विभिन्न क्षेत्रों में
133	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	रु0 0·25 प्रतिदिन	रु0 25 प्रतिदिन
136	द्वितीय सारणी, प्रथम स्तम्भ की अंतिम पंक्ति		परिचालन: राजस्व कर्मचारिवर्क अनुपात	परिचालन: राजस्व कर्मचारिवर्ग अनुपात (रु0 में)
136	सब-पैरा 'कन्डक्टरों और चालकों का उपयोग, की प्रथम पंक्ति		सामान्यया	सामान्यतया
137	पैरा 74, प्रथम पंक्ति	..	धारा 33 (i)	धारा 33 (I)
137	पैरा 74, पंक्ति 17	..	लेख का वार्षिक	लेखों का वार्षिक
137	सब-पैरा "आंतरिक लेखा परीक्षा" शीर्षक		आन्तरिक लखा परीक्षा	आन्तरिक लेखा परीक्षा
137	पैरा 75, प्रथम पंक्ति	..	1972 एकड़	1.972 एकड़
138	सारणी, स्तम्भ 8, 1972–73 के सामने		4,	44
138	सारणी के नीचे के प्रथम सब-पैरा की :—			
	दूसरी पंक्ति		कम पुराने थे,	कम पुराने थे।
138	सब-पैरा "केन्टीनों के ठेके" की पहली पंक्ति		सुविधा क	सुविधा के
139	पंक्ति 9	..	(रु ये 47,00(वार्षिक)	(रुपये 47,000 वार्षिक)
139.	सारणी के नीचे प्रथम सब-पैरा की दूसरी पंक्ति		हुए फसलों	हुए फासलों
139	नीचे से तीसरी पंक्ति	..	में भाड़ के शेष में से 2 1/2 प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त 31 पैसे प्रतिमन रेलवे की दिए जाते थे।	मे, भाड़े के शेष में से 2 1/2 प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त, 31 पैसे प्रतिमन रेलवे को दिये जाते थे।
139	नीचे से दूसरी पंक्ति	..	रु0 1.88 प्रति 44 कि0 ग्रा0	रु0 1.88 प्रति 40 कि0 ग्रा0
140	प्रथम पंक्ति	..	1970 वृद्धि	1970 से वृद्धि
140	पंक्ति 5	..	0.94 पैसे	94 पैसे

पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
140	पंक्ति 8 ..	हलांकि	हालांकि
140	सब-पैरा "यात्रीकर तथा मालकर" की:--		
	तृतीय पंक्ति ..	वसल कर के	वसूल करके
	सातवीं पंक्ति ..	हमेशा कम राशियां	हमेशा यात्री कर की कम राशियां
141	पंक्ति 3 ..	(रिटेनिंग ए ाउन्स)	(रिटेनिंग एलाउन्स)
145	परिशिष्ट I, स्तम्भ 8, क्रमांक 2 के सामने	5141	51.41
147	परिशिष्ट I, टिप्पणी 2 की पहली पंक्ति	को छोड़कर	को छोड़कर)
151	परिशिष्ट III, स्तम्भ 4, क्रमांक 1 के सामने	प्रथम अप्रल, 1959	प्रथम अप्रैल 1959
151	परशिष्ट: III. टिप्पणी 3 की प्रथम पंक्ति	आरक्षित निधि (रिजर्व्ड)	आरक्षित निधि (रिजर्व्स)

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 5 महालेखाकार--(2099)-1976--1,750 (हिन्दी)।

शुद्धि-पत्र

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1981–82 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम-संख्या	पृष्ठ संख्या	लाइन संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1	3	4 नीचे से	2331.21	23331.21
2	4	19	339.25	339.29
3	5	तालिका कालम 4 लाइन 5	6.96	6.94
4	7	तालिका अन्तिम कालम नीचे से दूसरी लाइन	255 09	255.
5	9	तालिका प्रथम कालम नीचे से चौथी लाइन	पुज क	पुर्जो
6	11	13	108 75	108.75
7	11	2 नीचे से	उठाई 1.50	उठाई । 50
8	12	6	जाना।नीची	जाना/नीची
9	13	तालिका कालम 2 पहली लाइन	6,000	60,000
10	16	पहला सब पैरा पहली लाइन	सुजर	सुपर
11	22	तालिका–8 वां कालम अन्तिम लाइन–रिक्त स्थान		89,500
12	22	पहली तालिका तीसरा कालम–शीर्षक	वास्तविक	वास्तविक रूप से स्थापित
13	23	दूसरी तालिका के नीचे प्रथम लाइन	न की गई	की गई
14	25	तालिका चौथा कालम अन्तिम लाइन	1.20	0.20
15	27	दूसरा सब पैरा दूसरी लाइन	और	अधिष्ठान पर अधिक लागत (1.22 लाख रुपये) और
16	29	6 नीचे से	1882	1982
17	33	पैरा 4.14 लाइन 1–2	भारी मध्यम	भारी, मध्यम तथा

1	2	3	4	5
18	40	परा 6.01 दूसरी लाइन	स्थापित	पहली अप्रैल 1959 को स्थापित
19	42	दूसरी तालिका शीर्षक अन्तिम कालम	1982 संचयी	1982 को संचयी
20	45	8	284	284 मेगावाट
21	45	12	स्थापन	7.02. स्थापन
22	45	16	थी कुल	की कुल
23	45	24	24.47 लाख रुपये	24.47 लाख रुपये)
24	45	2 नीचे से	तक	तक सन्तोषजनक
25	46	8	जुलाई 1968 से	जुलाई से
26	49	2	iv तथा iii	IV तथा III
27	50	तालिका अन्तिम कालम–8 वीं लाइन	66.5	65.5
28	51	तालिका के नीचे सब पैरा (i) पहली लाइन	1982	1972
29	52	तालिका पहला कालम लाइन 4	IV	यह अगली लाइन के पहले पढ़ा जाय
30	54	12	445.98	446.98
31	55	3	दिया	दिया (अगस्त 1980)
32	55	3	पम्पर	पम्प
33	56	9	मेल	भेल
34	57	अन्तिम	63.33	65.33
35	58	13	6198	6158
36	60	14	लीटर) घंटा	लीटर घंटा)
37	60	23	711.89	11.89
38	60	28	स्थापना परिचालन	स्थापना/परिचालन
39	60	29	22.50	22.5
40	60	31	60 ममी	60 मिमी
41	61	पहली तालिका शीर्षक अन्तिम कालम	वास्ततिक	वास्तविक
42	61	दूसरी तालिका 7 वां कालम तीसरी लाइन	3.25	3.26
43	64	तालिका के नीचे दूसरी लाइन	अनु क्षण	अनुरक्षण

1	2	3	4	5
44	66	4 नीचे से	निर्मगनों	निर्गमनों
45	67	दूसरी तालिका शीर्षक	प्राप्त	प्राप्य
46	67	दूसरी तालिका तीसरा कालम अन्तिम लाइन	1504.58	1504.38
47	67	5 नीचे से	किया	किया (सितम्बर 1976)
48	68	पैरा 7.14.02 अन्तिम लाइन	था	था (फरवरी 1983)
49	69	11 नीचे से	1080.48 लिमियन	1080.258 मिलियन
50	70	5	33.20	35.20
51	70	14	गया।	गया
52	70	11 नीचे से	प्रस्तुत	प्रस्तुत (मार्च 1982)
53	71	10	रोड़	करोड़
54	74	6	47 ऐसे	47 पैसे
55	76	तालिका-तीसरा कालम-प्रथम लाइन	30424	50424
56	77	3 नीचे से	0.91	0.96
57	80	तालिका के नीचे 5 वीं लाइन	प्रमाणित	प्रभावित
58	80	2 नीचे से	कम्प्यूटर	31 मार्च 1982 को कम्प्यूटर
59	83	16	1879--80	1979-80
60	85	तालिका अन्तिम कालम अन्तिम लाइन	189	18.9
61	86	8 नीचे स	इस्पात	इस्पात (मूल्य: 0.24 लाख रुपये)
62	86	2 नीचे से	ने	ने फरवरी 1980 में
63	87	14	के वी वी	के वी
64	87	17 नीचे से	गया	गया (जून 1982)
65	87	2 नीचे से	लिए किलो	लिये 11 किलो
66	88	3	विरुध	विरुद्ध
67	88	7	10 हजार	0.10 लाख
68	88	15 नीचे से	बीज	बीच

1	2	3	4	5
69	89	4	के पाये	के) पाये
70	89	6 नीचे से	1968	1978
71	89	3 नीचे से	गया	गया (अक्टूबर 1980)
72	90	6 नीचे से	के विभिन्न	ने विभिन्न
73	91	17 नीचे से	1981–82 तक के तीन वर्षों में	1979–80 से 1981-82 के दौरान
74	91	14 नीचे से	अप्रैल	पहली अप्रैल
75	91	10 नीचे से	1981	1982
76	92	12	8.01.02	8.16.02
77	93	10 नीचे से	भी औसत	भी इकाई द्वारा विद्युत् उत्पादन में औसत
78	95	पैरा 9.02-लाइन 2	1979,	1979)
79	97	2 नीचे से	ट्रेसिटी	सिटी
80	99	19	नहीं कि	नहीं किया
81	100	17	1982	1980
82	102	12 नीचे से	था।	था
83	103	पैरा 10.07 लाइन 3	किलोग्राम और	किलोग्राम) और
84	105	13 नीचे से	विलम्बित न	विलम्बित / न
85	106	15 नीचे से	परिषद्। सरकार	परिषद् / सरकार
86	106	15 नीचे से	1981, नवम्बर	1981 / नवम्बर
87	106	10 नीचे से	ट्रांसजार्मर	ट्रांसफार्मर
88	106	9 नीचे से	दिससबर	दिसम्बर
89	107	पैरा 10.17 5 वीं लाइन	उत्पाद पर	उत्पाद कर
90	108	18	समय	समय (अक्टूबर 1976)
91	108	22	0.13	1.03
92	112	तालिका-दूसरा कालम छटी लाइन	(+) 120.93	(+) 120.95
93	112	तालिका तीसरा कालम छटी लाइन	(-) 37.01	(-) 36.01
94	113	तालिका तीसरा कालम लाइन 3 नीचे से	216	218

1	2	3	4	5
95	114	तालिका छटा कालम पांचवी लाइन	45.25	54.25
96	114	तालिका छटा कालम अन्तिम लाइन	(–) 0.40	(-) 0.42
97	115	तालिका छटा कालम अन्तिम लाइन	7243.2	724.32
98	117	प्रथम	31 मार्च 1981-82	1981-82
99	121	अन्तिम	गया	गया (नवम्बर 1982)
100	123	प्रथम	काल में	काल
101	123	13 नीचे से	1980-80	1979-80
102	128	दूसरी तालिका के नीचे लाइन 2	5.79	5 78
103	129	प्रथम	देखने आया	देखने में आया
104	130	दूसरी तालिका शीर्षक	विभाग	विभाग/
105	130	,,	पार्टियों में	पार्टियों
106	131	7	11.03.11	11.04.11
107	132	परा 11.04.13 (vi) लाइन 2	रुपये पथ	रुपये के पथ
108	132	पैरा 11.04.13 (viii) लाइन–1	अधिक से	अधिक
109	133	14	1981 नवम्बर/	1981/नवम्बर
110	133	9 नीचे से	गया	गया (मई 1978)
111	133	,,	पराबंटित	पर आबंटित
112	133	5 नीचे से	तक भी	तक,
113	133	3 नीचे से	पर चुना	पर 1978-79 के लिए चुना
114	134	4	1.57	1.37
115	134	17 नीचे से	डण्डनीय	दण्डनीय
116	135	3	दिये	दिये (जुलाई और अगस्त 1980)
117	135	4	आदेलों	आदेशों
118	135	7	गयी	गयी (मार्च 1981)
119	135	8 नीचे से	दिया	दिया (नवम्बर 1979)

1	2	3	4	5
120	135	4 नीचे से	गई	गई (अगस्त 1980 से फरवरी 1981)
121	136	पहली तालिका पहला कालम	स्टेट बक	स्टेट बैंक
122	136	2 नीचे से	2336.70	2536.70
123	137	पैरा 12.05 2 री लाइन	1981-82 के	1981-82 तक के
124	138	पैरा 12.06 2 री लाइन	भण्डारण पर	भण्डारण
125	138	17 नीचे से	12.68	12.86
126	138	13 नीचे से	लप्रभित	लाभ प्रति
127	138	4 नीचे से	से एक	में एक
128	138	अन्तिम	थीं (फरवरी	(फरवरी
129	144	7 वां कालम 2 री लाइन	(+) 8.44	(−) 8.44
130	147	2	कालल	कालम
131	150	1	संदर्भ	परि
132	150	2	परि	(सन्दर्भ

पी0एस0यू0पी0-- ए0पी0 1 महालेखाकार-- 3-4-84--(34)--- 1984---1750 (प्रो0)।